हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2013-2014

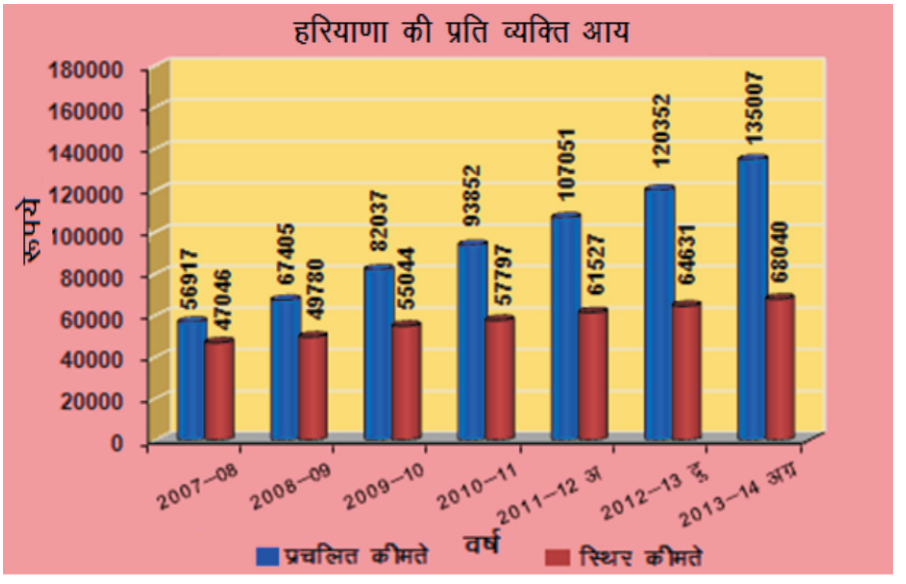

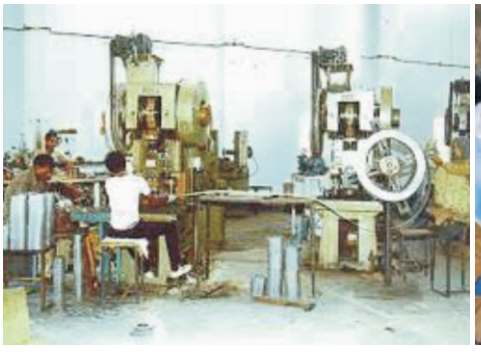

जारीकर्त्ता :

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

हरियाणा

2014

प्रकाशन संख्या – 1067

विभाग की वेबसाईटः www.esaharyana.gov.in पर उपलब्ध है

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2013–14

जारीकर्ता:
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकुला
2014

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	हरियाणा एक दृष्टि में	(i-v)
1.	हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1—3
2.	लोक वित्त, बैंकिंग तथा ऋण	4—16
3.	कीमतें तथा खाद्य एवं पूर्ति	17—20
4.	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	21—32
5.	उद्योग क्षेत्र	33—38
6.	सेवा क्षेत्र	39—41
7.	विद्युत, आधारभूत सुविधाएं, परिवहन एवं भण्डारण	42—55
8.	सामाजिक क्षेत्र	56—92
9.	योजना नीति एवं समीक्षा	93—95
	अनुलग्नक	96—106

***

हरियाणा एक दृष्टि में

क्र.सं.	मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति
1	**भौगोलिक क्षेत्र**		वर्ग कि.मी.	44,212
2	**प्रशासनिक ढांचा**		संख्या	
	(क) मण्डल			4
	(ख) जिले			21
	(ग) उप–मण्डल			58
	(घ) तहसीलें			80
	(ड़) उप–तहसीलें			50
	(च) खण्ड			125
	(छ) कस्बे	जनगणना 2011		154
	(ज) गांव (गैर आबादी सहित)	जनगणना 2011		6,841
3	**जनसंख्या**	जनगणना 2011	संख्या	
	(क) कुल			2,53,51,462
	(ख) पुरूष			1,34,94,734
	(ग) स्त्रियाँ			1,18,56,728
	(घ) ग्रामीण			1,65,09,359
	(ड़) शहरी			88,42,103
	(च) जनसंख्या घनत्व		प्रति वर्ग कि.मी.	573
	(छ) साक्षरता दर		प्रतिशत	75.55
	(ज) लिंग अनुपात		हजार पुरूषों पर स्त्रियां	879
	(झ) ग्रामीण जनसंख्या		प्रतिशत	65.12
4	**स्वास्थ्य आंकड़े**	2012	प्रति हजार	
	(क) जन्म दर			
	(i) इक्टठी			21.6
	(ii) ग्रामीण			22.6
	(iii) शहरी			19.2
	(ख) मृत्यु दर			
	(i) इक्टठी			6.4
	(ii) ग्रामीण			6.9
	(iii) शहरी			5.4

क्र.सं.	मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति
	(ग) बाल मृत्यु दर	2012	प्रति हजार	
	(i) इक्टठे			42
	(ii) ग्रामीण			46
	(iii) शहरी			33
	(घ) मातृ मृत्यु दर (एम0एम0आर0)	2007–09	1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु	153
5	**राज्य आय (चालू कीमतों पर)**	2012–13 (द्रु.अ.)	रूपये करोड़	
	(क) राज्य सकल घरेलू उत्पाद			3,45,237.78
	(ख) कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद			69,656.12
	(ग) उद्योग क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद			94,053.49
	(घ) सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद			1,81,528.17
	(ड़) प्रति व्यक्ति राज्य आय		रूपये	1,20,352
6	**भूमि उपयोग**			
	(क) वनों के अधीन क्षेत्र	2011–12	प्रतिशत	3.98
	(ख) निवल बोया गया क्षेत्र	2011–12	हजार हैक्टेयर	3,513
	(ग) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र			2,976
	(घ) कुल बोया गया क्षेत्र			6,489
	(ड) निवल बोए गए क्षेत्र की कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशतता		प्रतिशत	79.46
	(च) एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र की निवल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता		प्रतिशत	84.71
7	**मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र**	2011–12	हजार हैक्टेयर	
	(क) चावल			1,234
	(ख) गेंहू			2,531
	(ग) जवार			65
	(घ) बाजरा			576
	(ड़) सभी अनाज			4,459
	(च) सभी दालें			123
	(छ) सभी खाद्यान्न			4,581
	(ज) गन्ना			95
	(झ) कपास			602
	(ञ) मूंगफली इत्यादि			2

क्र.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
8	**मुख्य फसलों का उत्पादन**	2011–12	हजार टन	
	(क) चावल			3,757
	(ख) गेंहू			13,119
	(ग) जवार			33
	(घ) बाजरा			1,175
	(ड़) सभी अनाज			18,263
	(च) सभी दालें			107
	(छ) सभी खाद्यान्न			18,370
	(ज) गन्ना			6,953
	(झ) कपास		170 कि.ग्रा. की गांठें हजार में	2,616
	(ञ) मूंगफली इत्यादि		हजार टन	2
9	**मुख्य फसलों की उपज**	2011–12	कि0ग्रा0 / हैक्टे.	
	(क) चावल			3,044
	(ख) गेंहू			5,183
	(ग) जवार			500
	(घ) बाजरा			2,040
	(ड़) गन्ना			7,319
	(च) कपास		170 कि.ग्रा. की गांठें हजार में	739
	(छ) मूंगफली इत्यादि		किलो / हैक्टे.	970
10	**चालू जोतें**	2010–11 कृषि गणना		
	(क) चालू जोतों की संख्या		संख्या	16,17,311
	(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,646
	(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.25
11	**सहकारिता**	2012–13		
	(क) कुल सहकारी समितियों की संख्या		संख्या	34,734
	(ख) सहकारी समितियों की कुल सदस्य संख्या		संख्या	55,19,792
	(ग)सहकारी समितियों की कुल कार्य पूंजी		रूपये करोड़	23,999.07
12	**पशुधन**	2007	संख्या	
	(क) पशु			15,52,361
	(ख) भैंसे			59,33,228
	(ग) बकरियां			5,38,320
	(घ) कुक्कुट			2,87,85,497

क्र.सं.	मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति
13	**दूध एवं अण्डे का उत्पादन**	2012–13		
	(क) अनुमानित दूध उत्पादन		लाख टन	70.40
	(ख) प्रति दिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता		ग्राम	747
	(ग) अण्डा उत्पादन		संख्या लाख में	42,343
14	**विद्युत**	2012–13		
	(क) लगाई गई कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	9,839.43
	(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	3,43,177
	(ग) बेची गई विद्युत		लाख किलोवाट	2,52,576.03
	(घ) बिजली उपभोक्ता		संख्या	52,18,227
15	**पर्यटन**	2012–13	संख्या	
	(क) पर्यटन स्थल			42
	(ख) विदेशी सैलानी			2,28,894
	(ग) भारतीय सैलानी			62,17,552
16	**रोजगार**		संख्या	
	(क) रोजगार केन्द्रों की संख्या	दिसम्बर, 2012		56
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार	2012–13		3,75,106
	(ग) संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार			3,94,767
	(घ) कुल रोजगार	2012–13		7,69,873
	(ड) हरियाणा राज्य का अमला	मार्च, 2012		3,35,945
17	**शिक्षा**			
	(क) संस्थान	2012–13	संख्या	
	(i) प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विधालय			14,025
	(ii) माध्यमिक विधालय			3,483
	(iii) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय			7,060
	(ख) दाखिला	2011–12	संख्या	
	(i) प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विधालय			24,43,613
	(ii) माध्यमिक विधालय			12,80,868
	(iii) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय			15,23,303
18	**तकनीकी शिक्षा**	2012–13	संख्या	
	(क) तकनीकी संस्थानों में सीटें			1,43,895

क्र.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
	(ख) छात्र	2012–13	संख्या	1,07,921
	(ग) छात्राएं			35,974
19	**बैंक**	2012–13		
	(क) अनुसूचित बैंक		संख्या	3,293
	(ख) जमा		रूपये करोड़	1,69,911
	(ग) साख		रूपये करोड़	1,29,274
20	**राज्य सरकार की प्राप्तियाँ तथा व्यय**	2013–14 (ब.अ.)	रूपये करोड़	
	(क) कुल राजस्व प्राप्तियाँ			43,780.33
	(अ) केन्द्रीय करों से हिस्सेदारी			3,483.90
	(आ) राज्य कर			28,784.34
	(इ) राज्य का अपना कर–भिन्न राजस्व	2013–14 (ब.अ.)		5,162.48
	(ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता व अनुदान			6,349.61
	(ख) कुल राजस्व व्यय			46,223.56
	(अ) सामान्य सेवाएं			14,481.30
	(आ) समाजिक सेवाएं			18,562.67
	(इ) आर्थिक सेवाएं			13,000.65
	(ई) अन्य			178.94
21	**राज्य योजनाएं**		रूपये करोड़	
	12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय (प्रस्तावित)	2012–17		*1,76,760
	वार्षिक योजनाएं :-			
	(ज) वार्षिक योजना परिव्यय (स)	2012–13		* 22,935.73
	(झ) वार्षिक योजना परिव्यय (स)	2013–14		* 24,182.13

द्रु.अ.: द्रुत अनुमान
ब:अ: बजट अनुमान
सं: संशोधित परिव्यय
* पी.एस.यू. एवं स्थानीय निकायों का परिव्यय शामिल है

***

1

हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

आर्थिक परिदृश्य

हरियाणा ने 1966 में अपने गठन के समय से ही अदभुत आर्थिक विकास किया है। पिछले 8 वर्षों (2005–06 से 2012–13) में राज्य की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.0 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक 8.8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.3 प्रतिशत का छोटा सा राज्य है, परन्तु 2012–13 के द्रुत अनुमानों (द्रु.अ.) के अनुसार राज्य ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2004–05) कीमतों पर 3.4 प्रतिशत का योगदान दर्ज किया है।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर

1.2 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2012–13 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्रुत अनुमान (द्रु.अ.) के आधार पर 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की 4.5 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक है।

1.3 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान कृषि तथा कृषि सहबद्ध क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्र में 6.0 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने के बावजूद हरियाणा की अर्थ व्यवस्था में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12.4 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर के कारण ही राज्य अर्थव्यवस्था ने 8.0 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों को चालू और स्थिर 2004–05 भावों पर **तालिका 1.1 व आकृति 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1– राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

(रूपये करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (अः)
चालू मूल्य पर	151595.90	182522.15	223600.25	260621.28	301958.52
स्थिर मूल्य (2004–05) पर	126170.76	136477.94	152474.47	163770.20	176525.89

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा। अः अनन्तिम अनुमान

1.4 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा राज्य की औसत वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही जो भारत की अर्थ–व्यवस्था में औसत वृद्धि दर 8.0 प्रतिशत से अधिक थी। इससे स्पष्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य की अर्थ–व्यवस्था का सुदृढता से विकास हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद की अवधि के दौरान स्थिर मूल्यों (2004–05) पर राज्य व भारतीय अर्थ–व्यवस्था की विकास दर **आकृति 1.2** में दर्शायी गयी है।

1.5 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्कृष्ट वृद्धि दर हासिल करने के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षो (2012–13 व 2013–14) में राज्य अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर धीमी पड़ गई। चालू कीमतों पर वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3,01,958.52 करोड़ था जो 2012–13 (द्रुत अनुमान) में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि से बढकर 3,45,237.78 करोड़

राज्य के आर्थिक सूचकांक यानि राज्य सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल स्थाई पूंजी निर्माण अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा तैयार अनुमानों पर आधारित तथा देश के आर्थिक सूचकांक केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, नई–दिल्ली द्वारा जारी अनुमानों पर आधारित हैं।

रूपये हो गया। स्थिर कीमतों (2004–05) पर वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,76,525.89 करोड़ रूपये था जो वर्ष 2012–13 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 1,88,033.12 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। वर्ष 2012–13 के दौरान वित्त एवं भू–सम्पदा क्षेत्र में 15.3 प्रतिशत तथा अन्य सेवा क्षेत्र में 13.0 प्रतिशत की प्रोत्साहिक वृद्वि दर्ज होने के बावजूद राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की कम वृद्वि दर्ज की जा सकी जिसके मुख्य कारण कृषि क्षेत्र (–0.7 प्रतिशत) में हासिल की गई नकारात्मक वृद्वि तथा विनिर्माण (4.9 प्रतिशत), बिजली, गैस और जल आपूर्ति (0.5 प्रतिशत), निर्माण (4.7 प्रतिशत), परिवहन, संचार एवं व्यापार, (6.7 प्रतिशत) तथा सार्वजनिक प्रशासन (5.5 प्रतिशत) में हासिल की गई कम वृद्वि रहे **(तालिका 1.2)।**

तालिका 1.2–11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि

(प्रतिशत)

उद्योग	**11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)**	**12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)**	
		2012–13 (द्रु0)	**2013–14 (अग्र0)**
कृषि तथा कृषि सहबद्ध गतिविधियां	3.7	–0.7	3.2
खनन एवं उत्खनन	–20.3	–13.7	–1.2
विनिर्माण	6.6	4.9	3.8
बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति	10.4	0.5	5.1
निर्माण	4.4	4.7	4.6
परिवहन, संचार एवं व्यापार	12.8	6.7	5.6
वित्त एवं भू–सम्पदा	12.2	15.3	15.6
सार्वजनिक प्रशासन	9.8	5.5	3.5
अन्य सेवाएं	12.6	13.0	13.0
समुदाय एवं निजी सेवाएं	11.7	10.9	10.5
कुल सकल घरेलू उत्पाद	**8.7**	**6.5**	**6.9**

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

द्रु0ः द्रुत अनुमान, अग्र0ः अग्रिम अनुमान

1.6 अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किये गये वर्ष 2013–14 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार दौरान चालू कीमतों पर राज्य में सकल घरेलू उत्पाद 3,92,894.05 करोड़ रूपये दर्ज किया गया है जो कि वर्ष 2012–13 की तुलना में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2013–14 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 6.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्थिर (2004–05) मूल्यों पर 2,01,077.08 करोड रूपये पहुंचने की उम्मीद है. जो अखिल भारतीय वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2013–14 में राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.9 प्रतिशत की कम वृद्धि का मुख्य कारण कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र (3.2 प्रतिशत), विनिर्माण क्षेत्र (3.8 प्रतिशत), बिजली गैंस एवं जल आपूर्ति (5.1 प्रतिशत), निर्माण (4.6 प्रतिशत), परिवहन, संचार तथा व्यापार (5.6 प्रतिशत) और सार्वजनिक प्रशासन (3.5 प्रतिशत) क्षेत्रों में हासिल की गई की धीमी वृद्धि है।

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.7 पिछले 47 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन आया है। हरियाणा राज्य के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969–70) में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों (कृषि, वन एवं मत्स्य पालन) का स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 60.7 प्रतिशत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद सेवा (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग (17.6 प्रतिशत) क्षेत्र का योगदान रहा है। उस समय कृषि क्षेत्र की प्रधानता कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव होने के कारण अर्थव्यवस्था की अस्थिरता का मुख्य कारण थी। इसके बाद राज्य अर्थव्यवस्था का विविधिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में झुकाव शुरू हुआ तथा यह बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सफलतापूर्वक जारी रहा।

1.8 चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षों (1969–70 से 2006–07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की वृद्वि दर की तुलना में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अंश में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश कम हुआ। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से

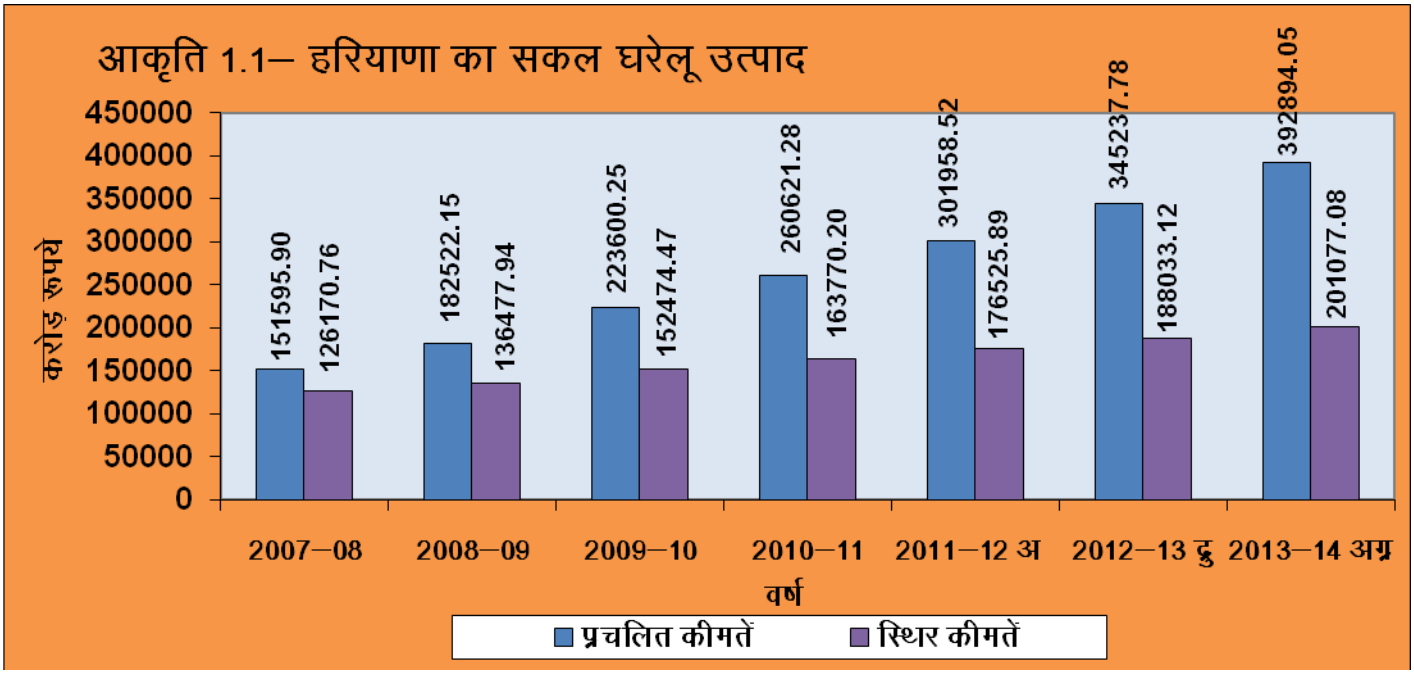
आकृति 1.1– हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद
करोड़ रुपये
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
151595.90
126170.76
182522.15
136477.94
223600.25
152474.47
260621.28
163770.20
301958.52
176525.89
345237.78
188033.12
392894.05
201077.08
2007–08
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12 अ
2012–13 द्रु
2013–14 अग्र
वर्ष
प्रचलित कीमतें
स्थिर कीमतें

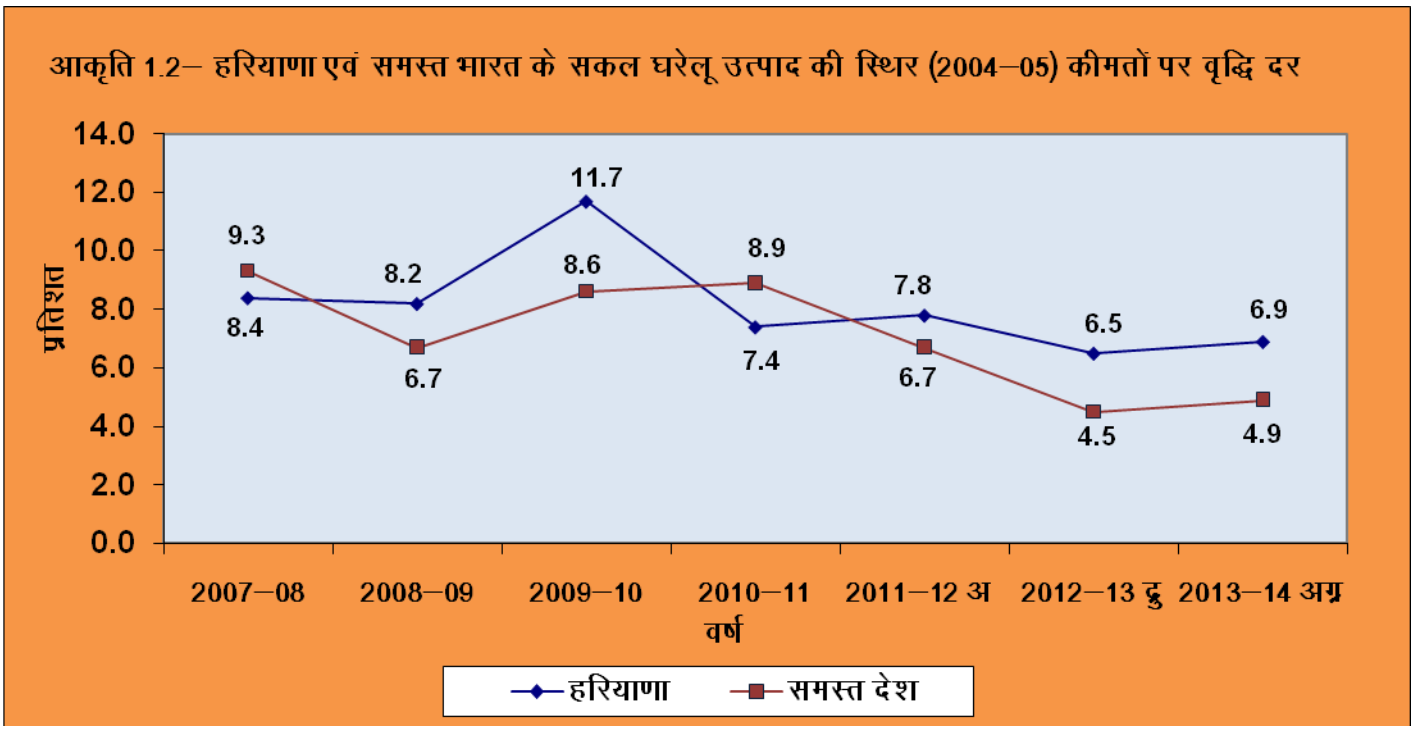
आकृति 1.2– हरियाणा एवं समस्त भारत के सकल घरेलू उत्पाद की स्थिर (2004–05) कीमतों पर वृद्धि दर
प्रतिशत
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
9.3
8.4
8.2
6.7
11.7
8.6
8.9
7.4
7.8
6.7
6.5
4.5
6.9
4.9
2007–08
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12 अ
2012–13 द्रु
2013–14 अग्र
वर्ष
हरियाणा
समस्त देश

आकृति 1.3– राज्य सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रानुसार स्थिर (2004–05) कीमतों पर वृद्धि दर

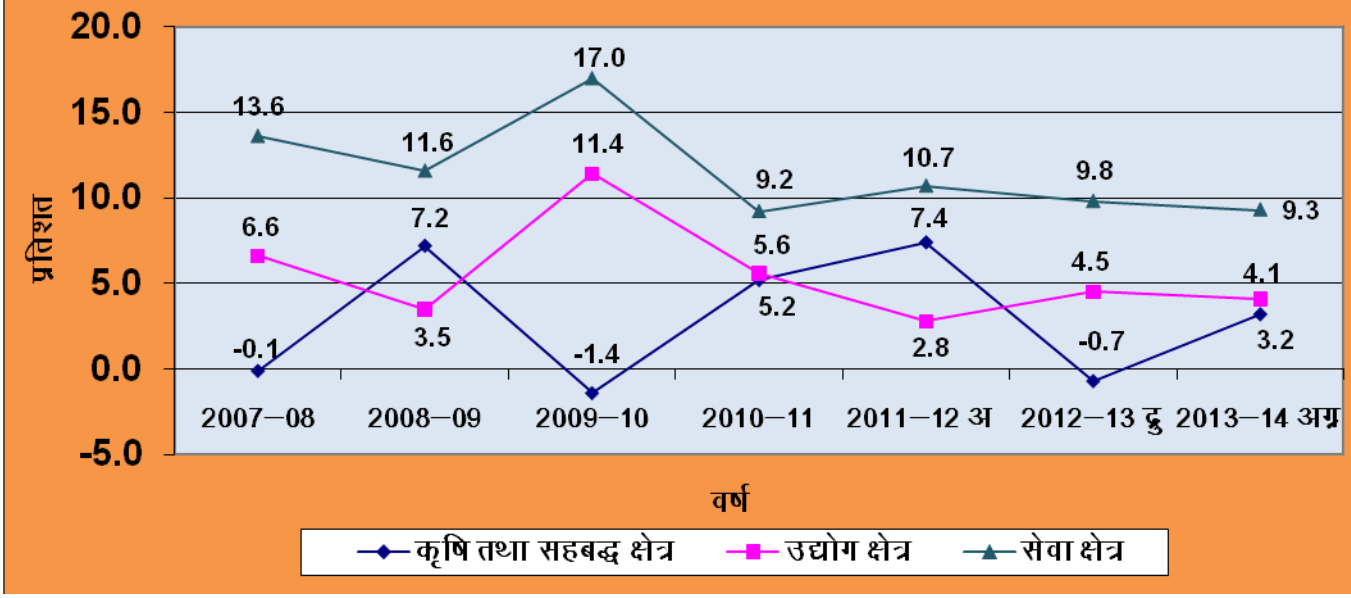

आकृति 1.4– राज्य सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रानुसार संरचना में परिवर्तन

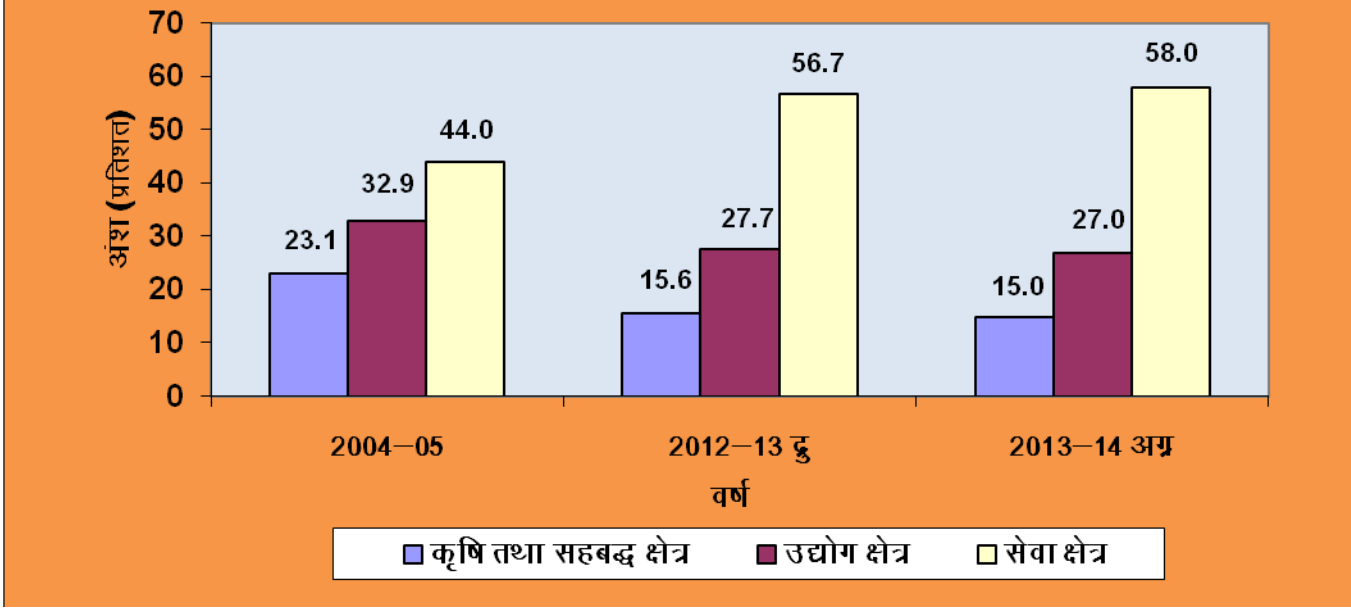

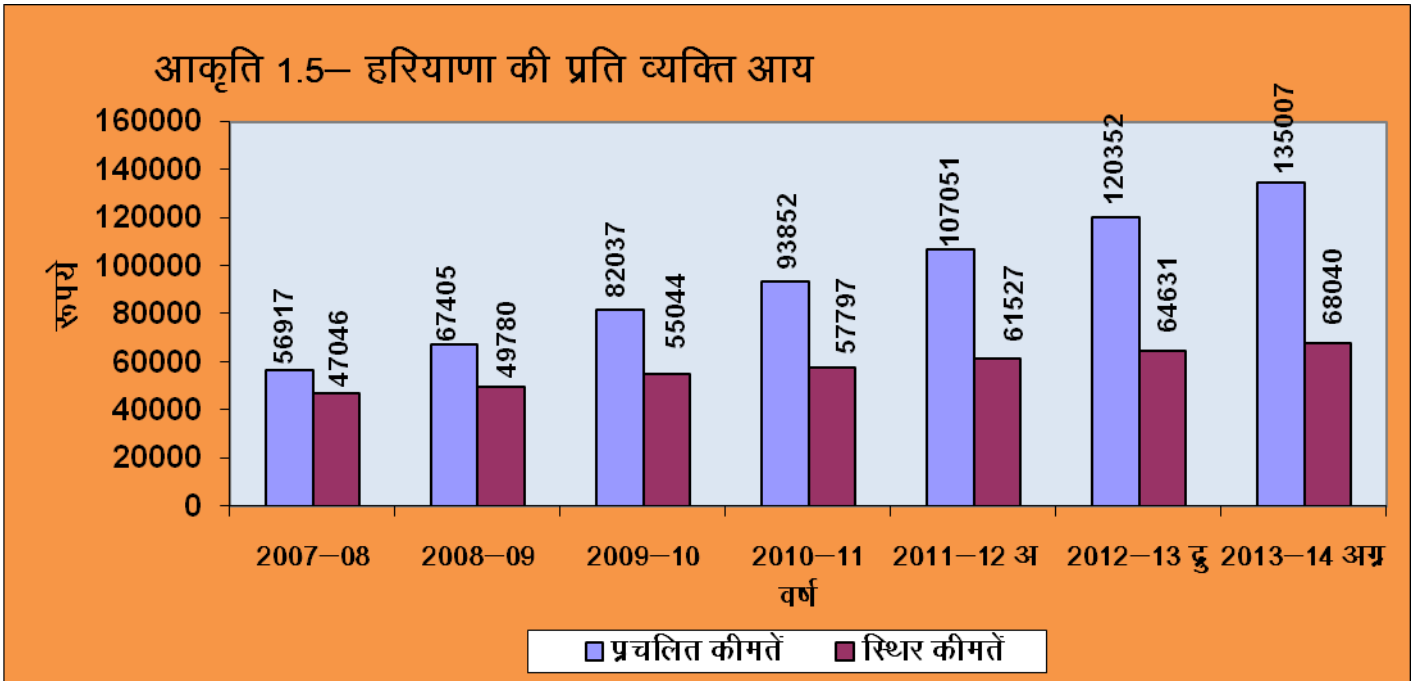
आकृति 1.5– हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
रुपये
56917
47046
67405
49780
82037
55044
93852
57797
107051
61527
120352
64631
135007
68040
2007–08
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12 अ
2012–13 द्व
2013–14 अग्र
वर्ष
प्रचलित कीमतें
स्थिर कीमतें

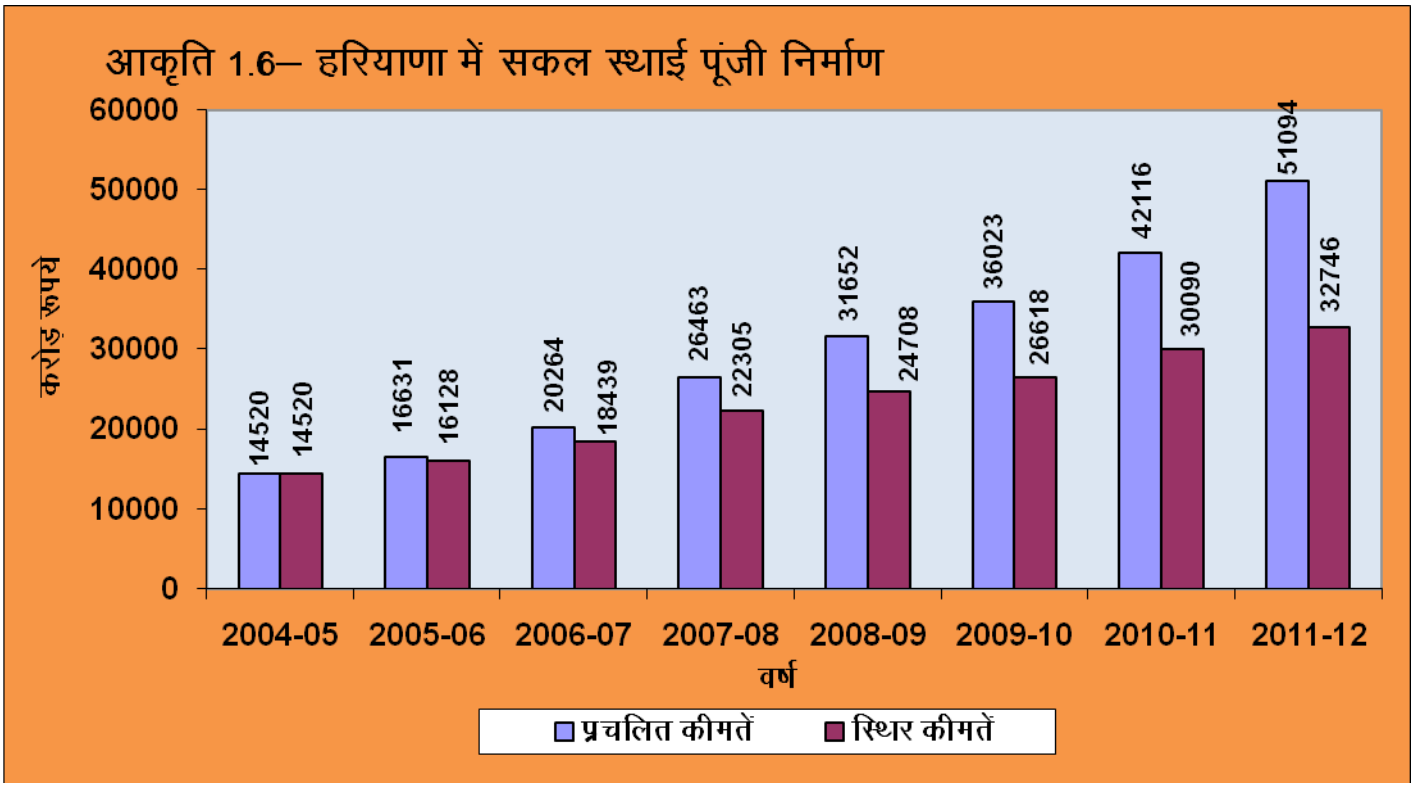
आकृति 1.6– हरियाणा में सकल स्थाई पूंजी निर्माण
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
करोड़ रुपये
14520
14520
16631
16128
20264
18439
26463
22305
31652
24708
36023
26618
42116
30090
51094
32746
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष
प्रचलित कीमतें
स्थिर कीमतें

घटकर 2006–07 में 21.3 प्रतिशत रह गया जबकि उद्योग क्षेत्र का अंश 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 32.1 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र का अंश इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गया। 11वीं पंचवर्षीय के दौरान राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति त्वरित हुई तथा राज्य की अर्थ व्यवस्था उच्च विकास दर के पथ पर अग्रसर हुई **(आकृति 1.3)**। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011–12 में इसका अंश बढकर 55.0 प्रतिशत हो गया तथा कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों का अंश घटकर 16.8 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी रही परन्तु सेवा क्षेत्र की विकास दर अन्य दो क्षेत्रों की विकास दर से ज्यादा थी। इसके परिणाम स्वरूप 2013–14 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 58.0 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश घटकर 15.0 प्रतिशत रह गया **(आकृति 1.4)**। इस प्रकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की संरचना से स्पष्ट हैं कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का अंश लगातार घट रहा हैं तथा सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ रहा हैं ।

1.9 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी इसी प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन की प्रवृति को अंकित किया गया है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 2004–05 में 19.0 प्रतिशत से घटकर 2013–14 में 13.9 प्रतिशत रह गया है जबकि सेवा क्षेत्र का अंश वर्ष 2004–05 में 53.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013–14 में 59.9 प्रतिशत तक पहुॅच गया है। यह राज्य अर्थव्यवस्था व भारतीय अर्थव्यवस्था में समानान्तर मुख्य संरचनात्मक बदलाव की स्थिति को प्रकट करता है जिससे किसी अर्थ व्यवस्था का विकास उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन पर अधिक तथा कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर कम निर्भर हो जाता है।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय

1.10 प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) राज्य तथा देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों के जीवन स्तर के आंकलन करने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 1966–67 के दौरान हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर केवल 608 रूपये थी। तब से हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। प्रचलित और स्थिर (2004–05) कीमतों पर 2007–08 से 2013–14 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय को **आकृति 1.5** में प्रस्तुत किया गया है।

1.11 राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों (2004–05) पर 2012–13 में 64,631 रूपये से बढ़कर 2013–14 में 68,040 रूपये पहुचनें की उम्मीद है जोकि वर्ष 2013–14 में 5.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2012–13 में 1,20,352 रूपये से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 1,35,007 होने की संभावना है जो कि 2013–14 में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। देश के बडे राज्यों में हरियाणा राज्य की प्रतिव्यक्ति आय सबसे अधिक है। अतीत में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से हमेशा बहुत अधिक रही है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2013–14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय चालू तथा स्थिर (2004–05) कीमतों पर क्रमशः 74,920 रूपये तथा 39,961 रूपये रहने का अनुमान है।

राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.12 अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करता है जिसे **आकृति 1.6** द्वारा दिखाया गया है। प्रचलित भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2011–12 के अनुसार 51,094 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया, जबकि वर्ष 2010–11 का यह आंकलन 42,616 करोड़ रूपये था। इस प्रकार इसमें 19.9 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। इसी तरह स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2010–11 के 30,090 करोड़ रूपये के खिलाफ वर्ष 2011–12 में 32,746 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया जिसमें 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

***

2

लोक वित्त, बैंकिंग तथा ऋण

हरियाणा राज्य देश का उन्नतिशाील राज्य है तथा यह राजकोषीय सुधारों के लिए पथ प्रदर्शक रहा है। हमारे राजकोषीय प्रबन्धन देश में सबसे अच्छा गिना जाता है। हरियाणा में राजस्व सन्तुलन के लक्ष्य को प्राप्त करने, वित्त घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 3 प्रतिशत तक सीमित करने तथा वर्ष 2010–15 से बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात को क्रमशः 22.4, 22.6, 22.7, 22.8 और 22.9 प्रतिशत करने के लिए 13वें वित्त आयोग ने राजकोषीय समेकन मार्ग की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति के फलस्वरूप राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में और 13वें वित्त आयोग की निर्धारित सीमा के भीतर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ऋणों में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए है। राज्य में वर्ष 2004–05 तक राजस्व घाटा रहा। यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के अनुसार राजस्व घाटा 1998–99 में 3.5 प्रतिशत से घटकर 2004–05 में 0.27 प्रतिशत रह गया। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2005–06 में 1,213 करोड़ रूपये, 2006–07 में 1,590 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2007–08 में 2,224 करोड़ रूपये हो गया परन्तु अर्थ–व्यवस्था में धीमापन आने तथा कर्मचारियों के वेतन/पैंशन में संशोधन के कारण राज्य में 2008–09 में राजस्व घाटा 2,082 करोड़ रूपये, 2009–10 में 4,265 करोड़ रूपये, 2010–11 में 2,746 करोड़ रूपये, 2011–12 में 1,457 करोड़ रूपये तथा 2012–13 में 4,438 करोड़ रूपये हो गया जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.14 प्रतिशत, 1.91 प्रतिशत, 1.04 प्रतिशत, 0.47 प्रतिशत तथा 1.28 प्रतिशत था। राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के आधार अनुसार राजकोषीय घाटा जोकि वर्ष 1998–99 में 5.13 प्रतिशत की उच्च चोटी पर था, से कम होकर वर्ष 2007–08 में 0.83 प्रतिशत रह गया, परन्तु यह वर्ष 2010–11 में बढ़कर 2.74 प्रतिशत तथा वर्ष 2012–13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013–14 में फिर इसके कम होकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के अनुसार 2.18 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्य कर–सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 1999–2000 में 6.85 प्रतिशत से सुधरकर 2007–08 में 7.66 प्रतिशत हो गया, जो कि वर्ष 2007–08 से वर्ष 2012–13 के दौरान 6 से 7 प्रतिशत के बीच स्थिर विकास का संकेत है। 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि कुल राजस्व प्राप्तियों का ब्याज भुगतान अनुपात (आई0पी0–टी0आर0आर0) निर्धारित 15 प्रतिशत से कम होना चाहिए। हरियाणा में यह अनुपात 2011–12 में 13.09 प्रतिशत और 2012–13 में 14.11 प्रतिशत रहा।

राज्य वित्त

2.2 लोक वित्त का सम्बन्ध करों के उन संग्रहों से है जिनका उपयोग सरकार द्वारा लोगों के लिए सार्वजनिक वस्तुओं व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में सरकार की भागीदारी का अध्ययन है। लोक वित मुख्यतयाः तीन पहलूओं नामतः i) संसाधनों का कुशल वितरण, ii) आय का वितरण तथा iii) समष्टि अर्थ–व्यवस्था का स्थिरीकरण से सम्बन्धित है। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवम् व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्त प्रबन्धन के तीन आवश्यक घटक है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य वित्त का राजकोषीय घाटे से अधिशेष होने का अनुभव रहा है तथा इसके बाद फिर घाटा और अब दोबारा से सुधार के पथ पर अग्रसर है। राजकोषीय घाटे के बढने के रूझान का मुख्य कारण वैश्विक मन्दी, मुद्रा स्फीति और वेतन वृद्धि रहे हैं। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों से राज्य कोष की स्थिति मजबूत हुई है।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वंय के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी व केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2013–14 के दौरान, हरियाणा

सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 43,780.33 करोड़ रूपये एवं व्यय 46,223.56 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जोकि 2,443.23 करोड़ रूपये के घाटे को दर्शाता है। वर्ष 2010–11 से 2013–14 (ब.अ.) तक राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक 2.1 तथा अनुलग्नक 2.2** में दिखाया गया है जबकि वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 (ब.अ.) तक राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय के रूझान को **आकृति 2.1** में दिखाया गया है। वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 25,563.68 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 28,310.19 करोड़ रूपये था तथा इस अवधि में 2,746.51 करोड़ रूपये का घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12, 2012–13 (स.अ.) में 30,557.59 करोड़ रूपये तथा 37,824.07 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 32,014.89 तथा 40,987.45 करोड़ रूपये रहा जोकि इस अवधि में 1,457.30 तथा 3,163.38 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाता है **(अनुलग्नक 2.3)**।

राज्य के स्वंय कर राजस्व व कर–भिन्न राजस्व के रूझान

2.4 राजस्व प्राप्तियों के दो मुख्य घटक राज्य के अपने साधन व केन्द्र सरकार से हस्तान्तरण है। राज्य के अपने साधनों के मुख्य दो घटक हैं, (1) राज्य की स्वंय कर आय व (2) राज्य की स्वंय गैर–कर आय।

2.5 राज्य के स्वंय साधनों से राजस्व वर्ष 2009–10 में 15,960.90 करोड़ रूपये से बढ़कर 2013–14 (ब.अ.) में 33,946.82 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राज्य के स्वंय कर राजस्व वर्ष 2009–10 में 13,219.50 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 28,784.34 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जबकि इसी अवधि में कर–भिन्न आय 2,741.40 करोड़ रूपये से बढ़कर 5,162.48 करोड़ रूपये होने का अनुमान है।

कुल कर का रूझान

तालिका 2.1 हरियाणा सरकार की कुल कर स्थिति

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं कर	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	कुल कर
2009–10	13219.50	1774.47	14993.97
2010–11	16790.37	2301.75	19092.12
2011–12	20399.46	2681.55	23081.01
2012–13 (स.अ.)	24289.81	3170.29	27460.10
2013–14 (ब.अ.)	28784.34	3483.90	32268.24

प्राप्ति स्थानः– स्टेट बजट डाक्यूमेंट

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

2.6 कुल कर मुख्यतया दो घटकों पर निर्भर है, नामतः i) राज्य का स्वयं कर तथा ii) केन्द्रीय करों में भागीदारी। राज्य का कुल कर वर्ष 2009–10 में 14,993.97 करोड़ रूपये (13,219.50 ओ.टी.आर. +1,774.47 एस.सी.टी.) से बढ़कर वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 32,268.24 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। **तालिका 2.1** में वर्ष 2009–10 से 2013–14 (ब.अ.) तक करों की स्थिति दशाई गई है।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.7 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, योजनाओं में अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान व अन्य गैर–योजना अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियां 3,483.90 करोड रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 3,170.29 करोड रूपये तथा 2011–12 में 2,681.55 करोड रूपये था जो कि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में वर्ष 2012–13 (स..अ.) की तुलना में 9.89 प्रतिशत की वृद्वि अनुमानित है जबकि यह वृद्वि वर्ष 2012–13 (स.अ.) में वर्ष 2011–12 की तुलना में 18.23 प्रतिशत थी।

केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

2.8 केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतू सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 6,349.61 करोड़

ब.अ.– बजट अनुमान, स.अ.– संशोधित अनुमान

रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है जबकि इसी मद में वर्ष 2012–13 (स.अ.) में यह राशि 5,495.62 करोड़ रूपये व वर्ष 2011–12 में 2,754.93 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2012–13 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि 15.54 प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना है। राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **आकृति 2.2** में दिया गया है।

कर राजस्व

2.9 कर राजस्व के विवरण से पता चलता है कि बिक्री कर, कर राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है तथा वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में यह 19,288.61 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2012–13 (स.अ.) में यह 16,450 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011–12 में 13,383.69 करोड़ रूपये था। वर्ष 2012–13 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में बिक्री कर में 17.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 (स.अ.) में यह बढ़ोतरी 22.91 प्रतिशत थी। वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व में 4,000 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 3,000 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011–12 में 2,831.89 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी, जो कि वर्ष 2012–13 (स.अ.) से वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 33.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। कर राजस्व में स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 3,850 करोड़ रूपये प्राप्ति का अनुमान है जबकि वर्ष 2012–13 (स.अ.) में इस मद से 3,350 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011–12 में 2,793 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)**।

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.10 पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है। (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) लोक ऋण (शुद्ध)। लोकऋण का पूंजी प्राप्तियों में एक प्रमुख योगदान है। पूंजी प्राप्तियाँ वर्ष 2009–10 में 5,931.63 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 6,112.69 करोड़ रूपये, वर्ष 2011–12 में 7,033.06 करोड़ रूपये, वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 7,330.16 करोड़ रूपये हो गई तथा वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 8,860.52 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जैसा कि **आकृति 2.3** में दिखाया गया है।

पूंजीगत व्यय

2.11 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध राज्य सरकार की सम्पति निर्माण से है। **आकृति 2.3** द्वारा दिखाया गया है कि राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2010–11 में 4,752.97 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 5,999.41 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 5,425.84 करोड़ रूपये हो गया तथा वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 6,850.03 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

2.12 विकासात्मक कुल व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास पर खर्च सम्मिलित हैं, वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 37,909.16 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2012–13 (स.अ.) में यह 33,454.18 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011–12 में 27,323.42 करोड़ रूपये था। इसमें वर्ष 2012–13 (स.अ.) से वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 13.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल गैर–विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 14,985.49 करोड़ रूपये है, जोकि वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 12,734.14 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011–12 में 10,591.46 करोड़ रूपये था। कुल गैर–विकासात्मक व्यय में वर्ष 2012–13 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 17.68 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है **(अनुलग्नक 2.2)**।

राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक शेष की स्थिति

2.13 राज्यों की यह नीति रहती है कि राजस्व घाटा समाप्त किया जाए व राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कम किया जाए। वर्ष 2010–11 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.74 प्रतिशत रहा तथा इसके वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 2.18 प्रतिशत रहने का अनुमान है। **आकृति 2.4** द्वारा पिछले 5 वर्षों 2009–10 से 2013–14 (ब.अ.) में राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक शेष तथा राजकोषीय घाटा/लाभ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दिखाई गई है।

आकृति 2.1 – हरियाणा की राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय के रूझान

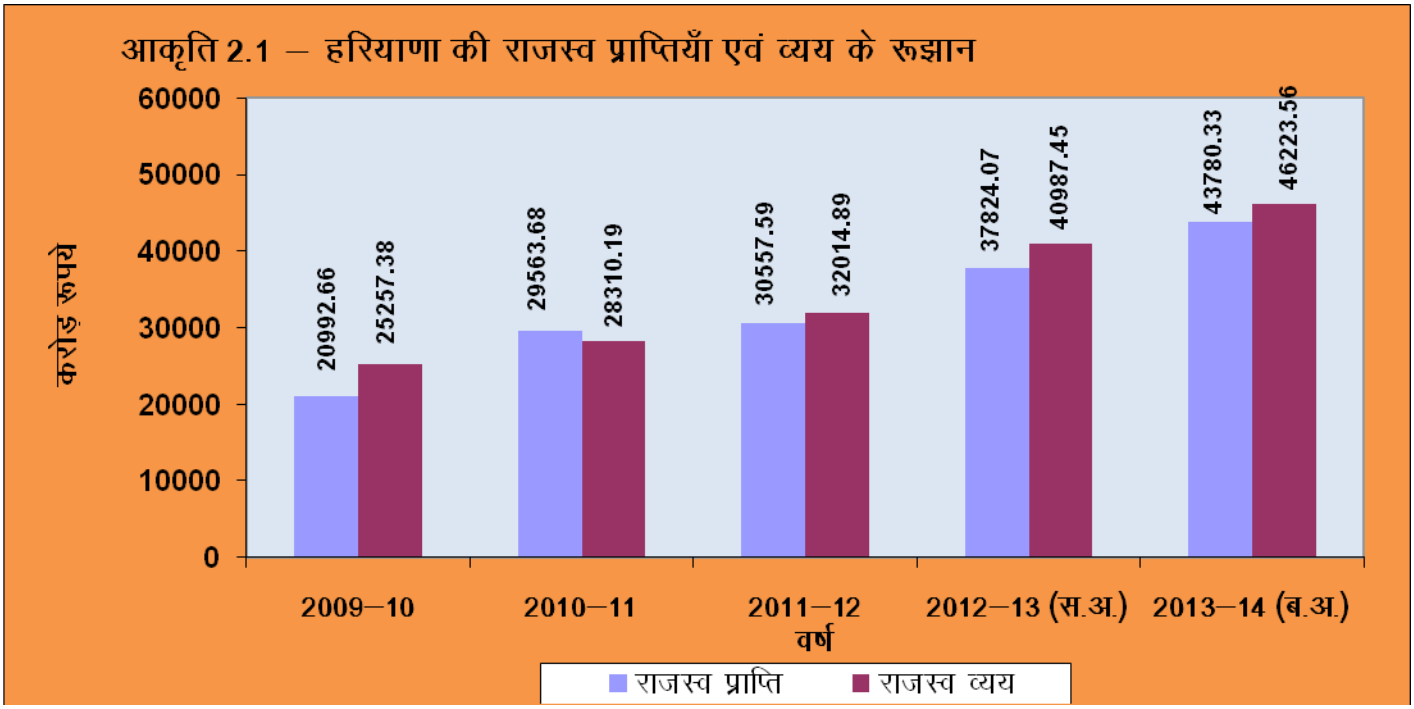

आकृति 2.2 – केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

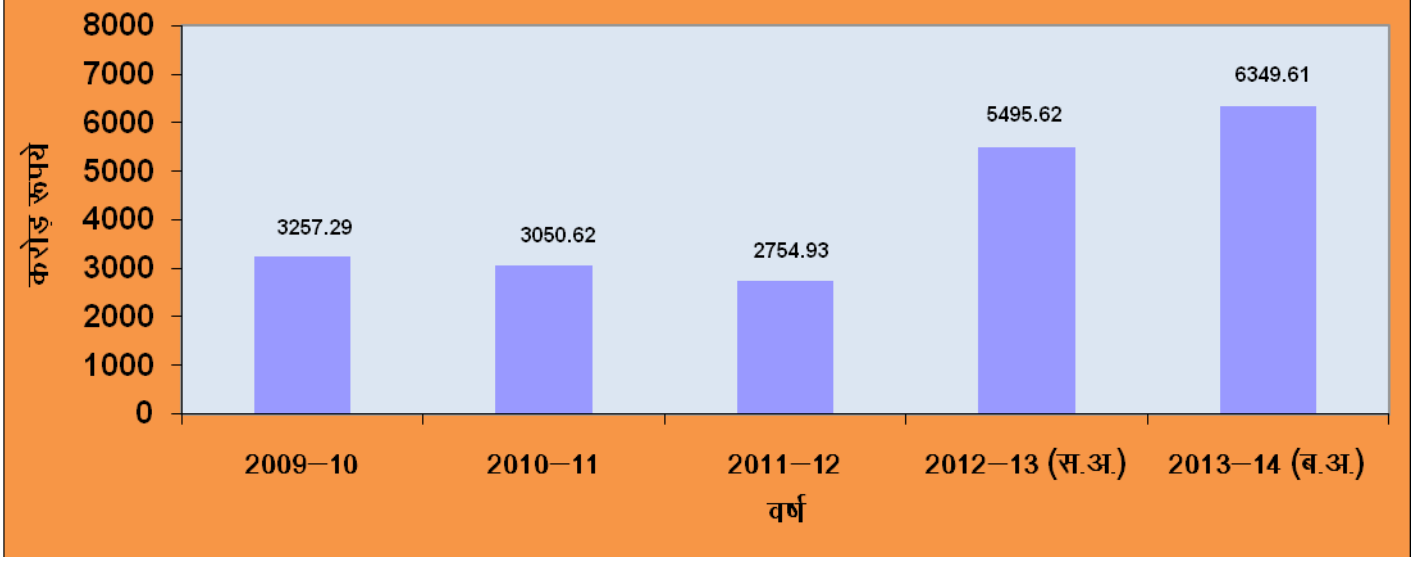

आकृति 2.3– हरियाणा की पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय के रूझान

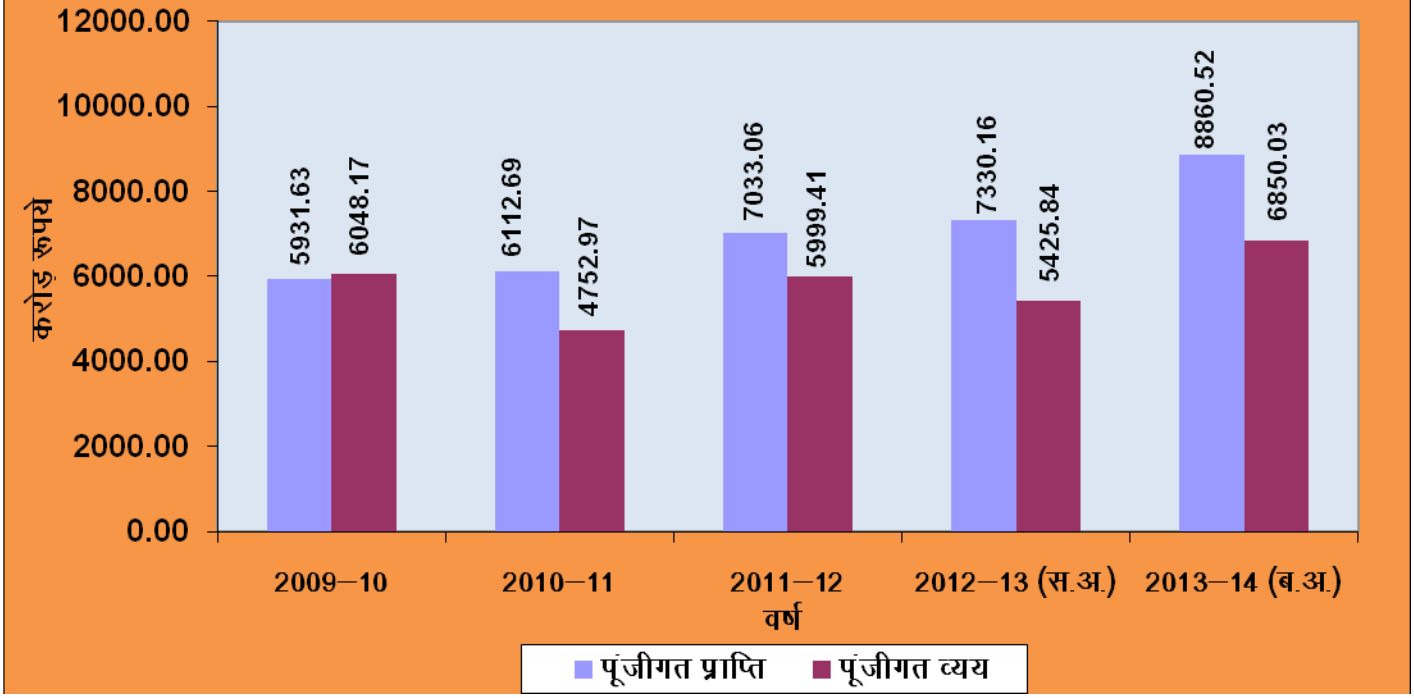

आकृति 2.4– हरियाणा में राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटें का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत

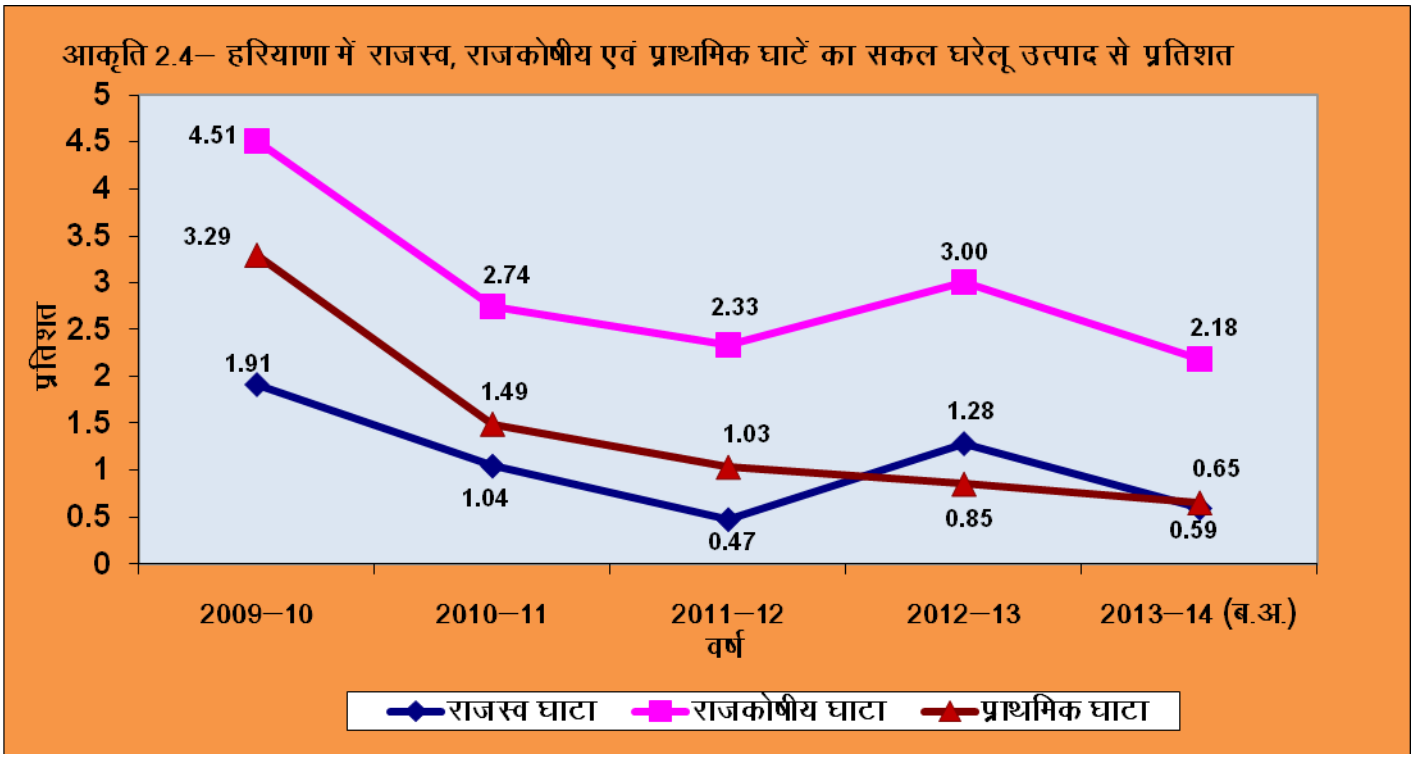

2.14 वर्ष 2009–10 में अचानक राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होने का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पैंशन संशोधित करना रहा। वर्ष 2009–10 में राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.91 प्रतिशत, वर्ष 2010–11 में 1.04 प्रतिशत था तथा इसके 2013–14 (ब.अ.) में 0.59 प्रतिशत रहने का अनुमान है। **आकृति 2.4** द्वारा वर्ष 2009–10 से 2013–14 (ब.अ.) के दौरान राज्य के राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाई गई है।

राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान

2.15 राजस्व प्राप्ति का ब्याज भुगतान से अनुपात लगातार बढ़ रहा है तथा यह (आई.पी.–टी.आर. आर.) वर्ष 2011–12 में बढकर 13.09 प्रतिशत हो गया है तथा इसके वर्ष 2013–14 (ब.अ.) मे 14.39 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.16 वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में होने वाला निवल लेन–देन 12.26 करोड़ रूपये का अधिशेष दर्शाता है जबकि वर्ष 2011–12 में 1,726.40 करोड़ रूपये था। राजस्व खाते में वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 2,443.23 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है जबकि यह घाटा वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 3,163.38 करोड़ रूपये का था। वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा 908.29 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 780.46 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)**।

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

2.17 सरकार के बजट में सामान्यतः व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेय हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणी जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे पुनः चुनने, वर्गीकृत करने तथा श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.18 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार कुल व्यय 2013–14 (ब.अ.) में 53,078.61 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 46,452.27 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011–12 में 35,986.43 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में वर्ष 2012–13 (स.अ.) से 14.26 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है तथा यह वृद्धि 2012–13 (स.अ.) में वर्ष 2011–12 से 29.08 प्रतिशत थीं **(अनुलग्नक 2.4)**।

2.19 सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 18,895.97 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 16,078.55 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011–12 में 13,780.07 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2013–14 (ब.अ.) में वर्ष 2012–13 (स.अ.) से 17.52 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन तथा मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में 5,826.02 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 4,583.63 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011–12 में 3,653.93 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2013–14 (ब.अ.) में वर्ष 2012–13 (स.अ.) से 27.10 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है जबकि यह वर्ष 2012–13 (स.अ.) में 25.44 प्रतिशत थी। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजीगत हस्तान्तरण, अग्रिम कर्जे तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती हैं जिसे **अनुलग्नक 2.4** में दर्शाया गया है।

संस्थागत वित्त

2.20 हरियाणा राज्य में सरकार की भूमिका वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अधिक महत्व देने की रही है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों व अन्य संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध होने से राज्य के बजटीय संसाधनों पर दबाब घट जाता है।

2.21 राज्य में 2011 को कार्यरत वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 2,653 थी जो कि सितम्बर, 2012 में बढ़कर 3,015 हो गई। वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2012 तक बढ़कर 1,59,453 करोड़ रूपये हो गई जब की यह राशि सितम्बर, 2011 में 1,26,890 करोड़ रूपये थी। इसी प्रकार बैंकों के अग्रिम ऋण की राशि भी सितम्बर, 2012 तक

बढ़कर 1,25,436 करोड़ रूपये हो गई जबकि यह राशि सितम्बर, 2011 में 92,320 करोड़ रूपये थी। ऋण–जमा अनुपात राज्य में आर्थिक विकास के लिये उपलब्ध ऋण का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। सितम्बर, 2012 में ऋण–जमा अनुपात बढ़कर 79 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष 2011 में यह अनुपात 73 प्रतिशत था।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.22 राज्य का चालू वार्षिक ऋण योजना 2013–14 के अर्न्तगत वार्षिक लक्ष्य 66,640 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान करने का है। वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 का यह लक्ष्य 25 प्रतिशत अधिक है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2013–14 के अर्न्तगत सितम्बर, 2013 तक कुल उपलब्धि 28,362.18 करोड़ रूपये रही जो कि 33,553.31 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 85 प्रतिशत है **(तालिका 2.2)**।

तालिका 2.2–हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2013–14 (सितम्बर, 2013 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्धित	23,609.82	17727.90	75
कुटीर एवं लघु उद्योग	5092.92	5,559.01	109
अन्य प्रमुख क्षेत्र	4,850.57	5,075.27	105
कुल	33,553.31	28,362.18	85

2.23 कृषि क्षेत्र को ऋण उधार के अर्न्तगत बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक है। सितम्बर, 2013 तक इस क्षेत्र को 17,727.90 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गये जो कि 23,609.82 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 75 प्रतिशत है। कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र में भी उपलब्धि संतोषजनक है। कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र को 5,559.01 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये जब कि लक्ष्य 5,092.92 करोड़ रूपये का था जो कि वार्षिक लक्ष्य का 109 प्रतिशत है। अन्य प्रमुख क्षेत्र के बैंकों ने 5,075.27 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि वार्षिक लक्ष्य 4,850.57 करोड़ रूपये था तथा यह लक्ष्य का 105 प्रतिशत है।

बैंकवार उपलब्धि

वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2.24 वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2013 तक 24,363.61 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि वार्षिक लक्ष्य 26,896.23 करोड़ रूपये था जो कि लक्ष्य का 91 प्रतिशत है। वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे अधिक 14,337.48 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। उसके बाद कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र के अर्न्तगत 5,323.64 करोड़ रूपये और अन्य प्रमुख क्षेत्र के अर्न्तगत 4,702.49 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये। यद्यपि उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र में उच्चतम प्रतिशतता (112 प्रतिशत) रही इसके बाद कृषि क्षेत्र में प्रतिशतता (81 प्रतिशत) रही तथा अन्य प्रमुख क्षेत्र में प्रतिशतता (104 प्रतिशत) रही।

तालिका 2.3–वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अग्रिम 2013–14 (सितम्बर, 2013 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्धित	17,637.83	14,337.48	81
लघु एवं कुटीर उद्योग	4,743.70	5,323.64	112
अन्य प्रमुख क्षेत्र	4,514.70	4,702.49	104
कुल	26,896.23	24,363.61	91

सहकारी बैंक

2.25 सहकारी बैकों ने सितम्बर, 2013 तक 3,516.48 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जबकि लक्ष्य 6,110.28 करोड़ रूपये था जो कि लक्ष्य का 58 प्रतिशत रहा **(तालिका 2.4)**।

तालिका 2.4–सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम 2013–14 (सितम्बर, 2013 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्धित	5,620.72	3,071.71	55
लघु एवं कुटीर उद्योग	204.11	72.12	35
अन्य प्रमुख क्षेत्र	285.45	372.65	131
कुल	6,110.28	3,516.48	58

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.26 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सितम्बर, 2013 तक 423.80 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 318.84 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो कि लक्ष्य का 75 प्रतिशत है **(तालिका 2.5)**।

तालिका 2.5–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अग्रिम 2013–14 (सितम्बर, 2013 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्धित	351.27	318.70	91
लघु एवं कुटीर उद्योग	22.12	0.00	0.0
अन्य प्रमुख क्षेत्र	50.41	0.14	0.3
कुल	423.80	318.84	75

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

2.27 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर, 2013 तक कुल 163.25 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि लक्ष्य 120 करोड़ रूपये था तथा यह लक्ष्य का 136 प्रतिशत है **(तालिका 2.6)**।

तालिका 2.6–भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा अग्रिम 2013–14 (सितम्बर, 2013 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशत
कृषि एवं सम्बन्धित	–	–	–
लघु एवं कुटीर उद्योग	120.00	163.25	136
अन्य प्रमुख क्षेत्र	–	–	–
कुल	120.00	163.25	136

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0

2.28 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 (एच.एस.ए.आर.डी.बी.) की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 77 हो गई है। इन प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में समायोजित कर दिया गया है और तहसील तथा उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 ने 1–4–2013 से 31–12–2013 तक 2,519.98 लाख रूपये के ऋण वितरित किये जबकि वार्षिक लक्ष्य 15,000 लाख रूपये था यह राशि वार्षिक लक्ष्य का 16.80 प्रतिशत है। **(तालिका 2.7)**।

तालिका 2.7–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की उपलब्धि

(लाख रूपये में)

क्रं0 सं0	क्षेत्र व स्कीम	वर्ष 2013–14 के लक्ष्य	उपलब्धियॉ 1.4.13 से 31.12.13 तक
1	लघु सिंचाई	3600.00	806.10
2	कृषि मशीनीकरण	1050.00	59.85
3	भूमि विकास	1500.00	298.60
4	डेयरी विकास पशुगृह सहित	1050.00	134.18
5	बागवानी एवं कृषिवानिकी	1050.00	279.40
6	ग्रामीण आवास योजना	1200.00	63.20
7	गैर कृषि क्षेत्र	1350.00	736.15
8	भूमि खरीदने हेतू	1050.00	50.50
9	ग्रामीण भण्डारण	150.00	0.00
10	अन्य	3000.00	92.00
	कुल	**15000.00**	**2519.98**

तालिका 2.8–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए नियोजित ऋण वितरण योजना

(लाख रूपये में)

क0 सं0	योजना का नाम	2014–15 के लिए लैंडिग प्रौजेक्शन
1	लघु सिंचाई	7500.00
2	कृषि मशीनीकरण	2300.00
3	भूमि विकास	3000.00
4	डेयरी विकास पशुगृह सहित	2300.00
5	बागवानी एवं कृषिवानिक	2500.00
6	ग्रामीण आवास योजना	2400.00
7	गैर कृषि क्षेत्र	2800.00
8	भूमि खरीदने हेतु	2200.00
9	ग्रामीण गोदाम	3000.00
10	अन्य	7000.00
	कुल	**35000.00**

2.29 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा निम्नलिखित नई योजनाएं आरम्भ की गई है:–

- ग्रामीण आवास योजना
- कृषि भूमि की खरीद
- खादी व ग्रामीण उद्याोग निगम के अर्न्तगत ऋण योजना
- कम्मबाईन हारवैस्टर
- स्ट्रा–रीपर
- स्ट्राबैरी की खेती
- स्वयं रोजगार हेतू वाणिज्यिक डेयरी

- कृषि स्नातको के लिए कृषि–क्लीनिक व कृषि–व्यापार केन्द्र स्थापित करने हेतू योजना
- किसानों को दो पहिया वाहन हेतू ऋण योजना
- पशुगृह योजना
- औषधीय एवं सुगन्धित पौधो के लिए ऋण
- सामुदायिक भवन निर्माण हेतू ऋण
- ग्रामीण भण्डारण योजना
- ग्रामीण शिक्षा के लिए ढांचागत संरचना विकास हेतू ऋण योजना
- विवाह सामारोह स्थल, सभी प्रकार की सूचना एवं प्रौधोगिकी सम्बन्धित कियाएं व अन्य सेवाएं
- बैंक के बेकार बन्द टयूबवैलों की जगह नए सम्बमंर्सिवल टयूबवैल लगवाने हेतू नई स्कीम चालू की गई है।
- खाद तैयार करने हेतू ऋण ।

2.30 इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा किसानों के व्यापक हित के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

- कृषि हेतू जमीन खरीदने के लिए ऋण की राशि 1 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दी गई है।
- धरोहर राशि के लिए खेती की जमीन का मूल्यांकन नवीनतम विक्रय आंकडों के आधार पर लागू किया गया है।
- किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अब ट्रैक्टर की कीमत के डेढ़ गुणा राशि की भूमि को रहन किया जाता है।
- दो लाख रूपये तक के ऋण के लिए तृतीय पार्टी भुगतान खत्म कर दिया गया है।
- गैर कृषि क्षेत्र ऋण हेतु तृतीय पार्टी की कृषि भूमि व वाणिज्यिक सम्पति को रहन रखने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
- बैंक ने 3–08–2012 से ब्याज दर 14 प्रतिशत वार्षिक दर सभी योजनाओं के लिए संशोधित कर दी है जो 1999 में 17 प्रतिशत वार्षिक दर थी। नियमित ऋण का भुगतान करने वालो को 5 प्रतिशत की दर से ब्याज पर विशेष छूट प्रदान की गई है।
- राज्य सरकार ने 15 अक्तूबर, 2013 से कृषि सम्बन्धित कार्यों के लिए सहकारी ऋणों पर भूमि रहन के लिए स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया है।
- हरियाणा सरकार ने उपरोक्त ब्याज राहत स्कीम के साथ–साथ उन किसानों की रहन की गई जमीन छोडनें की योजना लागू की है जिसकी कीमत बैंक के ऋण से क्लैक्टर रेट के आधार पर अधिक है। बशर्ते सम्बन्धित किसान अपनी बैंक की अतिदेय राशि अदा कर देता है।
- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि अधिनियम 1984 के अर्न्तगत धारा 104 को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी एक मात्र किसान की गिरफतारी संम्भव नही है। अब बैंक की वसूली किसानों को डरा धमकाकर नहीं बल्कि समझाबुझाकर की जाती है। वर्ष 2009 में सरकार ने धरा 75 में संशोधन के फलस्वरूप इसका वसूली के सम्बन्ध में प्रभाव कम हो गया है।

2.31 ब्याज राहत स्कीम के अर्न्तगत बैंक ने 31–12–2013 तक 30,135 ऋणियों की 16,235 एकड़ एवं 10 मरला कृषि भूमि ऋण मुक्त कर दी है।

2.32 राज्य सरकार के आदेशानुसार जो किसान अपनी अतिदेय राशि निरन्तर अदा कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए यह ब्याज राशि पर माफी 3 प्रतिशत से बढ़ाकर दिनांक 1–1–2010 से दिनांक 31–3–2015 तक 5 प्रतिशत दी है। बैंक ने अब तक इस स्कीम के अर्न्तगत 1–1–2010 से 31–12–2013 तक 1,11,162 लाभार्थियों को 72.45 करोड रूपये की राशि ब्याज राहत के रूप में प्रदान की है।

ब्याज दर

2.33 दिनांक 3–8–2012 से बैंक ने गैर कृषि क्षेत्र, ग्रामीण आवास योजना व भूमि खरीदने के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर 15 प्रतिशत वार्षिक दर पर तथा शेष सभी उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर 14 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से संशोधित कर दी है। 5 प्रतिशत की छूट

ब्याज पर दी गई हैं जो अपनी ऋण किस्तें बैंकों में समय पर अदा करते आ रहे हैं। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 2 प्रतिशत मार्जन राशि की अनुमति दी है, जबकि मुख्यालय केवल 1 प्रतिशत मार्जन राशि अपने पास रखता है।

हरियाणा सरकार की वसूली सम्बन्धी प्रोत्साहन (एकमुश्त) योजना 2013

2.34 राज्य सरकार ने वसूली सम्बन्धी प्रोत्साहन योजना 2013 की धोषणा की है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उनके दीर्घवधि कृषि एवं गैंर कृषि ऋणों पर दिनांक 10–11–2013 से ब्याज में 50 प्रतिशत की छुट की योजना लागू कर दी है। इस योजना के अर्न्तगत दिनांक 30–6–2013 तक 1,23,245 ऐसे ऋणी हैं जिनकी तरफ 605.81 करोड़ रूपये मूलधन तथा 530.69 करोड़ रूपये ब्याज की देय जिम्मेवारी है ब्याज माफी योजना के तहत 50 प्रतिशत अतिदेय ब्याज पूर्णतया प्राप्त वसूली पर 265.34 करोड़ रूपये का भार राज्य सरकार बिना भूमि खरीदने के कार्य को छोड़कर वहन करेगी। यदि 1,23,245 सारे ऋणी ब्याज माफी योजना का लाभ लेते हैं तब राज्य सरकार पर 50 प्रतिशत सारे अतिदेय ब्याज का 265.34 करोड़ रूपये का भार पडेगा। सरकार द्वारा अपने 2013–14 के बजट में प्रावधान कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 प्रतिशत दण्डित ब्याज (Penal Interest) जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित एवं दी हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा माफ करके बराबर मात्रा में वहन किया जाएगा।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लि.

2.35 हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड राज्य की अर्थ–व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है व राज्य के किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि मजदूरों एवं उद्मियों इत्यादि को ऋण प्रदान करता है तथा जमाकर्ताओं को पिछले 47 वर्षों से सेवा उपलब्ध करवाता आ रहा है। लघु अवधि के लिए सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तर पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं हैं व 2 विस्तार शाखाएं है तथा जिला स्तर पर 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं जिनकी 594 शाखाएं हैं, 656 प्राथमिक कृषि ऋण समितियॉ जोकि अधिकतम हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 30.47 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं।

2.36 हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने नवम्बर,1966 में छोटे बैंक के रूप में कार्य आरम्भ किया था जोकि अब एक मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में निखरा है। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक की कार्य क्षमता देश के सहकारिता बैंक में सबसे अच्छी मानी गई है। दिनांक 30–11–2013 तक इस बैंक की कार्यशील पूंजी 6,882.73 करोड़ रूपये है **(तालिका 2.9)**।

तालिका 2.9 हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(रूपये करोड़ में)

क0 सं	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14 (नवम्बर, 2013)
1.	हिस्सा पूंजी	72.04	72.33	79.18	101.74	114.31	116.65
2.	निजी कोष	449.00	426.03	456.28	494.64	524.29	520.75
3.	अमानतें	1723.72	1935.17	2025.21	2130.90	2375.82	2413.84
4.	उधार राशि	1751.74	1951.23	2528.91	3404.41	3655.23	3677.81
5.	ऋण दिये	3227.40	3332.86	3764.48	4676.69	4909.01	3327.96
6.	बकाया ऋण	2800.00	2988.77	3738.89	4515.33	4962.42	4910.94
7.	लाभ/हानि	10.61	-17.94	5.01	18.69	30.21	-
8.	वसूली	97.75	99.93	99.94	99.95	99.96	-
9.	अतिदेय व ऋण अनुपात	2.63	0.07	0.06	0.05	0.05	-
10.	एन.पी.ए. प्रति0	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	-
11.	कार्यशील पूंजी	3952.79	4360.21	5051.04	6070.63	6620.72	6882.73

2.37 दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से फसली ऋण पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है। किसानों के हितों के लिए अक्तूबर, 2013 तक 13.17 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये। किसानों की सभी प्रकार की गैर–कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 6 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की गई है। ग्रामीण निवासियों के फायदे

के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पी.ए.सी.एस. के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत सदस्यों द्वारा 50 हजार रूपये जमा करने पर बैंक द्वारा उनकी गारन्टी दी जा रही है।

2.38 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले आठ वर्षो के दौरान दिए गए अग्रिम ऋणों की फसल अनुसार तुलनात्मक स्थिति **(तालिका 2.10)** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.10 फसल अनुसार केन्द्रीय बैंक द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण

(i) खरीफ फसल **(रूपये करोड़ में)**

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2006	2815.00	150.00	2965.00	2198.03	102.83	2300.86
2007	2636.00	126.00	2762.00	2274.41	116.58	2390.99
2008	2732.00	143.00	2875.00	737.18	49.29	780.47
2009	2805.00	145.00	2950.00	1800.15	94.51	1894.66
2010	2820.00	150.00	2970.00	2202.64	99.23	2301.87
2011	2898.00	157.00	3055.00	2739.13	139.19	2878.32
2012	3134.00	166.00	3300.00	3273.67	172.06	3445.73
2013	3134.00	190.00	3750.00	3574.12	139.64	3713.76

(ii) रबी फसल

2006-07	2725.00	275.00	3000.00	2038.31	168.50	2206.81
2007-08	2550.00	210.00	2760.00	2117.61	226.22	2343.83
2008-09	2330.00	250.00	2580.00	1870.72	159.70	2030.52
2009-10	2560.00	261.00	2830.00	2141.93	167.78	2309.71
2010-11	2700.00	265.00	2965.00	2662.14	174.38	2836.52
2011-12	2927.00	273.00	3200.00	3031.42	198.09	3229.51
2012-13	3375.00	275.00	3650.00	3429.97	232.79	3662.76
2013-14	3859.00	291.00	4150.00	2627.59	177.03	2804.62 (31–01–2014 तक)

2.39 राज्य में अपैक्स बैंक 19 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 10 सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वीकृति एवं उपयोगिता सीमा की स्थिति **तालिका 2.11** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.11 स्वीकृत एवं उपयोगिता सीमा की स्थिति

(रूपये करोड़ में)

चीनी वर्ष	स्वीकृत सीमा	अपैक्स बैंक से सी.सी.बी. द्वारा उपयोगिता सीमा	सी.सी.बी. से चीनी मिल की उपयोगिता सीमा (अधिकतम अन्य स्त्रोत वर्ष के दौरान)
2005-2006	315.00	51.68	200.33
2006-2007	331.00	39.59	190.46
2007-2008	395.20	87.50	252.33
2008-2009	461.50	143.00	362.37
2009-2010	144.00	19.20	112.95
2010-2011	331.20	71.00	273.48
2011-2012	424.00	71.10	431.42
2012-2013	522.00	148.00	534.19

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना हेतु पुनरूद्धार पैकेज का कार्यान्वयन (एस0टी0सी0सी0एस0)

2.40 अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार हेतु सरकार ने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को मानते हुये केन्द्र सरकार व नाबार्ड के साथ दिनांक 20–2–2007 को एक आश्य पत्र हस्ताक्षर किया। इस ऑडिट के आधार पर वित्तीय सहायता को 701.72 करोड़ रूपये (633.80 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार + 29 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा + 38.92 करोड़ रूपये पैक्स का हिस्सा) आंका गया और

19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 566 समायोजित पैक्स ने अब तक 499.50 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है। इस पैकेज के अंतर्गत राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की विशेष लेखा परीक्षा की गई और इस लेखा परीक्षा के आधार पर दो केन्द्रीय सहकारी बैंक भिवानी व रोहतक के लिए मु0. 22.61 करोड़ रूपये (1.27 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा + 21.34 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का हिस्सा) की वित्तीय सहायता आंकी गई तथा 1.27 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा इन बैंको को जारी कर दिया गया है। जींद व पंचकूला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 4.24 करोड़ रूपये की हिस्सा पूंजी को ग्रांट इन एड में परिवर्तित कर दिया गया है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु वसूली सम्बंधी प्रोत्साहन (एकमुश्त अदायगी) योजना 2007

2.41 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एकमुश्त अदायगी स्कीम राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 2,67,646 किसानों को 175.56 करोड़ रूपये की राशि राहत के रूप में दी गई। जिसमें से 87.78 करोड़ रूपये की 50 प्रतिशत हिस्सा पूंजी राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु समय पर भुगतान हेतु प्रोत्साहन योजना

2.42 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा समय पर अदायगी प्रोत्साहन योजना चलाई गई इस योजना के अंतर्गत राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के उन सदस्यों को 2 प्रतिशत ब्याज की राहत प्रदान की गई है, जो पिछले 1 वर्ष से ऋण का नियमित भुगतान कर रहे थे। इस स्कीम के अंतर्गत 6,11,360 किसानों को 21.84 करोड़ रूपये की राहत प्रदान गई।

कृषि ऋण माफी व ऋण राहत योजना

2.43 केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी तथा राहत योजना 2008 लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 2,61,393 सीमांत व लघु किसानों को 831.22 करोड़ रूपये का बकाया माफ किया जा चुका है व 91,582 अन्य किसानों को 161.80 करोड़ रूपये की राहत प्रदान की जा चुकी है, जिन्होंने एकमुश्त अदायगी योजना के अंतर्गत कुल राशि का 75 प्रतिशत अदा कर दिया है।

भारत सरकार की 2012–13 और 2013–14 की ब्याज राहत योजनाएं

2.44 भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान नियत दिनांक को या उससे पुर्नभुगतान किये जाने पर 3 प्रतिशत की ब्याज दर से छूट प्रदान की गई। इस प्रकार दिनांक 1–4–2009 से उन किसानों को जिन्होंने समय पर ऋण अदा किया है, फसली ऋणों पर प्रभावी ब्याज की दर से 4 प्रतिशत वार्षिक रही है।

किसानों द्वारा सहकारी ऋण के अर्न्तगत रहन की गई भूमि को मुक्त करना

2.45 राज्य सरकार की घोषणा अनुसार जिन किसानों को उनके ऋण के एवज में एक या डेढ गुणा भूमि जो कि डी0सी0 रेट मूल्यांकन पर रहन की गई है, उसे केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा मुक्त कर दिया जाएगा। जिससे 28,386 किसानों की 39,095 एकड अतिरिक्त भूमि मुक्त किये जाने का अनुमान है, अक्तूबर, 2013 तक 3,336 किसानों की 10,460 एकड भूमि मुक्त की गई है।

प्राथमिक सहकारी समितियों के ग्रामीण दस्तकारों व छोटे दुकानदारों की ऋण सीमा में बढ़ौत्तरी

2.46 राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों जिनमें ग्रामीण दस्तकार व छोटे दुकानदार सम्मिलित है कि अधिकतम ऋण सीमा 25,000 रूपये से बढ़ाकर 35,000 रूपये कर दी गई है ।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ग्रामीण दस्तकारों,छोटे दुकानदारों, भूमिहीन मजदूरों के सदस्यों हेतु राज्य ऋण राहत योजना

2.47 राज्य सरकार की घोषणा अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों जिसमें ग्रामीण दस्तकारों, छोटे दुकानदारों, भूमिहीन मजदूरों हेतु ऋण माफी योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत 30–06–2009 को अतिदेय ऋण पर 10,000 रूपये की मूल राशि व ब्याज माफी दी जानी थी। अभी तक वर्ष 2010–11, 2011–12 व 2012–13 में 83.65 करोड़ रूपये, 85 करोड़ रूपये तथा 77.02 करोड़ रूपये के क्लेम की मूल राशि तीन किस्तों में राज्य सरकार से प्राप्त हुई है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.48 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ष्व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाष वर्ष 2009–10 के लिए लागू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत कार्ड धारक का मात्र 5.80 रूपये के अंशदान पर 50 हजार रूपये तक का बीमा किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 2.80 रूपये का अंशदान देना होगा। इस बीमा योजना के अतंर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 9 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक कवर किये जा रहे हैं।

प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु वसूली से जुड़ी प्रोत्साहन (ओ0टी0एस0) योजना–2013

2.49 राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के उन सदस्यों को जो किसी कारणवश उनकी ओर देय ऋण का समय पर भुगतान नहीं कर पाए तथा 31–3–2013 को समिति के डिफाल्टर हैं, उनके अतिदेय ऋण पर ब्याज राहत प्रदान करने के उद्देश्य हेतु एक मुश्त निपटान योजना बनाई गई है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर लागू कर दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत फसली ऋण पर किसानों को 31–3–2013 तक 8 प्रतिशत की दर से ब्याज राहत दी जाएगी। मध्यावधि कृषि व गैर कृषि ऋणों पर भी 50 प्रतिशत की ब्याज राहत योजना प्रदान की जाएगी। इस योजना में जो ऋण 31–3–2013 को अतिदेय है तथा जिसका 9–11–2013 तक भुगतान न किया गया हो पर लागू होगी। योजना की कार्य अवधि 10 नवम्बर, 2013 से 28 फरवरी, 2014 है। इस योजना के अंतर्गत यदि शत–प्रतिशत लाभार्थी इसका लाभ उठाते हैं, तो समिति के 7.54 लाख सदस्यों को लगभग 513 करोड़ रूपये की ब्याज में राहत प्राप्त होगी।

2.50 ऋण पर ब्याज की दरें निम्नलिखित **तालिका 2.12** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.12–हरको बैंक द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर

क्रम संख्या	**ऋण का विवरण**	**ब्याज की दर (प्रतिशत में)**			
		नाबार्ड से राज्य सहकारी बैंक	**अपैक्स बैंक से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को**	**केन्द्रीय सहकारी बैंकों से पैक्स को**	**पैक्स से सदस्यों को**
1	फसली ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड लोन	4.50	5.00	5.50	7.00
2	व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों हेतु	.	9.00		
3	ग्रामीण दस्तकारों को (निजि कोष)	.	9.00		
4	रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम	.	9.25		
5	लधु अवधि फर्टिलाईजर ऋण		9.00		
6	नोन फार्म फाईनैंस स्कीम	**नाबार्ड से राज्य सहकारी बैंक**	**अपैक्स बैंक से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को**		
क.	लघु सिंचाई,एस0जी0एस0वाई, एस0एच0जी0,अनु0जाति/अनु0जनजाति कार्य योजना, सूखी जमीन की जोत	10.00	10.50		
ख	ग्रामीण गोदाम	10.00	10.50		
ग.	नॉन फार्म फाइनैंस (ए0आर0एफ0)	10.00	10.50		

2.51 हरको बैंक की मुख्य ऋण एवं अग्रिम ऋण योजनाएं इस प्रकार हैः–

1. फसली ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड)
2. सहायक कार्यों के लिए ऋण
3. रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम
4. ग्रामीण दस्तकारों के लिए ऋण
5. उपभोक्ता ऋण
6. मध्यावधि ऋण योजना
7. फुटकर दुकानदारों इत्यादि के लिए ऋण

2.52 हरको बैंक द्वारा विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वह इस प्रकार है :–

1. उद्यमी ऋण योजना
2. छोटी सड़क व पानी पहुँचाने वालों के लिए सहायता
3. कृषि आधारित योजनाओं को सहायता प्रदान करने की योजना
4. सीमांत राशि के लिए हल्के ऋण सहायता स्कीम
5. समाज के अन्य वर्गों के लिए ऋण

2.53 वर्ष 2013–14 के लिए प्रक्षेपण **तालिका 2.13** में दिए गए हैं।

तालिका 2.13– वर्ष 2013–14 के लिए प्रक्षेपण

A) केन्द्रीय सहकारी बैंक

क्रम संख्या	विवरण	प्रक्षेपण (रूपये करोड़ में)
1.	निजी कोष	897.04
क	हिस्सा पूंजी	416.67
2.	उधार ऋण	5059.26
3.	अमानतें	6000.00
4.	दिये गये ऋण	11000.00
5.	बकाया ऋण	9380.35
6.	लाभ	26.76
7.	रिकवरी प्रतिशत में	78.02
8.	निवेश	2630.25
9.	कार्यशील पूंजी	12000.00

B) हरको बैंक

क्रम संख्या	विवरण	प्रक्षेपण (रूपये करोड़ में)
1.	निजी कोष	586.47
क	हिस्सा पूंजी	148.00
2.	उधार ऋण	4000.00
3.	अमानतें	2700.00
4.	दिये गये ऋण	5600.00
5.	बकाया ऋण	5500.00
6.	लाभ	40.00
7.	रिकवरी प्रतिशत में	99.96
8.	निवेश	1600.00
9.	कार्यशील पूंजी	7500.00

कोर बैंकिंग समाधान (सी0बी0एस0)

2.54 कोर बैंकिंग प्रणाली लागू कर दी गई है तथा यह प्रणाली राज्य सहकारी बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी शाखाओं के साथ आनलाईन कर दी गई है। अगले चरण में प्रदेश में उपभोक्ताओं को अच्छी व गुणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों के साथ ए0टी0एम0, इन्टरनैट, मोबाईल बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। अपैक्स बैंक के जमाकर्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली के साफ्टवेयर में शाखाओं के मध्य आपसी लेनदेन व सी0टी0एस0 की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य के रोहतक, गुड़गांव तथा अम्बाला की दो प्राथमिक सहकारी समितियों का जिसमें किसानों को के0सी0सी0 रूपये कार्ड देने के लिए पायलट आधार पर चयन किया गया है। आर0टी0जी0एस0 व एन0ईएफ0टी0 के माध्यम से फंड के प्रेषण की सुविधा विचाराधीन है।

खजाना तथा लेखा

2.55 इस समय राज्य में 21 जिला खजाने तथा 85 उप–खजाने कार्य कर रहे हैं। यह खजाने राज्य के संचय निधि खाते तथा जनता के लेखों से सम्बन्धित आरम्भिक आवती तथा अदायगियों के लेखे तैयार करके प्रत्येक मास दो बार महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। ये खजाने/उप खजाने नान पोस्टल स्टाम्पस अफीम तथा अन्य करोड़ों रूपये की मूल्यवान वस्तुओं के रख–रखाव के लिए जिम्मेदार हैं। इस विभाग द्वारा राज्य सरकार के लिए समेकित वित्त एवं मानव संसाधन सूचना प्रबन्धन प्रणाली आई.एफ.एण्ड. एच.आर.एम.आई.एस.) को डवैल्प करने बारे कार्यवाही की जा रही है। इस प्रोजैक्ट से बजट नियंत्रण अधिक प्रभावी हुआ है, नकद प्रवाह प्रणाली में सुधार हुआ है, प्रतिदिन लेखों का समायोजन, लेखों का समय पर तैयार करना, जनता को देय प्रणाली में स्पष्टता व दक्षता आई है। बढ़िया वित्तीय प्रबन्धन के साथ–साथ राज्य के प्रबन्धन की क्षमता में सुधार हुआ है। एच.आर.एम.आई.एस प्रणाली के आने से इसका आई.एफ.एम. के साथ एकीकरण होने से वेतन के बिल तैयार करने और इनके प्रस्तुत करने, पैंशन प्रबन्धन, कर्मचारियों के अग्रदान एवं प्रतिपूर्ति, सेवा अभिलेखों का तैयार करना आदि बिना हस्तलिखित कार्य के सम्भव हुआ है।

***

3

कीमतें तथा खाद्य एवं पूर्ति

कीमत स्तर में स्थिरता का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि,जिसे मुद्रास्फीति के रुप में मापते हैं अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक है। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक (डब्लयू.पी.आई.) के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापते हैं। थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार में वस्तुओं की थोक कीमतों पर आधारित होते हैं जिस पर थोक लेन देन की कीमत आधारित है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन कीमतों पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता स्थानीय बाजार में खुदरा भावों पर वस्तुओं को खरीदता है। खाद्य वस्तुओं में निरंतर वृद्धि, विशेषतयाः गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जबकि मुद्रास्फीति में तीन से चार अंक तक की वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेतक है क्योंकि यह उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और उपभोग को हतोउत्साहित नहीं करती। राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से साप्ताहिक/मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा भाव एकत्रित करता है और थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) व श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है।

थोक मूल्य सूचकांक

3.2 राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष 1980–81=100) के थोक मूल्य सूचकांक को वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक **आकृति 3.1** में दिखाया गया है। जो वर्ष 2008–09 में 756.2 से बढकर वर्ष 2012–13 में 1143.1 हो गया एवं वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक की अवधि में 51.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस सूचकांक में वर्ष 2010–11 और वर्ष 2011–12 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमशः 11.5 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

3.3 वर्ष के दौरान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक की मास–वार गति का अध्ययन करने के लिए, थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर 2012 से दिसम्बर 2013 तक को **आकृति 3.2** द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस अवधि के दौरान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की प्रवृति रही है। यह दिसम्बर, 2012 में 1139.0 से बढ़कर दिसम्बर, 2013 में 1226.5 अंक हो गया जोकि 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मूलतः अनाजों, तेल के बीजों, कपास, गुड़ एवं अन्य फसलों के भाव में क्रमशः 14.4, 2.2, 6.2, 3.2 तथा 9.3 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

हरियाणा में ग्रामीण उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3.4 ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यह मजदूरी, वेतन तथा पैंशन के वास्तविक मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीति के असर को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उददेश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न 24 गांवों से, जहां अधिकतर जनसंख्या कृषि और सम्बन्धित व्यवसायों में कार्यरत हैं, पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

3.5 खाद्य ग्रुप और सामान्य ग्रुप से सम्बन्धित ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष 2007–08 से वर्ष 2008–09 में एक ही गति से वृद्धि हुई, परन्तु खाद्य ग्रुप में वर्ष 2009–10 से वर्ष 2012–13 तक तीव्र गति से वृद्धि हुई। वर्ष 2007–08 से वर्ष 2012–13 तक सामान्य ग्रुप के सूचकांक में 55.5 प्रतिशत की वृद्वि हुई जबकि खाद्य ग्रुप में 69.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हरियाणा में वर्ष-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(ग्रामीण) वर्ष 2007–08 से वर्ष 2012-13 तक को **आकृति 3.3** में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) की गति का मासवार दिसम्बर, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक को **आकृति 3.4** में प्रस्तुत किया गया है जिसका अध्ययन करने से पता चलता है कि यह दिसम्बर, 2012 में 577 अंक था जो कि दिसम्बर, 2013 में बढ़कर 619 अंक हो गया, जो कि 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3.6 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपूर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादुरगढ़ के मासिक भारित औसत सूचकांको को ध्यान में रखकर संकलित किया जा रहा है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक को **आकृति 3.5** में प्रस्तुत किया गया है। श्रमिक वर्ग के लिये वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हरियाणा (आधार वर्ष 1982=100) में वर्ष 2012 में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2013 में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2013 में केन्द्रवार सोनीपत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा (8.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पानीपत में सबसे कम (8.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य में मास-वार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति दिसम्बर, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक को **आकृति 3.6** में प्रस्तुत किया गया है। दिसम्बर, 2012 में श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 862 अंक था जो कि दिसम्बर, 2013 में बढ़कर 932 अंक हो गया, जिसमें 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि यह मास अप्रैल व मई, 2013 में 887 अंक पर स्थिर रहा।

खाद्य तथा पूर्ति

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3.7 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को विशेष महत्व देना है जिसमें अन्तोद्या अन्न योजना परिवार विभाग की एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य में 2,67,771 अन्तोद्या अन्न योजना + बेघर, 4,79,530 सी0बी0पी0एल0 और 3,90,389 एस0बी0पी0एल0 परिवार लाभार्थी है। वर्ष 2012–13 के दौरान 5.06 लाख टन खाद्यान्न का वितरण लक्षित लाभार्थियों को किया गया है। वर्ष 2013–14 में 85,993 मी0 टन गेहूँ को पहले ही लाभार्थियों को तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसम्बर, 2013) में वितरित कर दिया गया है।

3.8 हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को दिनांक 20–08–2013 से लागू किया गया है। राज्य में इस नए अधिनियम में पात्र परिवारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है क्रमशः अन्तोद्या अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार। अन्तोद्या परिवारों को पहले की भांति 35 किलोग्राम खाद्यान्न 2 रुपये प्रति किलो की दर से उच्च रियायती दरों पर तथा प्राथमिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूँ इसी दर पर वितरित किया जाऐगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर्याप्त ढंग से जीर्ण कुपोषण को कम करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतू एक साहसिक पहल है।

3.9 दाल रोटी योजना के अर्न्तगत राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा अन्तोद्या अन्न योजना परिवारों को 2.5 किलोग्राम दाल 20 रुपये प्रति किलो प्रतिमाह की रियायती दरों पर प्रति परिवार वितरित की जाएगी ताकि उनके पोषण तथा प्रोटीन की जरुरतों को पूरा किया जा सकें। प्रोटीन युक्त दालें पोषक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। दालों का वितरण मास अगस्त, 2013 से शुरु किया गया है।

भण्डारण

3.10 राज्य इस बात से भली–भांति परिचित है कि 3–4 वर्षो के दौरान राष्ट्रीय खाद्यान्न परिदृश्य में बड़े गुणात्मक बदलाव देखने को मिले है। कुछ राज्य जैसे कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश जो पहले अभाव वाले क्षेत्र थे, ने अब केन्द्रीय पूल में उल्लेखनीय योगदान देना आरम्भ किया है तथा यह हमेशा बढ़ रहा है। हरियाणा राज्य इस तथ्य को भली–भांति समझता है कि देश में बदल रहे परिदृश्य के कारण राज्य की खरीद एजेंसियों को अब लम्बे समय तक खाद्यान्नों का भण्डारण करना पड़ेगा। इस कारण, व्यापक स्तर पर गोदाम भण्डारण क्षमता बढ़ाई गई है। हरियाणा राज्य में दिनांक 31–1–2014 तक कुल 76.51 लाख टन की भण्डारण क्षमता है, जिसमें 20.30 लाख टन क्षमता पिछले तीन वर्षो में बढ़ाई गई है। चालू वित्त वर्ष अर्थात 2013–14 के दौरान 12.67 लाख टन क्षमता ओर बढ़ने की सम्भावना है। इसके अलावा, राज्य की खरीद एजेंसियों को 22 लाख टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये गये है, जिसके लिए सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। 22 लाख टन में 1.29 लाख टन भण्डारण

आकृति 3.1– हरियाणा का वर्ष–वार थोक मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1980–81=100)

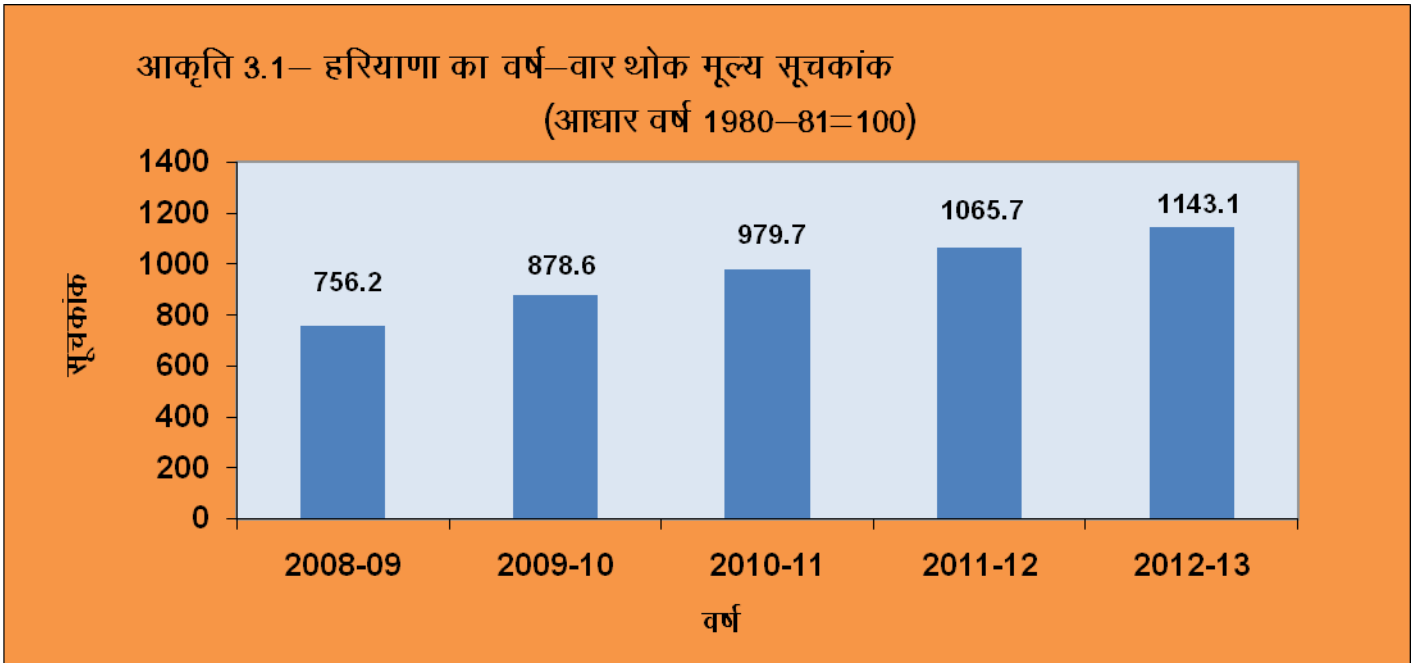

आकृति 3.2– हरियाणा का कृषि वस्तुओं के लिए माहवार थोक मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1980–81=100)

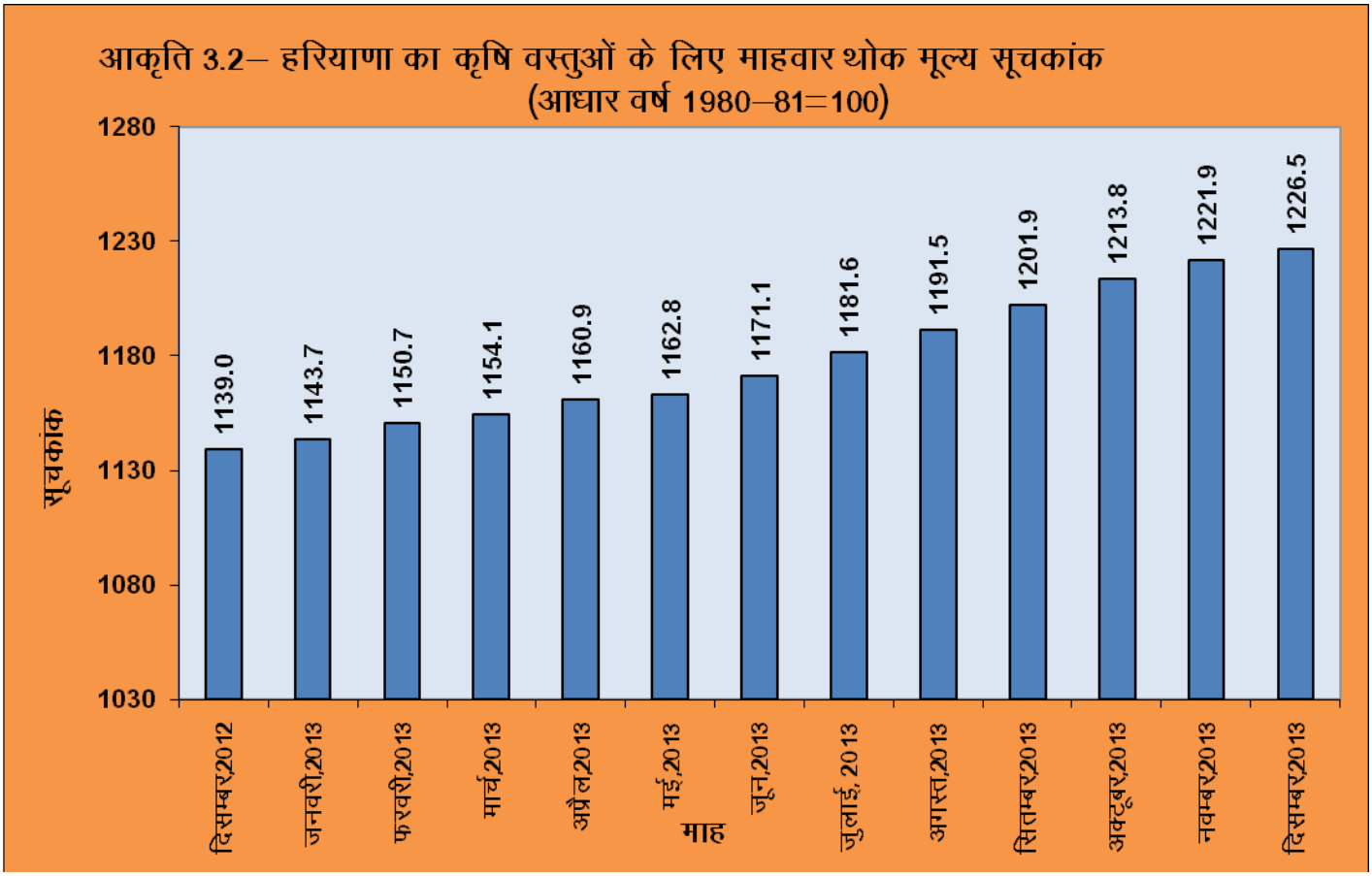

आकृति 3.3 – हरियाणा का वर्ष–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)
(आधार वर्ष 1988–89=100)

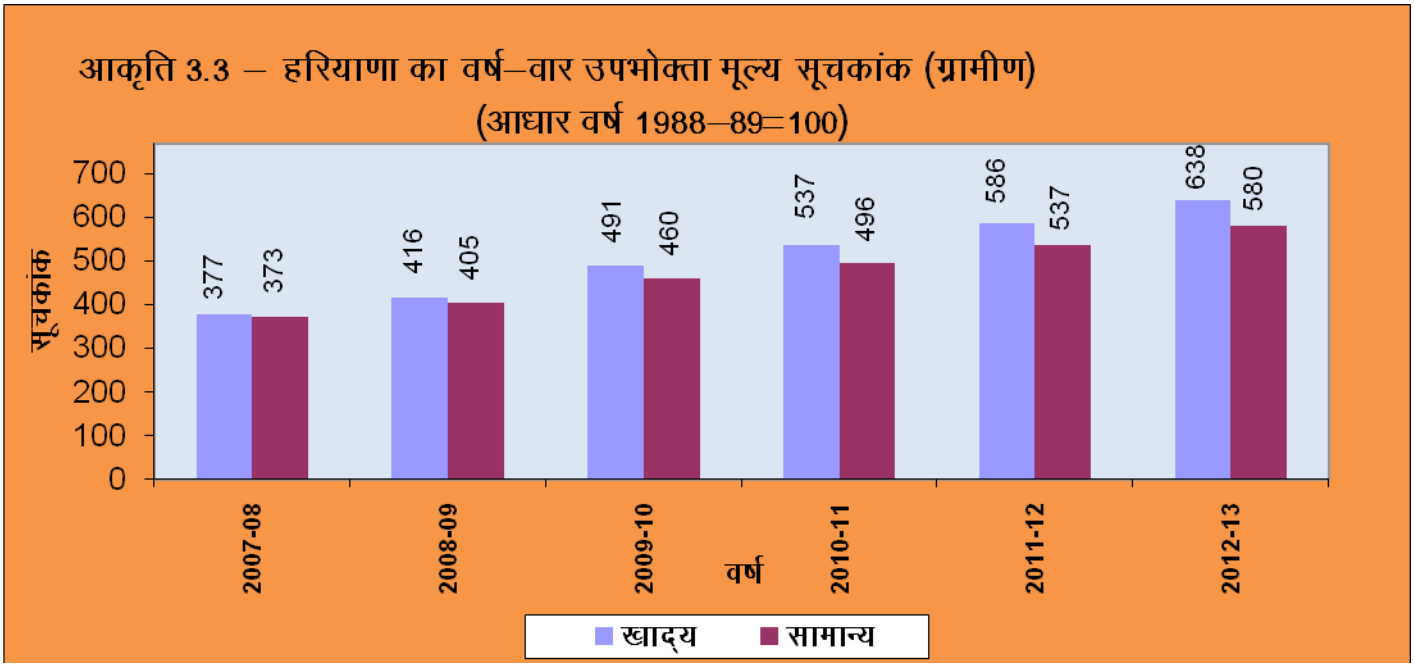

आकृति 3.4– हरियाणा का माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)
(आधार वर्ष 1988–89=100)

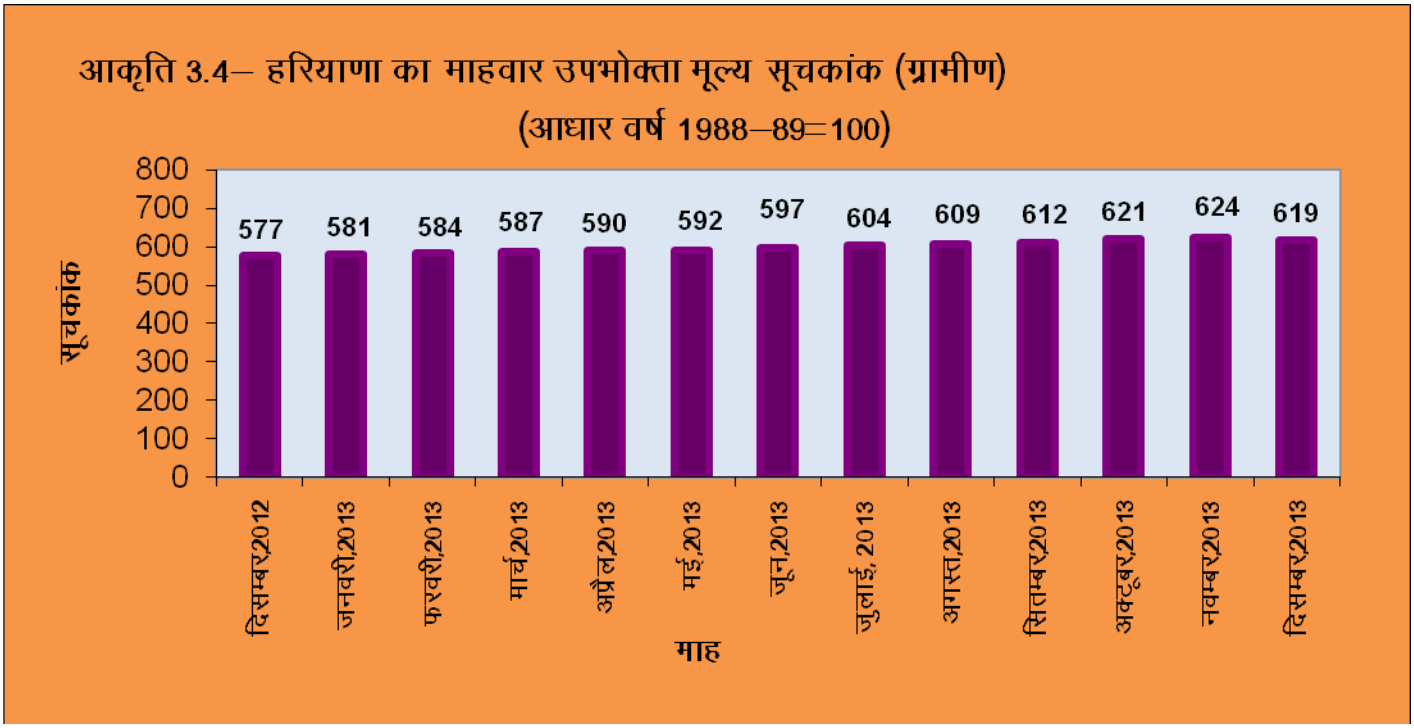

आकृति 3.5 – हरियाणा का श्रमिक वर्ग के लिये वर्ष–वार और केन्द्र–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

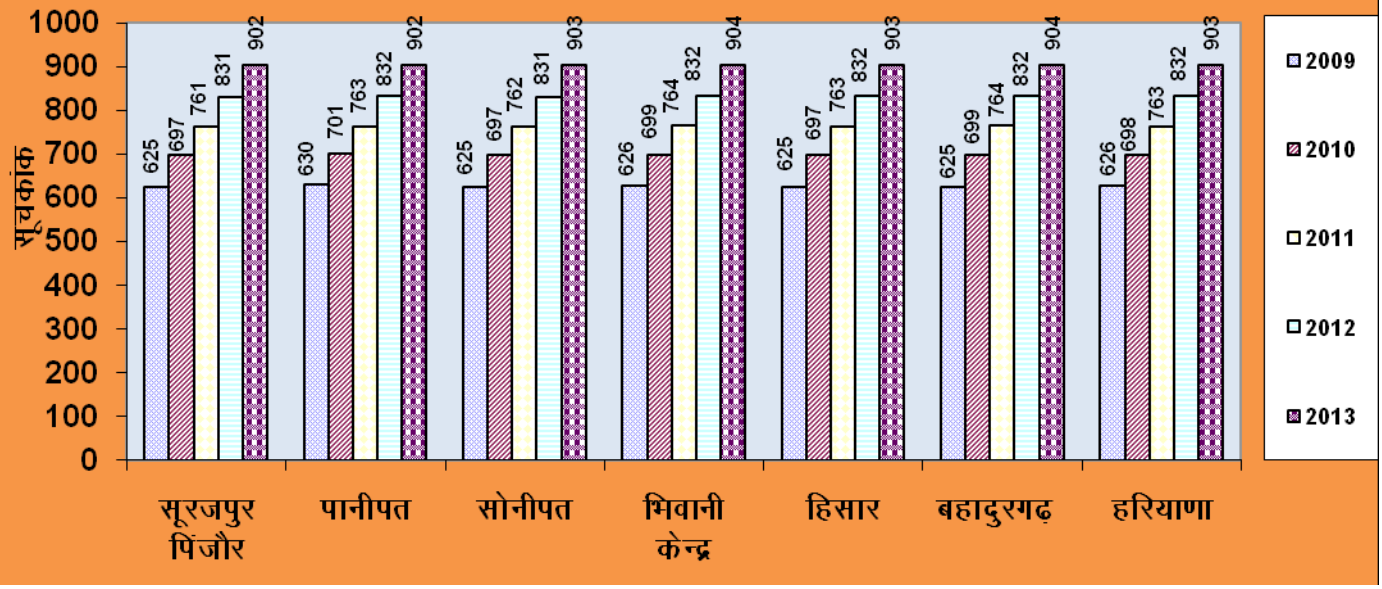

आकृति 3.6 – हरियाणा का श्रमिक वर्ग के लिए माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

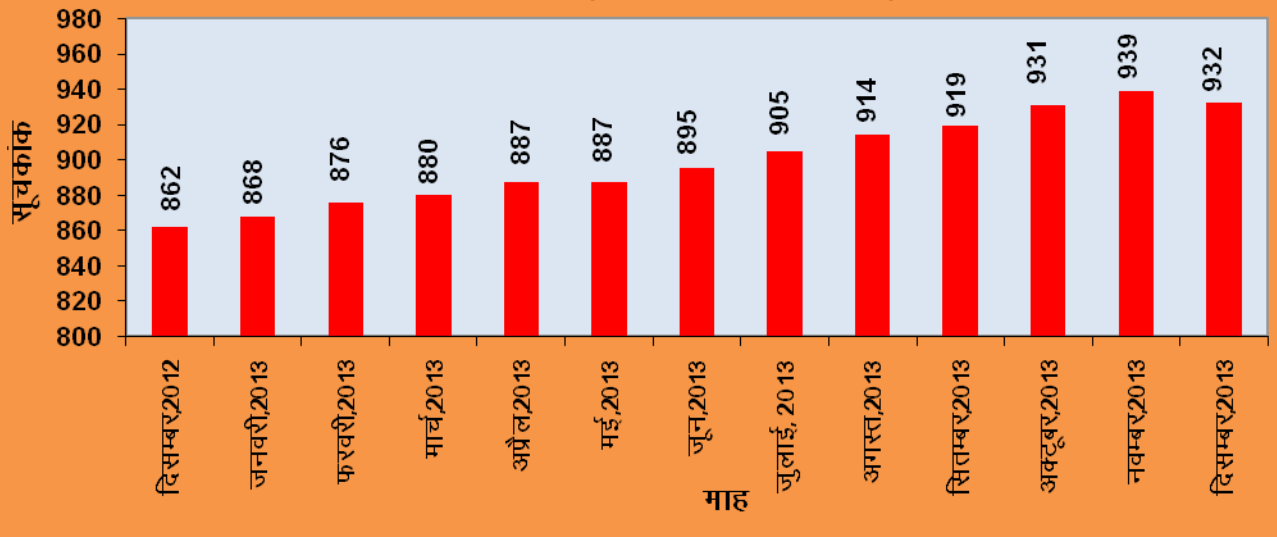

क्षमता पहले से ही तैयार कर दी गई है। इससे राज्य में गोदाम भण्डारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा खाद्यान्नों का भण्डारण में नुकसान कम होगा।

खरीद

3.11 खाद्य तथा पूर्ति विभाग खाद्यान्न/मोटे अनाजों की खरीद करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके तथा उनको उपज को कम भाव पर बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। खरीद देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी मजबूत करती है। खरीफ मार्कटिंग सीजन 2013–14 के दौरान हरियाणा में खरीद संस्थाओं द्वारा 35.75 लाख टन धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। इसी तरह रबी मार्कटिंग सीजन 2013–14 के दौरान 58.56 लाख टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,350 रूपये प्रति क्विंटल पर की गई। राज्य में 2005–06 से खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य का विस्तार **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1–राज्य में सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य

वर्ष	गेहूं खरीद (लाख टन)	गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य(रू0)	धान खरीद (लाख टन)	धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य		बाजरा खरीद (लाख टन)	बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0)
				कॉमन (रू0)	ग्रेड–ए (रू0)		
2005–06	45.29	640/–	23.56	570/–	600/–	0.05	525/–
2006–07	22.30	650/– +50 बोनस	20.47	580/– +40 बोनस	610/– +40 बोनस	..	540/–
2007–08	33.50	750/– +100 बोनस	17.85	645/– +100 बोनस	675/– +100 बोनस	1.23	600/–
2008–09	52.37	1000/–	18.22	850/– +50 बोनस	880/– +50 बोनस	3.10	840/–
2009–10	69.24	1080/–	26.36	950/– +50 बोनस	980/– +50 बोनस	0.77	840/–
2010–11	63.47	1100	24.82	1000/–	1030/–	0.74	880/–
2011–12	69.28	1120/– +50 बोनस	29.66	1080/–	1110/–	0.18	980/–
2012–13	87.16	1285/–	38.53	1250/–	1280/–	–	1175/–
2013–14	58.56	1350/–	35.75	1310/–	1345/–	–	1250/–

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

3.12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना विभाग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है। हरियाणा राज्य के सभी 21 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित किए हुए है।

उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना

3.13 राज्य में उपभोक्ता हैल्पलाईन खाद्य एवं पूर्ति विभाग के निदेशालय में स्थापित की जा चुकी है तथा इसका टोल फ्री नम्बरः 1800–180–2087 है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन दिनांक 12–8–2013 से कार्यरत है। हैल्पलाईन हरियाणा राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतू मार्गदर्शन करने में कार्यरत है। इसकी स्थापना के समय (दिनांक 12–8–2013) से 10–2–2014 तक लगभग 3,096 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं।

विधिक माप

3.14 केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्तओं के हित में सही माप–तोल सुनिश्चित करने हेतू विधिक माप अधिनियम, 2009 लागू किया गया है ताकि बाट एवं माप के मानक नियमित, प्रदत किए जा सके तथा अन्य ऐसे मामलें जिनका विक्रय अथवा वितरण माप, तोल और संख्या में किया जाता है ताकि व्यापार अथवा वाणिज्य को विनिमित किया जा सके। वर्ष 2013–14 के दौरान 10.75 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया था

जिसमें राजस्व प्राप्ति के रूप में 9.19 करोड़ रूपये 31–12–2013 तक विधिक माप संस्थान द्वारा एकत्रित किए गए है।

ईंट–भट्टे

3.15 हरियाणा में पूर्वी पंजाब ईंट आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम, 1949 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत हरियाणा ईंट आपूर्ति नियंत्रण आदेश, 1972 बनाया गया। हरियाणा में 2,959 ईंट–भट्टा लाईसेन्स दिनांक 31–1–2014 तक कार्यरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आम जनता को ईंटों की उपलब्धता में परेशानी न हो तथा सरकारी विकास कार्य भी सरलता से चलें, ईंटों की राज्य से बाहर की आवा–जाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। इस अधिनियम के अनुसार पुरानी प्रथाएं जिनमें ईन्टों की कीमतों को निर्धारित करना, ईन्टों के लिये परमिट जारी करना, उत्पादन तथा बिक्री से सम्बन्धित मासिक रिकार्ड भेजना इत्यादि शामिल है, को सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए उदारीकरण कर दिया गया है।

स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना

3.16 स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का हरियाणा के 4 विभिन्न जिलों कें 4 ब्लाकों नामित अम्बाला–1, घरौंडा, सोनीपत और सिरसा में कागज आधारित राशन कार्ड को स्मार्ट कार्ड से प्रतिस्थापित करके कार्यान्वित किया जा रहा है। पायलट फेस के दौरान 6,46,435 निवासियों का नामांकन हो चुका है। 1,47,883 परिवारो को स्मार्ट राशन कार्ड उनके वर्गो के अनुसार जैसे ए.पी.एल., बी.पी. एल. तथा ए.ए.वाई. के अनुसार जारी किये गये। परिवारो के वर्गो के अनुसार स्मार्ट कार्ड भी अलग–2 रंगो की धारियों के हैं (जैसे ए.ए.वाई. के लिये गुलाबी, बी.पी.एल. के लिये पीला तथा ए.पी.एल.के लिये हरा)। जुलाई, 2012 से बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाई. लाभार्थियों को गेहूँ, चीनी तथा केरोसिन तेल स्मार्ट कार्ड से वितरित किये जा रहे है। परियोजना का उद्धेश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जवाबदेही, दक्षता एवं प्रदर्शिता बढ़ाने के लिए है। इन चार ब्लाक में परियोजना के सफल कार्यान्वयन से नकली राशन कार्डों की रोकथाम और आपूर्ति क्षृखला में शेयर के हकदार को पूरा लाभ प्राप्त हुआ है। डिपो मालिक बॉयोमीट्रिक मिलान के बाद ही वस्तुओं को जारी करने में समर्थ होता है। यह नागरिक सेवा में एक महत्वपूर्ण सुधार हैं। दिनांक 17–5–2013 को कृषि भवन, नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हुई 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार इस योजना को 4 पायलट ब्लॉक में ही पूरी तरह से लागू करेगी तथा शेष जिलो में कार्यान्वित नहीं करेगी।

नागरिक केन्द्रित सेवा

3.17 जनसाधारण को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू अगस्त, 2011 से राशन कार्ड से सम्बन्धित सात सेवाओं जैसे नया राशन कार्ड, डुप्लीकेट राशन कार्ड, समर्पण प्रमाण पत्र, नया सदस्य शामिल/काटने बारे, पता बदलने तथा उचित मूल्य की दुकान बदलने इत्यादि को समयबद्ध सीमा (जैसा नीचे दर्शाया गया है) में निपटाने हेतू आदेश जारी किये गये हैं। आवेदन पत्रों को नए सिरे से बनाकर उपरोक्त सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

क्रमांक	सेवा का नाम	समय सीमा	सक्षम अधिकारी जिसे शिकायत की जानी है।
1	फार्म डी–1 प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना (आवेदन फार्म)	15 दिन	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक
2	समर्पण पत्र प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना	7 दिन	–सम–
3	डुपलीकेट राशन कार्ड जारी करना	7 दिन	–सम–
4	परिवार के सदस्य दर्ज करना/काटना	7 दिन	–सम–
5	पता बदलना (जब क्षेत्र न बदलना हो)	7 दिन	–सम–
6	पता बदलने के साथ उचित मूल्य की दुकान का बदलना	7 दिन	–सम–
7	समर्पण पत्र जारी करना	3 दिन	–सम–

3.18 उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित नए सरलीकृत आवेदन पत्र सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं पी0आर0 केन्द्रों पर उपलब्ध है। दिसम्बर, 2013 तक विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इन सेवाओं से सम्बन्धित 5.30 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनका निर्धारित समय अवधि में निपटान किया जा चुका है। सेवाओं के विस्तार एवं समय सीमा को प्रमुखता से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदर्शित किया गया है।

***

4

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

राज्य के गठन के समय से ही लोगों के लिए कृषि क्षेत्र मुख्य प्रवास और प्रमुख व्यवसाय बना हुआ है। कृषि क्षेत्र हमेशा राज्य अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण घटक रहा है। स्वतन्त्रता के बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़ी है क्योंकि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा राज्य में हरित क्रान्ति आई जिसने कृषि क्षेत्र के विकास को विशेष बढ़ावा दिया है। राज्य अर्थव्यवस्था में तेजी से संरचनात्मक परिवर्तन के कारण वर्ष 2012–13 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र का अंश स्थिर (2004–05) मूल्यों पर कम होकर मात्र 15.6 प्रतिशत रह गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो मे उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की वृद्धि दर के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन गया है परन्तु हाल के अनुभवों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र के लगाातार तथा तेज विकास के बिना सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में वृद्धि राज्य में तीव्र मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है जो विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का विकास राज्य अर्थव्यवस्था के संपादन में निरन्तर एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।

4.2 कृषि और सहबद्ध क्षेत्र कृषि, वानिकि और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों से बना है। कृषि क्षेत्र जिसमे पशुपालन और फसलों की खेती शामिल है, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 95 प्रतिशत योगदान के साथ मुख्य घटक है। कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 4 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत है जिससे इन दो उप क्षेत्रों का प्रभाव कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर बहुत कम पड़ता है।

कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों का विकास

4.3 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान चालू एवं स्थिर (आधार वर्ष 2004–05) कीमतों पर साधन लागत पर हर वर्ष तैयार किये जाते है। कृषि क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत वार्षिक वृद्वि दर 3.7 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में औसत विकास दर क्रमशः 2.4 प्रतिशत तथा 12.0 प्रतिशत आंकी गई। इसी योजना के दौरान कृषि और सहबद्व क्षेत्र ने समग्र रूप में 3.7 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की।

4.4 यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र की विकास दर 3.7 प्रतिशत रही जो कि अखिल भारतीय स्तर पर दर्ज की गई 4.1 प्रतिशत की वृद्वि से थोडा कम थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों के दौरान कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र में राज्य और भारतीय अर्थ–व्यवस्था द्वारा दर्ज की गई विकास दर **तालिका 4.1** में दर्शाई गई है।

4.5 वर्ष 2012–13 के त्वरित अनुमान बताते हैं कि स्थिर भावों पर कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 में 29,593.91 करोड़ रूपये से घटकर वर्ष 2012–13 में 29,378.24 करोड़ रूपये हो गया तथा वर्ष 2012–13 में 0.7 प्रतिशत की आर्थिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2012–13 में स्थिर (2004–05) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कृषि, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्रों के लिए क्रमशः 27,805.76 करोड 1,271.48 करोड़ तथा 301 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान कृषि, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र की व्यक्तिगत विकास दर क्रमशः (-)1.0, 3.0, तथा 5.2 प्रतिशत थी। वर्ष 2012–13 में गेंहू, कपास, मक्का, बाजरा, चना तथा ज्वार के उत्पादन में क्रमशः 15.3, 9.0, 23.3, 32.7, 27.4 तथा 15.2 प्रतिशत की गिरावट के कारण कृषि क्षेत्र में 1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

राज्य के आर्थिक सूचकांक यानि राज्य सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल स्थाई पूंजी निर्माण अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा तैयार अनुमानों पर आधारित तथा देश के आर्थिक सूचकांक केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, नई–दिल्ली द्वारा जारी अनुमानों पर आधारित हैं।

तालिका 4.1– 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों में वृद्धि

क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (अ:)	2012–13 (द्रु:)
हरियाणा*						
कृषि	–0.3	7.4	–1.7	5.3	7.6	–1.0
वानिकी	3.0	2.4	2.1	2.5	2.2	3.0
मत्स्य	11.9	13.3	15.5	6.6	12.8	5.2
कृषि एवं सहबद्ध	–0.1	7.2	–1.4	5.2	7.4	–0.7
भारत**						
कृषि एवं सहबद्ध	5.8	0.1	0.8	8.6	5.0	1.4

प्राप्ति स्थानः– * अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

**केन्द्रीय साख्यिकीय कार्यालय, नई दिल्ली

अः अनन्तिम अनुमान, द्रुः द्रुत अनुमान

कृषि में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

4.6 कृषि व सहबद्ध क्षेत्रों में सकल स्थाई पूंजी निर्माण (जी.एफ.सी.एफ.) भी दीर्धकालिक स्तर पर इस क्षेत्र में विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा द्वारा कृषि व सहबद्ध क्षेत्रों में स्थाई पूंजी निर्माण की वृद्धि को आंकलन करने के लिए कृषि व सहबद्ध क्षेत्र के लिए सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। राज्य में कृषि व सहबद्ध क्षेत्रों में सकल स्थाई पूंजी निर्माण का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर 2004–05 में 9.3 प्रतिशत से कम होकर 2005–06 में 8.4 प्रतिशत रह गया है। उसके उपरान्त 2009–10 में 9.3 प्रतिशत की पूर्ति हुई है परन्तु उसके बाद पुनः कम होकर 2010–11 में 8.4 प्रतिशत के स्तर पर रह गया है, हालांकि फिर से वर्ष 2011–12 में 9.0 प्रतिशत की मामूली वृद्वि हुई है।

कृषि सूचकांक

4.7 फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) जोकि वर्ष 2007–08 में 100.10 था वह बढ़कर वर्ष 2012–13 में 112.83 हो गया है जबकि कृषि उत्पादन सूचकांक इस अवधि के दौरान 104.88 से बढ़कर 115.65 हो गया है और उपज सूचकांक 104.78 से घटकर 102.50 होने की सम्भावना है। ऐसा कृषि के प्रतिकूल मौसम के कारण हुआ है। फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2011–12 में 104.83 था जो कि 2012–13 में बढ़कर 112.83 हो जायेगा। कृषि उत्पादन का सूचकांक जो कि 2011–12 में 121.86 था वह वर्ष 2012–13 में घटकर 115.65 होने का अनुमान है और इस अवधि मे कृषि उपज का सूचकांक भी वर्ष 2011–12 में 116.25 से घटकर वर्ष 2012–13 में 102.50 हो जायेगा और वर्ष 2012–13 के दौरान फसलों के अधीन कृषि क्षेत्र व उत्पादन सूचकांक में वृद्धि हुई है जबकि कृषि उपज सूचकांक इस अवधि में सबसे कम रहा। फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उत्पादन व उपज सूचकांक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) **आकृति 4.1 व अनुलग्नक 4.1** में वर्ष 2007–08 से वर्ष 2012–13 तक दर्शाये गये हैं।

4.8 राज्य में खाद्यान्नों से सम्बन्धित फसलों का क्षेत्र 68.17 प्रतिशत तथा अखाद्यान्नों से सम्बन्धित फसलों का क्षेत्र 31.83 प्रतिशत है मुख्य रूप से अनाज खाद्यान्नों का हिस्सा 67.06 प्रतिशत तथा अनाज दालों का हिस्सा 1.11 प्रतिशत है। अखाद्यान्नों में तेल के बीज, रेशेदार फसलें एवं विविध फसलें सम्मिलित हैं जिनका हिस्सा क्रमशः 6.09, 16.60 व 9.14 प्रतिशत है। सभी फसलों के उत्पादन का कृषि सूचकांक वर्ष 2007–08 में 104.88 से वर्ष 2009–10 में 105.57 हो गया है इसके बाद वर्ष 2010–11 में 109.10 के स्तर पर पहुंच गया। वर्तमान में यह वर्ष 2011–12 में 121.86 से घटकर वर्ष 2012–13 में 115.65 तक गिरावट होने की सम्भावना है। **आकृति 4.2 तथा अनुलंग्नक 4.2** खाद्यान्नों व अखाद्यान्नों सम्बन्धित कृषि उत्पादन सूचकांक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) को दर्शाता है।

4.9 अनाज खाद्यान्नों से सम्बन्धित कृषि उत्पादन सूचकांक 2007–08 में 106.45 से बढ़कर 2010–11 में 113.46 हो गया था जोकि 6.59 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2011–12 में यह बढ़कर 126.07 हो गया तथा इसके बाद वर्ष 2012–13 में घटकर 114.05 होने का अनुमान है। **अनुलग्नक 4.2** में कृषि उत्पादन सूचकांक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) को वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक दर्शाता है।

आकृति 4.1– हरियाणा के क्षेत्र, औसत उपज और पैदावार के कृषि सूचकांक

(आधार वर्षः त्रैवर्षीय अन्तिम 2007–08=100)

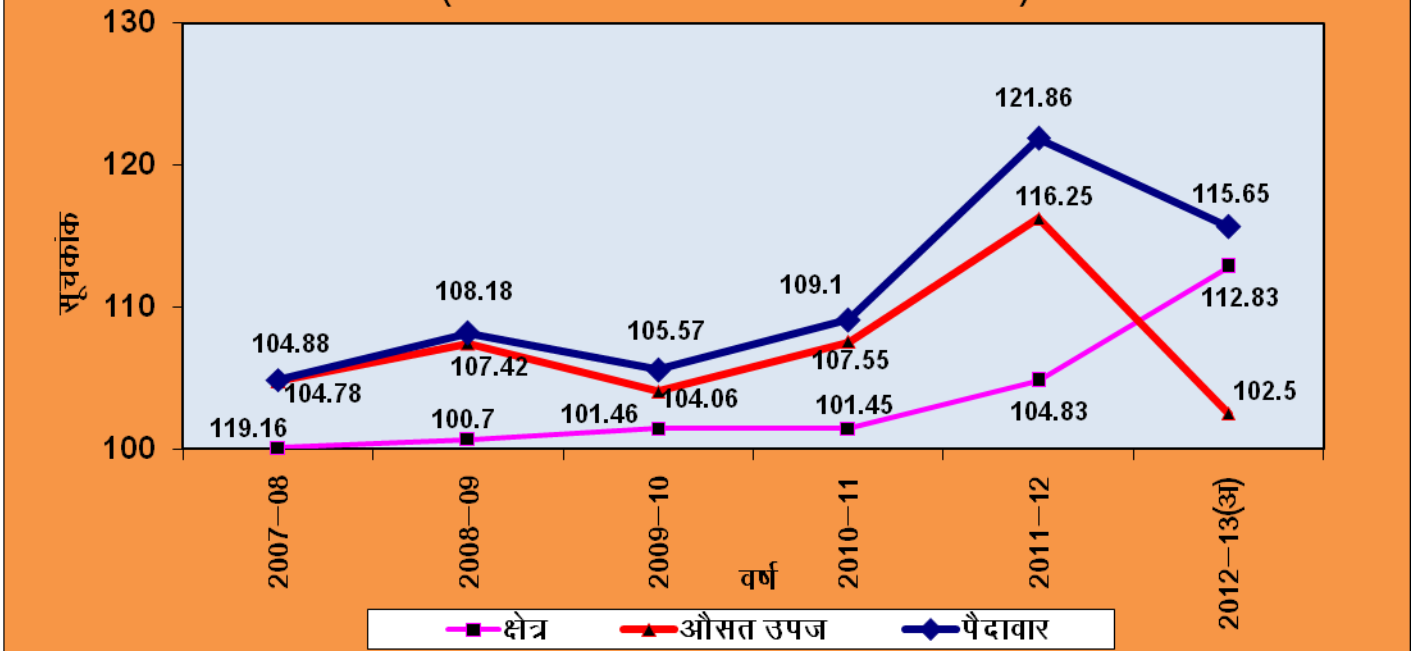

आकृति 4.2– हरियाणा के कृषि उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्षः त्रैवर्षीय अन्तिम 2007–08=100)

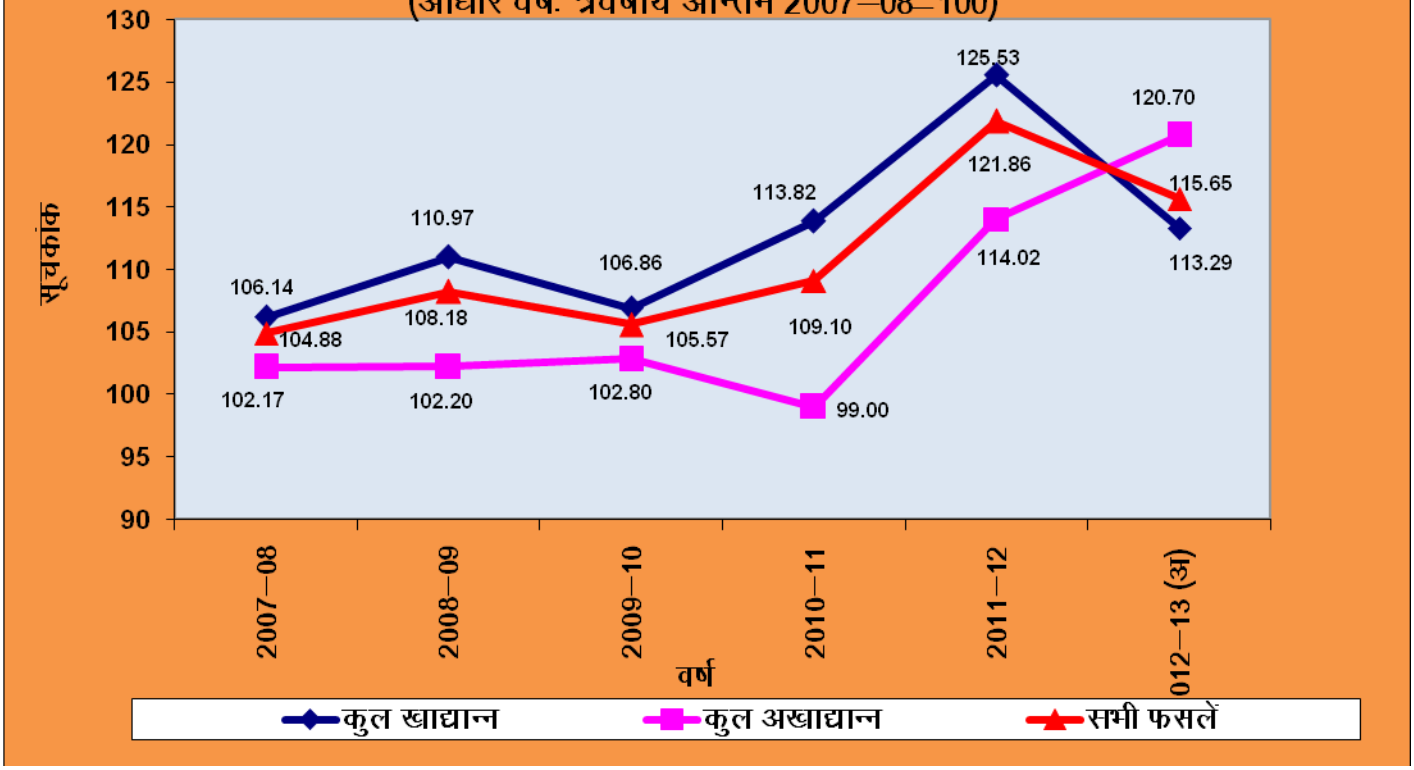

4.10 तेल के बीज का सूचकांक वर्ष 2007–08 में 81.79 था वह वर्ष 2008–09 में बढ़कर 121.20 हो गया जबकि वर्ष 2009–10 में घटकर 115.01 हो गया। वर्ष 2010–11 में यह पुनः बढ़कर 128.03 हो गया। वर्ष 2011–12 में घटकर 100.02 के स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2012–13 में यह वृद्धि 128.74 के स्तर तक होने की सम्भावना है। रेशेदार फसलों का सूचकांक 2007–08 में 108.88 से 2009–10 में 111.09 प्रतिशत था जो बढ़कर 2.03 प्रतिशत हो गया। वह वर्ष 2010–11 में 8.89 प्रतिशत की गिरावट के साथ 101.21 हो गया और वर्ष 2011–12 में यह बढ़कर 151.89 हो गया। इसके बाद वर्ष 2012–13 में पुनः घटकर यह 138.16 के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। यह गिरावट 8.89 प्रतिशत है **अनुलग्नक 4.2** तेल के बीज व रेशेदार फसलों का कृषि उत्पादन सूचकांक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक दर्शाता है।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र, पैदावार एवं उत्पादकता

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

4.11 राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था जोकि वर्ष 2011–12 में बढकर 65.05 लाख हैक्टेयर हो गया। यद्यपि वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में सकल बोया गया क्षेत्र 60.52 लाख हैक्टेयर था जो कि वर्ष 2013–14 में सकल बोया गया क्षेत्र 62.43 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है। वर्ष 2013–14 में राज्य में गेहूँ तथा चावल की फसलों के अधीन क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता 59.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2013 में चावल के अधीन क्षेत्र 12.28 लाख हैक्टेयर तथा वर्ष 2013–14 में गेंहू के अधीन 24.90 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रति वर्ष उतार चढाव रहा है **(तालिका 4.2)**।

तालिका 4.2–मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

(000 हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूँ	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1966–67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970–71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980–81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990–91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000–01	2355	1054	4340	143	555	414	6115
2005–06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2006–07	2376	1042	4348	141	527	622	6407
2007–08	2461	1073	4477	140	482	511	6458
2008–09	2462	1211	4621	91	456	528	6484
2009–10	2488	1206	4541	79	505	523	6351
2010–11	2504	1243	4702	85	493	521	6357
2011–12	2531	1234	4581	95	602	546	6505
2012–13	2497	1215	4397	101	595	571	6052
2013–14(अनन्तिम)	2490	1228	4480	102	564	570	6243

स्त्रोतः– भू लेखा विभाग, हरियाणा और कृषि विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों का उत्पादन

4.12 राज्य के अस्तित्व में आने के समय से हरियाणा में खाद्यानों के उत्पादन में अपूर्व वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966–67 के दौरान मात्र 25.92 लाख टन था जो वर्ष 2011–12 में बढकर 183.70 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जो कि लगभग सात गुणा वृद्धि दर्शाता है। कृषि उत्पादन को आगे बढाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। गेहूं और चावल (जोकि राज्य की मुख्य फसलें हैं) के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 के दौरान गेहूं का उत्पादन 111.17 लाख टन था तथा वर्ष 2012 के दौरान चावल की पैदावार 39.76 लाख टन हुई जो कि गेहूं के उत्पादन में 10.4 गुणा व चावल के उत्पादन में 17.8 गुणा बढोतरी दिखाता है जबकि वर्ष 1966–67 में गेंहू तथा चावल का उत्पादन क्रमशः 10.59 लाख टन व 2.23 लाख टन था। वर्ष 2013–14 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 176.41 लाख टन होने का अनुमान है। चावल का उत्पादन वर्ष 2013 में 39.98 लाख

टन होने का अनुमान है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में गेहूं का उत्पादन 123.30 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 2013–14 में तिलहन तथा गन्ने का उत्पादन क्रमांक 10.17 लाख टन तथा 74.46 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 2013–14 में कपास का उत्पादन 20.17 लाख गांठें होने का अनुमान है। **(तालिका 4.3)**

तालिका 4.3 मुख्य फसलों का कृषि उत्पादन

(000 टन)

वर्ष	गेहुँ	चावल	कुल खाद्यान्न	तिलहन	कपास (000 गांठे)	गन्ना
1	2	3	4	5	6	7
1966–67	1059	223	2592	92	288	5100
1970–71	2342	460	4771	99	373	7070
1980–81	3490	1259	6036	188	643	4600
1990–91	6436	1834	9559	638	1155	7800
2000–01	9669	2695	13295	563	1383	8170
2005–06	8853	3194	13006	830	1502	8310
2006–07	10059	3371	14759	837	1805	9651
2007–08	10232	3606	15294	617	1882	8850
2008–09	11360	3299	16178	911	1862	5206
2009–10	10488	3628	15346	862	1919	5707
2010–11	11578	3465	16568	965	1747	6042
2011–12	13119	3757	18370	758	2616	6953
2012–13	11117	3976	16226	980	2384	7437
2013–14 **(अनन्तिम)**	12330	3998	17641	1017	2017	7446

स्त्रोतः– भू लेखा विभाग, हरियाणा और कृषि विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों की पैदावार

4.13 वर्ष 2012–13 के दौरान भारत में गेहूं तथा चावल का औसत उत्पादन क्रमशः 3,140 कि0ग्रा0 तथा 2,372 कि0ग्राम प्रति हैक्टेयर था जबकि हरियाणा में क्रमशः 4,452 तथा 3,272 कि0ग्राम प्रति हैक्टेयर था। राज्य में वर्ष 2013–14 में गेहूं तथा चावल का औसत उत्पादन क्रमशः 4,952 तथा 3,256 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है **(तालिका 4.4)**।

तालिका 4.4–हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूँ तथा चावल की मुख्य फसलों की औसत उपज

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेंहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
1	2	3	4	5
2000–01	4106	2557	2708	1901
2005–06	3844	3051	2619	2102
2006–07	4232	3238	2708	2131
2007–08	4158	3361	2785	2203
2008–09	4614	2724	2907	2178
2009–10	4215	3008	2907	2125
2010–11	4624	2788	2938	2240
2011–12	5183	3044	3140	2207
2012–13	4452	3272	उ.न.	2372
2013–14 **(अनन्तिम)**	4952	3256	उ.न.	उ.न.

स्त्रोतः– भू लेखा विभाग, हरियाणा और कृषि विभाग, हरियाणा।

4.14 राज्य में वर्ष 2013–14 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 180.15 लाख टन निर्धारित किया गया है। (जिसमें 52.87 लाख टन खरीफ व 127.28 लाख टन रबी मौसम) के लिए है, जो कि गत वर्ष की उपलब्धता से 10 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ गन्ने, कपास, व तिलहन का लक्ष्य क्रमांक 80.30 लाख टन 26.82 लाख गांठे व 11.15 लाख टन निर्धारित किया गया है।

4.15 वर्ष 2010–11 और 2011–12 के दौरान गेंहू के अच्छे उत्पादन के लिए हरियाणा राज्य को कृषि करमण पुरस्कार दिया गया था। हमारे राज्य को गेहूं और चावल के उत्पादन में लगातार उपलब्धियों हेतू वर्ष 2012–13 के लिए हाल ही में प्रशस्ति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

4.16 हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डारण में योगदान करने वाले मुख्य राज्यों में से एक है। 60 प्रतिशत से अधिक बासमती चावल अकेले हरियाणा राज्य से निर्यात किया जाता है।

अधिक उपजाऊ किस्मों के अधीन क्षेत्र

4.17 वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में गेहूँ, चावल, मक्की तथा बाजरे की अधिक उपजाऊ बीजों वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र क्रमशः 97.6, 54.4, 88.0 तथा 98.4 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2013–14 के दौरान इन फसलों के अधीन अनुमानित क्षेत्र क्रमशः 97.8, 50.4, 90.0 व 99.4 प्रतिशत रहेगा।

पौधा संरक्षण कार्य के अधीन क्षेत्र

4.18 वर्ष 2012–13 के दौरान पौधा संरक्षण के अधीन 71.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था तथा जिसके 2013–14 में 71.12 लाख हैक्टेयर होने की सम्भावना है। वर्ष 2012–13 के दौरान कीटनाशक की खपत 4,050 टन था जो 2013–14 के दौरान बढ़कर 4,100 टन होने की सम्भावना है।

फसल बीमा योजनाएं

मौसम आधारित फसल बीमा योजना □

4.19 राज्य में पहली बार रबी 2009–10 के दौरान गेहूं की फसल के लिये मौसम आधारित फसल बीमा योजना आरम्भ की गई थी। इस समय मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के 12 जिलों के 27 ब्लाकों में लागू की जा रही है। गेहूं तथा धान इसकी मुख्य फसलें हैं। पैदावार मानकों की बजाय यह योजना विभिन्न मौसम आधारित मापदण्डों जैसे न्यूनतम वर्षा, अधिक वर्षा, उच्च तापमान तथा शुष्क दिनों की अवधि पर आधारित है। खरीफ, 2013–14 तक 2,63,595 किसानों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। 4,147.89 लाख रूपये का मुआवजा रबी 2012–13 तक दिया गया।

विनिमृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

4.20 विनिमृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पायलट आधार पर पहली बार करनाल व कैथल जिलों में धान फसल पर खरीफ 2011 से लागू की गई। अब यह योजना गेहूं व धान फसल पर चार जिलों करनाल, कैथल, रोहतक व जींद में लागू की जा रही है। इस योजना में ग्राम पंचायत को एक ईकाई के रूप मे माना गया है। इस योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत प्रीमियम अनुदान का प्रावधान है जो कि 2 से 15 प्रतिशत के विभिन्न चरणों पर निर्भर करता है। सभी मुआवजे कियान्वयन संस्था द्वारा दिये जायेंगे। खरीफ 2013–14 तक 2,17,153 किसानों को कवर किया गया है। खरीफ 2013–14 तक 3,418.15 लाख रूपये प्रीमियम इकट्ठा हुआ है। खरीफ 2013–14 तक 5,312.51 लाख रूपये मुआवजे के रूप में दिये गये है।

कृषि उत्पादन हेतू की गई पहल

4.21 रबी, 2007–08 से भारत सरकार द्वारा दो नई केन्द्रीय संचालित योजनाएं नामतः–राष्ट्रीय खाद्य सिक्योरटी मिशन व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सिक्योरटी मिशन का मुख्य उद्वेश्य राज्य में पहचान किये गये जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन वृद्वि से गेहूं व दलहन क्षेत्र व पैदावार में बढोत्तरी करना है। राष्ट्रीय खाद्यय सिक्योरटी मिशन के अधीन वर्ष 2013–14 में 50 करोड़ रूपये अलॉट किये गये है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्वेश्य कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता 4 प्रतिशत प्राप्त करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्वेश्य राज्यों को कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में अधिक धन लगाने में पहल करना तथा इनकी योजना, चयन एवं अनुमोदन में राज्य को लचीलापन प्रदान करना है। सिंचाई के लिये सीमित साधनों के उचित उपयोग हेतू भूमिगत पाईपलाईन सिस्टम को बढ़ा दिया जा रहा है तथा इस पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 48 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा रही है।

4.22 देश में फुव्वारा सिंचाई तकनीकी को अपनाने में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक है। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में अनुमानित 9,937 नये फुवारा सयंत्रों की स्थापना से राज्य में फुवारा सयंत्रों की संख्या बढकर 1,39,732 हो गई है। यह सयंत्र अधिकतर राज्य के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में कार्य कर रहे है। किसानों द्वारा पानी की बचत करने हेतू भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली को काफी बढ़ावा दिया है।

वर्ष 2012–13 के दौरान 21,912 हैक्टेयर क्षेत्र में पाईप बिछाए गए जिसपर कृषक को 50 प्रतिशत की दर से अनुदान जिसकी अधिकतम राशि 60,000 रूपये है, प्रदान करने हेतू 32.76 करोड़ रूपये व्यय किए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 38,000 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिये 48 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की है।

उर्वरक

4.23 राज्य में अधिक उपजाऊ बीजों की किस्में आने के कारण रसायनिक खादों की खपत धीरे–2 बढ़ रही है **(तालिका 4.5)**।

तालिका 4.5–राज्य में उर्वरकों की खपत

(किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	उर्वरकों की खपत
1990–91	99
2000–01	152
2005–06	173
2006–07	173
2007–08	187
2008–09	199
2009–10	209
2010–11	209
2011–12	224
2012–13	224
2013–14 अनुमानित	225

स्त्रोतः–कृषि विभाग, हरियाणा

सिंचाई

4.24 हरियाणा राज्य के पास बिना किसी स्तही पानी के स्थायी स्त्रोतों और अंर्तराजीय समझौतों के साथ आवश्यकतानुसार 36 एम.ए.एफ पानी की तुलना में केवल 14 एम.ए.एफ पानी ही उपलब्ध है। इसके बावजूद राज्य स्तही जल संसाधनों का प्रबंधन इतने अच्छे तरीके से कर रहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्यान्न भण्डारण में मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक बन गया है। राज्य की नहर प्रणाली का नेटवर्क पुराना है और इस कारण इसका पुनर्वास करना बहुत ही जरूरी हो गया है। पानी की ढुलाई में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नहर प्रणाली का पुनर्वास चरणबद्व तरीके से किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 51 चैनलों का पुनर्वास 102 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है। बरवाला ब्रांच के पुनर्वास का मुख्य कार्य 36.19 करोड़ रूपये की लागत से पूरा कर लिया गया है। नहरी खालों (जलमार्गों) के पुर्नोरूद्वार और पुनर्वास का कार्य भी चरणबद्व तरीके से किया जा रहा है। पहचाने गए कुल 7,500 नहरी खालों में से अब तक 2,697 नहरी खालों के पुर्नवास का कार्य पूरा कर लिया गया है और 79 नहरी खालों का कार्य प्रगति पर है। बाकी बचे नहरी खालों के पुनर्वास व पुर्नोरूद्वार का कार्य समय अनुसार चरणबद्व तरीके से किया जायेगा।

4.25 इसके अलावा हिसार और भिवानी जिलों की सिंचाई और पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए ओ.पी. जिन्दल नल्वा रजबाहे के निर्माण की परियोजना का कार्य नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से 30.50 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है। सिरसा जिले के सिरसा, रानीया और डबवाली निर्वाचन क्षेत्रों में पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और खरीफ के मौसम के दौरान घग्गर नदी में बारिश/बाढ़ के पानी के उपयोग के लिए रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल का निर्माण 71.79 करोड़ रूपये की लागत से शुरू कर दिया गया है। मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग व भूजल पुनर्भरण के लिए दादुपुर–शाहबाद–नलवी सिंचाई योजना के निर्माण कार्य का दूसरा चरण शुरू हो गया है और मार्च, 2014 तक इसके पूरे होने की संभावना है एंव पहले चरण का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

4.26 गुड़गांव और दूसरी बढ़ती औद्योगिक आबादियो जैसे कि मानेसर, बहादुरगढ़, सांपला और बादली के लिए पीने के पानी की पूर्ति के लिए एन.सी.आर. जल आपूर्ति चैनल का निर्माण किया गया है। गुड़गांव में हुडा की जरूरत को पूरा करने के लिए चैनल में पानी की सप्लाई भी छोड़ दी गई है। पंचकूला

और इसके पास के क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पंचकूला जिले में घग्गर नदी पर कौशल्या डैम का निर्माण किया गया है।

4.27 राज्य में ज्यादातर पुराने जल निकाय शहरीकरण के कारण घटते जा रहे है। राज्य सरकार कुछ जल निकायों जैसे कि कोटला झील, बीबीपुर झील, ओटू झील और पीर भोधी के जीर्णोद्वार के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। कोटला और पीर भोधी के चौड़ा करने और गहरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण जल्द ही किया जा रहा है। इसके अलावा, 45.23 करोड़ रूपये की लागत से ओटू झील के जीर्णोद्वार का कार्य पहले ही किया जा चुका है। ओटू झील मे संचय किया गया पानी सिरसा जिले में विभिन्न खरीफ चैनलों के माध्यम से प्रयोग में लाया जा रहा है।

4.28 2013 के मानसून मौसम के दौरान जून के महीने में अभूतपूर्व मूसलाधार बारिश हुई जो उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश में यमुना और इसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में फैली थी जबकि साधारण मानसून का समय पहली जुलाई से शुरू होता है। परन्तु 17 जून, 2013 को हथनीकुण्ड बैराज पर 8,06,462 क्यूसिक बहाव दर्ज किया गया जो कि अब तक का अधिकतम दर्ज किया गया बहाव था। बाढ़ से कुछ नुकसान हुआ और नदी के साथ–साथ भूमि का कटाव हुआ परन्तु वर्ष 2010 की बाढ़ के बाद किए गए कार्यों के कारण नुकसान कम हुआ जो कि अच्छे और कुशल तरीके से किए गए थे। इस वित्तीय वर्ष के दौरान बाढ़ नियंत्रण और निकासी की 54 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा 84 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इस वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान पूरी की गई और चालू योजनाओं पर कुल 110 करोड़ रूपये खर्च होगे।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

4.29 हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2012–13 में खरीफ के प्रमाणित बीजों का 8,930 क्विंटल तथा रबी के प्रमाणित बीजों का 3,19,166 क्विंटल उत्पादन किया। किसानों को समय पर प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम का हरियाणा राज्य में 74 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है। निगम अपने बीज बिक्री केन्द्रों के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी/सहकारी संस्थाओं जैसे मिनी बैंकों, हैफेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम आदि के माध्यम से भी किसानों को बीज उपलब्ध करवाता है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। हरियाणा बीज विकास निगम किसानों को प्रमाणित बीजों के अतिरिक्त खरपतवार नाशक, कीट नाशक, एवं फफुंदीनाशक दवाईयां बीज बिक्री केन्द्रों से उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने बीजो की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से कर रहा है जो कि हरियाणा राज्य के किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। हरियाणा बीज विकास निगम के प्रमाणित बीजों की बिक्री अन्य राज्य बीज निगमों, कृषि विभाग एवं अन्य खरीददारों के माध्यम से भी की जाती है। वर्ष 2012–13 (खरीफ–2012 एवं रबी 2012–13) के दौरान निगम ने 2,76,928 क्विंटल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज (बाहरी राज्यों की बिक्री को जोड़ते हुए) जैसे कि धान, दलहन, ज्वार, बाजरा, तिलहन, मक्का, गेहूँ जौ, जई एवं बरसीम आदि के बीजों की विक्री की है। वर्ष 2013–14 (खरीफ–32,922 एवं रबी 2,63,501) में विभिन्न फसलों के 2,96,423 क्वि. प्रमाणित बीजों की बिक्री होने का अनुमान है। हरियाणा बीज विकास निगम राज्य के किसानों को अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों जैसे कि एन0एफ0एस0एम0, एम0एम0ए0, आइसोपोम, आर0के0वी0वाई0, फसल विविधिकरण, राज्य की स्कीमों, ए0पी0पी0पी0 एवं सीड विलेज स्कीम आदि के तहत उपलब्ध करवाती है।

4.30 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा भूमि सुधार हेतु खरीफ 2013 में 6,491 क्विंटल ढैचा बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित किया गया। हरियाणा बीज विकास निगम ने ग्रीष्म/खरीफ वर्ष 2013 में 5,761 क्विंटल एवं 5000 क्विंटल मूँग का प्रमाणित बीज हरियाणा के किसानो को 50 प्रतिशत अनुदान पर एवं दाल के बीजों के उत्पादन को बढावा देने की स्कीम के अर्न्तगत उपलब्ध करवाया। वित्तीय वर्ष 2013–14 के अर्न्तगत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर सब्जियों के प्रमाणित एवं हाईब्रीड बीज उपलब्ध करवाए हैं। निगम ने खरीफ 2013 में 899 पैकेट बी.टी.काटन के बीज हरियाणा के किसानों को उपलबध करवाए। निगम ने रबी 2013–14 में राज्य के किसानों को बरसीम 4,176 क्विंटल व जई 534 क्विंटल का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर चारा बीजों को बढावा देने की स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया।

बीज प्रमाणीकरण

4.31 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बीज परियोजना में की गई थी। इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम–1966 की धारा–5 के अधीन भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की अधिसूचित की गई जातियों

के बीज को निर्धारित मानको के अनुसार प्रमाणित करना है। वर्ष 2012–13 में बीज फसलों का 63,540 हैक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण तथा 1,652,490 क्विंटल बीजों का प्रमाणीकरण किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान 89,200 हैक्टेयर क्षेत्र बीज फसलों का निरीक्षण तथा 2,22,5000 क्विंटल बीजों के प्रमाणीकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में 165 संसाधन संयंत्र कार्य कर रहे है जिन पर प्रमाणीकरण हेतु बीजों के संसाधन का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है।

बागवानी

बागवानी के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

4.32 हरियाणा राज्य बागवानी के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। हरियाणा राज्य में बागवानी फसलों के अधीन कुल फसल क्षेत्र का 6.70 प्रतिशत है। हरियाणा राज्य में वर्ष 2012–13 में बागवानी फसलों की कुल पैदावार 56.97 लाख टन है।

फल और सब्जी की खेती

4.33 जलवायु एवं मृदा के अनुसार उद्यान विभाग फल उत्पादन के विकास के लिए सामूहिक पहुँच को प्रोत्साहित कर रहा है। फलों का क्षेत्र व उत्पादन बढ़कर वर्ष 2012–13 में क्रमशः 49,536 हैक्टेयर क्षेत्र और 5,16,070 टन फल उत्पादन हो गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान क्रमशः 2,500 हैक्टेयर व 5,50,000 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था व माह दिसम्बर, 2013 तक 1,699 हैक्टेयर क्षेत्र व 3,85,486 टन उत्पादन हो चुका है।

4.34 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण ताजा सब्जियों की मांग कई गुना बढ़ गई है। वर्ष 2012–13 में सब्जियों का क्रमशः 3,60,339 हैक्टेयर क्षेत्र व 50,11,311 टन उत्पादन था। वर्ष 2013–14 के लिए 3,70,919 हैक्टेयर क्षेत्र व 60,00,000 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह दिसम्बर, 2013 तक 3,02,387 हैक्टेयर क्षेत्र व 32,77,804 टन उत्पादन हो चुका है।

मसाले

4.35 मसालों के अन्तर्गत क्षेत्र वर्ष 2012–13 में बढ़कर 18,454 हैक्टेयर हो चुका है। वर्ष 2013–14 के लिए 18,700 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2013 तक मसालों के अधीन 17,386 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

4.36 वर्ष 2012–13 के दौरान 1750 हैक्टेयर क्षेत्र औषधीय एवं सुगंधित पौधों के अधीन लाया जा चुका है। वर्ष 2013–14 के लिए 1035 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है तथा माह दिसम्बर, 2013 तक 472 हैक्टेयर क्षेत्र औषधीय पौधों की खेती के अधीन लाया जा चुका है।

मशरूम

4.37 हरियाणा बटन मशरूम उत्पादन में देशभर में सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। खुम्ब उत्पादन वर्ष 2012–13 में 8,620 टन हो चुका है। वर्ष 2013–14 के लिए 9,600 टन खुम्ब उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2013 तक 3,311 टन खुम्ब का उत्पादन हो चुका है।

फूलों की खेती

4.38 फूलों के अन्तर्गत क्षेत्र वर्ष 2012–13 में बढ़कर 6,470 हैक्टेयर हो चुका है। वर्ष 2013–14 के लिए 6,552 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2013 तक फूलों के अधीन 5,438 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है।

हरित गृह

4.39 गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन और रोग मुक्त पौधे तैयार करने के लिए हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वर्ष 2012–13 मे 132.58 हैक्टेयर पोली हाउस स्थापित किए गए। इन्डो–इसराइल के सुचारू कार्यान्वयन तथा प्रर्दशन के कारण बहुत से किसान इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रभावित हुए हैं। वर्ष 2013–14 के लिए 122.68 हक्टेयर ग्रीन हाउस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह दिसम्बर, 2013 तक 67.98 हैक्टेयर में ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके है।

बागवानी के लिए पहल

4.40 बागवानी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन नामक योजना प्रारम्भ की गई है। इस मिशन को वर्ष 2012–13 के दौरान हरियाणा में जिला फरीदाबाद, रिवाडी तथा कैथल, को छोडकर सभी जिलों में लागू किया गया।

4.41 जल स्त्रोत प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के दौरान सामुदायिक तालाबों के निर्माण के लिए 10.38 करोड़ रूपये की राशि से 255 सामुदायिक एवं जल स्त्रोत तालाब बनाने का प्रावधान

किया गया है। माह दिसम्बर, 2013 तक 203 जल स्त्रोत तालाबों का निर्माण किसानों द्वारा अपने खेतों में किया जा चुका है।

4.42 सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2012–13 की समाप्ति तक 31786 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया गया है। चालू वर्ष 2013–14 के लिए 9,240 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म प्रणाली के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। जो कि माह दिसम्बर, 2013 तक 4,237 हैक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है।

4.43 सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र (स0उ0के0) धरौंडा, करनाल में नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है तथा किसानों को इन तकनीकों बारे प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा इन्हें अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। फल उत्कृष्ट केन्द्र, मांगियाना, सिरसा में खट्टे फलों की नई प्रजाति, जैतून, अनार तथा खजूर की नई किसमों का निर्यात तथा प्रदर्शित किया जा रहा है। राज्य के 14 जिलों में सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र की तरह 14 अग्रिम पक्ति प्रदर्शन केन्द्र किसानों के खेत पर स्थापित किये गय है। जिनके द्वारा विकसित कृषि तकनीकों का प्रसार किया जाता है। उपोषण फल केन्द्र, लाडवा, कुरूक्षेत्र के लिए 9.10 करोड रूपये की राशि स्वीकृति की गई है। 10.50 करोड रूपये की लागत से मधुमक्खी एकीकृत विकास केन्द्र (म0ए0वि0के0) राजकीय बागवानी व नर्सरी रामनगर, कुरूक्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। यह कार्य शुरू किया जा चुका है तथा प्रगति पर है। 15 करोड़ रूपये की लागत से स0उ0 के0, धरौंडा (करनाल) में पुष्प परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। 1.39 करोड़ की लागत से राजकीय बागवानी नर्सरी गुड़गांव, सेवा खेड़ी, पानीपत में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पपीता एवं केला केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। जिसका कार्य शुरू किया जा चुका है तथा प्रगति पर है। गुड़गांव, भुना, फतेहाबाद में अमरूद विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। जिसका कार्य शुरू किया जा चुका है तथा प्रगति पर है।

कृषि अध्यापन, शोध एवं विस्तार

4.44 विश्वविद्यालय की तीन मुख्य गतिविधियां हैं:– अध्यापन, शोध एवं विस्तार। किसानों की दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन गतिविधियों को नवप्रवर्तन तथा विकसित नवीनतम तकनीकों की सहायता से बहुत निष्ठा से किया जाता है।

वर्ष 2013 की मुख्य उपलब्धियाँ

- वर्ष 2013–14 में विभिन्न UG कार्यक्रमों में 311 छात्रों ने प्रवेश लिया। इसके अतिरिक्त, दूसरे देशों जैसे भूटान, मालावी, अफगानिस्तान, सोमालिया, फिजी और मन्गोलिया के 11 विद्यार्थियों ने कृषि के 4 साल के विज्ञान संकाय (ऑनर्स) कार्यक्रम में प्रवेश लिया।
- 200 विद्यार्थियों ने विभिन्न महाविद्यालयों की M.Sc./MBA/ M.Tech. (Agril Eng.) में प्रवेश लिया। इसमें अफगानिस्तान, वियतनाम, इण्डोनेशिया और श्रीलंका के 7 विदेशी विद्यार्थियों ने भी प्रवेश लिया।
- 19 विद्यार्थियों ने दूसरी एजन्सियों की छात्रवृति प्राप्त की जिनमें 12 विद्यार्थियों ने DST का Inspire Fellowship प्राप्त किया, 2 छात्रों ने Haryana State Council of Science & Technology का जूनियर रिसर्च फैलोशिप प्राप्त किया, 2 छात्रों ने CSIR का जूनियर रिसर्च फैलोशिप एवं 3 छात्रों ने SC/ST विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप प्राप्त किया।
- 2013–14 के अकादमी वर्ष में एक नया स्नातकोत्तर डिप्लोमा "Remote sensing and GIS Applications in Agriculture and Environment" आरम्भ किया गया।
- विभिन्न फसलों की 10 किस्में/संकर किस्में प्रमाणित एवं विमोचित की गईं। ये हैं गेहूँ की डब्ल्यूएच 1,105, ड्यूरम गेहूँ की डब्ल्यूएचडी 948, बाजरा एचएचबी 234, मक्का संकर एचएम 12, तिल एचटी 9713 (एचटी–2), राया की आरएच 0749, ज्वार एचजे 541, बरसीम एचबी 2, लहसुन एचजी 17 एवं बैंगन एचएलबी 25 ।
- विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों का 20,587.41 क्विंटल बीज उत्पादित किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बागवानी के 16,399 एवं औषधीय पौधों के 7,327 पौधे बेचे गए।
- मौसम की सूचना के संदेश हिन्दी एवं अंग्रेजी में 50,000 से भी अधिक किसानों, कृषि अधिकारियों एवं अन्य हिस्सेदारों को भेजे गये।
- तरल जीवाणु खाद की कुल 2,20,648 यूनिट (50 मि.ली.प्रति) का उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध करवाया गया।
- बाजरा के मूल्य संवर्द्धित उत्पादों के लिए DKS incorporate हिसार और कम्बोज फूड्स, इन्द्री, करनाल के साथ MOU पर करार किया गया।

- कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र जो कि किसान सेवा केन्द्र के नाम से जाना जाता है अपनी "एकल खिड़की" द्वारा विश्वविद्यालय के उत्पादों एवं अन्य सामग्री को बेचता है। इस केन्द्र ने अप्रैल 13 से दिसम्बर 13 तक के समय के दौरान 73.46 लाख रुपए के विभिन्न फसलों के संशोधित बीज, जैव उर्वरक, खाद्य उत्पाद एवं शहद आदि बेचे।
- इस समय के दौरान 8,055 किसान जिनमें से 4,221 व्यक्तिगत सम्पर्क एवं 3,834 किसान मुफ्त हेल्पलाइन सेवा से लाभान्वित हुए।
- कृषि मेला (रबी)–2013 सितम्बर, 11–12, 2013 को आयोजित किया गया जिसमें किसानों को विभिन्न फसलों पर हुए प्रयोगों एवं अनुभवों को दिखाया गया। कृषि मेले का मुख्य आकर्षण एग्रो–इन्डस्ट्रियल प्रदर्शन था। हरियाणा राज्य एवं आसपास के राज्यों के 33,200 किसानों ने किसान मेले में शिरकत की। लगभग 44,69,370 रुपए के विभिन्न रबी फसलों के संशोधित बीज किसानों को उपलब्ध करवाए गए। इस अवसर पर 45,000 रुपए के फलों के पौधे भी बेचे गए। कृषि से सम्बन्धित 64,000 रुपए के विश्वविद्यालय प्रकाशन बेचे गये। 90,000 रुपए के जैव–उर्वरक किसानों को बेचे गए।
- 23 दिसम्बर, 2013 को किसान दिवस मनाया गया। हरियाणा के विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक किसानों और किसान महिलाओं ने किसान दिवस में भाग लिया। प्रत्येक जिले से एक किसान व किसान महिलाओं को इस अवसर पर कृषि के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त करने वाले 38 किसानों को सम्मानित किया गया। किसान दिवस के अवसर पर एक Mobile Diagnostic cum Exhibition Van का उदघाटन किया गया। यह वैन किसानों को "मृदा एवं जल स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रश्नों को उसी स्थान पर हल करके बताने" की सुविधा प्रदान करती है। इस वैन में न केवल मृदा एवं जल जांच के उपकरण स्थापित हैं बल्कि यह किसानों को उसी स्थान पर मृदा एवं जल की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस वैन में यात्रा कर रहे कृषि विशेषज्ञ जांच की रिपोर्ट के आधार किसानों को "वैज्ञानिक कृषि उपदेश" प्रदान करेंगे। इसके साथ ही इस वैन में विश्वविद्यालय द्वारा विकसित आधुनिक कृषि तकनीक का प्रदर्शन दिखाने के लिए आडियो विजुअल उपकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। संक्षिप्त में, भविष्य में यह वैन विश्वविद्यालय एवं किसान समुदाय के बीच की कडी को सशक्त बनाएगी।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड

4.45 हरियाणा भूमि सुधार एवम् विकास निगम लिमिटेड (एच.एल.आर.डी.सी लि0) की स्थापना वर्ष 1974 में किया गया। निगम की मुख्य कार्य कल्लर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादों की बिक्री एवं प्रमाणित बीज तैयार करना है। भूमि सुधार स्कीम व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम (आर.के.वी.वाई) के अर्न्तगत किसानों को जिप्सम 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार तिलहन, दालें, तेल व मक्की की समेकित योजना, (आईसोपोम) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्कीम (एन.एफ.एस.एम) के तहत 60 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम राज्य के किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है। दिसम्बर, 2013 तक निगम द्वारा 52,079 टन जिप्सम हरियाणा राज्य के किसानों को बेची गई है। 4,05,499 हैक्टेयर कल्लर भूमि में से 3,52,333 हैक्टेयर भूमि का अब तक सुधार किया जा चुका है और अनुमानित शेष कल्लर क्षेत्र का सुधार आगामी 8 से 10 वर्षो में कर लिया जायेगा। भारत सरकार के नवीनतम सर्वे के अनुसार जो वर्ष 2010 में किया गया है, हरियाणा राज्य में कुल 1,84,000 हैक्टेयर क्षेत्र कल्लर भूमि से प्रभावित है। वर्ष 2013–2014 में (दिसम्बर, 2013 तक) निगम द्वारा 13,532 टन यूरिया, 1,115 टन जिंक सल्फेट, 7,370 टन सिंगल सुपर फासफेट, 12,770 लीटर/किलोग्राम/यूनीट कीटनाशक/खरपतवार/फफूंदी नाशक तथा 1,530 क्विंटल प्रमाणित बीजो की ब्रिक्री हरियाणा राज्य के किसानों को की जा चुकी है।

वन

4.46 वन धरा पर जीवन का आधार है तथा शरीर में श्वसन तंत्र के समतुल्य है। इसलिए इनका संरक्षण नितांत आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण संसाधन का प्रबंधन दूरदर्शिता, नीति एवं लम्बी अवधि की योजना पर आधारित है। हरियाणा एक छोटा प्रदेश है जिसके 81 प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है। राज्य में सघन कृषिकरण है और प्राकृतिक वनों का अभाव है। राज्य का कुल वन क्षेत्र 1.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है। परंतु कम वन क्षेत्र की भरपाई के लिये राज्य में पंचायत भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषि भूमि पर कृषि–वानिकी का विकास किया गया है।

4.47 पिछले 5 वर्षों में गावों में अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए ग्रामीण तालाबों की खुदाई करके/गाद निकालकर और पुर्नउत्थान के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। विभिन्न गावों में लगभग 200 तालाबों

का पुर्नउत्थान पहले ही किया जा चुका है तथा आने वाले वर्षों में और अधिक तालाबों का पुर्नउत्थान किया जाएगा। इन तालाबों के सौन्दर्यकरण के लिए इनके चारों ओर पौधारोपण भी किया गया है और चालू वित्त वर्ष में भी और ज़्यादा गावों को शामिल करने के लिए यह कार्य लगातार किया जा रहा है।

4.48 भारतीय औषधीय प्रणाली के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, औषधीय पौधों की कृषि के प्रोत्साहन के लिए तथा खेती–बाड़ी में बदलाव हेतू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं। अब तक 40 हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं और 8 अन्य पार्क विकसित किये जा रहे हैं। कलेसर, मोरनी की पहाड़ियों और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में ईको–टूरिज़म परियोजना प्रारम्भ की गई है और इस वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ रूपये इस स्कीम के अर्न्तगत खर्च करने का प्रावधान है।

4.49 वर्ष 2008–09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए (कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लानल) एक नई योजना शुरू की गई है। इस स्कीम का मुख्य उदेश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर वाणिज्यिक कीमत वाले क्लोनल सफेदा और पापुलर के पौधे उगाना है। यह योजना राज्य की काष्ठ आधारित इकाईयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने में लम्बे समय तक सहयोगी सिद्ध होगी। इस योजना के तहत वर्ष 2013–14 में 26 करोड़ रूपये की लागत को प्रस्तावित किया गया है। वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 2010–11 से ''राजकीय/राष्ट्रीय उच्च मार्गों के साथ लगने वाली कृषि भूमि पर वानिकी का विस्तार'' नामक एक अन्य योजना शुरू की गई है। शैल्टर बैल्ट के रूप में उच्च मार्गों के साथ कृषि भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधारोपण के कार्य किये जा रहे हैं। पौधारोपण के बाद दो वर्षों तक विभाग द्वारा देखभाल का कार्य किया जाएगा। इस पौधारोपण की विभाग और किसानों द्वारा संयुक्त रूप से तीन वर्षों तक सुरक्षा की जाएगी। तीन वर्षों के बाद पौधारोपण किसानों को सौंप दिया जाएगा। अन्त में फसल का स्वामी किसान होगा। अन्तिम फसल की कटाई के बाद राज्य सरकार शैल्टर बैल्ट पर दोबारा पौधारोपण करके तीन वर्षों तक देखभाल करेगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना पर 9.5 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया है।

4.50 वन्य जीव जंतुओं के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। बीड़ शिकारगाह पिंजौर में गिद्धों को विलुप्ति से बचाने के लिये एक गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र काफी संख्या में गिद्धों को रखने में सफल रहा है तथा इस केन्द्र में प्रजनन कार्यक्रम के तहत् बच्चों का जन्म हुआ है। वन विभाग हरियाणा एवं बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने संरक्षण एवं प्रजनन में 2019 तक सहयोग के लिये एक सहमति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं।

4.51 यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुर्नस्थापन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों को पुर्नस्थापित करने का कार्य किया जायेगा जिससे इन्हे प्राकृतिक आवास दिया जा सके। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिये 90 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं। रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन में मोर तथा चिन्कारा के लिए एक संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस पक्षी तथा जानवर केन्द्र में प्राकृतिक ढंग से प्रजनन करवाया जायेगा और कोई भी कृत्रिम तरीका नहीं अपनाया जायेगा। 20 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना पर स्टाफ के वेतन सहित लगभग 20 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है।

पशुपालन एवं डेयरी

4.52 पशुपालन ग्रामीण लोगों की आय में सुधार लाने का मुख्य साधन है। विभाग ने दुधारू पशुओं की नस्ल व अनुवांशिक सुधार तथा रोग मुक्त रखने के कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। पशुधन गणना 2007 के अनुसार राज्य में 90.50 लाख पशुधन जिसमें 15.52 लाख गाय और 59.33 लाख भैंस हैं जिनकी देखभाल करने के लिए 2,799 पशु संस्थाएं राज्य में कार्यरत हैं। राज्य में औसतन प्रत्येक 3 गांवो में एक पशु संस्था है। इसके अतिरिक्त समान संख्या के गांव में पशुपालन प्रजनन सुविधायें प्रदान करने हेतू 1,145 सघन पशुधन विकास केन्द्र पीपीपी के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं।

4.53 राज्य में वर्ष 2012–2013 के दौरान 70.40 लाख टन दुग्ध का उत्पादन हुआ। वर्ष 2012–13 में हरियाणा राज्य 747 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के साथ देश में दूसरे उच्चतम स्थान पर है। राज्य में वर्ष 2012–13 के दौरान ऊन और अण्ड़ों का उत्पादन क्रमशः 13.70 लाख किलोग्राम तथा 42,343 लाख था।

4.54 मुर्राह भैसों तथा हरियाणा व साहीवाल गायों की नस्ल में अनुवांशिक सुधार लाने के साथ–साथ इनको संरक्षित करके इनकी संख्या में बढ़ोतरी लाई जायेगी। इस कार्यक्रम के अधीन उच्च–कोटि के पशुओं को चुना जायेगा ताकि उन चुनित भैंसो से भविष्य में प्रजनन कार्यक्रम के लिए एक 'जीन पूल'

बनाया जा सके। इसके साथ–2 पशुओं की उत्पादन क्षमता को कम से कम समय में अधिकतम स्तर तक ले जाने के लिए नवीनतम तकनीक लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। अधिकतम दुग्ध देने वाले मुर्राह भैसों के मालिकों को प्रोत्साहन के रूप में प्रतिदिन दुध उत्पादन के आधार पर 5,000 रूपये से लेकर 25,000 रूपये तक की राशि नकद प्रदान की जाती है और वर्ष 2013 –14 में प्रोत्साहन राशि, जो वर्ष 2014–15 में वितरित की जायेगी, को बढ़ाकर 10,000 रूपये से 30,000 रूपये प्रतिदिन दुध उत्पादन के आधार पर प्रदान की जाएगी।

4.55 इन पशु संस्थाओं में पशु रोग तथा जीवन रक्षक दवाइयॉ उपलब्ध करवाई जा रही है। विशेष पशु चिकित्सा सेवायें प्रदान करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्थानों पर पशु चिकित्सा पोलिक्लिनिक्स की स्थापना कर रही है। पॉच पोलिक्लिनिक्स जैसे सिरसा, भिवानी, सोनीपत, रोहतक व पंचकूला स्थानो पर स्थापित किये जा चुकें हैं। जींद और रेवाड़ी में पशुचिकित्सा पोलिक्लिनिक के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–2015 में 40 नये राजकीय पशुचिकित्सालय/राजकीय पशुऔशधालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

4.56 बेरोजगार युवको/युवतियों को डेयरी के माध्यम से वर्ष 2012–13 में 1,007 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस वर्ष के दौरान 1,200 डेयरी यूनिटस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके निर्माण का काय्र प्रगति पर है। उत्पादन बढ़ाने तथा दूध उत्पादन के लिए अच्छी गुणवता वाले पशु आहार दाना/चारा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयत्न जारी रहेंगे।

4.57 15 जिलों में एक पशु बीमा योजना स्कीम लागू की गई है जिसके अधीन प्रीमियम का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2013–14 में राज्य में एक नई योजना 'मुख्य मंत्री ग्रामीण दुधारू पशुधन सुरक्षा योजना' आरम्भ की गई है जिसमें किसानों के दुधारू पशुओं की अचानक मौत होने पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा और वर्ष 2014–15 के प्लान स्कीम बजट के अन्तर्गत 4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

4.58 राज्य में अनुसूचित जाति विशेष योजना के अन्तर्गत 2 दुधारू पशुओं की डेयरी, सूअर पालन व भेड़ पालन इकाईयां स्थापित करने के लिए यह योजना वर्ष 2014–15 चालू है। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 1,400 परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

मत्स्य पालन

4.59 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। मछली पालन के रूप में सहायक व्यवसाय राज्य के मछली किसानों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मछली पालने वाले किसानों को किसान विकास एजैंसी के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। सजावटी मछलियों की मांग को देखते हुए राजकीय मत्स्य बीज फार्म, सैदपुरा (करनाल) मे सजावटी मछली बीज उत्पादन की हैचरी का निमार्ण किया गया है। सरकार ने मछिलयों की खाद्य खुराक और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए वैट माफ कर दिया है। मत्स्य क्षेत्र से जुडे किसानों को बिजली की दर वर्ष 2009–10 से कम करके कृषि क्षेत्र के समान 0.10 पैसे प्रति युनिट की गई है। मछली उत्पादन वर्ष 2011–12 में 1,06,000 टन से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 1,11,480 टन हो गया है। 31 दिसम्बर, 2013 तक 79,416.10 टन का मछली उत्पादन तथा 4,464.46 लाख मछली बीज संचित किया गया है। मत्स्य उत्पादन के मण्डीकरण की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण करण हेतू 84 लाख रूपये की लागत से बहादुरगढ तथा गुडगांव में नई मत्स्य मण्डियों की स्थापना प्रस्तावित है। बहादुरगढ मत्स्य मण्डीं का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सरकार द्वारा हिसार के Lala Lajpat Rai University of Veterinary & Animal Science में मत्स्य महाविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित है। सरकार द्वारा मत्स्य पालकों को सामुदायिक तालाबों/ग्रामीण तालाबों को मछली पालन के लिए पट्टे की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई है। हरियाणा राज्य वर्ष 2012–13 के दौरान मत्स्य उत्पादकता मे 5,700 कि0ग्रा/हैक्टेयर/वर्ष की दर से भारत वर्ष मे द्वितीय स्थान पर रहा, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2013–14 मे 5,800 कि0ग्रा0/हैक्टेयर/वर्ष किया जायेगा।

****

5

उद्योग क्षेत्र

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में औद्योगिकरण की एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह राज्य की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है जिसके कारण उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होने से औद्योगिक क्षेत्र के राज्य घरेलू उत्पाद के अशंदान में वृद्धि होती है। एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में से एक है। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, विनिर्माण तथा बिजली क्षेत्रों के लिए आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जाता है। सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 के अनुसार वर्ष 2011–12 में 171.2 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 179.3 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई **आकृति 5.1** में दर्शायी गयी है।

5.2 विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2011–12 के 165.9 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 173.6 हो गया जो 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र का सूचकांक गत वर्ष की तुलना में 5.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि यह वर्ष 2011–12 के 230.4 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 243.5 हो गया। क्षेत्रों का उत्पादन सूचकांक **अनुलग्नक 5.1 व 5.2** तथा **आकृति 5.2** में दर्शाया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के मुख्य वर्गो एवं उपभोग आधारित श्रेणियों में 2005–06 से 2012–13 की अवधि में हुई वृद्धि **तालिका 5.1** मे निम्न प्रकार से हैः–

तालिका 5.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं इसके मुख्य संघटकों में हुई वृद्धि

(आधार वर्ष 2004–05=100)

वर्ष	विनिर्माण	विद्युत	आधारभूत पदार्थ	पूंजीगत पदार्थ	मध्यवर्ती पदार्थ	उपभोक्ता पदार्थ	सामान्य
2005-06	7.5	16.6	6.7	7.2	8.0	9.9	8.2
2006-07	10.4	10.2	6.6	22.8	6.2	8.1	10.4
2007-08	6.4	3.5	4.9	12.3	6.7	2.4	6.2
2008-09	2.5	16.5	11.7	-2.8	3.9	3.3	3.7
2009-10	12.0	13.8	13.1	21.9	11.3	5.3	12.1
2010-11	10.3	2.7	4.1	20.3	5.0	8.0	9.5
2011-12	3.9	27.3	18.7	-3.4	9.2	3.6	6.0
2012-13	4.6	5.7	13.8	-6.7	7.2	5.3	4.7

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

5.3 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधारभूत पदार्थो के उद्योगों जैसे चादरें/स्ट्रिप्स, छड़ें, पीतल की चादरें, प्लेटें, ढलाई, सेरेमिक टाईल्स, टयूब और पाईप, चिकनाई युक्त तेल तथा विद्युत उत्पादन का सूचकांक वर्ष 2011–12 में 186.4 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 212.2 हो गया, जिसमें 13.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

5.4 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पूंजीगत पदार्थो के उद्योगों जैसे मशीनरी, बिजली का मीटर, मोटर कार, चीनी मशीनरी, खोदने की मशीन तथा सभी प्रकार की तारें आदि का सूचकाक वर्ष 2011–12 में 203.5 से घटकर वर्ष 2012–13 में 189.9 हो गया जिसमें 6.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

5.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मध्यवर्ती पदार्थो के उद्योगों जैसे बिजली इन्सूलेट सामग्री, नट बोल्ट, पेच और वाशर, सभी प्रकार के सूती धागे, कच्चा धागा, गत्ता, मोटर वाहन के लिए भागों और सहायक सामग्री तथा सूती कपड़ा और सभी प्रकार के कपड़े इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2011–12 में 162.2 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 173.8 हो गया, जोकि 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

5.6 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक उपभोक्ता पदार्थो के उद्योगों का सूचकांक वर्ष 2011–12 में 148.1 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 156.0 हो गया जिसमें 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता टिकाऊ पदार्थ उद्योग जैसे लकड़ी की खिड़की/दरवाजे, पोल और ककंरीट के खम्भे, एयर कंडीशनर, कैब/कार के टायर तथा स्टैप्लर इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2011–12 में 173.9 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 179.0 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता गैर–टिकाउ पदार्थो जैसे खाद्य तेल, खल, बिनौला, सभी प्रकार का चावल, मिश्रित मसाले तथा चीनी इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2011–12 में 130.2 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 140.0 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 में विभिन्न औद्योगिक समूहों वर्गो के दौरान दो अंकों के स्तर पर हुई वृद्धि नीचे **अनुलग्नक 5.3** में दी गई है।

उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

5.7 उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण दीर्धकालिक आधार पर इस क्षेत्र में हुई वृद्धि का महत्वपूर्ण सूचक है। अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा द्वारा उद्योग क्षेत्र में हुई वृद्धि का विकास को आंकलन करने के लिए सकल स्थाई निर्माण के अनुमान वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण का अंश जिसमें विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस व जलपूर्ति आते हैं, 2004–05 में 55.4 प्रतिशत था जोकि लगातार बढ़कर 2008–09 में 58.9 प्रतिशत हो गया है जिसमें 2009–10 में थोड़ी सी कमी के कारण 52.9 प्रतिशत रह गया। परन्तु उसके बाद वर्ष 2010–11 में पुनः 59.0 प्रतिशत तथा 2011–12 में 59.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है।

औद्योगिक विकास

5.8 हमारे राज्य ने एक पसन्दीदा निवेश गन्तव्य के रूप में अपनी स्थिति को निरन्तर बरकरार रखा है। हरियाणा ने प्रतिबद्ध निवेश के क्रियान्वयन की दर की देश में उच्चतम स्तर तक बनाए रखा है। वर्ष 2005–13 के दौरान 3,45,783 लोगों को रोजगार की संभावना तथा 43,663.59 करोड़ रूपये के निवेश के कुल 1,141 आई.ई.एम., भारत सरकार के पास पंजीकरण करवाये, जिसमें से 2,17,077 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ 29,182.02 करोड़ रूपये के निवेश की 907 आईईएम क्रियान्वित हुए। अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर बाजार की अनिश्चितता तथा अस्थिरता के बावजूद 2005 से राज्य में 64,000 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है और लगभग 1,00,000 करोड़ रूपये का निवेश पाइप लाइन में है। राज्य ने अब तक 13,129 करोड़ रूपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है, जिसमें से 9,629 करोड़ रूपये का निवेश औद्योगिक नीति, 2005 के लागू होने के बाद आया है। राज्य से कुल निर्यात 2011–2012 के दौरान 54,991 करोड़ रूपये से बढ़कर 2012–2013 के दौरान 59,806 करोड़ रूपये हो गया जिसमें 8 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की है।

5.9 हरियाणा ने वर्ष 2013 को 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। यह मानते हुए कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) में रोजगार देने की व्यापक संभावना है और ये विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ हैं, सरकार ने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की सहायता करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए समूह विकास योजना के तहत सार्वजनिक–निजी भागीदारी में सांझा सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) स्थापित करने की नीति अपनाई है। सांझा सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु ऐसे कुल 29 कलस्टर चिन्हित किये गए हैं। 19 कलस्ट्र्स के सम्बन्ध में डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट्स (डी.एस.आर.) तैयार की गई हैं तथा भारत सरकार को समीक्षा के लिए भेजी गई है, जिनमें से भारत सरकार द्वारा सांझा सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु (एक बहादुरगढ़, पानीपत, सोनीपत तथा तीन करनाल में) 6 कलस्टर अनुमोदित किये गए हैं। चार अतिरिक्त सांझा सुविधा केन्द्र भविष्य में अनुमोदित हो जाने की संभावना है। इन कलस्टरों से एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुसाध्य बनाने के लिए एक संस्थागत सहायता तंत्र विकसित होगा तथा अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता, उत्पादों के मानकीकरण, गुणवता परीक्षण और अंकन सुविधा, उत्पादों के ब्रांड को बढ़ावा देने के साथ विपणन पहल इत्यादि के क्षेत्रों में, सांझा जरूरतें पूरी होंगी। यह पहल सामाजिक पूंजी सृजित करने के उद्देश्य से की गई है ताकि सामूहिक कार्य को मजबूत किया जा सके, जिससे अर्थव्यवस्था, ऋण सुविधा, प्रौद्योगिकी उन्नयन, ब्रांड के निर्माण तथा विपणन पर दूरगामी प्रभाव पड़े।

5.10 औद्योगिक विकास रोजगार सृजन करता है तथा हमारे नवयुवकों की रोजगार योग्यता, उचित कौशल विकास उपायों के माध्यम से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए अनेको संस्थाओं की स्थापना करके तकनीकी एवं कुशल मानव शक्ति को विस्तृत संख्या में सृजन करने के लिए कदम उठा रहे हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने

आकृति 5.1 – हरियाणा का औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक
(आधार वर्ष 2004–2005=100)

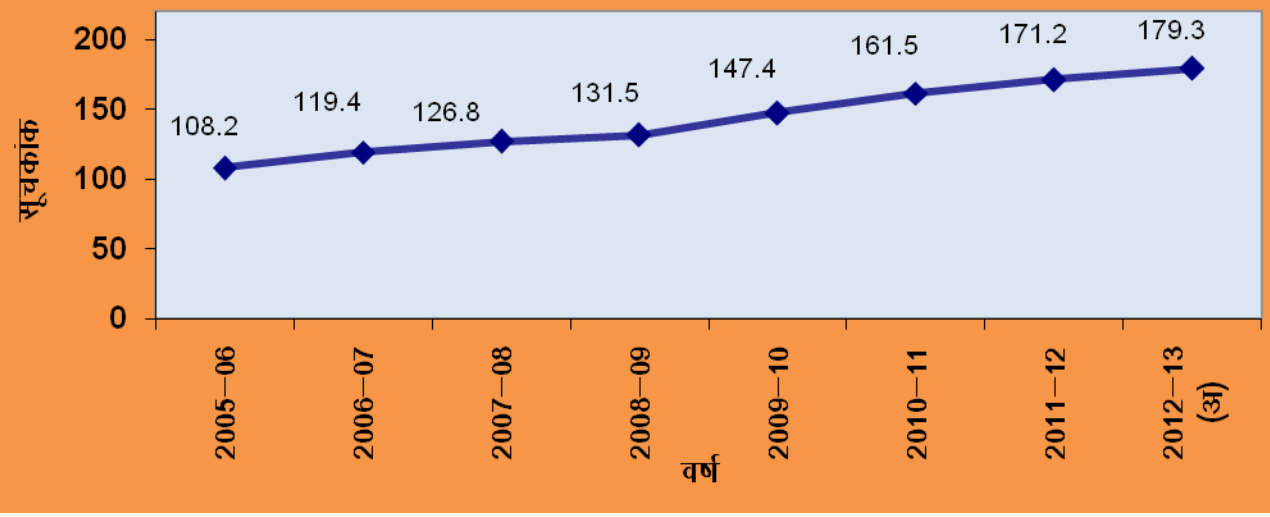

आकृति 5.2 – हरियाणा का औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र–वार सूचकांक
(आधार वर्ष 2004–2005=100)

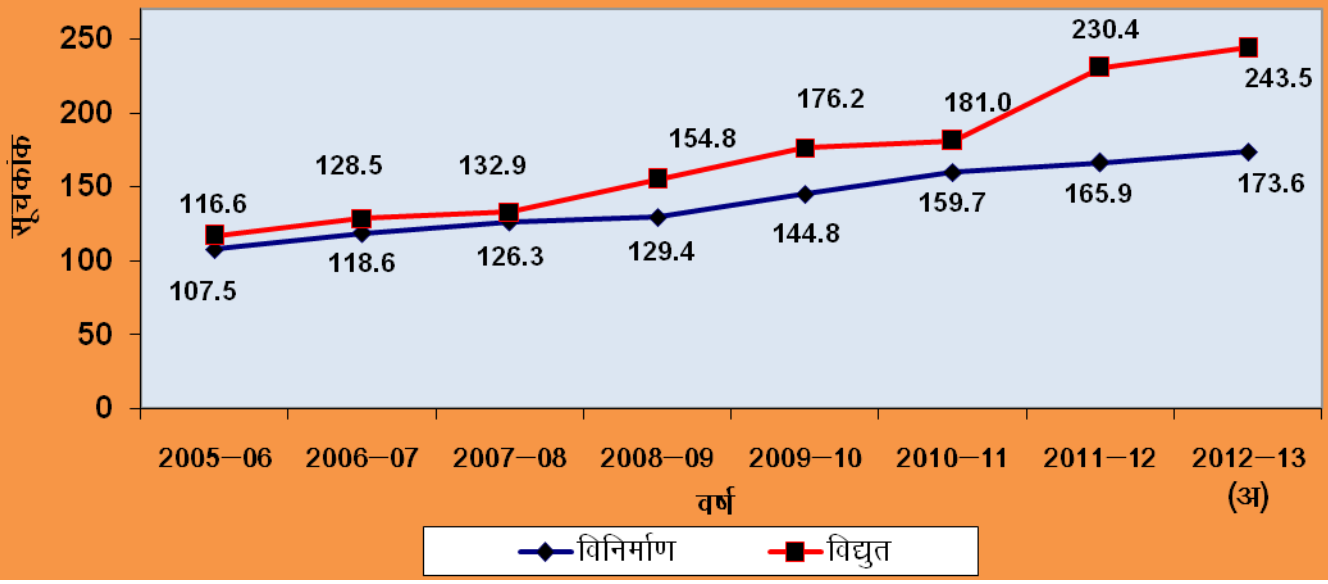

टूलरूम और टैक्नोलॉजी केन्द्र, की दो परियोजनाओं आई.एम.टी रोहतक तथा औद्योगिक ग्रोथ केन्द्र साहा में स्वीकृत की है जिसमें प्रत्येक परियोजनाओं में 100 करोड रूपये से अधिक पूंजी निवेश होगी। राज्य सरकार तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) ने अपनी भागीदारी के रूप में इन परियोजनाओं के लिए भूमि प्रदान की है। एक टक्नोलॉजी केन्द्र में 10,000 परीक्षार्थी को प्रति वर्ष विभिन्न दीर्घकालीन और लघुकालीन कोंसों में परिसिज़न टूलिंग प्रशिक्षण दिया जायेगा और एम.एस.एम.ई क्षेत्र की सहायता के लिए परिष्कृत मोलड, डाईज़, टूल्ज और उपकरणों के डिजाईन तथा विकास के साथ–साथ सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं देगा। इसके अतिरिक्त, एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने आई0एल0 और एफ एस कलस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ एक मैमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैडिंग किया है ताकि उन भू–स्वामियो के आश्रितों की कुशलता और रोजगार योग्यता को और बढ़ाया जा सके जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई है। फरीदाबाद तथा रोहतक जिलों में 500 से अधिक विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों ने कम्प्यूटर शिक्षा एवं अंग्रेजी बोलने, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं अनुरक्षण तथा सिलाई मशीन परिचालनों में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

5.11 औद्योगिक पूंजी निवेश आकर्षित करने में योजनाबद्ध औद्योगिक संरचना की उपलब्धता एक अहम भूमिका अदा करती है। हमारे भूमि अधिग्रहण एवं आर एण्ड आर नीति, जो देशभर मे पहले ही अनुकरणीय नीति के रूप में स्वीकृत की गई है, की निरन्तरता में हमने अगस्त 2012 से एक 'लैण्डपूलिंग स्कीम' भी लागू की है जिसमें भूमि स्वामी किसानों को विकास प्रकिया में सहभागी बनने का एक अवसर दिया है। अधिग्रहण की गई प्रत्येक एकड़ भूमि देने के लिए भू–स्वामी किसान को इस योजना के अन्तर्गत 1,200 वर्ग गज का एक विकसित औद्योगिक प्लॉट लेने का विकल्प दिया है।

5.12 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप तथा औद्योगिक पार्कों के विकास तथा वर्तमान सम्पदाओं के विस्तार के माध्यम से राज्य में औद्योगिक संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। फरीदाबाद, रोहतक तथा रोज–का–मेव, मेवात में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जा रही है। पानीपत में एक नई औद्योगिक सम्पदा के अतिरिक्त आई.एम.टी मानेसर, आई.एम.टी. बावल, औद्योगिक सम्पदा कुण्डली, औद्योगिक सम्पदा बड़ी का चरण–3, करनाल में औद्योगिक सम्पदा, बरवाला तथा मानकपुर के चरण–2 में भी औद्योगिक सम्पदाओं का विस्तार किया गया है। खरखोदा में नया औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने के लिये लगभग 3,200 एकड भूमि का अधिग्रहण किया गया है। भारत सरकार ने मेवात में एक मेगा लेदर पार्क की स्थापना के लिए अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने दिसम्बर, 2013 तक भूमि अधिग्रहण तथा विकास कार्यों के लिये 1,802 करोड रूपये पहले ही खर्च कर लिये है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. श्रम हेतु आवास, फलैटिड फैक्ट्रियों तथा कुशलता विकास की परियाजनाओं द्वारा कियान्वयन प्रकियाधीन है।

5.13 राज्य में औद्योगिक संरचना के सृजन तथा विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक कॉलोनियों के विकास हेतू 3 लाईसैंस दिए गए हैं। औद्योगिक संरचना के विकास के लिए सरकार की नोडल एजैंसी के रूप में एच.एस.आई.आई.डी.सी. के सहयोग के लिए एक संपूरक प्रयास के रूप में यह एक अच्छी शुरूआत है। औद्योगिक रूप से पिछडे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करने के लिए तथा क्षेत्र के अधिकतर भूमि स्वाामियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के दृष्टिगत जिला सोनीपत की तहसील गोहाना के गांव लाठ, जोली, बिढ़ल, तथा भैंसवाल कलां में पी.पी.पी. आधार पर एक ग्रीन फील्ड औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के विकास के लिए लगभग 5,800 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए एक प्रमुख पहल की गई है।

5.14 दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के अर्न्तगत कई आधारभूत संरचना विकास की योजनाएं हैं, जिसके लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. नोडल एजेन्सी है। इन पहलों से राज्य में भारी मात्रा में निवेश के अवसर खुलने की संभावना हैं। निगम ने अब तक 2,097.71 करोड़ रूपये के सावधि ऋण की मंजूरी दी और 31–12–2013 तक 1,159.84 करोड़ रूपये वितरित किए है। वर्ष 2013–14 के दौरान एच0एस0आई0आई0डी0सी0 ने 100 करोड़ रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 64.25 करोड़ रूपये तक की सीमा ऋण की मंजूरी दी है और 50 करोड़ रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 46.86 करोड़ रूपये वितरित किए है। निगम ने 31–12–2013 तक मूलधन और ब्याज की वसूली के सम्बन्ध में 50 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले में 33.67 करोड़ रूपये की प्राप्ति करने में सफल रहा है।

कृषि उद्योग

5.15 हरियाणा कृषि उद्योग निगम सीमित (एच.ए.आई.सी.) किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, ट्रैक्टर, स्प्रे पैम्प तथा अन्य कृषि मशीनरी आदि उचित मूल्य पर प्रदान करती है।

हरियाणा खादी एंव ग्रमोद्योग

5.16 भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) की उद्घोषणा की। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। इस योजना के अर्न्तगत आर्थिक रूप से सक्ष्म परियोजनाओं के लिए एक बार मार्जिन मनी सहायता (अनुदान) प्रदान की जाती है। बोर्ड का प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केवल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि खादी ग्रामोद्योग सैक्टर के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं का समन्वित रूप है। इस योजना के तहत अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) सामान्य जाति हेतु प्रदान किया जाता है जहाँ तक कमजोर वर्ग के लाभग्राहियों जैसे अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से अक्षम/भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक समुदाय के लाभग्राही इत्यादि का सम्बन्ध है, इन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये की परियोजना के लिए 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान देने का प्रावधान है।

5.17 वर्ष 2012–13 में बोर्ड द्वारा 248 केसों, के लिए 569.56 लाख रूपये मार्जिन मनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बोर्ड के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 226 केसो, जिनमें 343.95 लाख रुपये मार्जिन मनी (इमदाद) निहित है, बैंकों के माध्यम से वितरित की जा चुकी है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में बोर्ड द्वारा 789 केसो के लिए 930.38 लाख रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने निर्धारित लक्ष्य के विरुध 818 केस, जिसमे 1,949.94 लाख रुपये मार्जिन मनी (सब्सिडी) निहित है विभिन्न बैंको को सपोन्सर किये गये तथा बैंको द्वारा 262 केस स्वीकृत किए गए है। इन केसों में 10–2–2014 तक 540.20 लाख रुपये मार्जिन मनी निहित है।

5.18 बोर्ड के अधीन इकाईयों द्वारा वर्ष 2012–13 में 73,000.78 लाख रूपये का उत्पादन तथा 63,075.54 लाख रूपये की बिक्री से 50,844 व्यक्तियों को पूर्ण समय के लिये रोजगार दिया गया है, जिन्होंने 13,713.26 लाख रूपये मजदूरी के रूप में अर्जित किये। बोर्ड ने वर्ष 2012–13 में खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा सी.बी.सी. स्कीम के अर्न्तगत 59.90 लाख रुपये तथा वर्ष 2013–14 में दोनो स्कीमो में 23.41 लाख रुपये वसुली ऋणियो से की गई है। वर्ष 2012–13 के दौरान बोर्ड द्वारा 88 खादी संस्थाओ को 139 लाख रुपये खादी छूट की राशि वितरीत की गई तथा वर्ष 2013–14 में 92 संस्थाओ को 317.53 लाख रुपये खादी छूट की राशि वितरित की गई हैं।

खान एवं भूविज्ञान

5.19 हरियाणा राज्य किसी बड़े खनिज के महत्वपूर्ण भण्डारों के लिये नहीं जाना जाता क्योंकि ओद्यौगिक उपयोग में उपयोग होने वाले प्रमुख खनिज बहुतायत में नहीं पाए जाते हैं तथा इसकी ज्यादातर खनन गतिविधियां लघु खनिजों जैसा की पत्थर, रोड़ी, रेत इत्यादि तक ही सीमित हैं, जोकि मुख्य तौर पर निर्माण उद्योग में प्रयोग किया जाता है।

खनिज गवेशण

5.20 खनिजों का गवेशण सम्बधित कार्य तीन विभिन्न ऐजैन्सियों अर्थात् स्वंय विभाग द्वारा राज्य द्वारा सुझाए गये स्थानों पर राज्य और केन्द्रीय भूवैज्ञानिक योजना के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा और केन्द्रीय अधिनियम 1957 की शर्तों के अर्न्तगत निजी ऐजैन्सियों को प्रोसपक्टिंग करने का लाईसैंस (पर0एलस0)प्रदान करके किया जाता है।

लघु खनिज

5.21 राज्य में खनन कार्य मुख्य तौर पर पत्थर, रोड़ी, बजरी, रेत तथा स्लेट इत्यादि लघु खनिजों के खनन तक ही सीमित है जो निर्माण सामग्री के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। पहले पंजाब लघु खनिज अनुदान नियम 1964, जोकि समय–समय पर संशोधित किये गये है कि शर्तें एवम् नियम के अनुसार खनन अनुदान में छूट (ठेके और पट्टे इत्यादि) प्रदान किये जाते थे अब हरियाणा सरकार की अधिसूचना 20–6–2013 के अनुसार "हरियाणा लघु खनिज, स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012" के अनुसार अधिसूचित कर दिये है। खनन पट्टे/खनन ठेके/परिमिट खुली नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था द्वारा प्रदान किये जाते है।

5.22 सोनीपत एंव पानीपत जिलों के दो रेत के ठेकों तथा रेवाड़ी जिले के बड़े खनिज की एक स्लेट खान के अतिरक्ति सम्पूर्ण राज्य में सभी खनन गतिविधियां मार्च, 2010 से ठहर गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों के कारण राज्य में खनन से सम्बधित पैदा गतिरोध की स्थिति की वजह से निर्माण एंव विकास परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की कानूनी चुनौती थी। मामलों

का गम्भीरता से अध्ययन करने उपरांत, राज्य में मास अक्तूबर, 2013 में इन मामलों को निपटाया जा सका। विभाग द्वारा मास दिसम्बर, 2013 में 42 लघु खनिज खानों की सफलतापूर्वक निलामी की गई राज्य में इन कुल 42 खनन युनिटों से राज्य को 2,133.93 करोड़ रूपये की आकर्षक वार्षिक बोली प्राप्त हुई, जोकि सराहनीय है। हालांकि, वास्तविक खनन गतिविधियां प्रारम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेने के कारण कुछ समय लग सकता है।

खनन से राजस्व

5.23 माननीय उच्च न्यायालय एंव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित कानूनी चुनौतियों के कारण पूर्ण वर्ष खनन गतिविधियां लगभग बंद रही, वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2013 तक 58.48 करोड़ रूपये का राजस्व इकट्ठा हो सका। खान एंव भू–विज्ञान का राजस्व, वर्ष 2003–04 से लेकर दिसम्बर, 2013 तक का विवरण **तालिका 5.2** मे दिया गया है।

तालिका 5.2–खनन/खनिजों से राजस्व प्राप्ति (2003–04 से 2012–13)

क्रम संख्या	वर्ष	(रूपये करोड़ में)
1.	2003–04	77.67
2.	2004–05	92.04
3.	2005–06	153.34
4.	2006–07	136.26
5.	2007–08	215.70
6.	2008–09	195.42
7.	2009–10	248.66
8.	2010–11	56.10
9.	2011–12	128.26 *(87.39)
10.	2012–13 (दिसम्बर 2013 तक)	**58.48**

स्त्रोतः खान एवं भूविज्ञान विभाग, हरियाणा।

*(वित्त वर्ष 2011–12 मे राजस्व 128.26 करोड रूपये की बजाय 87.39 करोड़ रूपये था क्योंकि जून और अगस्त, 2011 में खनिज बोलियां रद्द होने के कारण असफल बोली दाताओं को उनके 40.87 करोड़ रूपये वापिस करने पडे)।

आबकारी एवं कराधान

5.24 आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सभी मदों के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के लक्ष्य 23,855.41 करोड़ रूपये के विरूद्व दिसम्बर 2013 तक 16,285.23 करोड़ रुपये राजस्व एकत्रित किया, जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.19 प्रतिशत अधिक है। आबकारी मद के अंतर्गत दिसम्बर, 2013 तक 2,829.66 करोड़ रुपये एकत्रित किए गये, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.13 प्रतिशत अधिक है।

5.25 हरियाणा राज्य में आबकारी नीतियों में किऐ गये निरन्तर प्रयासो के कारण, विभाग ने सफलतापूर्वक पारदर्शी निविदा प्रणाली के माध्यम से आंवटित शराब वैन्ड्स द्वारा शराब माफिया को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल किया है। इस वर्ष से नीति बनाने के कार्य में अधिक स्थिरता लाने के लिए आबकारी नीति एक वर्ष की बजाय दो वर्ष की लम्बी अवधि के लिए बनाई गई है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान उठाये गये नये कदम

5.26 माल जिस पर अन्यथा लागू कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक है जब कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैंट को बेचा जाए जो आगे कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैंट द्वारा सीधे अथवा प्राधिकृत कैन्टीन संविदाकारों द्वारा अथवा यूनिटो द्वारा चलाई जा रही कैन्टीनों द्वारा सेवारत सैनिक कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों को बेचा जाता है पर कर की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी है। ऐसी ही रियायत केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को भी प्रदान की गई है।

5.27 फार्म वैट डी–3 चालान (आवक एंव जावक) फार्म जो कि सामान्यतः एस0 टी0–38 फार्म कहलाये जाते हैं को 1–1–2014 से खत्म कर दिया है। 1–1–2014 से पंजीकृत व्यापारी द्वारा कैश मीमो जारी करने की सीमा को 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जा चूका है जिसके लिए हरियाणा वैट नियमों का संशोधन किया जा रहा है। निजि स्कूलों की गैर–वातानुकुलित बसों पर यात्राी कर माफ कर दिया गया है।

5.28 व्यापारियों को जल्द वापसी की सुविधा देने के लिए अधिकारियों को 1–5–2013 से निम्नानुसार शक्तियां प्रदान की गई है:–

1	मुख्यालय में तैनात विभाग की और से तीन वरिष्ठतम् अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से मिलकर बनी समिति तथा सदस्य सचिव के रुप में संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (कर) शामिल हैं। इन अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से वरिष्ठतम् अध्यक्ष होगा।	पच्चीस लाख रूपये से अधिक
2	रेंज का भारसाधक अधिकारी	पच्चीस लाख रूपये तक
3	जिले का भारसाधक अधिकारी	दस लाख रूपये तक
4	आबकारी तथा कराधान अधिकारी या सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी	एक लाख रूपये तक

5.29 25 जून, 2013 को विभाग द्वारा व्यापारियों तथा नागारकों की सुविधा के लिए टोल फ्री सर्विस (1800–180–2017) तथा Public Redressal Portal (www.haryanatax.com) का आरम्भ किया गया है। अब डीलरों के सभी प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों को इस तन्त्रा के माध्यम से सुना जा रहा है ओर तुरन्त उचित कारवाई की जा रही है।

5.30 विभाग के कर प्रकिया की कम्पयूटरराईजेशन के लिए M/s Wipro Ltd. को सिस्टम इन्टैगेरेटर के रुप में चूना गया है। M/s Wipro Ltd. सभी व्यापारियों के लिए एक वास्तविक समय के आधार पर 26 ई–मोडयूल बनायेगी जिसमें ई–पंजीकरण, ई–वापसी, ई–भूगतान, ई–रिकवरी तथा ई–फार्म इत्यादि ऑनलाईन सेवाएं देगें। यह सुविधा विभाग एवं व्यापारियों के बीच में परेशानीमुक्त सूचनाओं का आदान–प्रदान करने में सहायक रहेगी और कर चोरी की घटनाएं भी कम होगी।

***

6

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा स्थिर कीमतों पर वर्ष 1966–67 में 22.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 56.7 प्रतिशत हो गया। इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी की कीमत पर हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है और यह अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियादि ढांचे के करीब ले जाता है (विकसित अर्थव्यवथा में, सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रमुख होती है, जबकि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रहती है)। नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना (1997–98 से 2006–07), की अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में 11.0 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से अपेक्षाकृत अधिक थी। सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर उसी समयावधि के दौरान समग्र सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर से लगातार अधिक थी। इस क्षेत्र का विकास अन्य दो क्षेत्रों के विकास की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) की अवधि के दौरान भी सेवा क्षेत्र में अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में तेज एवं तुलनात्मक रूप से स्थिर विकास का रूझान जारी रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 और 2011–12 के दौरान सेवा क्षेत्र नें क्रमशः 13.6, 11.6, 17.0, 9.2 और 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो कि कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों की इसी समयावधि के दौरान दर्ज की गई कम और अस्थिर विकास दर क्रमशः –0.1, 7.2, –1.4, 5.2 तथा 7.4 प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्र की अस्थिर वृद्धि दर क्रमशः 6.6, 3.5, 11.4, 5.6 तथा 2.8 प्रतिशत की तुलना में शानदार थी।

सेवा क्षेत्र का विकास

6.2 अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान साधन लागत पर चालू एवं स्थिर कीमतों (2004–05) पर तैयार करता है। द्रुत अनुमान के आधार पर सेवा क्षेत्र से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर वर्ष 2012–13 के दौरान 1,81,528.17 करोड रूपये अनुमानित किया गया है। इसी क्षेत्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012–13 में 1,06,567.76 करोड रूपये 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया है। वर्ष 2012–13 में 9.8 प्रतिशत की शानदार विकास दर परिवहन (9.9 प्रतिशत) बैकिंग और बीमा (20.0 प्रतिशत) अचल सम्पत्ति, आवास का मालिकाना हक इत्यादि में (12.0 प्रतिशत) और अन्य सेवाएं (13.0 प्रतिशत) की अधिक विकास दर के कारण हुई। वर्ष 2012–13 के दौरान इस क्षेत्र की विकास दर (9.8 प्रतिशत) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में दर्ज की गई विकास दर क्रमशः (–)0.7 एवं 4.5 प्रतिशत से कहीं अधिक रही है।

6.3 राज्य के सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की वर्षवार विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षो के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में दर्ज की गई 10.3, 10.0, 10.5, 9.7 तथा 6.6 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक थी। वर्ष 2012–13 में राज्य के सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर भारतीय विकास दर (7.0 प्रतिशत) ज्यादा थी। इस प्रकार राज्य के सेवा क्षेत्र ने भारत की तुलना में 11वीं पंचवर्षीय योजना से सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न उप–क्षेत्रों का योगदान अब तक की अवधि के दौरान कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है।

राज्य के आर्थिक सूचकांक अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा तैयार राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान पर आधारित तथा देश के आर्थिक सूचकांक केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, नई–दिल्ली द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान पर आधारित हैं।

सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न उप–क्षेत्रों का योगदान

6.4 सेवा क्षेत्र की चार श्रेणियों में व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेन्ट सबसे बड़ा समूह था और इसका राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान था। वित्त, बीमा एवं रियल एस्टेट दूसरा सबसे बड़ा समूह था। इसके बाद परिवहन, भंडारण तथा संचार सेवा क्षेत्र एवं सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र का योगदान था। इन चारों क्षेत्रों की 11वी पंचवर्षीय योजना तथा बाद के वर्षों के दौरान स्थिर कीमतों (2004–05) के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी को **तालिका 6.1** में दिखाया गया है।

तालिका 6.1–सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों की राज्य सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

उप क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 अ.	2012–13 द्रु.
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट	18.4	19.2	20.7	22.2	22.4	22.2
परिवहन, भण्डारण एवं संचार	9.2	9.0	8.8	8.6	8.7	8.9
वित्त, बीमा, एव अचल सम्पत्ति	13.8	13.9	14.2	14.0	15.5	16.7
सामुदायिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	7.4	8.3	9.0	8.7	8.5	8.8

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।
अः अनन्तिम, द्रु.: द्रुत अनुमान

6.5 स्थिर (2004–05) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट की हिस्सेदारी वर्ष 2007–08 में 18.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 22.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त, बीमा एवं अचल संपत्ति समूह की हिस्सेदारी वर्ष 2007–08 में 13.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 16.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र का योगदान भी 2007–08 में 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 8.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सेवा क्षेत्र के अन्य उप क्षेत्रों का विकास

व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट

6.6 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र समूह ने वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 और 2011–12 के दौरान दो अंकों क्रमशः 16.3, 13.0, 20.8, 14.9 तथा 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है **(तालिका 6.2)**। द्रुत अनुमान वर्ष 2012–13 के आधार पर व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट क्षेत्र से स्थिर (2004–05) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद 41,722.86 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया जिसकी वर्ष के दौरान विकास दर 5.4 प्रतिशत दर्ज की गई।

तालिका 6.2– उप क्षेत्र अनुसार सेवा क्षेत्र का विकास

(प्रतिशत)

उप क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 अ.	2012–13 द्रु.
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट	16.3	13.0	20.8	14.9	8.9	5.4
परिवहन, भण्डारण एवं संचार	13.9	5.4	9.9	4.9	7.9	10.0
वित्त, बीमा, एवं अचल सम्पत्ति	13.3	8.8	13.9	6.4	18.8	15.3
सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	7.7	20.9	21.1	4.4	4.6	10.9
कुल सेवा क्षेत्र	**13.6**	**11.6**	**17.0**	**9.2**	**10.7**	**9.8**

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।
अः अनन्तिम, द्रु.: द्रुत अनुमान

परिवहन, भण्डारण और संचार

6.7 वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान परिवहन, भण्डारण एवं संचार उप क्षेत्र में 13.9, 5.4, 9.9, 4.9 तथा 7.9 प्रतिशत की अस्थिर विकास दर दर्ज की गई। वर्ष 2012–13 के द्रुत अनुमानों के आधार पर परिवहन भण्डारण तथा संचार उप क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद

स्थिर (2004–05) कीमतों पर 16,801.04 करोड़ रूपये दर्ज किया गया है जोकि 10.0 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्त और रियल एस्टेट

6.8 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 वर्षों (2007–08 से 2011–12) के दौरान वित्त एवं रियल एस्टेट में 13.3, 8.8, 13.9, 6.4 तथा 18.8 प्रतिशत की अस्थिर विकास दर दर्ज की गई है। वर्ष 2012–13 के द्रुत अनुमानों के आधार पर इस क्षेत्र में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद स्थिर (2004–05) कीमतों पर 31,469.84 करोड़ रूपये दर्ज किया गया है।

सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा

6.9 वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र में क्रमशः 7.7, 20.9, 21.1, 4.4 तथा 4.6 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई। वर्ष 2012–13 के द्रुत अनुमानों के आधार पर सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद स्थिर (2004–05) कीमतों पर 16,574.02 करोड़ रूपये दर्ज किया गया जो 10.9 प्रतिशत की वृद्वि को दर्शाता है।

***

7

विद्युत, आधारभूत सुविधाएं, परिवहन एवं भण्डारण

सतत आर्थिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का महत्व सर्वमान्य है। वास्तव में यह आर्थिक वृद्धि और विकास की एक मुख्य कुंजी है तथा अर्थ–व्यवस्था को ईंधन प्रदान करने में सक्ष्म है। अपर्याप्त और अक्षम बुनियादी ढांचा दूसरे फ्रेट पर प्रगति की परवाह किये बिना अर्थ–व्यवस्था को साकार करने से रोक सकता है। विदेशी धन आकर्षित करने तथा विकास की गति को बढ़ाने के लिए भौतिक सुविधाएं एवं उनका रख–रखाव करना पूर्व शर्त है। भौतिक बुनियादी सुविधाएं जिनमें बिजली, परिवहन, संचार एवं भण्डारण शामिल हैं, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता बढाने पर सीधा प्रभाव ड़ालती हैं। बिजली की बढती हुई विफलताएं, बिजली की कमी, भीड़–भाड़ वाली सड़कें इत्यादि बुनियादी सुविधाओं की मांग एवं पूर्ति में बढ रही खाई सार्मथ्य में कमी एवं अकुशलता के दिखाई देने वाले संकेत है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक वित्त की कमी के कारण राज्य सरकार पब्लिक निजी भागेदारी कान्सैप्ट के माध्यम से निजी सहयोग प्रोत्साहित कर रही है। पीपीपी की अवधारणा बुनियादी ढांचा विकास में तेजी से बढ़ रही है क्योंकि यह राज्य सरकार की मजबूती एवं निजी क्षेत्र की दक्षता है। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली, सड़कों एवं परिवहन के बुनियादी ढांचे के सुधार और विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसका सिंहावलोकन बाद के वर्गों में दिया गया है।

ऊर्जा

7.2 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढ़ांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा, इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए वहन की जा सकने वाली कीमत पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में हाईड्रो जनरेशन की गुंजाईश पोटेंशियल बहुत कम है। कोयले की खाने भी राज्य से बहुत दूर स्थित हैं। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित है। विद्युत उत्पादन के लिए राज्य में पर्याप्त वायु वेग भी नहीं है। यद्यपि राज्य में सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन सीमित भूमि क्षेत्र बड़े पैमाने पर इस संसाधन के दोहन को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए राज्य संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली परियोजनाओं से हाईड्रो पॉवर तथा राज्य के अन्दर सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है।

7.3 वर्तमान समय में राज्य की कुल उपलब्ध क्षमता 9,977.19 मैगावाट है। इसमें 3,230.50 मैगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 829 मैगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं में हिस्से से व स्वतंत्र निजी विद्युत परियोजनाओं उपलब्ध है। 2006–07 के दौरान इन स्रोतों से विद्युत उपलब्धता 25,125.3 मिलियन यूनिट (एम.यू.) से 2012–13 के दौरान बढ़कर 34,317.7 मिलियन यूनिट हो गई। वर्ष 2013–14 (दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान 30,414.2 मिलियन यूनिट (एम.यू.) थी। वर्षवार कुल स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता, बेची गई बिजली तथा उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 7.1** में दी गई है।

तालिका 7.1–राज्य में बिजली की स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता, बेची गई बिजली तथा उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	स्थापित उपत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)	उपभोक्ताओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1967–68	29	343	6010	5010	311914 (1966–67)
1970–71	29	486	12460	9030	543695
1980–81	1074	1174	41480	33910	1219173
1990–91	1757	2229.5	90250	66410	2513942
2000–01	1780	3124.5	166017	154231	3546572
2001–02	2005	3198.6	175881	163077	3544380
2002–03	2010	3303.1	192097	180726	3619868
2003–04	2010	3408.9	204989	195534	3739556
2004–05	2525	4033.3	214548	202637	3874525
2005–06	2525	4033.3	232438	222394	4000660
2006–07	2525	4051.3	251253	239228	4146286
2007–08	2825	4368.01	264656	182786	4270602
2008–09	2825	4686.52	272241	192902.91	4382044
2009–10	3560.5	5201.83	288605	226448.7	4561058
2010–11	4106	5997.83	296623	240125	4787922
2011–12	4106	6740.93	326473	266129.66	4996665
2012–13	4106	9839.43	343177	262576.03	5218227
2013–14	4060 (दिसम्बर 2013 तक)	9977.19 (दिसम्बर 2013 तक)	304142 (दिसम्बर 2013 तक)	151983.16 (सितम्बर 2013 तक)	5323374 (नवम्बर 2013 तक)

*इसमें राज्य की अपनी परियोजनाओं तथा संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता है, परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी. एवं आई.पी.पी.(आई.जी.एस.टी.पी.एस. झज्जर, एम.जी.एस.टी.पी.एस. झज्जर तथा लघु हाईड्रो एवं सौर परियोजनाएं आदि सम्मिलित नहीं है)।

7.4 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या वर्ष 2001–02 में 35,44,380 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 52,18,227 हो गई है। श्रेणी–वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 7.2** में दी गई है।

तालिका 7.2–राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	योग
2001–02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005–06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2011–12	3849779	479366	88821	540406	38593	4996665
2012–13	4020928	502912	91087	561381	41919	5218227
2013–14 (नवम्बर, 2013 तक)	4099457	513422	92640	573094	44761	5323374

प्रति व्यक्ति बिजली की खपत

7.5 प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2006–07 में 700 यूनिट से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 1,307 यूनिट हो गई है। 4 जुलाई, 2013 को 1,730.30 लाख यूनिट आपूर्ति करके बिजली आपूर्ति का एक नया रिकार्ड कायम किया गया था।

भविष्य की बिजली परियोजनाएं

7.6 राज्य में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय जैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि, परिचालन कार्य कुशलता में सुधार, वितरण नेटवर्क का विस्तार एवं पुर्नगठन आदि किए गए हैं। राज्य के अपने उत्पादन केन्द्रों से 13–9–2013 को

721.54 लाख यूनिट प्रतिदिन रिकार्ड उत्पादन किया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया है।

अक्षय ऊर्जा

7.7 गांव खुरावटा जिला महेन्द्रगढ़ में 60 करोड़ रूपए की लागत से 9.9 मेगावाट क्षमता की एक बॉयोमास विद्युत परियोजना मई 2013 में स्थापित की गई है। 9.5 मेगावाट क्षमता की एक अन्य बायोमास विद्युत परियोजना ढाणा नरसान जिला भिवानी में 55 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित की जा रही है जिससे शीघ्र ही विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इनके अतिरिक्त ऐसी ही 12–12 मेगावाट की तीन अन्य परियोजना सिरसा, हिसार तथा सोनीपत जिलों में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है। उद्योगों में सहउत्पादन तकनीक द्वारा 34.11 मेगावाट क्षमता की 14 परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं तथा 3.5 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना का कार्य प्रगति पर है। चीनी मिलों में खोई आधारित सहउत्पादन से बिजली पैदा करने की 60 मेगावाट क्षमता की 6 परियोजनाएँ राज्य की सहकारी चीनी मिलों में स्थापित की गई हैं। ऐसी ही 25 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना नारायणगढ़ चीनी मिल, नारायणगढ़ में स्थापित की जा रही है।

7.8 राज्य में 10.8 मेगावाट क्षमता की 4 लघु जल विद्युत परियोजनाएं 112 करोड़ रूपए के निवेश से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा स्थापित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 10.90 मेगावाट की 5 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा सौर जल तापन प्रणाली स्थापित करने वालें लाभार्थियों को 3,600 रूपए प्रतिवर्ष तक बिजली के बिलों में छूट दी जाती है। इस परियोजना के अर्न्तगत 31–12–2013 तक 32.10 लाख रूपए तक की छूट दी जा चुकी है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सौर जल तापन प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिकतम 18 लाख रूपए का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2011–12 में हरियाणा राज्य को सौर जल तापन परियोजना के अर्न्तगत सर्वश्रेष्ठ राज्य नोडल एजैन्सी का पुरस्कार दिया गया है।

7.9 हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां सौर जल तापन प्रणाली स्थापित करना सरकारी कार्यालयों/संस्थानों में सी.एफ.एल. का प्रयोग तथा कृषि क्षेत्र में 4 स्टार पम्प, आई.एस.आई. मार्क फुट/रिफलैक्स वालव का प्रयोग सरकारी अधिसुचना द्वारा अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2012–13 के लिए हरियाणा को ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य नामित एजेन्सी की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है।

7.10 विभाग द्वारा हरियाणा के सरकारी/अर्ध सरकारी भवनों में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा सयंत्र लगाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी/अर्ध सरकारी भवनों में 5 किलोवाट से 100 किलोवाट की क्षमता के सौर ऊर्जा सयंत्र और केन्द्रीकृत सौर ऊर्जा सयंत्र एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट के साथ लगाए जाने हैं जिस पर 40 प्रतिशत अनुदान हरियाणा सरकार द्वारा व 30 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय अनुदान, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 500 किलोवाट की कुल क्षमता के 39 सौर ऊर्जा सयंत्र तथा 325 किलोवाट की कुल क्षमता के 40 स्ट्रीट लाईट वाले सौर ऊर्जा सयंत्र स्वीकृत किए गए हैं। विभाग द्वारा इन सयंत्रों की खरीद का रेट कॉट्रक्ट किया जा चुका है व लाभार्थी का हिस्सा इकट्ठा करने की प्रक्रिया चालू है। इन सयंत्रों के मार्च, 2014 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इनके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 में हरियाणा के विभिन्न गॉवों में 764 लाख रूपए की लागत से 5,269 एल.ई.डी. सौर पथ प्रकाश संयत्र लगाए जा चुके हैं। विशेष परियोजना के तहत 517.04 लाख रूपए की लागत से भिवानी, हिसार, झज्जर, करनाल, पंचकूला, महेन्द्रगढ, पलवल, सोनीपत और मेवात जिले के 88 अनुसूचित जाति अधिक जनसंख्या वाले गांवों में 3,565 एल.ई.डी. सौर पथ प्रकाश संयत्र भी लगाए जा चुके हैं।

वास्तुकला

7.11 वास्तुकला विभाग, हरियाणा के एक सेवा विभाग के रूप में, सरकारी विभागों एवं अन्य स्वायत संस्थाओं को अल्प–व्यय वास्तुक सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करता है। यह विभाग एक सेवा विभाग के रूप में विकास की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग विभिन्न सरकारी भवनों तथा बोर्ड एवं निगम तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुक सम्बन्धी सेवाएं कुशलता पूर्वक प्रदान करता है। यह विभाग 450 वर्गफुट के छोटे से छोटे भवन से लेकर बहुमंजिलें प्रशासनिक एवं न्यायिक इमारतों के विस्तृत प्रारुप बनाने में संलिप्त है। इस विभाग द्वारा विभिन्न भवनों के बहु उद्देशीय डिजाईन बनाने का सफलतापूर्वक प्रयत्न किया जाता है। सभी भवनों के डिजाईन को "ऊर्जा संरक्षण भवन कोड" तथा शारीरिक अक्षमता के लोगों की सुविधा को मध्यनजर रखकर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

7.12 विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के 35 राजकीय महाविद्यालय की योजना तैयार की है। 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 उप स्वास्थ्य केन्द्र का वास्तुक की ड्राईंग डिजाईन कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। विभाग द्वारा राई में शूटिंग रेंज, खेल छात्रावास (लड़के तथा लड़कियां) के लिए महम तथा दरियापुर में तथा अन्य स्थानों पर खेल स्टेडियम की योजनाएं तैयार की गई। विभाग ने राज्य में कई स्थानों पर शिशुगृह की योजनाएं तैयार की तथा कई स्थानों की समाज कल्याण विभाग की परियोजनाएं भी शामिल हैं।

सड़कें

7.13 किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार का प्रमुख साधन है। सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतू तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना, बाई पासों का निर्माण, पुलों तथा सड़क उपरी पुलों का निर्माण तथा उन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करना, जिन पर पहले से काम चल रहा है। **तालिका 7.3** में राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क निम्न प्रकार से हैः–

तालिका 7.3– राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सडकों का नेटवर्क

क0संख्या	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि0मी0 में
1.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	1565
2.	राज्य उच्च मार्ग	2422
3.	मुख्य जिला सड़कें	1471
4.	अन्य जिला सड़कें	21625
	कुल	**27083**

7.14 वर्ष 2013–14 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुर्ननिर्माण, ऊंचा उठाने, सीमेंट कंकीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। दिसम्बर, 2013 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण **तालिका 7.4** में निम्न प्रकार से हैः–

तालिका 7.4 – वर्ष 2013–14 के दौरान सुधारीकरण कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय व भौतिक प्रगति

(क) वित्तीय प्रगति

(रूपये करोड़ों में)

क0 सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2013–14	खर्चा दिसम्बर, 2013 तक
1.	प्लान 5054 (सड़क और पुल नाबार्ड ऋृण सहित)	1973.00	1242.18
2.	नान प्लान 3054	481.16	510.90
3.	केन्द्रीय सड़क कोष	100.00	32.73
4.	प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना/ भारत निर्माण		17.13
5.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	44.00	24.82
6.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	15.97	11.49
7.	डिपोजिट कार्य (एच0 एस0 आर0 डी0सी0 की सड़कें तथा पुलों के कार्य सहित)		20.64
	कुल	**2614.13**	**1859.89**

(ख) भौतिक प्रगति

क0संख्या	मद	लम्बाई (कि0मी0 में) (दिसम्बर, 2013 तक)
1.	नई सडकों का निर्माण	85.00
2.	प्रिमिक्स कारपेट(राज्य सड़कें)	865.25
3.	चौड़ा तथा मजबूत करना(राज्य सड़कें)	445.85
4.	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	100.36
5.	साईड ड्रेन/रिटेनिंग वाल	149.36
6.	पुर्ननिर्माण तथा उठाना	120.03
7.	(क) चौड़ा (ख) मजबूत — राष्ट्रीय उच्च मार्ग	47.69

7.15 वर्ष 2013–14 के दौरान सड़क/पुल कार्य जो स्वीकृत हुये है, निम्न प्रकार से हैः–

तालिका 7.5– वर्ष 2013–14 के दौरान स्वीकृत सड़क/पुल कार्य

क0सं0	लेखा शीर्ष	कार्यो की संख्या	राशि (करोड़ों में)
1.	प्लान–5054	319	682.14
2.	नान प्लान–3054	426	606.95
3.	नाबार्ड– सड़कें	27	357.12
4.	केन्द्रीय सड़क कोष	–	–
5.	प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना/भारत निर्माण		
i)	सड़कें	85	939.49
ii)	पुल	18	
6.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	7	35.28
7.	पुल	6	27.16
8.	उपरगामी पुल / भुमीगत पुल	8	164.09
	कुल	896	2812.23

भवन

7.16 भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव के लिये बजट आबंटन नीचे वर्णित है।

तालिका 7.6– वर्ष 2013–14 के दौरान भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव के लिए आबंटन

(राशि करोड़ों में)

कं0सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2013–14	खर्चा दिसम्बर, 2013 तक	खर्चे की प्रतिशतता
1.	राजस्व भवन	144.10	70.96	49.24
2.	कैपीटल भवन	617.06	356.29	57.74
3.	डिपोजिट भवन	–	23.04	–
	कुल	**761.16**	**450.29**	

रेलवे ऊपरगामी पुल और पुल

7.17 विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिये तथा देरी को कम करने के लिये रेल ऊपरगामी पुल बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया है, 18 रेल ऊपरगामी पुल निर्माणाधीन है, मास्टर प्लान में रेल उपरगामी पुलों की पहचान की गई है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

तालिका 7.7– मास्टर प्लान में रेल ऊपरगामी पुलों की पहचान

क0सं0	विवरण	न0
1.	ऊपरगामी पुल पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है।	32
2.	ऊपरगामी पुल निर्माणाधीन	18
3.	ऊपरगामी पुल जो हाथ में लिये गये हैं	6

तालिका 7.8– चालू पुलों और ऊपरगामी पुलों के कार्यो की स्थिति नीचे वर्णित है

क0सं0	विवरण	न0	लागत (रूपये करोड़ों में)	पूर्ण	प्रगति में
1.	पुल	48	137.43	22	26
2.	ऊपरगामी	20	675.00	2	18

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

7.18 जिला झज्जर, रोहतक, रिवाड़ी और सोनीपत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विपणन बोर्ड द्वारा 638.41 करोड़ रूपये की लागत की 7 नं0 सड़क परियोजनाओं को अपनी पी एस एम जी–1 की 51वीं बैठक दिनांक 31–12–2013 में ऋण सहायता के लिए अनुमोदित कर दिया है। 11 रेलवे ऊपरगामी पुलों की परियोजनाएं जिनकी अनुमानित लागत 406.25 करोड़ रुपये है डी0पी0आर0 बनाने के लिए विचाराधीन है ।

नाबार्ड स्कीम

7.19 राज्य में वर्ष 2013–14 के दौरान नाबार्ड स्कीम आर0आई0डी0एफ0–14,15,16 और 18 के तहत 155.12 करोड़ रूपये की लागत से 166 कि0मी0 ग्रमीण सड़कों का विभिन्न जिलों में सुधार किया गया है।

शहरी आधार भूत ढांचा विकास

7.20 वर्तमान में हरियाणा की 34.79 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। हरियाणा राज्य में 78 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनमें 9 नगरनिगम, 14 नगरपरिषदें तथा 55 नगरपालिकाएं शामिल हैं।

7.21 भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबन्धन, मकानों के निर्माण एवं शहरी परिवहन आदि के लिये 848.74 करोड़ रूपये की राशि की 7 विस्तृत परियोजना रिपोर्टस (डी0पी0आर0) स्वीकृत की गई हैं।

7.22 भारत सरकार द्वारा छोटे तथा मझौले कस्बों के लिये शहरी आधारभूत विकास स्कीम के तहत 7 कस्बों (बहादुरगढ़, चरखी दादरी, करनाल, यमुनानगर, अम्बाला, नारनौल तथा रोहतक) के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन, सीवरेज प्रणाली व सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट के लिए 201.27 करोड़ रुपये की 9 विस्तृत परियोजना रिपोर्टस स्वीकृत की गई थीं। इसके लिये भारत सरकार द्वारा 123.79 करोड़ रुपये जारी किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य अंश के रूप में 30.95 करोड़ रुपये जारी किये गये। इस स्कीम के अंर्तगत स्वीकृत आधारभूत कार्य के कार्यान्वयन के लिये जनवरी, 2014 तक 132.46 करोड़ रुपये उपयोग किये जा चुके हैं।

7.23 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत मलिन क्षेत्रों में रहने वाले लागों के लिए मकानों का निर्माण जिसमें आधारभूत सुविधाओं (जिसमें सीवरेज़ जलापूर्ति, गलियों एवं गलियों की लाईट इत्यादि) भी शामिल है, हेतु वर्ष 2006–07 से वर्ष 2011–12 में 15 कस्बों के लिये 296.26 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। अब तक 8,750 आवासीय

ईकाइयों का निर्माण किया जा चुका है एवं 1,237 आवासीय ईकाइयों का निर्माण कार्य जिसमें मलिन बस्ती निवासियों को बुनियादी सुविधायें प्रदान करने का कार्य भी शामिल है, प्रगति पर है।

7.24 वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले वार्डों के विकास की स्कीम के अलावा 55 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान वार्डों में अनुसूचित जाति बस्ती के विकास के लिये किया गया है तथा जनवरी, 2014 तक 38.50 करोड़ रुपये की राशि नगरपालिकाओं को जारी की जा चुकी है।

7.25 भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय संचालित ''सेटेलाईट कस्बों के लिये शहरी आधारभूत विकास योजना'' बडे शहरों के आसपास स्थित कस्बों में प्रारम्भ की गई थी योजना के अंतर्गत द्वारा सोनीपत शहर को सैटेलाईट शहर चयनित किया गया है तथा इस स्कीम के अंतर्गत सोनीपत परिषद को केन्द्रीय अंश के रूप में 32.82 करोड़ तथा राज्यांश के रूप में 4.11 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके है जिसमे से जनवरी, 2014 तक 39.06 करोड रुपये खर्च किये जा चुके है।

7.26 राज्य सरकार ने राजीव गांधी शहरी विकास मिशन, हरियाणा (आर.जी.यू.डी.एम.एच.) की सभी शहरी स्थानीय निकाय में नगर निगम शहरी आधारभूत विकास कार्यक्रम मिशन मोड अप्रोच के तौर पर पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान इस स्कीम में 624.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से जनवरी, 2014 तक पालिकाओं को 376.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

7.27 हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (आर.जी.एस.बी.वाई.) भी लागू की है जिसका उददेश्य शहरी क्षेत्रों में, क्षेत्रीय सभा तथा वार्ड कमेटी का गठन म्यूनिसिपल कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। वे सभी परियोजनाएं जिनको राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना द्वारा फण्ड मिला है, उनको समाज के लोगों का भी योगदान होगा। हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं को संस्थागत मिलान अनुदान योजना 60:40 के अनुपात में सामुदायिक विकास/हाल, केन्द्र, समुदाय पार्क निर्माण और सड़कों के नियमित आधार, निर्माण और सामुदायिक शौचालय, निर्माण और पशु तालाब के प्रबन्धन पर गलियों के रख–रखाव के निर्माण आवारा जानवरों के घटकों पर ध्यान दिया जाएगा। स्ट्रीट लाईट के रख–रखाव, घर घर जाकर परिवहन बुनियादी ढ़ांचे में ठोस अपशिष्ट/कचरा और आंतरिक कालोनी पानी आपूर्ति/सीवरेज प्रणाली का संग्रह है।

7.28 इसके अतिरिक्त राज्य स्तर की प्रौजेक्ट से सम्बन्धित लोगों के लिये ई–डिलीवरी सेवाएं अपने अग्रिम स्तर पर है। जिससे तत्काल डिलीवरी सेवाएं (जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह–पंजीकरण, विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन इत्यादि) राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी।

सड़क परिवहन

वाणिज्यक अंग

7.29 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थ–व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है। परिवहन विभाग, हरियाणा इस वर्ष में भी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा। हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि कर से पूर्व लाभ, बसों की औसत आयु, स्टाफ व वाहन उत्पादकता, परिचालन लागत प्रति कि0मी0 (कर रहित), दुर्घटना दर व ईंधन की खपत इत्यादि।

7.30 वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन के पास 30 नवम्बर, 2013 तक 3,800 बसें हैं जो 24 डिपो व 13 उप डिपुओं से संचालित की जाती हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन लगभग 11.47 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा 11.57 लाख यात्री प्रतिदिन राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी परिवहन सस्थाओं में से एक है। राज्य परिवहन ने जनता की परिवहन सुविधा को ओर बेहतर बनाने के लिये नूहॅ उप आगारों का दर्जा बढ़ा कर पूर्ण आगार का दर्जा दे दिया गया है तथा सिटी बस सर्विस के लिए अलग से फरीदाबाद में एक नया आगार स्थापित किया गया है।

7.31 हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10 तथा 2012–13 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिये यूनियन परिवहन मन्त्री ट्राफी व 1.50 लाख रूपये का प्रत्येक वर्ष नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन में और सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में और बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं। सरकार द्वारा जो राशि जो वर्ष 2004–05 में

56 करोड़ रूपये थी उसे बढ़ाकर वर्ष 2013–14 में 181.50 करोड़ रूपये कर दिया है। जिसमें से दिनांक 31–12–2013 तक 145.39 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चूकी है।

बस सेवाओं का आधुनिकरण

7.32 दिनांक 1–8–2008 से विभाग द्वारा वातानुकूलित वोलवो बस सेवायें शुरू की गई। इस सेवा के लिए जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इन बसों की संख्या को बढ़ाकर 45 तक किया गया है। हरियाणा राज्य परिवहन की सभी मुख्य शहरों में शहरी बस सेवा शुरु करने की योजना है। शहरी बस सेवा के लिये सिटी बसों की संख्या में बढ़ौतरी करते हुए विभाग बसों के वर्तमान ढांचे में परिवहर्तन करके इसे ओर अधिक शहरी मैत्रीपूर्ण सेवा बनाने का प्रयास कर रहा है।

7.33 वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन का 4,500 का बस बेड़ा निर्धारित किया हुआ है जिनमें सी.एनजी., ए.सी., एस.एल.एफ., वोलवो ए.सी. इत्यादि बसें शामिल हैं। वर्ष 2012–13 में 863 पुरानी बसों को नई बसों से बदला गया। वर्ष 2013–14 में 518 पुरानी बसों को बदलना तथा बस बेड़े में 510 नई बसें शामिल करने के साथ–साथ गत वर्षों के बैकलोग को पूरा करने का कार्यक्रम है। इनमें से 472 कंडम बसों को दिनांक 31–12–2013 तक नई डिज़ाईन की बसों से बदला जा चुका है।

7.34 लोगों को अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिये नई बस सेवायें शुरू की गई हैं जैसे कि सुपर लग्जरी बस सेवायें, वातानुकूलित बस सेवायें, हरियाणा शक्ति बस सेवायें, हरियाणा उदय सी.एन.जी बस सेवाऐं, लो–फ्लोर वातानुकुलित/बस सेवायें, सैमी लो–फ्लोर बस सेवायें इत्यादि।

7.35 लोगों को आरामदायक एवं प्रयाप्त शहरी परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिये शहरी बस सेवा फरीदाबाद में इन्ट्रा सीटी बस सेवा की यह योजना भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. मिशन के अन्तर्गत 150 बसों से शुरू की गई है। इसमें 90 बसें शहरी बस सेवा के रुप में दोहरी पारी में 300 फेरे लगाकर लगभग 20,000 कि0मी0 प्रतिदिन तय करती हैं।

7.36 हरियाणा के विभिन्न शहरों व कस्बों में परिवहन सेवाओं में सुधार के प्रयास किये जा रहें है। शहरों के अन्दर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतू गुडगांव शहर में 120 बसें डबल सिफ्ट में 900 फेरे लगाकर लगभग 26,000 कि0मी0 प्रतिदिन तय करती हैं। इसी योजना के तहत पंचकुला शहर में भी 35 बसें डबल सिफट में 170 फेरे लगाकर लगभग 8,000 कि0मी0 प्रतिदिन तय करती हैं। यह बसें पंचुकला–जीरकपुर–आई0एस0बी0टी चण्डीगढ सैक्टर–17 व आई0एस0बी0टी सैक्टर–43 के मध्य चलाई जा रही हैं।

मोरनी क्षेत्र के लिए मिनी बस

7.37 मोरनी क्षेत्र में लोगों को नियमित बस सेवा उपलब्ध करवाने की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए 6 मिनी बसें खरीदकर हाल ही में चलाई गई हैं। वित्त वर्ष 2013–14 में इस उद्देश्य के लिये 150.10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया हुआ है। जिसमें से दिनांक 31–12–2013 तक 118.88 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चूकी है।

बस अड्डों/कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

7.38 वर्तमान में राज्य के मुख्य स्थानों पर लोगों की सुविधा के लिए 97 बस स्टैण्डों का निर्माण किया हुआ है। वर्ष 2013–14 के दौरान बाढ़डा नया बस स्टैण्ड एवं सिरसा तथा कैथल में नई कर्मशालाओं का निर्माण करके चालु किया गया है। रायपुर रानी बरवाला (पंचकूला), अग्रोहा (हिसार), सढ़ौरा (यमुनानगर), भूना (फतेहाबाद), पाई एवं कौल (कैथल), सतनाली (नारनौल), सापंला (रोहतक) तथा सोहना (गुड़गांव) में नये बस स्टैण्ड निर्माणधीन है। इसके अतिरिक्त अम्बाला शहर, पलवल, नूहॅ, गुड़गांव (सैक्टर–29 व राजीव चौक), फरीदाबाद (सैक्टर–12) तथा झज्जर में निर्माण करने की योजना है।

7.39 भूमि एवं भवन कार्यों पर वर्ष 2012–13 में 17.16 करोड़ रूपये खर्च किये गये। वर्ष 2013–14 की योजना में 26.75 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से दिनांक 31–12–2013 तक 25.89 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। 2012–13 में 3.34 करोड़ रूपये बस स्टैण्ड व कर्मशालाओं इत्यादि की मुरम्मत व रख रखाव पर पहली बार नान प्लान साईड में खर्च किये गये हैं।

कर्मशालाओ का आधुनिकरण

7.40 हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे आदि उपलब्ध करवा कर बसों के अच्छे रख–रखाव के लिये आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिये वर्ष 2012–13 में 34.30 लाख रूपये खर्च किये गये। वार्षिक योजना 2013–14 के लिए 100 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। जिसमें से दिनांक 31–12–2013 तक 20.68 लाख रूपये रुपये खर्च की जा चूकी है।

कम्प्युट्रीकरण

7.41 विभाग के भिन्न–भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध समय में कम्प्यूट्रीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। डिपू मनेजमैंट प्रणाली लागू करने के अतिरिक्त ऑन लाईन अग्रिम आरक्षण व टिकटिंग प्रणाली भी लागू करने का प्रस्ताव है। बसों व बस स्टैण्डों पर इलैक्ट्रानिक टिकटिंग मशीनें उपलब्ध करवाने का भी प्रस्ताव है। पूर्ण सोफ्टवेयर मोडयूलस अपने ही विभाग में तैयार करके हरियाणा राज्य परिवहन के डिपुओं/सब डिपुओं में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के लिये वर्ष 2012–13 में 22.41 लाख रूपये खर्च किये गये। वर्ष 2013–14 की येाजना में 100 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। जिसमें से दिनांक 31–12–2013 तक 18.08 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

मुफत/रियायती यात्रा सुविधा

7.42 हरियाणा राज्य परिवहन समाज के कुछ पात्र लोगों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक है। हरियाणा राज्य परिवहन समाज के पात्र वर्ग जैसेकि साक्षात्कार के लिये जाने वाले बेरोज़गार युवक, 100 प्रतिशत विकलांग एक सहायक सहित, स्वतन्त्रता सेनानी, मान्यता–प्राप्त संवाददाता, पुलिस व जेल कर्मचारी, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, रक्षा बंधन के दिन महिलाओं व बच्चों को मुफ्त यात्रा, छात्रो को विद्यार्थी बस पास के लिए उन्हें मासिक पास के लिये 10 एक तरफा किराया ही देने होगा, दिनांक 1–1–2014 से छात्रों को उनके निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक मुफत यात्रा सुविधा, राष्ट्रीय केडिट कोर के कैडिडेटस को प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिये यात्रा के समय 50 प्रतिशत की छूट, साठ वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट, हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से गृह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा, पैरा लैम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा तथा साधारण जनता को बस पास सुविधा के तहत एक महीने के लिए 40, तीन महीने के लिए 110 व 6 महीने हेतू 200 एक तरफा किराया वसुल किया जाता है। एक महीने के बस पास के लिय 35 एक तरफा किराया हरियाणा सरकार के कर्मचारी के केस में। दिनांक 1–1–2014 से कैन्सर पीड़ित को उनके निवास स्थान से कैन्सर संस्थान तक मुफत यात्रा सुविधा।

सड़क सुरक्षा

7.43 हरियाणा राज्य परिवहन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये कड़े सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। गहन प्रयासों से हरियाणा राज्य परिवहन, यातायात के घनतव में अत्याधिक बढ़ौतरी के बावजूद दुर्घटनाओं की दर जो वर्ष 1994–95 में 0.21 प्रति एक लाख कि0मी0 थी, को घटाकर वर्ष 2013–14 (30–11–2013) में 0.05 करने में सक्षम रहा है।

7.44 हरियाणा राज्य परिवहन नये भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने व नये भारी वाहन चालको को प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाणित करने के लिये सात विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है। हल्के वाहन चालकों के लिए भी डी0टी0आई0 मूरथल में प्रशिक्षण शुरु किया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान 15 लाख रूपये खर्च किए गए। वर्ष 2013–14 की येाजना में 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

रेगूलेटरी विंग

7.45 परिवहन विभाग के रेगूलेटरी विंग की मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, मोटर वाहन कर अधिनियम, 1924, मोटर वाहन कर नियम, 1925 को लागू करने की जिम्मेवारी है। वर्ष 2012–13 के दौरान, 750 करोड़ रूपये के प्राप्तियों के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व 887 करोड़ रूपये वसूले गए है। चालू वर्ष में लगभग 850 करोड़ रूपये की प्राप्तियों का अनुमान है तथा प्राप्त होनी सम्भावित है।

नई परिवहन पोलिसी

7.46 हरियाणा रोड़वेज द्वारा राज्य में बसों के बेड़े के साथ यात्री परिवहन सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार द्वारा 1993 में परिवहन नीति बनाई गई जिसके अधीन लगभग 900 निजी संचालकों को परमिट प्रदान किये गये। उसके बाद जनसंख्या में भारी वृद्वि, संख्यात्मक विकास, आर्थिक, सामाजिक और नई शैक्षणिक संस्थाओं/केन्द्रों का भौगौलिक प्रसार जैसे इंजिनियरिंग कालेज, नये कृषि विपणन केन्द्र खुलने पर वर्षों बाद सार्वजनिक परिवहन सेवा की मांग में महत्वपूर्ण वृद्वि हुई है। इसलिए जनता को कुशल, पर्याप्त, किफायती और पूर्णतया विश्वसनीय एवं सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए परिवहन नीति बनाई

गई जिसको दिनांक 12–08–2013 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस नीति के अधीन निजी संचालकों को 3,519 परमिट दे कर राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवा में बढ़ौतरी करने का उद्देश्य है।

ड्राइविंग कौशल में सुधार

7.47 चालक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए राज्य में चार चालक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थापित किये गये हैं/किये जा रहे है। चालक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बहादुरगढ़ राशि 15 करोड़ रूपये की लागत से, रोहतक राशि 16 करोड़ रूपये की लागत से मैसर्ज मारूति उद्योग लिमिटिड के सहयोग से स्थापित किये गये है। चालक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, कैथल राशि 17.28 करोड़ की रूपये की लागत से मै0 अशोक लैलण्ड लि0 के सहयोग से स्थापित किया गया है। चालक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, कालुवास (भिवानी) में केन्द्रीय वित्त सहायता राशि 12.45 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है। जिसके लिए टाटा मोटर्ज लि0 के साथ (एम0ओ0यु0) समझौता–पत्र हस्ताक्षर किया जा चुका है और भवन निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जायेगा। मेवात क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बन्ध में उपायुक्त, नूहॅ (मेवात) द्वारा एक प्रस्ताव निदेशक, पंचायत को भेजा गया है।

मोटरवाहन के सड़क पात्रता में सुधार

7.48 वाहनो की फिटनेस महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वाहनों की सड़क पात्रता को सुनिश्चित करने के विचार से पूरी तरह से स्वचालित और कम्प्यूटरीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, केन्द्रीय वित्त सहायता राशि 14.40 करोड़ रूपये की लागत से रोहतक में स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र की 1,25,000–1,50,000 वाहनों की प्रति वर्ष सड़क पात्रता जॉचने की क्षमता होगी। केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है।

कम्प्युटरीकरण

7.49 राष्ट्रीय वाहन एवं सारथी कार्यक्रम सभी 79 प्राधिकृत कार्यालयों में लागू हो चुका है। मोटरवाहन पंजीकरण एवं चालक लाईसैंस से सम्बन्धित सारा कार्य कम्प्युटरीकृत हो चुका है। सभी कार्यालयों में कर/शुल्क प्राप्ति के लिए कम्प्यूटरीकृत कैश रसीद जारी की जा रही है।

सड़क सुरक्षा उपाय एवं जागरूकता

7.50 विभाग द्वारा निम्नलिखित सड़क सुरक्षा के उपाय अपनाये गये हैः–

1. सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिये प्रधान सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है।
2. 1,170 दुर्घटना सम्भावित स्थानों की पहचान की गई है और 870 स्थानों को संशोधित किया जा चुका है। इसी के अनुरूप 1,051 स्थानों की पहचान की गई है जहां गतिरोधक बनाये जाने आवश्यक है। जिनमें 866 गतिरोधक बनवाये जा चुके है।
3. पिछले वर्ष के दौरान सभी वाणिज्यीक वाहनों में स्पीड गर्वनर (गति नियंत्रक) लगवाये गये है।
4. पिछले दो वर्ष के दौरान रिफलेक्टर/रिफलेक्टिव टेप सभी वाहनों पर लगा दी गई है।
5. अधिक लदान, शराब पीकर गाड़ी चलाने, अधिक गति, बिना हेल्मेट/सीट बेल्ट, खतरनाकतौर से चलाना आदि को चैक करने के लिए विशेष दस्ते है।
6. राज्य में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिये 88 राजकीय महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता क्लब स्थापित किये जा रहे हैं। इस के परिणाम स्वरूप प्रथम समय दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है।

हरियाणा सड़क सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम

7.51 सड़क दुर्घटनाओं के कारण आर्थिक एवं मानवीय दोनों में बड़ा नुकसान हो रहा है। बढ़ती दुर्घटनांए दुःख का कारण है और प्रभावी उपायों से जांच की जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि राज्यों को सड़क सुरक्षा सम्बन्ध में कानून बनाने पर विचार करना चाहिये। सड़क सुरक्षा के लिए ध्यान देने के लिए केन्द्रित और विभिन्न हिस्सेदारी धारकों के प्रयासों में समन्वय के लिए एक दृश्य के साथ हरियाणा सड़क सुरक्षा प्राधिकरण का मसौदा तैयार किया गया है। सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों के समाधान के लिए अधिनियम के अधीन एक प्राधिकरण गठित किया जायेगा।

वाहन द्वारा अधिक लदान की जॉच

7.52 विभाग ने वाणिज्यीक वाहनों के द्वारा अधिक लदान की जॉच के लिए प्रभावी एक प्रभावी जॉच अभियान की शुरूआत की गई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत चालान करने के अतिरिक्त राज्य सरकार के वाहन संचालकों के विरूद्व अपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई है।

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट स्किम

7.53 केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 के अनुसार विभाग द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट स्कीम लागू की जा चुकी है और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाने का कार्य शुरू हो चुका है।

नई राष्ट्रीय योजना का कार्यान्वयन

7.54 केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार राज्य में नई राष्ट्रिय परमिट योजना को पूर्णतया कार्यान्वित किया जा चुका है। सभी राष्ट्रीय परमिट केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित कम्प्युटरीकृत प्रणाली द्वारा जारी किये जा रहे है।

हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम

7.55 मौजूदा पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1924 में लागू किया था। उसके बाद से परिवहन क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है। वाहनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और वाहनों के प्रकार भी बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार वाहनों पर टैक्स लगाने की पद्वति तथा तरीके भी समय के साथ काफी बदल गये हैं। मोटर वाहन पर कराधान से सम्बन्धित कानून में संशोधन एव समेकित और कराधान संरचना तथा प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए वर्तमान के स्थान पर हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2013 लागू किया गया है।

नागरिक सेवाओं में सुधार

7.56 नागरिक सेवाओं को सरल व कारगर बनाने के लिए विभाग द्वारा वाणिज्यीक वाहनों के टैक्स की अदायगी के सम्बन्ध में ई–भुगतान की सुविधा शुरू की है। एक एस0एम0एस0 सुविधा शुरू की जा चुकी है जिसके तहत विभिन्न सेवाओं के लिए सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण एवं उप–मण्डल अधिकारी कार्यालयों में (ना0) कर/शुल्क जमा होने की सूचना नागरिकों को एस0एम0एस0 द्वारा दी जायेगी। ई–भुगतान सुविधा तथा शिकायतों की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा एक नई वेबसाईट सुविधा शुरू की गई है।

पंजीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण

7.57 पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने, आर0सी0 बनाने में देरी को कम करने के लिए राज्य में डीलर प्वाईंट पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के नियमों में संशोधन किया गया है। यह समय जनता के प्रयास को कम करेगा तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

कृषि विपणन

7.58 हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल (एच.एस.ए.एम.बी.) का मुख्य उद्देश्य आधुनिक एकीकृत विपणन की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, कृषि उत्पाद को मण्डियों तक पहुंचाना आसान बनाना और किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलवाना है। बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डियों में 266 शैडों का निर्माण किया गया है। बोर्ड ने शैडों के अतिरिक्त 35,755 टन क्षमता के खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण भी करवाया है।

टर्मिनल मार्किट गन्नौर (सोनीपत) का विकास

7.59 विपणन बोर्ड द्वारा फ्रांस मे पेरिस के नजदीक रूंगीस मार्किट की तर्ज पर गन्नौर में एक अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं वाली पोस्ट हारवेस्ट सपोर्ट सिस्टम पर आधारित मार्किट विकसित करने के लियें 537 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। इसके पूरा होने पर 1,500 करोड़ रूपये खर्च आने का अनुमान है। यह मार्किट हरियाणा के अतिरिक्त पूरे उत्तर भारत से और देश के महानगरों से भी जुड़ी हुई होगी। यह एक अति आधुनिक थोक मूल्य सब्जी व फल, फूल तथा दुग्ध उत्पादों की मार्किट होगी जिसमें ठण्डे चैम्बर, पकाने हेतू चैम्बर, ग्रेडिंग तथा पैकिंग जैसी सुविधायें होगी। यह मार्किट लगभग 100 संग्रह केन्द्रों द्वारा पूरे राज्य से जुड़ी होगी। यह मार्किट एक साफ व स्वच्छ वातावरण में होगी जिसमें एक वर्ष में लगभग 7.5 लाख टन फल व सब्जियां सम्भालने की क्षमता और 1 लाख टन अण्डा, मीट, मछली तथा 0.5 लाख टन फूलों को संभालने की क्षमता होगी। इसका प्रारम्भिक विकास कार्य शुरू कर दिया गया है तथा इसकी चार दीवारी, होर्डिंग, प्रवेश सडक, लैंडस्केपिंग, छतरी तथा शैडों जिसमें पैक हाउस भी शामिल हैं, के निर्माण में अब तक 12.50 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

एग्रो/शॉपिंग मॉल परिसर का निर्माण

7.60 बोर्ड राज्य में विभिन्न मण्डियों में एग्रो मॉल विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि किसानों को अपनी उपज की बेहतर विपणन सुविधा तथा उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। इस श्रृखंला में रोहतक तथा पानीपत में एग्रो शॉपिंग परिसरों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि करनाल में मॉल का कार्य पूरा होने वाला है तथा पंचकुला में भी मॉल का कार्य अग्रिम चरण पर है। अब तक इन पर 161.50 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

मण्डियों का विकास तथा चल रही मण्डियों में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना

7.61 मण्डियों के विकास तथा चल रही मण्डियों में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतू वर्ष 2013–14 के दौरान 54 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन परियोजनाएं

7.62 राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार की सहायता राशि से अनेक सब्जी मण्डियों में आधुनिक सुविधायें प्रदान करने के लिए कई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। पहले चरण के अर्न्तगत ठण्डी चैन, पकाने हेतू चैम्बर, ग्रेडिंग, छंटाई एवं पैंकिंग सुविधायें दी जानी हैं तथा 72.06 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 11 स्थानों पंचकूला, पानीपत, हिसार, नारनौल, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, अबुबशहर, शाहबाद, झज्जर, और सोनीपत में इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए परियोजना का प्रथम चरण प्रारम्भ किया गया है, जिन पर अब तक 57 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है। द्वितीय चरण में 4 स्थानों फरीदाबाद, जीन्द, पेहवा तथा यमुनानगर पर 12.24 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से ठण्डी चैन सुविधायें दी जा रही है, कार्य प्रगति पर है और अब तक इस पर 4 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है।

वनस्पति स्वास्थ्य चिकित्सालय

7.63 बोर्ड को 3.11 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 14 जगहों पर वनस्पति स्वास्थ्य चिकित्सालय खोलने का कार्य सौंपा गया था। यह कार्य पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। अब तक 2.88 करोड़ स्पये खर्च किये जा चुके हैं।

ग्रामीण खेल स्टेडियम

7.64 खेल विभाग की सहायता से बोर्ड को लगभग 115 करोड़ रूपये की लागत से 170 ग्रामीण खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य सौंपा गया है। जिसमें से 163 स्टेडियम का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 7 स्टेडियम का कार्य प्रगति पर है। अब तक इन कार्यों पर 111 करोड़ रूपये किये जा चुके हैं।

आदर्श गांव तथा एल0ए0डी0टी0 कार्य

7.65 बोर्ड को 53 आदर्श गांवों का विकास कार्य सौंपा गया है तथा सभी 53 गांवों का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब तक 239 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है। बोर्ड को एल0ए0डी0टी0 तथा गलियों के पक्का करने की योजना के अर्न्तगत 881 गांव तथा तीसरे वित्त आयोग के अर्न्तगत 291 गलियों का कार्य सौंपा गया है इन सभी योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा अब तक इन पर 144.55 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है।

नई सम्पर्क सड़कों का निर्माण तथा सड़कों की विशेष मुरम्मत

7.66 बोर्ड ने वर्ष 2013–14 में 549 किलोमीटर नई लिंक सड़कों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त सड़कों की विशेष मरम्मत पर 655 करोड़ रूपये तथा साधारण मरम्मत पर 48 करोड़ रूपये खर्च किए गए है।

आर0एस0वी0वाई0 स्कीम के तहत विकास कार्य

7.67 बोर्ड के केन्द्र सरकार द्वारा पारित 15 करोड़ रूपये की आर0एस0वी0वाई0 योजना का विकास कार्य भी किया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत सड़कों का उन्नयनीकरण

7.68 पहले से ही बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सडकों के उन्नयन की एक परियोजना एच0एस0ए0एम0बी0 और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) की एक संयुक्त परियोजना के रूप में अनुमोदित की गई थी। 75.62 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को इस योजना के तहत उन्नत किया गया है।

भण्डारण (हरियाणा स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन)

7.69 हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के अर्न्तगत दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसानों, सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थानों

एवं व्यापारियों इत्यादि को कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा का उपलब्ध कराना है। इस समय 31 दिसम्बर, 2013 तक निगम कुल 17.21 लाख मी0 टन क्षमता का संचालन करते हुए राज्य में 109 वेयरहाऊस चला रहा है जिसमें 15.52 लाख मी0 टन क्षमता के कवर्ड गोदाम एवं 1.69 लाख मी0 टन क्षमता के ओपन प्लिंथ सम्मिलित है। वर्ष 2005–06 से भण्डारण क्षमता **तालिका 7.9** में दर्शाई गई है।

तालिका 7.9 औसत भण्डारण क्षमता एवं इसकी उपयोगिता

वर्ष	औसत भण्डारण क्षमता (मी0टन0)	औसत उपयोगिता (मी0टन0)	उपयोगिता की प्रतिशतता	भण्डार गृहों की संख्या
2005–06	14,85,309	8,51,494	57	105
2006–07	13,90,272	8,37,581	60	105
2007–08	13,97,115	9,68,645	69	105
2008–09	14,68,483	12,20,165	83	106
2009–10	16,92,611	15,44,599	91	107
2010–11	16,16,270	14,97,189	93	107
2011–12	16,72,188	16,45,066	98	107
2012–13	18,88,401	19,66,756	104	108
2013–14 (दिसम्बर 2013 तक)	18,14,174	17,29,571	95	109

7.70 निगम के पास 1 नवम्बर 1967 को इस की स्थापना के समय मात्र 7,000 मी0 टन0 क्षमता के गोदाम उपलब्ध थे। वर्ष 2013–14 में निगम द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.) के अर्न्तगत राज्य में 24 विभिन्न स्थानों पर 2,38,466 मी0टन0 क्षमता के भण्डार गृहों का निर्माण करने का कार्य शुरू किया गया है। वर्ष 2012–13 में ग्रामीण भण्डारण योजना के अर्न्तगत 97,746 मी0 टन0 क्षमता के गोदामों का निर्माण किया गया। वर्ष 2005–06 से अब तक निगम द्वारा निर्माण किये गये भण्डार गृहों का विवरण **तालिका 7.10** में दिया गया है:–

तालिका 7.10 वर्ष 2005 से 2013–14 तक भण्डार ग्रह तथा इनकी क्षमता

क्रमांक	वर्ष	क्षमता (टन)
1	2005–06	15,000
2	2006–07	32,000
3	2007–08	–
4	2008–09	7,550
5	2009–10	77,120
6	2010–11	30,240
7	2011–12	20,150
8	2012–13	97,796
9	2013–14	कुल क्षमता – 2,38,466 टन 1. 47,440 टन क्षमता के गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है । 2. 31,882 टन क्षमता के गोदामों का कार्य चल रहा है । 3. 1,59,144 टन क्षमता के गोदामों के निमार्ण के लिये दिसम्बर 2013 में कृषि विभाग द्वारा भूमि का कब्जा दिया गया है। इस के अतिरिक्त फतेहबाद में 9,240 टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कृषि विभाग द्वारा भूमि स्थानान्तरण के बाद वर्ष 2014–15 में किया जायेगा।

7.71 निगम राज्य व इसके साथ लगते क्षेत्र के आयातकों एवं निर्यातकों को प्रभावी लागत सेवाएं प्रदान करने के लिए रेवाड़ी में एक इन्लैंड कन्टेनर डिपो –कम–कन्टेनर फ्रेट स्टेशन संचालित कर रहा है फिर भी नीति सहयोग समझौता कोनकोर निगम जो कि भारतीय रेलवे की सहयोगी है, के तहत कनकोर 1–11–2008 से इन्लैंड कन्टेनर डिपो–कम–कन्टेनर फ्रेट स्टेशन को संचालित कर रहा है। इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो, रिवाड़ी को 18–12–2009 से विश्व के इलैक्ट्रोनिक डाटा–इन्टर चैंज (ई0डी0आई0) व्यवस्था से जोड़ा गया है।

हरियाणा राज्य सहकारिता पूर्ति तथा मार्केटिंग फैडरेशन (हैफेड)

7.72 रबी 2013 के दौरान हैफेड ने 22.76 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है इस प्रदेश में सहकारी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का 39 प्रतिशत है। चालू खरीफ 2013 के दौरान हैफेड को पिछले वर्ष के दौरान 12.20 लाख टन धान के खिलाफ 10.24 लाख टन धान की खरीद की गई है।

7.73 हैफेड को निजी उद्यमी गोदाम (नि0उ0गो0) भारत सरकार की योजना 2008 के तहत हरियाणा राज्य में गोदामों के निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा एक नोडल एजैंन्सी के रूप में घोषित किया है। इस परियोजना के तहत लगभग 36.52 लाख टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण हो रहे है। 21.38 लाख टन गोदाम क्षमता को 31–1–2014 तक बना दिया गया है। 10.67 लाख टन क्षमता निर्माणाधीन है, 3.42 लाख टन की क्षमता को शुरू करना है। जिसके लिये एल0ए0ओ0 जारी किया जा रहा है। इसके अलावा 1.08 लाख टन की क्षमता की बोलियों जांच/परीक्षा के तहत कर रहे है। जिसके लिये मंजूर किया जाना बाकि है आगे यह 29.98 लाख टन की कुल क्षमता 31–3–2014 तक पूरा होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त (नि0उ0गो0) योजना के अलावा लगभग 10 लाख टन के अपने स्वयं के गोदामों के निर्माण की प्रकिया में है।

7.74 हैफड ने दिनांक 27–9–2013 से अपनी उर्वरक आपूर्ति नीति में संशोधन किया है। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति में लगे सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए उर्वरकों की बिक्री पर वितरण मार्जिन में वृद्धि की गई हैं। प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तथा सहकारी विपणन समितियों को इससे लगभग 6 करोड़ रूपये तक का सालाना लाभ होगा। नई उर्वरक आपूर्ति नीति 2013 में वितरण लाभ को बढाने के लिए (प्रा0कृ0सह0स0 और स0वि0स0) को पोस्ट दिनांकित चैक पर उर्वरक वितरित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इन संस्थाओं (प्रा0कृ0सह0स0 और स0वि0स0) से खाद्य की समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करके आफ सीजन के दौरान उर्वरकों के अग्रिम स्टाक बनाने के लिए अनुमति दी जाती है। प्रदेश में समितियों के माध्यम से डीएपी की 40 प्रतिशत तथा यूरिया की 30 प्रतिशत बिक्री की जाती है। नई नीति के अनुसार डीएपी की बिक्री पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तथा सहकारी विपणन समितियों का वितरण लाभ 60 रूपये टन से बढ़ाकर 200 रूपये तथा यूरिया पर 60 से बढ़ाकर 90 रूपये किया गया है।

7.75 किसानों के उत्पाद की उचित कीमत दिलवाने के लिए हैफेड ने देसी गेहूं, जौं और बासमती धान की अनुबन्ध खेती शुरू की। इस योजना के तहत किसानों को उनकी पैदावार की अच्छी कीमत दी जाती है। हैफेड ने सरसों की खरीद की एक नई प्रणाली प्रारम्भ की है। जिसके तहत किसान अपनी सरसों को हैफ़ेड तेल मिल, रेवाड़ी और नारनौल में सीधे लेकर आता है और उसको हैफ़ेड बाजार के मूल्य से ज्यादा कीमत देती है।

7.76 हैफेड ने तरावड़ी (करनाल) मे एक आटा मिल स्थापित की है और तरावड़ी चावल मिल का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। हैफेड चीनी मिल असन्ध जिला करनाल का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा इस वर्ष गन्ना किसानो को तुलाई के 24 घंटे मे मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। हैफेड को इस वर्ष श्रेष्ठ पीएसयू के लिए बीटी स्टार पुरस्कार एवं श्रेष्ठ पीएसयू के लिए दैनिक भास्कर ने 2013 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

***

8

सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र एक विकासशील और उभरती हुई अर्थ–व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास योजना का मुख्य उद्धेश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्वि और लोगों की भलाई करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक है। लोगों के सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए विकास के लाभों के एक समान वितरण के साथ रहने के लिए बेहतर वातावरण की आवश्यकता है। राज्य की योजना रणनीति हमेशा सामाजिक न्याय और कल्याण के साथ वृद्धि है। प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

शिक्षा

8.2 राज्य सरकार को यह अच्छी तरह से विदित है कि 21वीं शताब्दी ज्ञान की शताब्दी के रूप में मानी गई है। शिक्षा ज्ञान की कुंजी है तथा राज्य सरकार ने शिक्षा सब के लिए वांछित शैक्षिक एवं ढांचागत सुविधाओं और आसानी से पहुंच के साथ बनाने के लिए लगातार गंभीर प्रयास किए हैं।

विद्यालय शिक्षा

8.3 हरियाणा राज्य का हमेशा यह प्रयास रहा है कि जनता के बीच शिक्षा का प्रसार और राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय कदम के रूप में वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योजना फ्रेमवर्क (रा.व.श.यो.फ्रे.) योजना के तहत 100 नये स्कूलों का समावेश किया गया है, जिनमें लगभग 4,900 छात्रो को दाखिला दिया गया है। विभाग द्वारा 36 शैक्षिक रूप से पिछडे ब्लाकों के लिए कार्यात्मक कम्प्यूटर लैब से युक्त मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है, जिनमें वर्तमान में 4,800 छात्र अध्ययन कर रहे है।

8.4 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) योजना के अर्न्तगत 3,122 सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर फैक्ल्टी का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 28.59 करोड़ रूपये जारी किये गये है।

8.5 वर्ष 2013–14 में एक और महत्वपूर्ण कदम " प्रारम्भ'' है, जिसके अर्न्तगत झज्जर में शिक्षक शिक्षा के लिए 4 साल का एकीकृत पाठयक्रम उपलब्ध कराने तथा 6 जिलों में 6 आदर्श विद्यालय किसान स्कूल के संचालन के लिए राज्य स्तरीय स्कूल की स्थापना की गई है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक किसान स्कूल खोलने की परिकल्पना की गई है।

8.6 सरकार राज्य में सभी 15,008 स्कूलों में दोहरी डेस्क फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्व है, जिसके लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं तथा आदेश में अतिरिक्त 100 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

8.7 सरकार ने पहले ही पी.जी.टी. के 14,216 पदों और जे.बी.टी. के 9,870 शिक्षकों के लिए भर्ती शुरू कर दी है तथा सभी 201 सरकारी सहायता प्राप्त नीजि स्कूलों के 2,000 शिक्षण स्टाफ तथा 700 गैर–शिक्षण कर्मचारियों को अपने अधीन लेने की पहल की है।

8.8 सरकार विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत विभिन्न छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत 43,000 छात्र लाभान्वित हुए है। इस के तहत वर्ष 2013–14 में 409.10 लाख का प्रावधान किया गया है।

8.9 मुफत साईकिल योजना के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति के कक्षा 6वीं, 9वीं तथा 11वीं के छात्रों के लिए 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

8.10 वर्ष 2013–14 में 12.30 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को एक बारगी वार्षिक नकद पुरस्कार योजना के तहत 1.46 करोड़ रूपये तथा मासिक वजीफा योजना के तहत 312 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है जबकि बी.पी.एल./बी.सी.–ए. के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 168 करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं।

8.11 26 जनवरी, 2014 को ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर उन स्कूलों जिनको मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत प्रथम घोषित किया गया है, को 322 लाख रूपये वितरित किए गए है।

8.12 मध्याहन भोजन योजना के तहत छात्रों एवं तैयार भोजन के गुणवत्ता के बीच व्यक्तिगत स्वच्छता को बढावा देने के बारे में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। इसके लिए वर्ष 2013–14 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में तथा 6,860 स्वयं सहायता समूह के लिए हाथ धोने के लिए 70.89 लाख रूप्ये जारी किए गए।

8.13 हरियाणा राज्य में शिक्षा का अनिवार्य अधिनियम/नियम के तहत प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा राज्य के बच्चों को निःशुल्क व जरूरी शिक्षा अधिनियम के प्रावधान के द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को निःशुल्क वर्दी, लेखन सामग्री, स्कूल बैंग और फीस माफी तथा फण्ड प्रदान किए गए है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा तत्परता कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है जो उल्लेखनीय नयाचारों जैसी गतिविधि आधारित शिक्षा को बढावा देता है।

8.14 इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी को पहली बार "शिक्षा सेतू" नाम के कार्ड दिये जा रहे है। यह कार्ड जो माता–पिता को बच्चों की वित्तीय तथा शैक्षणिक हकों की व्याख्या करता है। इसके अलावा मेवात जिले में 22–8–2013 से 27–8–2013 तक "शिरकत–ए–तालीम" कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा राज्य की भविष्य की कार्य योजना का खाका तैयार किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

8.15 भारत सरकार के तत्वाधान में राज्य सरकार 'सर्व शिक्षा अभियान' तथा 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' नामक दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। इस कार्यक्रम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के खर्च का अनुपात 75:25 है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

8.16 शैक्षणिक सत्र 2013–14 के दौरान इस घटक के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान ने 3,834.21 लाख रूपये खर्च किए। इसमें 13,43,528 प्राथमिक व 7,26,758 उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यर्थियों को लाभान्वित किया गया।

विद्यालय अनुदान

8.17 शैक्षणिक सत्र 2013–14 में इस घटक के अन्तर्गत 9,325 प्राथमिक व 5,000 उच्च प्राथमिक स्कूलों को क्रमशः 5,600 रूपये प्रति प्राथमिक स्कूल व 7,000 रूपये प्रति उच्च प्राथमिक स्कूलों को विद्यालय अनुदान प्रदान की गई। जिससे इन विद्यालयो में लघु मुरम्मत कार्य तथा विभिन्न उपकरणो के मुरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य सम्पंन किया गया।

निःशुल्क वर्दी

8.18 सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली समस्त बालिकाओं, अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बालकों के लिए निःशुल्क वर्दी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अन्तर्गत 19,88,360 बच्चों को वर्दी उपलब्ध करवाई गई जिस पर 6,213.77 लाख रूपये खर्च हुए। 400 रूपये प्रति छात्र के हिसाब से 4,34,918 गैर बीपीएल सामान्य तथा अनुसूचित जाति के बच्चें जो सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत कवर नहीं हुए, को उक्त राशि वितरित की गई जिसमें निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा द्वारा भी इतनी ही राशि उपलब्ध करवाई गई।

बालिकाओं के लिए आत्म–सुरक्षा एवं योग प्रशिक्षण

8.19 इस घटक के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की प्राथमिक स्तर की लड़कियों के लिए त्रैमासिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रति स्कूल 50 लडकियों को प्रशिक्षित किया गया।

सामुदायिक प्रशिक्षण

8.20 राज्य के बजट में विभिन्न विद्यालयों कें स्कूल प्रबंधन समितियों के 89,550 सदस्यों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के लिए 268.65 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

सिविल कार्य

8.21 शैक्षणिक सत्र 2013–14 में इस घटक के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के तहत 262.64 लाख रूपये खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें प्राथमिक स्तर पर 7 विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 4 नए विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य किया गया।

8.22 राष्ट्रीय माध्यमिक स्कूल शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 4,357.96 लाख रूपये 2 सेक्शन स्कूल (16नं.) और 18 बालिका छात्रावास निर्माण हेतु प्रदान किए गए है। वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय माध्यमिक स्कूल शिक्षा अभियान द्वारा 16 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रौन्नत किया गया है तथा (एम0एच0आर0डी0) ने चार प्राथमिक विद्यालयों को प्रौन्नत करने की स्वीकृति दी।

उच्चत्तर शिक्षा

8.23 राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और इस वृद्धि की अगले वित्त वर्ष में जारी रहने की संभावना है। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता की वृद्धि और हाल के वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बजट व्यवस्था वर्ष 2012–13 में 927.58 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2013–14 में बढ़ाकर 1097.70 करोड़ कर दी गई है।

8.24 सरकार द्वारा 2013–14 में 7 नए राजकीय महाविद्यालय कला संकाय तथा वाणिज्य संकाय में खोले गए हैं जिसमें से 6 राजकीय महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए। इस गति को भविष्य में जारी रखने की संभावना है। 20 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय शुरू किया जा चुका है। जिसमें से 14 राजकीय महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए।

8.25 पी.जी.आर.सी. मीरपुर को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के नाम से स्तरोन्नत किया जा चुका है। हरियाणा राज्य में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु 122 करोड़ रूपये की राशि चिन्हित की जा चुकी है। वर्ष 2013–14 में 11 निजी स्नातक महाविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं और 30 महाविद्यालयों में नए विषयों को शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में 1,037 सहायक प्राध्यापकों के पद और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 385 लिपिकीय पदों को भरने प्रकिया जारी है जिससे अध्यापक और विद्यार्थी के अनुपात में वास्तविक सुधार होगा।

8.26 विभाग द्वारा राज्य के महाविद्यालयों की गुणवत्ता सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गई है जिसमें 'उत्कृष्टता के केन्द्र,' 'मानव संसाधन विकास,' 'प्रयोगशालाओं की स्तरोन्नति,' 'विज्ञान प्रदर्शनी,' 'शैक्षणिक भ्रमण और पर्यटन,' 'आवश्यक कम्पयूटर शिक्षा,' 'स्मार्ट क्लास रूम' स्थापित करने, 'भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना' जैसी योजनाएं शामिल है।

तकनीकी शिक्षा

8.27 उपयुक्त रूप में शिक्षित तकनीकी व व्यवसायिक व्यक्ति, मानव संसाधनों का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संभाग है जोकि किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को निर्देशित करते है। तकनीकी शिक्षा विभाग राष्ट्रीय और राज्य नीतियों के अनुरूप राज्य में तकनीकी शिक्षा की योजना बनाता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है।

8.28 वर्ष 1966 में हरियाणा के अलग राज्य के रूप में गठन के समय प्रदेश में केवल 6 बहुतकनीकी संस्थाएं, (4 राजकीय एवं 2 सरकारी सहायता) प्राप्त थी एवं एकमात्र क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मलित उपक्रम) कुरूक्षेत्र में था, जिसमें 1341 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता थी। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में 2005 से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2004–05 में 161 तकनीकी शिक्षण संस्थान थे और उनमें छात्र प्रवेश क्षमता 28,445 थी। शैक्षणिक सत्र 2013–14 में संस्थाओं की संख्या बढ़कर 639, तथा छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता 1,44,165 हो गई है।

8.29 विभाग ने तीन तकनीकी विश्वविद्यालयों नामतः गुरू जम्भेश्वर सांईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, हिसार (1995), दीनबन्धु छोटूराम सांईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, मुरथल (2006) तथा यंग मैनज़ करिस्चियन एसोसिएशन (वाई0एम0सी0ए0) सांईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (2009) को स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त विभाग ने चौधरी देवी लाल, मैमोरियल राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, पन्नीवाला, मोटा, सिरसा में भी स्थापित किया है।

राष्ट्रीय योजनाएं

8.30 भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना मानव ससांधन व विकास मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा 200 एकड जमीन पर रोहतक में स्थापित किया जा रहा है। इस संस्थान के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क भूमि प्रदान की है। भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रोहतक वर्तमान में अस्थाई परिसर एम.डी.यू. रोहतक में कार्यरत है। निर्माण कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। नये परिसर का निर्माण कार्य वर्ष 2016 में पूरा होने की सम्भावना है।

8.31 सरकारी तकनीकी संस्थान सोसायटी (जी0टी0आई0एस0), रोहतक, ललित कला एवं शहरी योजना और वास्तुकला, डिजाइन और विज्वल आर्ट जैसे अन्य क्षेत्रों में सीखने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 4 राजकीय कला संस्थान स्थापित किए गये जिनके नाम इस प्रकार हैं, राजकीय डिजाईन संस्थान (80 सीटें), राजकीय फिल्म एंव टेलीविज़न संस्थान (60 सीटें), राजकीय ललित कला संस्थान (90 सीटें) तथा राजकीय शहरी योजना एंव वास्तुकला संस्थान (40 सीटें), की स्थापना रोहतक में की गई है इसके साथ 205 करोड़ रूपये के बजट का प्रवाधान किया है। संस्थान में वर्ष 2011–12 से कार्य शुरू कर दिया गया है। परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी, 2009 में शुरू किया गया था तथा मार्च, 2014 तक होने की संम्भावना है।

8.32 सैन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक एण्ड इंजीनियरिंग टैक्नोलोजी (सी0आई0पी0ई0टी0) जो कि पानीपत में 2006 के एक किराये की संकुचित आवास में कार्यरत था, अप्रैल 2013 में 10 एकड़ में बने नए परिसर दीनबन्धू छोटू राम विश्वविद्यालय (डी.सी.आर.यू.एस.टी.) में स्थानान्तरित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में जमीन दी गई है और इमारत के निर्माण कार्य के लिए 25 करोड़ रूपये प्रदान किए गये हैं। सी0आई0पी0ई0टी0 330 छात्रों की वार्षिक इनटेक के साथ निम्नलिखित 4 पाठ्यक्रम चला रहा है। सी0आई0पी0ई0टी0 प्लास्टिक एवं एलाइड इंडस्ट्रीज के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है तथा उद्योग विभाग, हरियाणा के लिए नियमित रूप से उद्यमिता कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। सी0आई0पी0ई0टी0 का प्लास्टिक टैस्टिंग सैन्टर एन0ए0बी0एल0 एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है।

बहुतकनीकी संस्थान

8.33 वर्ष 2011–12 में 15.25 करोड़ रूपये के निवेश के साथ राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी जिला करनाल में एक नए शिक्षण ब्लॉक का निर्माण किया गया। वर्ष 2012–13 में 4 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता से सरकारी सहायता प्राप्त सी.आर. बहुतकनीकी, रोहतक में एक नई कार्यशाला ब्लॉक का निर्माण किया गया। तीन नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सांघी, सांपला (रोहतक) तथा नरवाना (जीन्द) वर्ष 2011–12 में स्थापित किए गए। प्रत्येक बहुतकनीकी संस्थान के निर्माण में लगभग 25 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। इन संस्थानों की कक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2011–12 से इनके परिसर में स्थानांतरित की जा चुकी हैं। दो नये राजकीय बहुतकनीकी, चौधरी बंसी लाल राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, भिवानी व राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, महम (रोहतक) का वर्ष 2013 में निर्माण किया गया है और पहले चरण में भवनों के निर्माण पर प्रत्येक बहुतकनीकी संस्थान पर 8 करोड़ रूपये खर्च किए गये हैं।

प्रस्तावित नई परियोजनाएं

8.34 6 नये राजकीय बहुतकनीकी राजकीय बहुतकनीकी, शेरगढ, (कैथल), राजकीय बहुतकनीकी, नीमका (फरीदाबाद), राजकीय बहुतकनीकी, इंद्री (मेवात), राजकीय बहुतकनीकी, मन्डकोला (पलवल), राजकीय बहुतकनीकी, मादलपुर (फरीदाबाद), राजकीय बहुतकनीकी, मलाब (मेवात) 15.54 करोड़ रूपये प्रत्येक की अनुमानित लागत पर स्थापित किए जा रहे हैं।

8.35 भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना गॉव किलोड़, जिला सोनीपत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) योजना के तहत किया जा रहा है इस उद्देश्य के लिये ग्रांम पंचायत ने 50 एकड जमीन तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम पर स्थानांतरित कर दी है। परियोजना के लिए एच0एस0आई0आई0डी0सी0 एवं हारट्रॉन का औद्योगिक भागीदारों के रूप में चयन किया गया है।

8.36 राष्ट्रीय डिजाईन सस्थान (एन.आई.डी.) की स्थापना उमरी (राष्ट्रीय राज मार्ग 1 पर) जिला कुरूक्षेत्र में की जा रही है। इस राष्ट्रीय महत्व संस्थान की स्थापना के लिए 20.5 एकड जमीन ग्राम पंचायत उमरी द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

8.37 भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (आई.आई.टी., दिल्ली) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विस्तार परिसर (फैकल्टी डेवलपमेंट) की स्थापना राजीव गॉधी एजुकेशन सिटी, कुडंली, जिला सोनीपत में 50 एकड़ जमीन हुडडा द्वारा निःशुल्क आवंटित की जा चुकी है। परिसर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क, उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग सुविधा और संकाय विकास केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव है। एक अन्य भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान विस्तार परिसर (अुनसधान एव विकास) का गांव बाढ़सा जिला झज्जर में निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए 50 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत बाढ़सा जिला झज्जर से 15 करोड़ की कुल लागत पर खरीदी गई है। परिसर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर एवं जैव विज्ञान अनुसंधान पार्क की स्थापना के लिए प्रस्ताव है।

8.38 राष्ट्रीय फैशन व प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं निफ्ट, दिल्ली के सहयोग से सैक्टर–23, पंचकुला में की जा रही है। इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकार

द्वारा निफ्ट परियोजना हेतु 10 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। निफ्ट परियोजना की ईमारत के बुनियादी ढ़ांचे हेतु एवं पहले चार वर्षो के लिए व्यवहार्यता अन्तर वित्त पोषण के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 99.71 करोड़ रूपये दिये जाएगें। निफ्ट, दिल्ली, भारत सरकार द्वारा जगह के अनुमोदन के बाद जमीन तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा के नाम पर स्थानांतरित कर दी गई हैं। निर्माण कार्य निफ्ट ऑथोरिटीस द्वारा आरम्भ किया जाएगा तथा निर्माण कार्य जुलाई, 2016 तक पूरा होने की सम्भावना है।

8.39 राज्य सरकार राजकीय इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी कालेज गॉव सिलानी केशो झज्जर में स्थापित कर रही है। इसके लिए झज्जर से 9 कि0मी0 दूरी पर गॉव सिलानी केशो में 40 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत ने दी है। जमीन का हस्तांतरण तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हो चुका है तथा ड्राईंग को अंतिम रूप दे दिया गया है। संस्थान की अनुमानित निर्माण लागत लगभग 40 करोड़ रूपये है। चारदीवारी/एप्रोच रोड का निर्माण कार्य पी.डब्लयू.डी. बी. एंड आर., हरियाणा के माध्यम से प्रगति पर है। प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण शीघ्र शुरू होने की संभावना है जिसे 2 साल के भीतर पूरा किया जा सकता है।

8.40 राव विरेन्द्र सिंह राजकीय इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान को गांव जैनाबाद में रेवाड़ी जिले में स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायत जैनाबाद ने 52.50 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है जिसकी जमीन का हस्तांतरण तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा के नाम हो चुका है। संस्थान की अनुमानित निर्माण लागत लगभग 38 करोड़ रूपये है। प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण शीघ्र शुरू होने की संभावना है जिसे 2 साल के भीतर पूरा किया जा सकता है।

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा समिति (एचएसटीईएस)

8.41 विभाग ने हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा समिति (एच.एस.टी.ई.एस.) का गठन राज्य के सभी डिप्लोमा एवं स्नातक तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला विनियमित करने हेतु किया है जोकि पहले हरियाणा स्टेट काउसलिंग सोसाईटी के नाम से जानी जाती थी। सोसाईटी विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा एवं इंजीनियरिंग पाठयक्रमों में लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा धारकों के प्रवेश हेतु लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग परीक्षा का आयोजन करती है। सोसायटी राज्य में शिक्षा की गुणवता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित छात्रवृति भी प्रदान करती हैः

- सी.वी. रमन छात्रवृति के तहत पी.एच.डी. छात्रों के लिए 18,000 रूपये प्रतिमाह तथा साथ में 5,000 रूपये प्रतिवर्ष आकस्मिकता शुल्क के रूप में दिए जाते हैं।
- आर्यभट छात्रवृति के तहत एम.ई./एम. टैक के छात्रों को प्रतिवर्ष 20,000 रूपये या वार्षिक वास्तविक शिक्षण शुल्क (जो भी कम हो) दिया जाता है।
- सर एम. विश्व वरिया छात्रवृति के तहत बी.ई./बी. टैक/बी.आर्क के छात्रों को प्रतिवर्ष 40,000 रूपये या वार्षिक वास्तविक शिक्षण शुल्क (जो भी कम हो) दिया जाता है।
- विश्वमित्रा छात्रवृति के तहत ड़िप्लोमा के छात्रों को प्रतिवर्ष 20,000 रूपये या वार्षिक वास्तविक शिक्षण शुल्क (जो भी कम हो) दिया जाता है।

औद्योगिक प्रशिक्षण

8.42 सुदृढ़ औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए युवा छात्र/छात्राओं को विभिन्न औद्योगिक कौशल में प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 134 संस्थानों (103 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) और 95 प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान 7 राजकीय अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, 2 प्राईवेट अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, 1 राजकीय आर्ट स्कूल रोहतक व 5 प्राईवेट आर्ट स्कूल) के माध्यम से 57,892 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट स्तर का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ये संस्थानो को न केवल कुशल शिल्पकार प्रदान करते है बल्कि स्व–रोजगार के अवसर भी प्रदान करते है।

8.43 वित्त वर्ष 2013–14 विभाग के अन्तर्गत 42,892 सीटों की क्षमता के साथ 134 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) भी शामिल हैं और चल रहे हैं। राज्य में 1 राजकीय कला स्कूल, रोहतक जिसमें 120 विद्यार्थियों के लिए सीटें उपलब्ध हैं, कार्य कर रहा हैं तथा 5 प्राईवेट आर्ट स्कूल जिनमें 600 विद्यार्थियों के लिए सीटें उपलब्ध हैं कार्य कर रहे हैं तथा अम्बाला शहर, रोहतक, जीन्द, भिवानी, नारनौल, सिरसा तथा फरीदाबाद में 7 अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, चलाये जा रहे हैं जिनकी कुल सीटों की क्षमता 300 है। 2 प्राईवेट अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र जिनकी कुल सीटों की क्षमता 40 हैं तथा 95 प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान है जिन में 13,940 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता है। इन संस्थानों में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। राज्य के 134 संस्थानों में से 31 संस्थान केवल महिलाओं के लिए है। शेष संस्थानों में सहशिक्षा है, 30 प्रतिशत सीटें सभी व्यवसायों में लड़कियों के लिए आरक्षित है।

8.44 विद्यार्थियों को बहु–कुशलता व आदर्श प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। प्रशिक्षर्णाथियों के लिये प्रशिक्षण कार्यो को अधिक उपयोगी बनवाने के लिये 31 औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा 62 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने हेतू अंगीकृत किया गया है। संचालय, वित्तीय प्रबन्धन में स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 71 सोसाईटियों का गठन किया गया जिस में 78 संस्थान कवर किये गये है।

8.45 डी0जी0ई0एण्ड टी0 भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्किल डिवलैपमैन्ट इनीशियेटिव स्कीम (एस0डी0आई0) के अर्न्तगत 151 वोकेशनल ट्रेंनिग प्रोवाईडर (वी0टी0पी0) द्वारा विभिन्न माडयूलस में उन छात्रों को जिन्होने स्कूल छोड़ दिया है तथा जो लोग अव्यवस्थित क्षेत्र में काम कर रहे है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम से अब तक कुल 39,518 छात्र लाभान्वित हो चुके है।

सूचना प्रौद्योगिकी

8.46 अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ–साथ घरेलू निवेशकों के लिए भी पसंदीदा निवेश गंतव्य के तौर पर उभरने के कारण हरियाणा आज बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों का ठिकाना है। बैंगलोर और हैदराबाद के बाद गुड़गांव राज्य में आई0टी0 उद्योग के तीसरे बड़े केन्द्र के रूप में उभरने से राज्य ने इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। औद्योगिक एवं निवेश नीति इस उद्योग के लिए 'रैडी टू मूव' स्थल के सृजन एवं विकास के लिए निजी पहलों को प्रोत्साहित करती है। सस्ते स्थल के सृजन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को एकमात्र अति महत्वपूर्ण राज्य प्रोत्साहन आईटी/आईटीईएस सेक्टर के लिए 2.5 के बढ़े हुए एफ0ए0आर0 के प्रावधानों के माध्यम से आया है। एच0एस0आई0आई0डी0सी0 ने हरियाणा में चार स्थानों अर्थात पंचकूला, आईएमटी मानेसर, सोनीपत में कुण्डली और राई में आई0टी0 सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए टैक्नोलॉजी पार्क/इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टैक्नोलॉजी पार्कों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर आई0टी0/साइबर पार्कों की स्थापना के लिए 45 प्रस्तावों को सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 सेक्टर में 28 सेज प्रस्ताव भी अनुशंसित किये हैं। इसमें से, पांच सेज कार्य कर रहे हैं, इन सुविधाओं के लाभकारी उपयोग से आगामी पांच वर्षों में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 सेक्टर में लगभग 13,00,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की सम्भावना है। देशभर में आई0टी0 सेक्टर में रोजगार के मामले में राज्य का हिस्सा 6.8 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने प्रदेश में दूरसंचार तथा संयोजिता आधारभूत संरचना की स्थापना तथा संवर्द्धन के उद्देश्य से एक विस्तृत संशोधित 'संचार एवं संयोजिता आधारभूत संरचना नीति–2013' अधिसूचित की है। राज्य सरकार ने संयोजिता की पहुंच बढ़ाने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत को संयोजिता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नैटवर्क (एन0ओ0एफ0एन0) की स्थापना हेतु भारत सरकार के दूरसंचार विभाग तथा भारत ब्रॉडबैंड नैटवर्क लिमिटेड (बी0बी0एन0एल0) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

8.47 वर्ष 2012–13 के दौरान हरियाणा से सॉफ्टवेयर का निर्यात 4,10,999 करोड़ रुपये (आई0टी0/इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्यात को छोड़कर) के कुल राष्ट्रीय निर्यात का अनुमानित 6 प्रतिशत है।

8.48 विभाग ने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क लागू किया है। इस नेटवर्क के तहत, इंटर तथा इंट्रा डाटा ट्रांसफर/शेयरिंग वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य मुख्यालय को सभी जिला मुख्यालयों, 126 खण्डों/उपमण्डलों/तहसीलों/उप–तहसीलों, हरियाणा सिविल सचिवालय तथा नई दिल्ली में हरियाणा भवन के साथ जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के 1,239 कार्यालय इस नेटवर्क पर समानान्तर कनेक्टिविटी से जुड़ गये हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न विभागों के 500 से अधिक कार्यालय भी समानान्तर जुड़ जाएंगे। स्टेट डाटा सैंटर (एसडीसी) स्थापित किया जा चुका है। उक्त स्टेट डाटा सैंटर की क्षमता बेहद सीमित है और लगभग पूरी तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए, भविष्य में राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिये एक नये परिसर में एक बड़ा और अत्याधुनिक स्टेट डाटा सैंटर स्थापित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, एच0एस0आई0आई0डी0सी0 ने यू0आई0डी0ए0आई0 डाटा सेंटर की स्थापना के लिए यू0आई0डी0ए0आई0 को भी एक 5 एकड़ का प्लॉट आबंटित किया है। इस स्थल पर विकास कार्य प्रगति पर हैं।

8.49 व्यापक नागरिक केन्द्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिये, विभाग ने प्राइवेट इन्टरप्रिन्योरशिप बिजनैस मॉडल का अनुसरण करते हुए पूरे राज्य में 'हरियाणा ई–सेवा' के नाम तथा शैली के तहत नागरिक केन्द्रित सेवाओं की स्थापना तथा इनकी प्रदायगी के लिये योजना अधिसूचित की है तथा पूरे राज्य में निर्बाध रूप से नागरिक सेवाओं की प्रदायगी हेतु 'समेकित ग्राम सूचना एवं सेवाएं प्रणाली' (आई0वी0आई0एस0एस0) के नाम से एक एप्लीकेशन भी विकसित किया है। स्वान, एसडीसी तथा सीएससीज जैसी मुख्य आधारभूत संरचना के सदुपयोग

के लिये स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0) के नाम से एक नई परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

8.50 राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एन0ई0जी0पी0) के तहत विभिन्न मिशन मोड परियोजनाएं नामतः बिजली विभाग की ए0पी0डी0आर0पी0, आबकारी एवं कराधान विभाग के वाणिज्यिक करों का कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य विभाग की अस्पताल प्रबन्धन प्रणाली, परिवहन की भूमि परियोजनाओं, पंचायत और खजाना विभागों, खजाना तथा वित्त विभाग की समेकित वित्त प्रबन्धन प्रणाली (आई0एफ0एम0एस0) क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। रोहतक में ई–जिला का प्रथम पायलट सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, आने वाले वर्ष के दौरान इसे राज्य के सभी जिलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

8.51 प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, राज्य में अब तक 35 हजार से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। हारट्रॉन राज्य भर में अपने 80 ई–शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से हरियाणा सरकार, बोर्डों और निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये नियमित रूप से कम्प्यूटर में स्पेशलाइज्ड एप्रीसिएशन कोर्सिज चला रहा है। राज्य में एक नया शैक्षणिक प्रतिमान विकसित करने के लिये महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम0के0सी0एल0) के साथ संयुक्त सहयोग से एक गैर–सरकारी कम्पनी, हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच0के0सी0एल0) भी स्थापित की गई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

8.52 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही है, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार। विभाग ने दो उत्कृष्ठता केन्द्र स्थापित किए है। पहला केन्द्र डी.एन.ए. टैस्टिंग एवं डायग्नोस्टिक अनुसंधान एवं अनुप्रयोग बारे पौध जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, हिसार में 233.85 लाख रूपये की लागत से तथा दूसरा केन्द्र मुरथल में 1 करोड़ रूपये की लागत से नवीकरणीय ऊर्जा टैस्ट केन्द्र दीनबन्दु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में है। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए आकर्षित करने तथा इसे अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनांए इस प्रकार हैः–

- **विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति स्कीमः–** इस स्कीम के अंतर्गत बी.एस.सी के विद्यार्थियों को 4,000 रूपये प्रतिमाह व एम.एस.सी के विद्यार्थियों के लिए 6,000 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृति दी जाती है। 100 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को उपरोक्त छात्रवृति प्रदान करने के लिए उनकी मैरिट के आधार पर चुना गया है। पहले यह स्कीम बी.एस.सी आनर्स के छात्रों के लिए थी परन्तु इस वर्ष से स्कीम में बदलाव करके इसको बी.एस.सी (मैडिकल व नान मैडिकल) के लिए लागू किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2009–10 से आज तक 701 विद्यार्थियों को लगभग 6.44 करोड़ रूपये की छात्रवृतियां दी गई है।
- **हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीमः–** हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज–1 तथा नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम (एन0एम0एम0एस0) में विज्ञान विषयों में लिखित परीक्षा में नम्बरों के आधार पर उच्च्तम 1,000 विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जाएगी। वर्तमान में एन0टी0एस0ई0 पैटरन के बदलने की वजह से स्कीम संशोधन में है।
- **पी.एच.डी. छात्रों के लिए फैलोशिप स्कीमः–** सी.एस.आई.आर. द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में मेरिट के आधार पर यह छात्रवृति दी जाती है। विज्ञान विषयों के अनुसंधान अध्येता को 12,000 प्रतिमाह पहले दो साल तथा 14,000 रूपये तीसरे वर्ष के बाद दिये जाते है जिसकी अधिकतम अवधि 5 साल तक होती है। इसके अतिरिक्त 20,000 रूपये वार्षिक एक मुश्त राशि दी जाती है। यह स्कीम 2009–10 में शुरू हुई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत 76 विद्यार्थियों को फैलोशिप दी जा चुकी है।

8.53 राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एंव इसकी जानकारी बढ़ाने हेतू विभाग ने अंतरिक्ष यात्री स्वर्गीय कल्पना चावला की याद में करूक्षेत्र में 6.50 करोड़ रूपये की लागत से एक तारामण्डल की स्थापना की है।

8.54 वर्ष 1986 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, हरियाणा के तहत हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सैंटर (हरसक) एक स्वायतः संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। हरसक का उद्देश्य राज्य के विकास की योजना बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना है। इस केन्द्र को रिमोट सैन्सिंग जीआईएस और राज्य में जीपीएस से सम्बन्धित सभी गतिविधियों के लिए एक नोडल संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है।

आज तक यहां पर 130 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और 25 परियोजनाओं में वर्तमान में कार्य चल रहा है। हरसक में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैः–

- **हरियाणा के भूमि अभिलेखों का आधुनिकरणः–** रूपये 32 करोड़ रूपये की लागत की इस परियोजना के अर्न्तगत भू–नक्शों को डिजिटीलाइजेशन भूकर नक्शों को अधिकारों का अभिलेखों के साथ जोडना पुराने राजस्व दस्तावेजों की स्केनिंग, दस्तावेज प्रबन्धन प्रणाली (डी0एम0एस0) का विकास तथा बिना चकबन्दी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण/पूर्नसर्वेक्षण आदि शामिल है। राज्य का लगभग 65,000 उपलब्ध मुसावियों को स्कैन, डिजिटाइज तथा अपडेट किया जा रहा है। फील्ड बुक, मिसल हकियत तथा जमा बन्दी जैसे पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग की जा रही है। भूमि के समुचित सीमाकंन के लिए करीब 120 प्राथमिक नियंत्रक बिन्दु और 600 माध्यमिक निंयत्रक बिन्दु डी0जी0पी0एस0 की मदद से राज्य में स्थापित किये गये हैं। गांव स्तर पर तृतीयक नियंत्रक बिन्दु भी स्थापित किये जा रहे हैं।
- **हरियाणा के शहरों का बेस मानचित्रः–** हरियाणा के प्रमुख शहरों और कस्बों के सटीक और भू–संदर्भित आधार पर नक्शे उपग्रह डेटा का उपयोग कर बनाये जा रहे हैं। इन मानचित्रों का प्रयोग शहर में सडकों, रेलवे नेटवर्क, विद्युत लाईनों, टेलीफोन लाईन, पानी की आपूर्ति लाईनों, सीवर लाईन और अन्य महत्वपूर्ण सम्पत्ति, सुविधाओं बुनियादी ढांचे, स्मारकों आदि को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रयोक्ता विभागों द्वारा किया जा सकता है। इन नक्शेां का उपयोग बिजली/टेलीफोन कम्पनियों, जल आपूर्ति, नगरपालिका आदि द्वारा उपभोक्ता अनुक्रमण और निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता अनुक्रम के लिए किया जा सकता है।
- **हरियाणा के पंचकुला और यमुनानगर जिले में पेड़ कवर मानचित्रणः–** पेड कवर की मैंपिंग 1:10,000 पैमाने पर उच्च उपग्रह चित्रों के द्वारा हरियाणा के पंचकुला और यमुनानगर जिलों में किया गया है। वन के बाहर विभिन्न ट्री कवर वर्गों जैसे प्वांइट, रैखिक और बहुभुज की पहचान और पैमाइश की गई है। ये अनुमान राज्य में वन क्षेत्र का एक वास्तविक आंकडा मुहैया कराएगा जोकि आमतौर पर कम करके आंका जाता है।
- **विकेन्द्रीकृत योजना के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहयोग (एस0आई0एस–डी0पी0):-**राज्य के सभी गांवों में सरकारी सम्पत्ति और बुनियादी ढांचे के जी0पी0एस0 स्थानों को एकत्रित कर उपग्रह चित्रों पर दर्शाया जाएगा। परियोजना में उपग्रह चित्रों पर डिजिटल गांव भूकर नक्शों को भी दर्शाया जाएगा। परियोजना के तहत सभी विभागों से प्राप्त आंकडों को डिजिटिलकरण करके एक परत के रूप में शामिल किया जाएगा। डाटाबेस और संसाधान जानकारी का स्वामित्व सम्बन्धित विभागों के पास ही रहेगा।
- **हरियाणा स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकासः**- इसके उद्वेश्य अधिकृत उपयोगकर्ता एजैन्सियों को सही व नवीनतम भूस्थानिक आंकडे उपलब्ध करवाना तथा इन विभागों की योजना प्रक्रिया में इस डेटा का उपयोग सुनिश्चित करना है। स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इक्टठा, विकसित तथा डिजिटाईज कर अन्तर– प्रचलित तथा संगत बनाकर स्वान नेटवर्क के माध्यम से और विभिन्न विभागों के लिए उपलब्ध करवाएगा। इसके तहत अधिकृत विभागों को संगठित स्थानिक डेटा उपलब्ध करवाने के लिए सर्वरों के एक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा।
- **हरियाणा के विभिन्न भागों में वाटरशैड मुल्यांकनः–** हरियाणा के पंचकुला, अम्बाला, भिवानी और महेन्द्रगढ जिलों में 43 माइक्रो वाटर शैड के लिए यह परियोजना कृषि विभाग, भारत सरकार द्वारा परियोजित है। वर्ष 2007–08 तथा 2012–13 के लिए भू–उपयोग, भू–कवर, मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के नक्शे प्रत्येक वाटरशेड के लिए तैयार किये गये हैं। वाटर शेड परियोजना की वजह से खते के स्तर पर बदलाव का मूल्यांकन करने के लिए इन वाटरशेड नक्शों को भू– आलेख नक्शों के साथ जोडा गया है।
- **एम0 टेक (भू–सूचना विज्ञान) में पाठयक्रम का आरम्भः**- हरसक ने भी दो वर्षीय एम0 टेक डिग्री की शुरूआत की है। स्व वित्त पोषण के आधार पर वर्ष 2009–10 के शैक्षणिक स्तर से जी0जे0यू0एस0एण्ड0टी0, हिसार के सहयोग से शुरू किये गये इस पाठयक्रम में द्विपक्षीय व्यस्था के तहत 30 छात्रों को दाखिला दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य

8.55 हरियाणा सरकार राज्य के सभी नागरिकों को गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतू प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा जनसंख्या के सभी वर्गों जैसे; शिशु, बच्चे, किशोर, माताएँ, योग्य दम्पत्ति, बुजुर्ग तथा बीमार एवं दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का विकास

8.56 राज्य में 56 अस्पतालों, 109 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 467 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2,630 उप स्वास्थ्य केन्द्रों, 7 ट्रामा केन्द्र, 15 जिला क्षय रोग केन्द्र/क्लीनिक्स, 90 आर0सी0एच0 केन्द्रों तथा 473 प्रसूति गृहों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही हैं इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 में 11 पालीक्लिनिक, 4 औषधालय और 11 शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों को शुरू किया गया हैं।

निःशुल्क दवाईयों की आपूर्ति

8.57 राज्य में स्थित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के बहिरंग रोगियों/आपातकालीन रोगियों तथा प्रसूति मामलों के लिए दवाईयों की व्यवधान रहित एवं निशुल्क आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ 1–1–2009 से निशुल्क दवा खरीद नीति आरम्भ की गई थी।

औषधि भण्डार गृह (वेयर हाउस)

8.58 राज्य में अम्बाला, करनाल, कैथल, गुडगांव, भिवानी, रोहतक तथा हिसार सहित 7 जिलों में औषधि भण्डार गृहों की पहचान की गई है। जिनमें से 5 भण्डार गृह सरकारी भवनों में हैं तथा अम्बाला तथा करनाल में 2 भण्डार गृह किराए पर लेने के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा रैन्ट डीड हस्ताक्षरित की जा चुकी है। सोनीपत तथा फरीदाबाद में दो नए औषधि भण्डार गृह सृजित करने का प्रस्ताव है।

चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए दवाइयाँ खरीदना

8.59 हरियाणा सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए दवाइयाँ खरीदने हेतू टी0एन0एम0एस0सी0 नामक हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। आशा है कि जैसे ही हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम कार्य करना आरम्भ कर देगा तभी से चिकित्सा महाविद्लायों सहित सभी प्रकार की दवाईयों की खरीद इस निगम द्वारा की जायेगी। तब तक यह खरीद मिशन निदेशक हरियाणा के माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ–साथ विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के लिए की जायेगी। हरियाणा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 1 नवम्बर, 2013 से अनिवार्य औषधि सूची के अनुसार दवाइयां खरीदने का प्रस्ताव है।

ऑनलाईन औषधि खरीद प्रणाली

8.60 हरियाणा राज्य द्वारा दवाइयों की खरीद तथा मांग सृजन प्रणाली हेतू वेब आधारित औषधि सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू की गई है।

सर्जरी पैकेज कार्यक्रम

8.61 स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा एक सघन सर्जरी पैकेज योजना 1 जुलाई, 2009 को आरम्भ की गई। इस योजना के तहत निश्चित लागत पर, वहन योग्य तथा परेशानी रहित उच्च गुणवत्ता की सर्जरी हरियाणा के सभी जिला हस्पतालों में की जा रही है।

मुख्यमंत्री मुफत ईलाज योजना

8.62 यह योजना दिनांक 1–1–2014 को लागू की गई। इस योजना के तहत सभी स्वास्थ्य सेवायें मुफत दी जा रही हैं (लगभग 215 तरह की शल्य चिकित्सा)। सभी तरह की जांच (लगभग 30 तरह के लैब टैस्ट), निशुल्क एक्सरे, ई.सी.जी. व अल्ट्रासाउण्ड 80 तरह के लैब टैस्ट मैडिकल कॉलेजों में, सभी अन्तरंग सेवायें, मुफत दवाईयां, वाहन सेवा, निशुल्क दन्त चिकित्सा, कुछ प्रत्यारोपण सुविधांए सभी जिला अस्पतालों में उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री मुफत ईलाज योजना में 261 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान है। हरियाणा सरकार कार्यक्रम को परेशानी मुक्त सफल कार्यान्वयन के लिए बजट के साथ चलायेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

8.63 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 मे लागू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005–2012) का प्रथम चरण 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुआ। 1 अप्रैल, 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2012–2017) का द्वितीय चरण शुरू किया गया था।

तालिका 8.1–12वीं पंचवर्षीय योजना की वर्तमान स्थिति और लक्ष्य

सूचकांक	भारत	हरियाणा	
		वर्तमान स्थिति	लक्ष्य 2017
मातृ मृत्यु दर	212 (एस0आर0एस0 7–9)	153 (एस0आर0एस0 7–9)	80
शिशु मृत्यु दर	44 (एस0आर0एस0 2010)	42 (एस0आर0एस0 2011)	28
नवजात मृत्यु दर	33 (एस0आर0एस0 2010)	33 (एस0आर0एस0 2010)	23
जल्दी नवजात मृत्यु दर	25 (एस0आर0एस0 2010)	25 (एस0आर0एस0 2010)	15
5 साल के नीचे की मृत्यु दर	55 (एस0आर0एस0 2010)	55 (एस0आर0एस0 2010)	32
कुल जन्म दर	2.3 (एस0आर0एस0 2010)	2.3 (एस0आर0एस0 2010)	2.0
लिंग अनुपात	940 (2011 जनगणना)	879 (2011 जनगणना)	950
गर्भनिरोधक दर		63 %(एन0एफ0एच0एस03 2007)	75%
संस्थागत प्रसव		83%	100%
पूर्ण टीका करण		71.1% (सी0ई0एस0 2009)	100%
प्रसव पूर्व देखभाल कवरेज		84%	100%
अस्पतालों में प्रति लाख जनसंख्याओं पर बेड की संख्या में प्रतिशत वृद्धि		10048	25% (12500)
कम से कम 100 आई0एफ0ढ0 गोलियों का सेवन की हुई गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत		71%	90%

मातृ स्वास्थ्य

8.64 हरियाणा राज्य में संस्थानागत प्रसूतियां वर्ष 2005 में 43.30 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2013 में 84.2 प्रतिशत हो गई। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में संस्थानागत प्रसूतियों की संख्या में वर्ष 2006 में 16.30 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013 में 47 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जननी सुरक्षा योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति की गर्भवती महिलाओं को सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के हस्पताल में प्रसव करवाने पर 1,500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, बशर्ते कि उसकी आयु 19 वर्ष से अधिक हो। जननी सुरक्षा योजना (भारत सरकार स्कीम) के तहत प्रसवोपरान्त माताओं के लिए अच्छी खुराक एवं देखभाल सुनिश्चित करने हेतु शहरों में 600 रूपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 700 रूपए की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह योजना बी.पी.एल. तथा अनुसूचित जाति/जन जाति के उन परिवारों के लिए हैं जिनके दो जीवित बच्चे हों तथा लाभार्थियों की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक हो। इस योजना के तहत वर्ष 2013–14 (अक्तूबर, 2013 तक) लाभार्थियों की कुल संख्या 17,106 रही है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1–6–2011 को चलाई गई, जिसके तहत सरकारी संस्थानों में प्रसव करवाने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सामान्य प्रसव के लिए तीन दिन तक तथा सिजेरियन प्रसव के लिए सात दिन तक निःशुल्क आहार प्रदान किया जाता है, खून तथा सभी जांच सुविधाओं का निःशुल्क प्रावधान, जनस्वास्थ्य संस्थानों में बीमार नवजात शिशुओं का उपचार 30 दिन तक शून्य खर्चे पर आरम्भ किया जा रहा है।

बाल स्वास्थ्य

8.65 सी.ई.एस. 2009 के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 71.7 प्रतिशत आंकी गई जबकि डी.एल.एच.एस. (2007–08) के अनुसार यह संख्या 59.6 थी। राज्य में 21–12–2012 से पेंटावेलेंट वेक्सीनेशन आरंभ की जा चुकी है। सभी नवजात शिशुओं को समय–सारिणी के अनुसार पेंटावेलेंट वेक्सीन की तीन खुराकें देना सुनिश्चित करनें हेतू आवश्यक हिदायतें पहलें ही जारी के जा चुकी हैं तथा स्वास्थ्य कार्यकताओं को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। इस वैक्सीन से 5 बीमारियों जैसे गलघोटू, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी तथा हिब नीमोनिया से रोकथाम होती है। 19 एस.एन.सी.यू. (रोगी नवजात शिशु देखभाल यूनिटें) जिला हस्पतालों में स्थापित की जा चुकी हैं। 3 एस.एन.सी.यू. जिला हस्पताल झज्जर, जीन्द एवं उप जिला अस्पताल बहादुरगढ़ में प्रगति पर है। 58 नवजात स्टैबलाईजिंग यूनिटें सभी जिलों में स्थापित की जा चुकी हैं। 192 प्रसूति स्थलों पर, प्रसूतियों की संख्या के आधार पर एन0बी0सी0सी0 स्थापित किए जा चुके हैं। लगभग सभी जिलों में 11,432 आशाओं को

पांच दिन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यशोद्धा योजना वर्ष 2011 में सभी जिलों में आरम्भ की जा चुकी है। फरवरी, 2013 में महाराष्ट्र में 0 से 18 साल तक के सभी बच्चों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस योजना को लागू करने में महाराष्ट्र के बाद देश में हरियाणा का दूसरा नंबर है।

आशा

8.66 आशा समाज तथा स्वास्थ्य प्रणाली के बीच की एक कड़ी है। एन0आर0एच0एम0 के तहत अब तक 16,815 आशा शामिल की जा चुकी है जिन्हें प्रदर्शन के आधार पर मानदेय प्रदान किया जाता है।

पी.एन.डी.टी./लिंग अनुपात

8.67 महिला भ्रूण हत्या तथा विपरीत लिंगानुपात की समस्या को निपटाने के लिए फरवरी, 1996 में राज्य में पी.सी. तथा पी.एन.डी.टी. अधिनियम लागू किया गया। हरियाणा सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है तथा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संवेदनशील नीतियां तैयार की गई हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2012 में 0–6 साल के आयु वर्ग के जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 853 महिलांए/1000 पुरूष हो गया। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 877 महिलांए/1000 पुरूष हो गया। जो पिछले 100 वर्षों के दौरान सर्वाधिक है। जून, 2013 के दौरान लिंग अनुपात 867 महिला/1000 पुरूष रहा। हरियाणा सरकार बालिकाओं के हितों की रक्षा हेतु कृत संकल्प है तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनेकों कदम उठाए गए हैं।

नेहरू दृष्टि योजना

8.68 वर्ष 2009–10 में 20 नये नेत्रदान केन्द्र खोले गए है (1 नेत्र बैंक हर जिलें में, रोहतक के अतिरिक्त जहां पहले से ही नेत्र बैंक कार्यरत है)। सभी जिलों से 245 आंख की पुतलियां (कॉर्नियां) एकत्रित की गई हैं। नेत्र स्पेशलिस्ट टीम द्वारा सभी कार्नियल दृष्टि हीन मरीजों का निवारण पी0जी0आई0एम0एस0 रोहतक में निःशुल्क किया जाता है सर्जरी मरीजों का उनकी खोई आंखों की रोशनी का वापिस लाने में मदद करती है। तीन नेत्रदान केन्द्र, 10 नेत्र बैंक तथा 8 सी0टी0सी0 निजी क्षेत्र में हैं तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

आयुष

8.69 आयुर्वेद, योगा तथा नेचरोपैथी, युनानी, सिद्वा एंव होम्योपैथी (आयुष) इन सभी पैथियों की भारत वर्ष के सभी वर्गो में प्राचीन समय से मान्यता है। आयुष ओषध प्रणाली आजकल रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे क्रोंनिक रोगों के उपचार एंव रोकथाम में, जिनका ईलाज आधुनिक चिकित्सा में सम्भव नही है, महत्वपुर्ण भूमिका निभाती है।

8.70 आयुष विभाग हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य बारे जागरूक कर रहा है। इस उदेश्य के लिए 3 आयुर्वेदिक हस्पताल, 1 यूनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 458 आयुर्वेदिक, 18 यूनानी एंव 20 होम्यो0 औषधालय तथा एक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, पंचकूला में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 33 आयुष औषधालय (29 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी एवं 2 होम्योपैथिक) तीन स्पैशल आयुष क्लीनिक (गुडगांव, हिसार, अंबाला) तथा एक स्पैशलाईजड थैरेपी सैन्टर जीन्द में वर्ष 2009–10 में स्थानांतरित किये गये तथा उनको उच्चस्तरीय सुविधाओं से युक्त किया गया।

8.71 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत 21 आयुष विंग जिला हस्पतालों पर, 92 आयुष आई0पी0डी0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर तथा 100 आयुष ओ0पी0डी0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं तथा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

8.72 6 पंचकर्मा सैंन्टर पंचकुला, अम्बाला, गुडगाव, रोहतक, हिसार तथा जीन्द में पूर्ण रूप से कार्य कर रहे है, शेष 15 सैंन्टरों को स्थापित करना प्रगति में है।

8.73 विभाग में श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज कुरूक्षेत्र के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जा रही है। 6 आयुर्वेदिक तथा 1 होम्योपैथिक कालेज निजी क्षेत्रों में प्राइवेट मैनेजमैन्ट के द्वारा चलाये जा रहे हैं।

8.74 स्व0 श्री बाबा खेता नाथ के नाम से गावं पटटीकड़ा (नारनौल) में नया राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं हस्पताल स्वीकृत किया गया है, हस्पताल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

8.75 वित्त वर्ष 2012–13 में आयुष विभाग के लिए 7.82 करोड़ रूपये प्लान स्कीम के अन्तर्गत तथा नान प्लान स्कीम के लिए 75.56 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई थी। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान प्लान स्कीम के लिए 25 करोड़ रूपये तथा नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत 84.41 करोड़ रूपये की राशि आयुष विभाग के लिए स्वीकृत की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

8.76 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत ई0एस0आई0 स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा द्वारा राज्य के 13.68 लाख बीमाकृत व्यक्ति एवं उनके परिजनो को 62 ई0एस0आई0 डिस्पैंसरीयो (1 चल औशधालय व 2 आयुर्वेदिक ईकाई) तथा 7 ई0एस0आई0 हस्पतालो के (4 राज्य ई.एस.आई हस्पताल तथा 3 ई .एस.आई सी हस्पताल) द्वारा राज्य के सभी जिलो में सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधाए प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार केवल प्राथमिक व सैकेण्डरी सुरक्षा ही प्रदान करता है तथा टरशरी केयर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निजी इम्पैनल हस्पतालों के सहयोग से स्वयं ही प्रदान करता है। बीमाकृत लोगों तथा उनके परिवार के सदस्यों को अब तक 23.78 लाख बाहय रोग तथा 17,903 को अन्तरंग रोग चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

8.77 5 नई ई.एस.आई डिस्पैंसरियां एक में 2 डाक्टरीय, नारनौल (महेन्द्रगढ़) एक खेडकीढ़ौला में 5 डाक्टरीय व एक ईस्लामपुर में 5 डाक्टरीय, जिला गुडगांव, एक (ई.एस.आई डिस्पैंसरी–55) सैक्टर–22 फरीदाबाद मे व एक बल्लभगढ मे शुरू की गई है। ई0एस0आई0 हस्पताल, एन0एच0–3, फरीदाबाद जिसें दिनांक 29–09–2013 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद को सौंपा जा चुका है, में कार्य आरम्भ हो चुका है। ई.एस.आई. डिस्पैंसरी नं0 1, गुडगॉव में नई आयुर्वेदिक ईकाई का गठन किया जा चुका है। दो नये भवन एक मुरथल व एक करनाल में ई.एस.आई. डिस्पैंसरीज के लिये अधिग्रहत किये जा चुके हैं। ई.एस.आई डिस्पैंसरी ई.एस.आई. डिस्पैंसरी, रोहतक को मॉडल डिस्पैंसरी–कम डायगनोस्टिक सैंटर के रूप में अपग्रेड करने हेतू सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। ई.एस.आई डिस्पैंसरी रोहतक को पांच ई.एस.आई डिस्पैंसरी मे अपग्रेड कर दी गई है। नए क्षेत्र जिला भिवानी (नोरंगाबाद, बोपारा, कालूवास व देवसर) के क्षेत्र में दिनांक 1–11–2013 से नये क्षेत्रों को ई.एस.आई योजना के अन्तर्गत लाने हेतू ई.एस.आई. डिस्पैंसरी, भिवानी को विस्तारित किया गया है।

8.78 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हरियाणा के सभी जिलों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को धनरहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु योजना है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थी बीमाकृतों को 30,000 रुपये अन्तरंग रोगी को चिकित्सा सुविधाएं प्रति परिवार प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती है। हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने में अग्रणीय राज्य है जिसे भारत सरकार द्वारा उसकी उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार 4 वर्षों में प्रशंसा पत्र भी प्रदान किये गये। हरियाणा के सभी 21 जिलों मे आर.एस.बी.वाई. स्कीम का विस्तार किया गया है। आर.एस.बी.वाई. स्कीम के अन्तर्गत भवन एवं निर्माण मजदूरों को, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को तथा स्ट्रीट वेंडरस को भी शामिल किया गया है। हरियाणा राज्य में आर.एस.बी.वाई. स्कीम के अन्तर्गत नरेगाा कार्यकर्ता, घरेलू नौकर, रैग पीकर, आटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, सफाई कार्यकर्ता और खनन कायकर्ता आदि को शामिल करने का कार्य भी चल रहा है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

8.79 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा द्वारा राज्य को ऐसे हुक्का बारो जोकि राज्य के विभिन्न भागों में युवाओ को निकोटिन युक्त तम्बाकू मोलासिस देते है से उन्मूलन के लिए राज्य को देश का प्रथम हुकका बार मुक्त राज्य बनाने के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे है।

8.80 विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा राज्य भर में विभिन्न दुकानो पर की गई रेड में ऐसी शैडल्यू–एच दवाइयां पाई गई जिनमें नारकोटिक्स तथा साइकोट्रॉपिक पदार्थ होते है और जिनका दुरूपयोग आमतौर पर नशे के लिए युवाओ द्वारा किया जाता है। विभिन्न संयुक्त टीमों द्वारा लगभग 300 छापे मारे गए तथा लगभग 100 केमिस्टों की दुकानों के लाईसैंस रद्व व निलम्बित किए गए और 50 से अधिक मुकदमें दायर किए गए। 50 से अधिक मामलों में नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई। हरियाणा राज्य को ''मेडिकल नशा मुक्त राज्य'' बनाने के लिए यह कदम उठाए गए।

8.81 खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 के तहत विभिन्न सांविधिक पदाधिकारियों को इस राज्य में लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया। विभिन्न वैधानिक अधिकारियों ने इस नव अधिनियमित कानून के तहत अधिसूचित की गई। खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य व्यापारियों का पंजीकरण/लाईसैंस ऑनलाइन करने की प्रकिया शुरू कर दी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा ने खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 के तहत राज्य में ''खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण'' की स्थापना करके जिला स्तर न्यायालय अम्बाला और गुड़गांव को अधिसूचित किया गया।

8.82 हरियाणा सरकार ने दिनांक 15–8–2013 को गुटखा और तंबाकू/निकोटीन युक्त पान मसाला आदि के निर्माण पर प्रतिबंद लगा दिया गया है। खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियिम 2006 के तहत राज्य भर में ऐसे पदार्थो के 50 से अधिक नमूने इन पदार्थो पर प्रतिबंद लगाने के बाद जांच हेतू लिए गए।

8.83 हरियाणा उत्तरी भारत में ऑनलाइन लाईसैंस जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया। निर्माण ईकाइयों तथा दुकानों की निरंतर निगरानी के लिए जांच हेतू नमूने लेने व निरीक्षण का कार्य किया गया (कुल 6,106 दुकानों के निरीक्षण, 244 निर्माण ईकाइयों के निरीक्षण तथा 2,203 दवाओं के नमूने जांच हेतू लिए गए)। इनसे घटिया तथा नकली दवाओं की घटनाओं को कम करने में सहायता की तथा लगभग नग्नय कर दिया। हरियाणा राज्य भर में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत 98 मुकदमें इस वर्ष में दायर किए गए। हरियाणा राज्य में इस वर्ष 44 में से 27 मुकदमों में दोषियों को सजा हुई। इस प्रकार सजा की दर 62 प्रतिशत से अधिक रही जोकि पूरे देश में सर्वाधिक है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान

8.84 राज्य सरकार ने सन् 2009 में राज्य में चिकित्सा शिक्षा के प्रसार एवं सुधार पर ध्यान आकर्षित कराने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों से पृथक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान निदेशालय का सृजन किया।

8.85 हरियाणा सरकार राज्य में तीन नए मेडिकल कालेज– बी. पी. एस. महिला मेडिकल कालेज, खानपुर कलां (सोनीपत), मेडिकल कालेज नल्हर (मेवात) तथा कल्पना चावला मेडिकल कालेज, करनाल–स्थापित कर रही है। सरकार ने चार नये मेडिकल कालेज खोलने हेतू एन0ओ0सी0 जारी किए है जिनमें से 3 निजी क्षेत्र में इसराना (पानीपत) कैथल और कंडेला (जींद) तथा एक ई0एस0आई0सी0 फरीदाबाद का है। राज्य में मौजूदा मेडिकल संस्थानों का विवरण इस प्रकार हैः–

संस्थान	सरकारी	गैर सरकारी	कुल	कुल सीटें
मेडिकल कालेज	3	4 (एक सरकारी सहायता प्राप्त)	7	एम बी बी एस 850 पोस्ट ग्रेजुएट 221
डेंटल कालेज	1	10	11	बी डी एस 1010 एम डी एस 104
आयुर्वेदा कालेज	1	6	7	बी ए एम एस 380
होम्योपैथी कालेज	–	1	1	50
फिजियोथ्रेपी कालेज	1	10	11	बी पी टी 650 एम पी टी 100
नर्सिंग कालेज				
ए एन एम	8	77	85	4293
जी एन एम	3	76	79	4220
बी एस सी	01	30	31	2940
एम एस सी	–	02	02	70
एमपीएचडबल्यू(मेल)	2	16	18	1080

बी0पी0एस0 महिला मेडिकल कालेज, खानपुर कलां (सोनीपत)

8.86 मेडिकल कालेज एवं नर्सिंग कालेज की अनुमानित लागत 584 करोड़ रूपये है। प्रथम चरण में 100 सीटों का महिला मेडिकल कालेज, जिसके साथ 500 बैड का हस्पताल होगा, अनुमानित 374 करोड़ रूपये की लागत से महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां के प्रांगण में स्थापित किया गया है। 350 बैड क्षमता का हस्पताल जिसमें 5 मोड्यूलर आप्रेशन थिएटर, 20 बैड का आई0सी0यू0, 10 बैड का एम0आई0सी0यू, 10 बैड का एन0आई0 सी0यू0 तथा 1,200 से 1,500 ओ.पी.डी. रोगी प्रतिदिन शामिल हैं, पूर्णतया कार्यरत है। मेडिकल कोंसिल आफ इण्डिया ने शिक्षण सत्र 2012–13 में 100 छात्रों को दाखिला देने की अनुमति प्रदान कर की। प्रथम बैच में 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों को अगस्त, 2012 में दाखिला दिया गया और मेडिकल कोंसिल आफ इण्डिया की अनुमति के प्राप्ति के बाद दूसरे बैच में शिक्षण वर्ष 2013–14 का भी दाखिला हो चुका है। दूसरे चरण में नर्सिग कालेज के साथ–साथ आवासीय भवन, हस्पताल का हिस्सा, होस्टल आदि का निर्माण किया जाएगा।

शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कालेज नल्हर (मेवात)

8.87 इस मेडिकल कालेज एवं हस्पताल, डेंटल कालेज और नर्सिंग कालेज की अनुमानित लागत 507 करोड़ रूपये है। प्रथम चरण में अनुमानित 389 करोड़ रूपये की लागत से 100 सीटों का मेडिकल कालेज तथा 500 बैड का हस्पताल स्थापित किया गया है। परियोजना का निर्माण कार्य जुलाई, 2009 में आरम्भ किया गया, जिस पर अब तक 283.08 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। हस्पताल भवन का 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण

हो चुका है जिसमें ओ.पी.डी/आई.पी.डी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मेडिकल कोंसिल आफ इण्डिया से अनुमति प्राप्त होने पर शिक्षण सत्र 2013–14 में 100 छात्राओं का प्रथम बैच आरंभ हो चुका है।

कल्पना चावला मेडिकल कालेज, करनाल

8.88 करनाल में राज्य सरकार प्रसिद्व अन्तरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में 100 सीटों का मेडिकल कालेज स्थापित कर रही है। मौजूदा जिला हस्पताल को 200 बिस्तर से बढ़ाकर 300 बिस्तर का करके प्रस्तावित मेडिकल कालेज से जोड़ा जाएगा। निर्माण कार्य टर्नकी आधार पर भारत सरकार की अण्डरटेकिंग एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है।

पं0बी0डी0 शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक

8.89 राज्य सरकार ने 2 जून, 2008 को पं0बी0डी0 शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक की स्थापना की। विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित पी.जी.आई.एम.एस. प्रति वर्ष 200 एम.बी.बी.एस. तथा 221 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को डिग्री प्रदान करता है। प्रतिवर्ष 60 बी.डी.एस. और 9 एम.डी.एस. छात्रों की क्षमता वाला डेंटल कालेज भी इसी के प्रांगण में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में अनेक अन्य कोर्स जैसे रेडियोग्राफी एवं रेडियोथैरेपी टेकनोलोजी में डिप्लोमा, पैरा मेडिकल, ओपथाल्मिक सहायक कोर्स, डेंटल मैकेनिक और डेंटल हाईजिनिष्ट कोर्स आदि चलाए जा रहे हैं।

महाराजा अग्रसैन मेडिकल कालेज अग्रोहा, जिला हिसार

8.90 राज्य सरकार 50 सीटों वाले महारा अग्रसैन मेडिकल कालेज अग्रोहा, हिसार को आवर्ती खर्च के लिए 99 प्रतिशत सहायता एवं अनावर्ती खर्च के लिए 50 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराती है।

एम्स, नई दिल्ली का विस्तार (एम्स–II) गांव बाढ़सा, जिला झज्जर

8.91 राज्य सरकार ने एम्स–II (नई दिल्ली) के लिए 300 एकड़ जमीन अलाट की है। इस जमीन की कीमत 48 करोड़ है जिसका भुगतान राज्य सरकार ग्राम पंचायत को 5 समान किश्तों में करेगी। अब तक 9.60 करोड़ रूपये तीन किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। अनुमानित 20 करोड़ रूपये की लागत से एम्स–II में ओ.ओ.पी.डी. सेवाएं दिनांक 24 नवम्बर, 2012 से आरम्भ हो चुकी हैं। 1,800 करोड़ रूपये की लागत से 600 बैड का नेशनल केन्सर इंस्टीच्यूट स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

गांव माजरा श्योराज, जिला रिवाड़ी में मेडिकल कालेज की स्थापना

8.92 राज्य सरकार का गांव माजरा श्योराज, जिला रिवाड़ी में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर मेडिकल कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव है। ग्राम पंचायत ने राज्य सरकार को 27 एकड़ जमीन 99 साल के पट्टे पर दी है। राज्य सरकार ने एक ट्रांससक्शनैल सलाहकार की नियुक्ति की है, जो प्राईवेट पार्टियों से निविदा आमन्त्रण करने के लिए आवश्यक शर्तें तैयार करेगा जिसकी प्रक्रिया जारी है।

महिला एवं बाल विकास

8.93 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा महिलाओं एवं बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं केन्द्रीय स्तर में, राज्य स्तर में तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से चला रहा है। वर्ष 2013–14 के बजट में 89,199.17 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और दिसम्बर–2013 तक 36,176.33 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

8.94 समेकित बाल विकास सेवाएं योजना भारत सरकार की फलैगशीप योजना है जिसका उदेश्य 0–6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनौविज्ञानिक तथा सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्यूदर, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाओं को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखरेख, संदर्भित सेवाएं, अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा 15–45 वर्ष की महिलाओं को समेकित रूप से प्रदान की जा रही हैं। यह योजना 21 शहरी परियोजनाओं सहित 148 खण्डों में 25,962 आंगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, के माध्यम से चलाई जा रही हैं। वर्तमान में 25,838 (99.52 प्रतिशत) आंगनवाडी केन्द्र कार्यरत हैं।

आई0सी0डी0एस0 योजना को सदृढ़ तथा पुर्नगठन करना

8.95 भारत सरकार द्वारा आई0सी0डी0एस0 योजना को चरणबद्व तरीके से सदृढ़ तथा पुर्नगठन किया गया है। जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रबन्धन तथा संस्थागत सुधार, नार्मज में बदलाव तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में आई0सी0डी0एस0 को मिशन मोड़ में लागू करना शामिल है। इस उद्धेश्य के लिए 5 जिलों नामतः फरीदाबाद,

कैथल, गुड़गांव, पानीपत तथा यमुनानगर का चयन प्रथम चरण में तथा जिला नारनौल, भिवानी, रिवाडी तथा रोहतक को दूसरे चरण में कवर किया जायेगा। इन जिलों में गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओ, बच्चों तथा किशोर बालिकाओं के लिए पोषाहार की संशोधित दरे लागू की जायेगी जो कि बच्चों को 6 रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन 7 रूपये प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता तथा 9 रूपये प्रति अत्याधिक कुपोशित बच्चा की दर से लागू होंगी। वित्त विभाग द्वारा इन 9 जिलों के लिये पूरक पोषाहार की दरों में संशोधन को अनुमोदन कर दिया गया है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

8.96 राज्य सरकार की प्राथमिकता आई0सी0डी0एस0 लाभ पात्रों को गुणात्मक पोषाहार प्रदान कर पोषाहर स्तर को सुधारना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 मास से 6 वर्ष आयु तक के 10.99 लाख बच्चों तथा 3.28 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार व अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पूरक पोषाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत सरकार से गेंहू आधारित पोषाहार कार्यक्रम के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर की जा रही है। यह अनाज आंगनवाडी केन्द्रों मे कन्फड तथा हैफेड के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। नई व आकर्षक रैस्पीज जैसे की आलू पूरी, भरवां परांठा, मीठे चावल, दलिया, पंजीरी तथा गुलगले दिये जा रहे हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिन में दो बार सुबह के सनैक्श तथा गर्म पका हुआ खाना दिया जा रहा है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को घर ले जाने के लिए राशन दिया जा रहा है।

8.97 विभाग द्वारा समेकित बाल विकास समायोजना के अन्तर्गत दिये जा रहे पूरक पोषाहार की गुणवत्ता तथा मात्रा को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैः–

1. आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनाज के उचित रखरखाव तथा स्वास्थ्यकार परिस्थिति में बनाने बारे राज्य स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की कमेटियों का गठन किया गया है। इन कमेटियों द्वारा प्रत्येक मास आंगनवाड़ी केन्द्रों का दौरा किया जाता है।
2. आंगनवाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण तथा मुल्याकंन हेतु नया मूल्यांकन फार्मुला लागू किया गया है।
3. पूरक पोषाहार के अंतर्गत अनाज की खरीद हेतु जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में खरीद कमेटियों का गठन किया गया है।
4. जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त खाद्य एंव आपूर्ति नियन्त्रक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एंव बाल विकास परियोजना अधिकारी की अध्यक्षता में निरीक्षण कमेटियों का गठन किया गया है।
5. गांव स्तर पर पूरक पोषाहार के मुल्यांकन हेतु ग्राम स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है।
6. सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वह आंगनवाड़ी केन्द्रों में सप्लाई किये जाने वाले खाद्यय पदार्थो का लैब जांच करवायें। उसके बाद आकस्मिक नमूना लिया जाता है जिसका समय ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों को हो।

8.98 खाद्यय सुरक्षा अधिनियम–2013 में दिये गये प्रावधान अनुसार उचित कदम उठाये जाने बारे हिदायतें जारी की गई हैं ताकि निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जा सकेः–

a) आई0सी0डी0एस0 योजना के तहत जो खाद्य पदार्थ सप्लाई किये जा रहे वह सुरक्षित तथा पोषक हो।
b) इस बारे सर्तक रहे तथा कोई भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लघंन करे तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाये।
c) यह सुनिश्चित किया जाये कि खाद्य पदार्थ शून्य संक्रमणित है।

8.99 राज्य सरकार द्वारा सभी आंगनवाडी केन्द्रों मे खाना बनाने के साथ–साथ खाना वितरित करने के बर्तन उपलब्ध करवाए गए हैं। 12,722 आंगनवाडी केन्द्रों मे 4.32 करोड़ रुपये की राशि से गैस के चूल्हे स्वीकृत किये गये हैं।

आंगनवाड़ी भवन के निर्माण

8.100 बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू वर्ष 2002–03 में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई। एक आंगनवाड़ी भवन के निर्माण की अनुमोदित लागत 9.95 लाख रूपये है। सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपने भवनों में चलाये जाने से महिलाओं तथा बच्चों से सम्बन्धित योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू किया

जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 तक 3,915 भवनों के निर्माण के लिए 197 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के अन्तर्गत आर.आई.डी.एफ. XVI व आर.आई.डी.एफ. XVII परियोजना के तहत 1,930 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए 164 करोड़ रूपये की राशि की सहायता प्राप्त की है। इन परियोजनाओं को 3 वर्ष की अवधि में पूरा कर लिया जायेगा। कुल 197 करोड़ रूपये के खर्च की गई राशि में से 65.28 करोड़ रूपये की राशि 768 आंगनवाड़ी भवानों के निर्माण हेतु नाबार्ड ऋण के रूप में सहायता प्राप्त हुई थी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों का मानदेय

8.101 राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को 7,500 रूपये का मानदेय (2,700 रूपये केन्द्रीय हिस्सा एवं 300 रूपये राज्य हिस्सा जो कि 90:10 के अनुपात में है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4,500 रूपये प्रतिमाह), मिनी आंगनवाडी वर्कर को 4,000 रूपये (2,025 रूपये केन्द्रीय हिस्सा एवं 225 रूपये राज्य हिस्सा जो कि 90:10 के अनुपात में है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 1,750 रूपये प्रतिमाह) तथा आंगनवाड़ी हैल्परो को 3,500 रूपये प्रतिमाह की दर से दिये जाते हैं (1,350 रूपये केन्द्रीय हिस्सा एवं 150 रूपये राज्य हिस्सा जो कि 90:10 के अनुपात में है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 2,000 रूपये प्रतिमाह) दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्परों की सेवानिवृति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों को युनिफार्म दो युनिफार्म 300 रूपये प्रतिवर्ष की दर से) एवं 25 रूपये प्रतिवर्ष बैज हेतू देने का प्रावधान रखा गया है।

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0)

8.102 इस योजना के तहत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटेक्शन सोसायटी तथा स्टेट प्रोजेक्ट स्पोर्ट यूनिट के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे जिला बाल संरक्षरण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख व सुरक्षा के लिए संस्थागत तथा नान–संस्थागत देखरेख उपलब्ध करवाई जा रही है।

8.103 जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख, सुरक्षा, विकास तथा पुनर्वास के लिए 101 बाल देखरेख संस्थायें सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा गैरसरकारी सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य है जिसमें बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 संबंधी जागरूकता अभियान चलाया गया।

8.104 राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में 2.23 करोड़ रुपये की राशि से स्टेट आफ्टर केयर होम, सोनीपत के नऐ भवनों का निर्माण किया गया है, अम्बाला तथा हिसार में 5.68 करोड़ रूपये की राशि से ओबजरवेशन होम का निर्माण भी किया गया है। करनाल में 50 बच्चों की क्षमता वाला ओबजरवेशन होम जिस पर लगभग 3 करोड़ रूपये की लागत आने का अनुमान है तथा मधुबन (करनाल) में 25 बच्चों क्षमता वाला स्पेशल होम जिस पर लगभग 2 करोड़ रूपये की राशि की लागत का अनुमान है, बनाये जाने का प्रस्ताव है। इसके इलावा रोहतक, फरीदाबाद तथा गुडगांव में भी 50 बच्चों की क्षमता वाला एक एक नया बाल गृह बनाये जाने का प्रस्ताव है। 28 ओपन शैल्टर होम का निर्माण अलग–अलग जिलों में प्रस्ताव के लिए भारत सरकार को अनुमोदन हेतू भेजा गया है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के बजट में 1,375 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है जिसमें से मास दिसम्बर, 2013 तक 365.15 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

8.105 राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है, वर्ष 2013–14 के बजट में आयोग को 50 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई, जिसमें से मास दिसम्बर 2013 तक 40 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 6 जिलों रेवाडी, नारनौल, गुडगांव, फरीदाबाद, मेवात तथा पलवल के लम्बित केसों के निपटान हेतु लोक अदालत का आयोजन किया है।

लाडली

8.106 राज्य में घटते लिंग अनुपात एवं कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन आधारित योजना ''लाडली'' प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत योजना के शुरू होने से 2,07,606 लाभपात्रों को कवर किया गया है तथा 32,683.51 लाख रुपये व्यय किए गए है। वर्ष 2013–14 के बजट

में 6,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 3,645.25 लाख रूपये की राशि मास दिसम्बर, 2013 तक व्यय की जा चुकी है।

किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

8.107 राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाडी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल मे चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को अपने विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, प्रजनन स्वास्थ्य बाल देख–रेख के प्रति जानकारी मे सक्षम करना तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत 3,04,619 किशारी बालिकाओं को कवर किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

पोषाहार कम्पोनैंट और नॉन पोषाहार कम्पोनैंट

8.108 वर्ष 2013–14 के दौरान 11–14 वर्ष की (स्कूल न जाने वाली बालिकाओं) तथा 14–18 वर्ष की (स्कूल जाने वाली व न जाने वाली बालिकाओं) 17,2811 किशोरी बालिकाओं में से 1,38,266 किशोरी बालिकाओं को 5 रूपये प्रति लाभपात्र प्रतिदिन 3 त्रिमाही तक वर्ष में 300 दिन के लिए पोषाहार दिया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अन्तर्गत 1,000 बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने के लक्ष्य में से 290 बालिकाओं को कवर किया गया है।

8.109 योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के बजट में 2,170 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 570.04 लाख रूपये की राशि मास दिसम्बर, 2013 तक व्यय की जा चुकी है।

किशोरी शक्ति योजना (बालिका मण्डल)

8.110 किशोरी शक्ति योजना 87 आई0सी0डी0एस0 प्रोजैक्टों में 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उनको गृह आधारित एवं व्यवसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने व इनमें सुधार लाने तथा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, गृह प्रबन्ध, बाल देखभाल आदि के बारे में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य में चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत सेवाएं 10 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 मास के लिए बालिका मण्डल बनाकर प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में 1,562 बालिका मण्डल बनाये गये हैं। किशोरी बालिकाओं को 5 रूपये प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पोषाहार भी दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 60,300 बालिकाओं को पूरक पोषाहार एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के बजट में 475 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 234.11 लाख रूपये की राशि मास दिसम्बर, 2013 तक व्यय की जा चुकी है।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

8.111 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को कवर किया जाता है। इस योजना के तहत 100 प्रतिशत खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, सर्वप्रथम पंचकूला जिले मे पायलट परियोजना के रुप मे लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संशोधित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 6,000 रूपये की राशि दो किस्तों में दी जाती है। माताओं/महिलाओं को पहली किस्त (तीन मास के दौरान) व दूसरी किस्त (प्रसव के छः मास उपरांत) माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित कुछ शर्तो को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के बजट में 200 लाख रूपये का प्रावधान किया गया और 63.81 लाख रूपये भारत सरकार द्वारा प्राप्त किये जिसमें से दिसम्बर, 2013 तक 45.30 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य मिशन की स्थापना

8.112 हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य मिशन का गठन किया गया है। मिशन द्वारा मंत्रालयों/विभागों की जैण्डर बजटिंग तथा महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के कार्य का मूल्यांकन व रिव्यू किया जायेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये राज्य रिसॉर्स सैन्टर का गठन किया गया है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के बजट में 20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया। राज्य रिसॉर्स सैन्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

पूर्ण शक्ति केन्द्र

8.113 भारत सरकार द्वारा हरियाणा के मेवात जिला में महिलाओं को सुविधा प्रदान करने हेतू पूरना शक्ति केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है यह परियोजना एन.जी.ओ. (स्मार्ट) के द्वारा लागू की जायेगी।

भारत सरकार द्वारा जिला, खण्ड तथा गांव स्तर पर समायोजन सह सुविधा केंद्र स्थापित करने का अनुमोदन किया है तथा प्रथम चरण में जिला मेवात की 10 पंचायतों को कवर किया जायेगा।

आपात काल सुविधा केंद्र

8.114 घरेलू हिंसा तथा दुराचार से पीड़ित महिलाओं को कानूनी, पुलिस, चिकित्सा तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए गुडगांव तथा फरीदाबाद में आपात काल सुविधा केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है भारत सरकार द्वारा जिला फरीदाबाद तथा गुड़गांव के सरकारी हस्पतालों में यह केंद्र स्थापित करने हेतु 35 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.115 राज्य रिसॉर्स सैन्टर तथा ब्रेकथ्रो एन.जी.ओ. द्वारा संयुक्त रूप से लिंग आधारित यौन सलैक्ट एलीमिनेशन विषय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब तक जिला रोहतक, झज्जर, पानीपत तथा सोनीपत में 84 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके है।

कानूनी जागरूकता तथा लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम

8.116 समाज में बालिकाओं को स्तर बढाने तथा उनके मानवाधिकार के सरंक्षण के उद्देश्य से राज्य रिसॉर्स सैन्टर द्वारा जिला यमुनानगर, अम्बाला तथा कैथल में किशोरी बालिकाओं के लिए मास जून–अगस्त, 2013 तक किया गया। कानूनी जागरूकता तथा लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम के कुल 18 बैचों को प्रशिक्षण दिया गया।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

8.117 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम, 2006 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर 21 संरक्षण–सह–बाल विवाह उन्मूलन अधिकारी नियुक्त किए गए है। पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड, जिला रैड क्रास समितियों, जिला बाल कल्याण परिषदों आदि 24 सेवा–प्रदाताओं का चयन किया जा चुका है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जरुरतमंद महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मैडिकल सुविधा देने के लिए एवं 3 शैल्टर होमज को आश्रय सेवाओं के लिए अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान घरेलू हिंसा से सम्बन्धित 1897 शिकायतों का निपटान आपसी तालमेल से तथा बाल विवाह से सम्बन्धित 78 शिकायतों का निपटान न्यायालय के आदेश द्वारा, 67 काउंसिलिंग के द्वारा तथा 23 शिकायतें पुलिस स्टेशन को कार्यवाही हेतु भेजी गई। वर्ष 2013–14 के बजट में 150 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से माह दिसम्बर, 2013 तक 61.12 लाख रूपये व्यय हो चुके हैं।

शून्य सहनशीलता नीति अपनाने व महिलाओं से छेड़छाड़ के विरूद्व उठाये गये कदम

8.118 विभाग द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, महा निदेशक पुलिस व मण्डल आयुक्तों से अनुरोध किया है कि वह महिलाओं तथा बालिकाओं के विरूद्व हिंसा से सम्बन्धित केसों को निपटाने के लिए शून्य सहनशीलता नीति को अपनाये। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों में जैसे की पुलिस, परिवहन, जनसम्पर्क तथा शिक्षा को सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बस स्टैट, रेलवे स्टेशन, सिनेमा घरों तथा धार्मिक स्थानों पर महिलाओं/बालिकाओं के साथ छेड़छाड रोकने के लिए अनुरोध किया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत व पुनर्वास योजना

8.119 हरियाणा सरकार द्वारा तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत व पुनर्वास योजना तैयार की गई है जिसके माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। उन तेजाब से पीडितों को जो हरियाणा के निवासी हैं तथा जिनको तेजाब से पीडित किया गया है इस योजना के तहत 3 लाख रूपये की सहायता तेजाब ग्रस्त जिसका चेहरा खराब अंग या शरीर का कोई भाग खराब और प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले का प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है आ।र 50,000 रूपये की सहायता सामान्य रूप से तेजाब ग्रस्त को प्रदान की जाती है। पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रूपये मृतक के कानूनी वारिस को देने के साथ–साथ उनका 100 प्रतिशत निःशुल्क ईलाज तथा प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सुविधा भी प्रदान की गई है। वर्ष 2013–14 के बजट में 25 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 20.50 लाख रूपये की राशि जारी की जा चुकी है।

हरियाणा राज्य महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा

8.120 हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 को पास करके हरियाणा राज्य महिला आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोजन अधिनियम, 2012 अब कार्यावित है तथा उसे महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में समन करने, उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करवाने, शपथ–पत्र पर साक्ष्य मंगवाने, गवाहों एवं दस्तावेजों की जांच करने के उद्देश्य से दिशा–निर्देश देने जैसे सिविल कोर्ट के सभी अधिकार दिये गये है।

बालिकाओं के लिए शिक्षा ऋण योजना

8.121 1 अप्रैल, 2007 से राज्य सरकार द्वारा लड़कियों/महिलाओं के लिए आसान शिक्षा ऋण योजना प्रारम्भ की है, जो कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत लड़कियों/महिलाओं को देश/विदेश में उच्च शिक्षा जैसे कि ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट/डाक्टरल/पोस्ट डाक्टरल स्तर के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किये जाएंगे, जिसमें ब्याज सब्सिडी 5 प्रतिशत वार्षिक प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2013 तक विभिन्न बैंकों द्वारा 430 बालिकाओं को देश/विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतू 105.60 लाख रूपये के शिक्षा ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार

8.122 बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की योजना आरम्भ की गई। इस योजना को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड की तीन बालिकाओं को क्रमशः 2,000 रुपये, 1,500 रुपये व 1,000 रुपये पुरस्कार में दिए जाते हैं तथा 10+2 कक्षा में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमशः 3,000 रूपये, 2,500 रूपये व 2,000 रूपये पुरस्कार स्वरूप दिये जाते हैं।

जन स्वास्थ्य

8.123 राज्य में 31 मार्च, 1992 को सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान की गई थी। उसके गांवो में पश्चात पेयजल वितरण के लिए बनाए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ौतरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अब गांवों में पेयजल स्तर जनसंख्या की कवरेज के हिसाब से जांचा जाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 861 चुने हुए गांवों की जल आपूर्ति सुविधाओं में बढ़ौतरी किए जाने का प्रस्ताव है।

8.124 राज्य सरकार द्वारा 'इन्दिरा गांधी पेयजल योजना' के अर्न्तगत अनुसूचित जाति को मासिक पानी के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त 31–3–2015 तक सामान्य श्रेणियों को भी निजी पीने के पानी का कनैक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गांवों में 500 रुपये कनैक्शन फीस माफ कर दी गई है। 31–3–2013 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 10.05 लाख अनुसूचित जाति के घरों में पानी के कनैक्शन जारी किए जा चुके थे। वर्ष 2013–14 के दौरान इस कार्यक्रम के अर्न्तगत 75 करोड़ रूपये का प्रावधान है तथा शेष 0.31 लाख अनुसूचित जाति के घरों में पानी के निजी कनैक्शन 31–3–2014 तक प्रदान किए जाने संभावित हैं। इस कार्यक्रम का दोबारा नामकरण किया गया है और अब यह स्पेशल कंपोनैंट सब प्लान के अर्न्तगत बड़ी परिभाषा का हिस्सा बन गया है।

8.125 वर्ष 2013–14 के दौरान 13वें वित्त आयोग को छोड़कर, राज्य योजना के अर्न्तगत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए 668.90 करोड़ रूपये प्रदान किए गए है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत 2013–14 के दौरान भारत सरकार द्वारा 319.47 करोड़ रूपये (77.66 करोड़ रूपये के पिछले बकाया सहित) स्वीकृत किए गए है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत, 53.39 करोड़ रूपये भी केन्द्रीय हिस्से के रूप में प्रदान किए गए है।

8.126 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढौतरी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य 2000–01 से विभिन्न परियोजनाओं के अर्न्तगत नाबार्ड से धन राशि प्राप्त कर रहा है। इस समय 359.02 करोड़ रूपये की लागत से आर0आई0डी0एफ0– XV, XVI, XVII, XVIII व XIX के अर्न्तगत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई 44 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इनमें जिला महेन्द्रगढ़ के 64 गांवों और 34 ढ़ाणियों में जल आपूर्ति के सुधार के लिए 127.04 करोड़ रूपये लागत की मुख्य परियोजना और 54 गांवों के लिए 93.10 करोड़ रूपये लागत की अन्य परियोजना तथा जिला रिवाड़ी के 42 गांवों में जल आपूर्ति बढ़ौतरी की 100.47 करोड़ रूपये लागत की योजना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा 20.14 करोड़ रूपये की लागत की एक और परियोजना जिला हिसार की 14 जल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ौतरी के लिए जिनमें 21 गांव सम्मिलित हैं, अभी हाल ही में 1–8–2013 को अनुमोदित की गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान नाबार्ड योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 105 करोड़ रूपये अंकित किए गए हैं।

8.127 मेवात क्षेत्र में सुरक्षित तथा स्थायी पेयजल आपूर्ति सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 300.49 करोड़ रुपये के अनुमान के अन्तर्गत राजीव गांधी जल आपूर्ति बढ़ौतरी प्रोजैक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है। टयूबवैल सैगमैंन्ट के अन्तर्गत 245 गांव और रैनी वैल सैगमैंन्ट के अन्तर्गत 258 गांव आते हैं। इस समय रैनीवैल सैगमैंन्ट के अन्तर्गत 258 गांवों की पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में 55 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुधार का कार्य प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान इस परियोजना के लिए 1 करोड़ रूपये अंकित किए गए हैं।

8.128 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 77 बडे शहरों में पाईपों द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के सुधार के साथ–साथ अनुमोदित हुई कालोनियों में जल वितरण व्यवस्था के लिए राज्य योजना के अर्न्तगत 70 करोड़ रूपये और स्पेशल कंपोनैट सब प्लान के अर्न्तगत 20 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

8.129 राज्य में मल निकास सम्बन्धित सुविधाएं 66 शहरों के मुख्य भागों में प्रदान की जा चुकी है, जबकि 11 शहरों में मल निकासी सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है। चालू वित्त वर्ष 2013–14 के दोरान मल निकास सुविधाओं में बढ़ौतरी के लिए राज्य योजना के अर्न्तगत 157 करोड़ रूपये और स्पेशल कंपोनैट सब प्लान के अर्न्तगत 8 करोड़ रूपये का प्रावधान है। इस प्रावधान से मल शुद्धिकरण सहयंत्र लगाने के साथ–साथ विभिन्न शहरों में बिना मल निकासी सुविधा वाले क्षेत्रों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य किए जा रहे है।

8.130 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति एवं मल निकासी व्यवस्था में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड वित्तिय सहायता प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यो को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान 29 करोड़ रूपये की राशि अंकित की गई है।

8.131 यमुना एक्शन प्लान भाग–2 के अर्न्तगत वर्ष 2004 से वर्ष 2010 के दौरान 62.50 करोड़ रुपये की लागत से कार्य क्रियान्वित किए गए। यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और गुडगांव में वर्ष 2040 तक की जनसंख्या के लिए मल निकासी सुविधाओं की बढ़ौतरी के साथ–साथ मल शुद्धिकरण सन्यंत्र लगाने के लिए मास्टर प्लान, फिजीबिलिटी स्टडीज रिपोर्ट और डिटेलड प्रोजैक्ट रिपोर्टस कंसलटैंटस के माध्यम से तैयार की जा चुकी हैं और इसे यमुना एक्शन प्लान चरण–3 के अन्तर्गत अनुमोदन और वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। जुलाई, 2012 के दौरान इन 8 परियोजनाओं में से सोनीपत और पानीपत में सिवरेज सुविधाओं की बढ़ौतरी/सुधार के लिए मल शुद्धिकरण सयंत्र लगाने के लिए क्रमशः 88.36 करोड़ रूपये और 129.50 करोड़ रूपये की 2 परियोजनाएं राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत अनुमोदित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं की लागत भारत सरकार और हरियाणा राज्य द्वारा 70:30 के अनुपात में वहन की जाएंगी। वर्ष 2013–2014 के दौरान भारत सरकार के हिस्से और राज्य हिस्से के अर्न्तगत क्रमशः 53.39 करोड़ रुपये और 14.87 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

8.132 सोनीपत शहर के लिए रैनी वैल योजना पर आधारित 95 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना राज्य योजना के वित्त पोषण तथा सैटलाईट टाउन के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है।

8.133 शत्प्रतिशत जल आपूर्ति और मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2010 के दौरान 1,085.20 करोड़ रुपये की लागत से 14 शहरों, नामतः अम्बाला, असंध, भिवानी, चरखी दादरी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, हांसी, कैथल, कलायत, महेन्द्रगढ़, नारनौल, सिरसा, टोहाना और उचाना में कार्य शुरु किए जा चुके हैं। इन सभी शहरों में कार्य शुरु हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012–13 के दौरान अम्बाला शहर और भिवानी शहर (चरण–2) में जल आपूर्ति और मल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए 328.14 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्टस अनुमोदित हो चुकी हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान इस प्रोजैक्ट के अन्तर्गत 340 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

8.134 13वें वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के दौरान शिवालिक क्षेत्र और दक्षिणी हरियाणा में जल आपूर्ति के सुधार के लिए 75 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं, इसी तरह चालू वित्त वर्ष के दौरान मेवात क्षेत्र की जल आपूर्ति में सुधार के लिए 25 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं।

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज

8.135 विकास एंव पंचायत विभाग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रो में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी तथा पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलापों का नियमन तथा तालमेल के लिए उत्तरदायी है।

8.136 महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना राज्य सरकार का एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछडे श्रेणी (क) एंव गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को 100 वर्गगज के आवासीय प्लाट मुफत अलाट किए जा रहे है। जिस भूमि पर प्लाट आंबटित किये जाने है वहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी एंव पक्की गलियां विकसित की जाएंगी। इस स्कीम के तहत 31 अक्तूबर, 2008 तक चिन्हित किये गए 6 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होगे। जिन ग्राम पंचायतों में शामलात भूमि उपलब्ध है। उनमें से 31–1–2014 तक 3.83 लाख परिवारों को प्लाट आंबटित किये जा चुके है। तथा शेष परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे गावों जिनमें प्लाट आंबटन के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। उनमें पंचायतों की भूमि का निजि भूमि से तबादला करके अथवा भूमि अधिग्रहण करके भूखण्ड अलाट किये जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत बस्ती की अन्दरूनी गलियां एंव नालियों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी येजना के साथ मिला कर किया जाएगा। इन बस्तियों के विकास

के लिए वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक 14,583.23 लाख रूपये की राशि ग्राम पंचायत मुहैया करवाई गई थी और वर्ष 2013–14 के लिए 19,774 लाख रूपये की राशी अंकित की गई परन्तु संशोधित बजट में सिर्फ 4,774 लाख रूपये मंजूर हुए।

8.137 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना का मुख्य उद्धेश्य उन गावों में जहां अनुसूचित जाति की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है में गालियों एंव नालियों पक्का करवाने, पीने के पानी के लिए पाईप लाईन बिछाना, चौपाल, सामुदायिक केन्द्र निर्माण एंव शमशान घाट की चारदीवारी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। पहले चरण में ऐसे 391 गावों को इस स्कीम के तहत लिया गया। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक 29,316.65 लाख रूपये की राशि 1,921 गांवों के लिए जारी की गई। वर्ष 2013–14 में 4,918 लाख रूपये की राशि बजट व्यवस्था थी जिसमें से 3,388.85 लाख रूपये 253 गांव के लिये दिसम्बर, 2013 तक जारी किये गये हैं।

8.138 गावों में स्वच्छता में सुधार लाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 10,300 से अधिक सफाई कर्मी लगाए थे। सफाई कर्मी को भत्ता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा दिनांक 01–01–2014 से सफाई कर्मी को दिये जाने वाले मानदेय की दर 4,848 रूपये से बढ़ाकर 8,100 रूपये प्रति माह किया गया है। वर्ष 2013–14 के लिए 6,670 लाख रूपये का बजट प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर, 2013 तक 4,487 लाख रूपये की राशि जारी की जा चुकी है।

8.139 गलियों को पक्का करने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत सरकार का राज्य के सभी 6,764 गावों में 10 लाख रूपये प्रति गांवों प्रदान करके गावों की सभी मुख्य गलियों को पक्का करने का विचार है। गावों की गलियां इन्टरलोकिंग पेवर ब्लाकस से बनाई जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर पाइप लाईनों की मरम्मत टाईलों को आसानी से हटाया जा सके और मरम्मत उपरांत पुनः बिछाया जा सके। सभी गॉव इस स्कीम के तहत लिए जा चुके है कुछ गॉव मे छोटी गलियों को पक्का करने हेतू 2 से 3 बार राशी प्रदान की गई है। तथा वर्ष 2013–14 के दौरान 5,959 लाख रूपये का प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर, 2013 तक 5,864 लाख रूपये जारी किये जा चुके हैं।

8.140 हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कटिबद्ध है। इस कार्य के लिए 98 चुने गऐ गावों में आधुनिक कस्बों के अनुरूप आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास किए गए। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने 425 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान गावों का आधुनिकीकरण करने, गलियों को पक्का करने, गन्दे पानी की निकासी की समस्या का निवारण करने, नालियां बनाने, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने आदि हेतु किया गया। दिसम्बर, 2013 तक 97 गॉव में विकास कार्य पूर्ण हो चूका है। कुल जारी की गई 41,250.96 लाख रूपये की राशी में से 39,327.58 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है।

8.141 महिला चौपाल बनाने का मुख्य उद्वेश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सामाजिक मंच प्रदान करना तथा गावों में सामाजिक कार्यो में सहभागी बनाना तथा महिला सशक्तिकरण की ओर पहला कदम के रूप में देखा जा सकता है। प्रथम चरण में 529 महिला चौपालों के निर्माण हेतु 1,656 लाख रूपये की राशि (3 लाख रूपये प्रत्येक महिला चौपाल के हिसाब से) जारी की गई थी। दूसरे चरण में 640 महिला चौपालों के निर्माण हेतु 1,861.50 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

8.142 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत मण्डियों में लाई जाने वाली कृषि उपज की खरीद व बेच पर 2 प्रतिशत विकास फीस ली जाती है। वसूल की गई राशि ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यो, गांवों की सड़कों के विकास, चिकित्सालयों की स्थापना, जल सप्लाई, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रबन्ध करने, खेती मजदूरों के कल्याण, इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों को उनमें तकनीकी जानकारी का उपयोग करके और अन्य आवश्यक सुधार लाकर आदर्श मण्डी क्षेत्रों में परिवर्तित करके, ब्रिकी/खरीद के लिए मण्डी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज के लिए गोदामों तथा भण्डार करने के लिए अन्य स्थानों के निर्माण तथा मंडी क्षेत्र के आने वाले व्यक्तियों (विक्रेताओं तथा खरीदारों दोनों) के ठहरने को सुखद बनाने के लिए ओर किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो बोर्ड द्वारा फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति के हित में तथा उसके फायदे के लिए समझा जाये। निगम इस राशि को प्रशासनिक कार्यो के लिए भी प्रयोग किया जायेगा। बोर्ड द्वारा 01–04–2005 से 31–3–2012 तक की अवधि के दौरान 1,795.89 करोड़ रूपये की राशि ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यो के लिए जारी की जा चुकी है। वर्ष 2012–13 में 237 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान (दिसम्बर, 2013 तक) 414.98 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

8.143 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम समस्त राज्य में 1 अप्रैल, 2008 से लागू की जा चुकी है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों के व्यस्क सदस्यों, जो कि अपने क्षेत्र में मजदूरी रोजगार की तलाश में हैं एवं अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का अकुशल गारन्टी रोजगार मुहैया करवाना है। कुल रोजगार का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1–4–2013 से इस स्कीम में कार्य कर रहे श्रमिकों को 214 रूपए प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। बेरोजगार व्यक्ति रोजगार के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात परिवारों को ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार कार्ड जारी किए जाते हैं। मजदूरी की अदायगी का भुगतान साप्ताहिक या पन्द्रह दिनों के अन्दर बैंकों व डाकघरों के बचत खातों के माध्यम से किया जा रहा है।

8.144 इस स्कीम के अर्न्तगत दिसम्बर, 2013 तक 353.64 करोड़ रूपये की उपलब्ध राशि मे से 251.05 करोड़ रूपए की राशि व्यय करके 78.50 लाख (61 प्रतिशत) मानवदिवसों का सृजन किया जा चुका है। जिनमें से 39.11 लाख मानवदिवस (50 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों के लिए व 32.89 लाख (42 प्रतिशत) महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 21,056 विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किए गए जिनमें से 3,275 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)

8.145 वर्ष 2007–08 से जिला महेन्द्रगढ़ तथा सिरसा में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) नामक एक शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पहचान किए गए निर्णायक आधारभूत ढांचे के अन्तर को पूरा करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 36.98 करोड़ रूपये की आबंटित राशि में से दिसम्बर, 2013 तक 14.31 करोड रूपये व्यय करके 1141 कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है तथा 204 कार्य प्रगति पर हैं। बी.आर.जी.एफ. की वार्षिक योजना 2013–14 में आवश्यकतानुसार विकास कार्य जैसे कि स्कूल में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, नये आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, पानी के रखाव के लिए टैंक तथा घूमन्तु पानी टैंकरों तथा गांवों के तालाबों में नहरों से पानी ड़ालने के लिए नालियां बनवाना इत्यादि शामिल किए गए हैं।

समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

8.146 वर्ष 2008 से मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम में समायोजित किया जा चुका है। इस कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य जल सरंक्षण, भूजल रिचार्ज करना, उत्पादन में वृद्धि तथा आजीविका के अवसरों को प्रदान करना है। वर्ष 2013–14 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार ने राज्य के 57,000 हैक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरूद्ध राज्य स्तरीय नोडल एजैन्सी ने 15 अतिरिक्त परियोजनाएं झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पलवल, मेवात एवं गुड़गांव जिलों के लिए अतिरिक्त कुल 64,691 हैक्टेयर क्षेत्रफल स्वीकृत किया हैं। इस काय्रक्रम के अर्न्तगत (दिसम्बर, 2013 तक) 4.33 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लैडस)

8.147 यह स्कीम भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 में लागू की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, राज्य सभा तथा मनोनित सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये की राशि प्रगति कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के अर्न्तगत दिसम्बर, 2013 तक 48.26 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं और 1,557 कार्यों को पूरा कर लिया गया है और 1,012 कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)

8.148 हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दिनांक 1–4–2013 से लागू किया गया है। प्रथम चरण में चार जिलों नामतः भिवानी, कैथल, झज्जर और मेवात है। इन जिलों में एक–एक खण्ड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गहन रूप से लागू किया जा रहा है। अभी यह कार्य बवानी खेड़ा, सिवान, मातनहेल और तावरू खण्ड में हो रहा है। अभी तक (दिसम्बर, 2013 तक) इन चार खण्ड़ों में 518 स्वयं सहायता समूह गरीब परिवारों से बनाये गए है। 149 स्वयं सहायता समूहों को 15,000 रूपये प्रति समूह की दर से परिक्रमी राशि दी गई है। वर्ष 2013–14 में 600 स्वयं सहायता समूह बनाये जायेंगें। वर्ष 2013–14 में वार्षिक योजना 2,704 करोड़ रूपये की ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिये 3 प्रतिशत ब्याजगत सब्सिडी समय पर वापिस करने पर देने की स्कीम स्वीकृत की है जो राज्य के 18 जिलों में (मेवात, झज्जर, भिवानी को छोड़कर) लागू होगी।

प्रियदर्शनी आवास योजना (पी.ए.वाई.)

8.149 राज्य सरकार ने समाज के गरीब वर्ग के लिए एक घर मालिक का सपना पूरा करने के लिए राज्य मे 8–6–2013 से 'इन्दिरा आवास योजना' की तर्ज पर एक नई महत्वकांक्षी सस्ती ग्रामीण योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत घर और शौचालय की सुविधा के निर्माण के लिए 90,100 रूपये की राशि हर गरीब परिवार को दी जा रही है। लगभग 2 लाख गरीब ग्रामीण परिवारों को 2 वर्ष (2013–14 और 2014–15) की परियोजना अवधि में कवर किए जाने पर विचार किया हैं। परियोजना पर 1,350 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे है। वर्ष 2013–14 के दौरान को राज्य सरकार ने 355 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है और अगले वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सरकार द्वारा 163 करोड़ रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव है। बाकी बची राशि की व्यवस्था सरकार द्वारा राज्य की गारन्टी पर राष्ट्रीय आवास बैंक और हुडको के माध्यम से श्रम के रूप में की जा रही है। योजना के अर्न्तगत वित्तीय सहायता के लिए तिथि अनुसार 1,06,048 (इन्दिरा आवास योजना के तहत 22,024 सहित) लाभार्थियों की पहचान कर पंजीकृत किया गया है और 78 हजार पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई है और 36,662 लाभार्थियों को दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है।

इन्दिरा आवास योजना

8.150 ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए इन्दिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0) छत उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। वर्ष 2013–14 से भारत सरकार द्वारा 45,000 रूपये से 70,000 रूपये मैदानी इलाकों के लिए तथा 48,500 से 75,000 तक पहाडी/जोखमी बडें इलाकों के लिए राशि बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार स्वच्छ शौचालय के निर्माण के लिए जरूरतमंद परिवारों को 11,000 रूपये तथा 9,100 रूपये (4,600 रूपये एन0बी0ए0+4,500 रूपये एम0जी0एन0ई0आर0जी0ए0) देगी। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2013–2014 के लिए, 18,029 मकानों के निर्माण हेतू निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व, 3,430 मकानों का निर्माण दिसम्बर, 2013 तक किया जा चुका है तथा 21,027 मकान निर्माणाधीन हैं जिनमें से 2,157 (63 प्रतिशत) मकान अनुसूचित जातियों के लिए है। इस वित्तीय वर्ष की अवधि में 73.49 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

शहरी विकास समिति

8.151 राज्य शहरी विकास समिति, हरियाणा इस समय तीन योजनाएं नामतः राजीव आवास योजना, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती योजना क्रियान्वित कर रहा है।

राजीव आवास योजना (रा.आ.यो.)

8.152 राजीव आवास योजना का उददेश्य 'स्लम मुक्त भारत' जिसमें कस्बें के प्रत्येक नागरिक को आधारभूत, सामाजिक तथा अच्छा आवास उपलब्ध करता है। राजीव आवास योजना का मुख्य उद्वेश्य एक समेकित दृष्टिकोण में से औपचारिक प्रणाली में जीने को मजबूर लोगों की अस्वीकृति अधिकार के लिए अतिरिक्त औपचारिक रिक्तियों और उन सेवाओं को उपलब्ध सुविधाओं और कमियों को सुधारने में शीर्षक और कानूनी औपचारिकता प्रणाली की नगर योजना और शहरी विकास है। राजीव आवास योजना की पुर्नसंशोधित मागनिर्देशिका के अनुसार, योजना 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 75:15:10 तथा 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 50:25:25 के अनुपात में भारत सरकार, राज्य सरकार, यू0एल0बी0/लाभार्थी द्वारा वित्तपोषित की जायेगी। लाभार्थियों द्वारा केवल आवास संभाग में ही 10 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का अंशदान करना होगा। राजीव आवास योजना की दिशा निर्देशिका के अनुसार राज्य की अनुसंशा पर भारत सरकार द्वारा राज्य के 10 शहरों (फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला और सिरसा) को शामिल कर लिया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत अभी तक पांच शहरों (रोहतक, अम्बाला, सिरसा, यमुनानगर एवं हिसार) के 373.82 करोड़ रूपये की परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें 5,370 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाईयां बनाने के अतिरिक्त मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। भारत सरकार ने इस योजना को क्रियान्वन करने के लिए राज्य को 90.84 करोड़ रूपये की पहली किस्त जारी कर दी है तथा राज्य सरकार ने अनुपातिक राज्य अंश जोड़कर 50.14 करोड़ रूपये क्रियान्वयन एजेन्सियों को जारी कर दिया है तथा 58.86 करोड़ रूपये की राशि जारी करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग के विचाराधीन है।

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)

8.153 भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) तथा बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना को मिलाकर एक नई योजना एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) प्रारम्भ किया है। इस योजना का उददेश्य शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करते हुऐ तथा मलिन बस्ती निवासियों के लिए घर बनवाना है। इस योजना के क्रियान्वन हेतु राज्य शहरी

विकास समिति हरियाणा को नोडल एजेन्सी घोषित किया है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। आवास एवं सुधार/निर्माण लाभार्थी के नाम मात्र सामन्य श्रेणी के लिए 12 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 10 प्रतिशत का अंशदान लिया जायेगा। भारत सरकार द्वारा कुछ रदद/छटाई के उपरान्त, राज्य के 15 शहरों के लिए 25 प्रोजैक्टस जिनकी कुल राशि 296.26 करोड़ रूपये स्वीकृत की गई है, जिसमें से केन्द्रीय अंश 235.83 करोड़ रूपये का है। मलिन बस्ती में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त 15,675 आवासीय इकाईयों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इस योजना पर दिसम्बर–2013 तक जिलों द्वारा 144.38 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई हैं तथा अब तक 8,773 आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा 1,231 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन है और मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य भी प्रगति पर है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई)

8.154 यह योजना भारत सरकार ने दिनांक 1–12–1997 को राज्य के सभी जिलों में लागू की है जिसका 1–4–2009 में नवीनीकरण किया गया है। इस योजना पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तीय अनुदान दिया जाता है। योजना की मार्ग–निर्देशिका को पुर्नसंशोधित कर एकल लाभार्थी हेतु अनुदान राशि को 7,500 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये तथा शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों हेतू 1,25,000 रूपये से बढ़ाकर 3,00,000 रूपये कर दिया गया है। प्रशिक्षण की लागत को 2,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये प्रति प्रशिक्षु कर दिया है तथा बचत एवं साख समिति के लिए अनुदान राशि के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 2,000 प्रति सदस्य (अधिकतम 25,000 रूपये प्रति बचत एवं साख समिति) कर दिया है। जिलों के पास गत वर्ष 2012–13 की शेष राशि 1,935.59 लाख रूपये उपलब्ध थी, जिसमें से दिसम्बर–2013 तक इस योजना के अन्तर्गत 1,163.93 लाख रूपये की राशि प्रयुक्त करते हुऐ 1,000 व्यक्तियों तथा 34 शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण एवं अनुदान दिया गया, 18,114 व्यक्तियों को कुशल प्रशिक्षण और 3,193 प्रशिक्षणियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा 52 मित्तव्यय एवं साख समितियों को सहायता प्रदान की गई तथा 0.02 लाख कार्य दिवस सृजित किये गये। एस0जे0एस0आर0वाई0 के अन्तर्गत 452 लाख रूपये की राशि को राज्य अंश हेतू प्रावधान है जिसमें से 145 लाख रूपये की राशि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए प्रस्तावित है। भारत सरकार ने हाल ही में नइ गरीबी उन्मूलन योजना अर्थात राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) की घोषणा की जिसको बदल कर चल रही स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की जगह किया जायेगा।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.155 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतया वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतू विभिन्न योजनाएं लागू की जा रहीं है। हरियाणा सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति/टपरीवास जाति के व्यक्तियों/समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना' स्कीम के अन्तर्गत 31,000 रूपये तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के अन्य सभी वर्गों के व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 11,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2010–11 से सरकारी/एडिड गैर सरकारी अनाथालयों/संस्थाओं में रह रही बेसहारा लड़कियों को उनकी शादी के समय 31,000 रूपये की अनुदान राशि दी जाती है। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2013–14 के दौरान 7,478.26 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2013 तक 4,994.71 लाख रूपये की राशि 19,611 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

8.156 अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 'अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों के लिए आवास योजना' लागू की जा रही है। अब इस स्कीम का नाम 'डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास योजना' रखा गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को मकान निर्माण हेतू 50,000 रूपये तथा मुरम्मत हेतू 10,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2013–14 के दौरान 3,710.55 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2013 तक 1,114.80 लाख रूपये की राशि 2,300 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

8.157 अनुसूचित जाति विधवाओं/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/लड़कियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 'अनुसूचित जाति विधवाओं/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण' नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत 77 केन्द्र विभाग द्वारा चलाए जा रहे है जहां प्रत्येक केन्द्र में 20 अनुसूचित जाति व 5 पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विभाग द्वारा चलाये जा रहे निकटतम कल्याण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 100

रूपये प्रतिमास छात्रवृति तथा 150 रूपये प्रतिमास कच्चे माल हेतू प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम के अर्न्तगत तीन महीने का प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपनी आजीविका कमाने हेतू एक सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है। वितीय वर्ष 2013–14 के लिए 79 लाख रूपये की राशि 1,925 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने के निर्धारित किए गए है।

8.158 इसी उद्देश्य के दृष्टिगत अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो के मेधावी छात्रों हेतू वर्ष 2005–06 से आरम्भ की गई 'डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना' का दायरा बढ़ाकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत इन वर्गो के मेधावी छात्रों को 8वीं, 10वीं, 12वीं, तथा स्नातक कक्षाओं के परीक्षा परिणाम के आधार पर 9वीं, 11वीं, स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तक छात्रवृति में 4,000 रूपये से 12,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2013–14 के दौरान 2,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2013 तक 766.74 लाख रूपये की राशि 9,835 विद्यार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

8.159 राज्य में अनुसूचित जाति की भलाई के लिए सभी मामलों की जांच करने के लिए अनुसूचित जाति आयोग स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई है। यह आयोग अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सभी कानूनों, प्रशासकीय सुधारों का भी निरीक्षण और सुरक्षा के उपायों की कार्य प्रणाली का मूल्याकंन करेगा ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर में सुधार हो सके।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.160 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए तीन प्रकार की स्कीमों का परिचालन कर रहा है नामतः बैंकों के साथ सहयोग योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन0एस0एफ0डी0सी0) के सहयोग से तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन0एस0के0एफ0डी0सी0) के सहयोग से। भारत सरकार की हिदायतानुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 27,500 रूपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसें भैंस पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, करियाना की दुकान, पशु चालित गाड़ियां, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, चाय की दुकान, चूड़ियों की दुकान आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अंतर्गत पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 55,000 रूपये है। एन0एस0के0एफ0डी0सी0 स्कीमों के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है। निगम ने वर्ष 2013–14 में 12,500 लाभ भोगियों को विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत स्व–रोजगार हेतू 92.76 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 12.48 करोड़ रूपये की अनुदान राशि शामिल है।

बैंकों के साथ सहयोग योजना

8.161 निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उर्पाजन योजनाओं जिनकी योजना लागत 1.50 लाख रूपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है) तथा 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.162 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन0एस0एफ0डी0सी0) के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम एन0एस0एफ0डी0सी0 द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन0एस0एफ0डी0सी0, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन0एस0एफ0डी0सी0 द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। यद्यपि इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एन0एस0एफ0डी0सी0 के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अंतर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को उपलब्ध करवाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.163 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन0एस0के0एफ0डी0सी0) के सहयोग से चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत निगम एन0एस0के0एफ0डी0सी0 द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन0एस0के0एफ0डी0सी0, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन0एस0के0एफ0डी0सी0 द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। यद्यपि इन

योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एन0एस0के0एफ0डी0सी0 से सम्बन्धित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

हरियाणा पिछडे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.164 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और शारीरिक अक्षम लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु कार्य कर रहा है। निगम द्वारा वर्ष 2013–14 में 2,500 पिछड़े वर्ग के लोगों को 12.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है जिसके विरुद्व 31 दिसम्बर, 2013 तक 80 पिछड़े वर्ग के लोगों को 109.35 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2013–14 में 2,100 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 10.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है परन्तु निगम ने केवल 1.21 लाख रुपये पूर्व वितरित ऋण केसों में 31 दिसम्बर, 2013 तक अदायगी की हैं। वर्ष 2013–14 में 1,500 शारीरिक अक्षम लोगों को 10.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है जिसके विरुद्व 31 दिसम्बर, 2013 तक 75 शारीरिक अक्षम लोगों को 57.25 लाख रुपये वितरित किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

8.165 राज्य में प्रचलित बुढापा सम्मान भत्ता योजना आर्थिक मानक पर आधारित है तथा इसके लिए योग्यता आयु 60 वर्ष या इससे अधिक रखी गई है, ताकि इसका लाभ वास्तव में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को पहुंच सके। इस स्कीम के अर्न्तगत 1–3–1999 से पूर्व के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 700 रूपये प्रतिमाह, 1–3–1999 से 1–4–2010 के बीच के पात्र नागरिकों को 650 रूपये प्रतिमाह और 1–4–2010 के बाद पात्र नागरिकों को 500 रूपये प्रतिमास स्कीम के नियमानुसार पैंशन दी जा रही है। इस स्कीम के अर्न्तगत दिसम्बर, 2013 तक 13,32,480 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया गया है। 1–1–2014 से पैंशन की राशि को सभी के लिए 1,000 रूपये प्रतिमास तक बढ़ाया गया है।

8.166 विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा देने हेतू विधवा पैंशन स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अर्न्तगत राज्य में रह रही 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु की विधवा तथा निराश्रित महिला को जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 30 हजार रूपये से अधिक न हो, 750 रूपये की प्रतिमास की दर से पैंशन दी जा रही है। इस स्कीम के अर्न्तगत दिसम्बर, 2013 तक 5,70,877 ऐसी महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है। 1–1–2014 से पैंशन की राशि को 1,000 रूपये प्रतिमास तक बढ़ाया गया है।

8.167 राज्य में अन्धे, बहरे, विकलांग तथा मानसिक रूप से विकृत के लोगों के पुर्नवास के लिए कई पग उठाए गए हैं। दिसम्बर, 2013 तक 1,35,805 शारीरिक रूप से 70 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को 500 रूपये तथा 750 रूपये प्रतिमास (100 प्रतिशत विकलांगों को 750 रूपये प्रतिमास) की दर से पैंशन दी जा रही है। 1–1–2014 से पैंशन की राशि को 1000 रूपये प्रतिमास तक बढ़ाया गया है। विकलांग छात्रों को 400 रूपये से 1,500 रूपये तक प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जा रही है। शिक्षित विकलांग व्यक्तियों (70 प्रतिशत) को प्रतिमास 200 से 300 रूपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तथा 100 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता 1,000 रूपये प्रतिमास, 10वीं/8वीं पास तथा डिप्लोमा होल्डर को, 1,500 रूपये प्रतिमास स्नातक/दसवीं पास डिप्लोमा होल्डर तथा 2,000 रूपये प्रतिमास स्नातकोत्तर/स्नातक डिप्लोमा होल्डर को प्रदान किया जा रहा है।

8.168 उन माता–पिताओं जिनकी केवल बेटियां ही हैं, के मन से आर्थिक असुरक्षा की भावना समाप्त करने के लिए 1 जनवरी, 2006 से लाडली समाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई थी। इस योजना के अर्न्तगत 500 रूपये प्रतिमास भत्ते की दर है और ऐसे परिवारों में माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिवस से उनके 60वें जन्मदिवस तक कुल 15 वर्ष तक यह भत्ता दिया जा रहा है। इसके उपरान्त वे बुढापा सम्मान भत्ता के लिए पात्र हो जाते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2013 तक 25,826 लाभपात्रों को इस योजना के अर्न्तगत कवर किया गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

मिनी सचिवालयों और सबंद्ध भवनों का निर्माण

8.169 राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों एवं उप मण्डलों के मुख्यालयों पर लघु सचिवालयों, उप–मण्डल/तहसील/उप–तहसील कम्पलैक्स एवं राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सभी जिलों व उप मण्डल मुख्यालयों पर आवासीय भवनों को बनाने का कार्य आरम्भ किया हुआ है। गैर आवासीय भवनों को बनाने के लिए वर्ष 2013–14 के लिए 15,394 लाख रूपये का 4059–कैपिटल आउटले–आन पब्लिक वर्कस (प्लान) जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत बजट में प्रावधान किया गया है जिसमें से 7,884 लाख रूपये की राशि इन कम्पलैक्सों के निर्माण करने के लिए रखी गई है। मुख्य शीर्ष 4216–कैपिटल आउटले–आन हाउसिंग (प्लान) जिला प्रशासन

के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के लिए 2,500 लाख रूपये की राशि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के रिहायशी निवास स्थानों का निर्माण करने हेतु उपलब्ध कराई गई है।

8.170 हरियाणा सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार ने पाले व शीतलहर को प्राकृतिक आपदाओं में शामिल कर लिया है। फरवरी, 2013 में उपायुक्त भिवानी, हिसार तथा नारनौल को 37.21 करोड़ रूपये किसानों को प्रदान करने के लिए दिए गए जिनकी फसलें जनवरी–फरवरी, 2012 में शीतलहर/कोहरे के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी।

8.171 चालू वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान विभाग द्वारा निम्नलिखित राशि मंजूर की गई हैः–

- सभी उपायुक्तों को 94.50 लाख रूपये संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रदान किए गए है।
- उपायुक्त भिवानी को 11.98 करोड़ रूपये किसानों को राहत प्रदान करने के लिए जिनकी रबी फसलें 2010 में सूखे से खराब हुई, प्रदान किए गए है।
- मुख्य अभियन्ता जन–स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न कस्बों मे बाढ़ के पानी की निकासी के लिए 2.69 करोड रूपये प्रदान किए गए है।
- मुख्य अभियन्ता सिचांई विभाग को मुरम्मत एवं युमना नदी में बाढ़ के बाद बचाव कार्य के लिए पुर्नसयोजन के लिए 22.05 करोड़ रूपये प्रदान किए गए है।
- उपायुक्त अम्बाला, मेवात, जीन्द, रोहतक, पानीपत तथा झज्जर को फरवरी/मार्च, 2013 में बाढ़ से खराब हुई फसलों के लिए प्रभावित किसानो को राहत प्रदान करने के लिए 75.15 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है।
- उपायुक्त कुरूक्षेत्र, युमनानगर, फरीदाबाद, नारनौल, मेवात, हिसार, जीन्द, भिवानी, पानीपत तथा सोनीपत को फरवरी/मार्च, 2013 मे ओलावृष्टि से फसलों के खराबे से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 65.09 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है।

8.172 बाढ़ से प्रभावित एवं पूर्णतयाः क्षतिग्रस्त मकानों की एवज में सरकार द्वारा देय राहत राशि 35,000 रूपये प्रति मकान से बढ़ाकर 70,000 रूपये प्रति मकान दिनांक 5–9–2013 से (भारत सरकार के सादृश्य पर 1–3–2013 से प्रभावी) कर दी गई है। दिनांक 1–1–2014 से खराब हुई फसलों के निम्नलिखित अनुसार राहत नार्मज में वृद्धि की गई हैः–

बाढ़, आग, बिजली स्पार्किंग, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी के कारण खराब हुई फसलें

क्रमांक सं0	खड़ी फसलों को हुई क्षति का विवरण	फसल का नाम	वर्तमान मानदंडों के तहत राशि (रूपये में)	प्रस्तावित मानदंडों में तहत राशि (रूपये में)
1	26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक क्षति	1. गेहूँ, धान, कपास 2. अन्य फसलें	3,500 2,500	5,000 4,000
2	51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक क्षति	1. गेहूँ, धान, कपास 2.अन्य फसलें	4,500 3,500	7,500 5,000
3	76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक क्षति	1. गेहूँ, धान, कपास 2.अन्य फसलें	5,500 4,500	10,000 7,500

सूखे से खराब हुई फसलें

क्रमांक सं0	खड़ी फसलों को हुई क्षति का विवरण	फसल का नाम	वर्तमान मानदंडों के तहत राशि (रूपये में)	प्रस्तावित मानदंडों में तहत राशि (रूपये में)
1	51 प्रतिशत व अधिक क्षति	1.गेहूँ, धान, कपास 2.अन्य फसले	2,700 2,100	4,000 3,500

प्राकृतिक आपदायें एवं राहत कार्य

8.173 जब कभी भी बाढ, ओलावृष्टि, सूखा, आग तथा आसमानी बिजली आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय अथवा पशुओं की मृत्यु होती है, सरकार किसानों को राहत प्रदान करती है। राहत के मौजूदा मानदंड निम्न प्रकार से है:–

क्रमांक	मौत के मामले में	पूर्व राहत नार्मज (रूपये में)	संशोधित राहत नार्मज (रूपये में)
1.	प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि	50,000 प्रत्येक	2,00,000 प्रत्येक
2.	उंट/उंटनी	10,000 प्रत्येक	16,400 प्रत्येक
3.	घोड़ा/घोड़ी	10,000 प्रत्येक	15,000 प्रत्येक
4.	सांड/भैंस	10,000 प्रत्येक	16,400 प्रत्येक
5.	गाय	5,000 प्रत्येक	16,400 प्रत्येक
6.	गधा/गधी	2,000 प्रत्येक	10,000 प्रत्येक
7.	खच्चर	5,000 प्रत्येक	10,000 प्रत्येक
8.	भैस (3 साल की आयु तक)	2,000 प्रत्येक	10,000 प्रत्येक
9.	भेड़/बकरी	300 प्रत्येक	2,000 प्रत्येक

मेवात विकास बोर्ड/शिवालिक विकास बोर्ड

8.174 वित्त वर्ष 2013–14 के लिये विभिन्न कार्यो के लिए मेवात विकास बोर्ड के लिए बजट आबंटन 22 करोड़ रूपये है, जिसमें से 8.96 करोड़ रूपये की राशि दिनांक 31–12–2013 तक खर्च की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2013–14 के लिए विभिन्न कार्यो के लिये शिवालिक विकास बोर्ड के लिये बजट आबंटन 12 करोड़ रूपये है, जिसमें से 6.33 करोड़ रूपये की राशि दिनांक 31–12–2013 तक खर्च की जा चुकी है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

8.175 हरियाणा के सेवारत व सेवानिवृत रक्षा कार्मिकों के पक्ष में निष्पादित आवासीय संपत्ति/निवास इकाई/प्लाट के क्रय के सम्बन्ध में 15–11–2010 से प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को 1 प्रतिशत कम कर दिया गया है। रक्षा कर्मियों को यह छूट जीवन में एक बार ही मिलेगी। बजट शीर्ष 0030–स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के अधीन वर्ष 2013–14 (नवम्बर, 2013 तक) की आय 2,084.84 करोड रूपये है।

स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण

8.176 हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों/उनकी विधवाओं को दी जाने वाली राज्य सम्मान पैंशन 1–4–2014 से 20,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमास (750 रूपये प्रतिमास नियत चिकित्सा भत्ता सहित) कर दी गई है। स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनको मिलने वाली राज्य सम्मान पैंशन उनकी बेरोजगार अविवाहित लड़कियों तथा 75 प्रतिशत विकलांग अविवाहित बेरोजगार लड़कों को प्रदान की जावेगी। अगर उनके एक से अधिक योग्य बच्चे हैं तो वे सभी पैंशन में बराबर के हकदार होंगे। सम्मान पैंशन के अतिरिक्त विभिन्न अन्य योजनाएं/सुविधाएं भी राज्य में स्वतन्त्रता सैनानियों/उनके आश्रितों की भलाई के लिए चल रही है जो निम्न प्रकार से है:–

- राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु पर दाह संस्कार के खर्च के लिए वित्तीय सहायता 13–7–2009 से 1,500 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।
- हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी/आई.एन.ए. कार्मिकों तथा उनकी विधवाओं को उनकी पुत्री, पोती तथा आश्रित बहनों की शादी हेतू दी जाने वाली वित्तीय सहायता 20–8–2009 से 21,000 रूपये से बढाकर 51,000 रुपये प्रत्येक शादी के लिए कर दी गई है चाहे एक वर्ष में एक से अधिक शादी क्यों न हो।

सैनिक कल्याण

8.177 राज्य सरकार देश के रक्षा सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई के लिए तथा वीर सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके द्वारा दिये गये सर्वोतम बलिदान के लिए वचनबद्व है। यह बडे गौरव की बात है कि देश का प्रत्येक दसवां सैनिक हरियाणा राज्य से सम्बन्धित है।

8.178 हरियाणा सरकार ने उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता में काफी वृद्वि न केवल उनकी सेवाओं और बलिदान का सम्मान करने के लिए बल्कि रक्षा बलों में शामिल करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने

के लिए की है। सरकार ने एक मुश्त नकद पारितोषिक तथा शौर्य अवार्ड विजेताओं को दी जाने वाली राशि के लिए एक नीति बनाई है। शौर्य अवार्ड विजेताओं को दिए जाने वाले नकद पारितोषिक (युद्ध के दौरान) को बढ़ाकर परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 31 लाख रूपये से 2 करोड़ रूपये, महावीर चक्र के लिए 21 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये वीर चक्र के लिए 15 लाख रूपये से 50 लाख रूपये, सेना पदक (बहादुरी) के लिए 7.5 लाख रूपये से 21 लाख रूपये तथा मैन्शन–इन–डिस्पैच (बहादुरी) के लिए 5.5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तथा शान्ति के समय बहादुरी अवार्ड विजेताओं को अशोक चक्र के लिए 31 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये, कीर्ति चक्र के लिए 21 लाख रूपये से 51 लाख रूपये, शौर्य चक्र के लिए 15 लाख रूपये से 31 लाख रूपये तथा सेना/नौसेना/वायु सेना पदक (बहादुरी) के लिए 7.5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तथा मैन्शन–इन–डिस्पैच (बहादुरी) के लिए 5.5 लाख रूपये से 7.5 लाख रूपये करने का प्रस्ताव है।

8.179 प्रतिवर्ष दी जाने वाली शौर्य की वर्तमान दर को बढ़ाकर परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 2.5 लाख रूपये से 3 लाख रूपये, अशोक चक्र के लिए 2 लाख रूपये से 2.5 लाख रूपये, महावीर चक्र के लिए 1.9 लाख रूपये से 2.25 लाख रूपये, कीर्ति चक्र के लिए 1.5 लाख रूपये से 1.75 लाख रूपये, वीर चक्र के लिए 1.1 लाख रूपये से 1.25 लाख रूपये, शौर्य चक्र के लिए 70,000 रूपये से 1 लाख रूपये, सेना/नौ सेना/वायु सेना पदक (बहादुरी) के लिए 40,000 रूपये से 50,000 रूपये तथा मैन्शन–इन–डिस्पैच (बहादुरी) के लिए 20,000 रूपये से 30,000 रूपये करने का प्रस्ताव है। एकमुश्त ईनाम की राशि में भी बढ़ौतरी की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा बहादुरी अवार्ड विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त नकद ईनाम तथा भत्ता राशि देश में सबसे अधिक है।

8.180 युद्व सेवा पदक/विशिष्ट सेवा पुरस्कार सम्मानित करने के लिए एकमुश्त नकद पुरस्कार को बढ़ाकर सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक के लिए 1.27 लाख रूपये से 7 लाख रूपये तथा उत्तम युद्ध सेवा पदक के लिए 75,000 रूपये से 4 लाख रूपये, युद्ध सेवा पदक के लिए 36,000 रूपये से 2 लाख रूपये, परम विशिष्ट सेवा के लिए 1.15 लाख रूपये से 6.50 लाख रूपये तथा अति–विशिष्ट सेवा पदक के लिए 57,000 रूपये से 3.25 लाख रूपये, विशिष्ट सेवा पदक के लिए 23,000 से 1.25 लाख रूपये बढ़ाने का प्रस्ताव है। युद्व सेवा पदक श्रृंखला विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक राशि जो कि दिनांक 1–7–2011 से रोक दी गई थी, को दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव है।

8.181 आजादी के पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं के लिए मौद्रिक भत्ता/पैंशन को बढ़ाकर विक्टोरिया क्रॉस के लिए 10,000 रूपये प्रतिमास से 15,000 रूपये प्रतिमास, मिल्ट्री क्रॉस के लिए 7,500 रूपये प्रतिमास से 10,000 रूपये प्रतिमास, मिल्ट्री पदक के लिए 3,500 ये से 5,000 रूपये प्रतिमास, इंडियन आर्डर ऑफ मैरिट के लिए 2,000 रूपये प्रतिमास से 3,000 रूपये प्रतिमास, भारतीय विशिष्ट सेवा पदक के लिए 1,000 रूपये प्रतिमास से 2,000 रूपये प्रतिमास तथा मैन्शन–इन–डिस्पैच (केवल आजादी–पूर्व विजेता) के लिए 1,000 रूपये प्रतिमास से 2,000 रूपये प्रतिमास तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

8.182 राज्य सरकार ने अनुग्रह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के एक आश्रित को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में सरकारी सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने आंतकवादी, उग्रवादियों के विरूद्व या सीमा झड़पों के दौरान मौत के मामले में अनुग्रह राशि को बढ़ाकार 10 लाख रूपये से 20 लाख रूपये, आई.ई.डी. विस्फोट के कारण हुई मौत के लिए 7.15 लाख रूपये से 20 लाख रूपये तथा युद्व, आंतकवाद, आई.ई.डी. विस्फोट के कारण हुए विकलांग को विकलांगता की प्रतिशतता के आधार पर 1 लाख रूपये से 7 लाख रूपये करने का प्रस्ताव है। यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

8.183 हरियाणा सरकार द्वितीय विश्वयुद्ध के वयोवृद्ध योद्धाओं और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वित्तीय राशि को 1,500 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 3,000 रूपये प्रतिमास करने का प्रस्ताव है। हरियाणा सरकार 60 वर्ष तथा इससे ऊपर आयु के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वित्तीय राशि को 1,000 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 2,000 रूपये प्रतिमास करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार पैरा टेट्रा/होम पैलेजिक, विकलांग तथा अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिकों को दी जानी वाली वित्तीय राशि को 1,000 रूपये प्रतिमास से 1,500 रूपये प्रतिमास तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 600 रूपये प्रतिमास से 2,000 रूपये प्रतिमास करने का प्रस्ताव है। हरियाणा सरकार द्वारा सभी घोषित युद्ध–योद्धाओं की विधवाओं की पैंशन जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में 1,000 रूपये से बढ़ाकर 2,000 रूपये प्रतिमास करने का प्रस्ताव है।

आवास

8.184 आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा स्थापना वर्ष 1971 से लेकर 31–12–2013 तक 71,842 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य किया गया है जिसमें से 50,770 मकानों का निर्माण कार्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये किया गया है। वर्ष 2013–14 में आवास बोर्ड हरियाणा 30,000 मकानों का निर्माण

आरम्भ करेगा तथा 10,000 मकानों का निर्माण आवास बोर्ड की तरफ से, पंचायत एवं विकास विभाग, प्राईवेट कालोनाईजर द्वारा आबंटित भू–खण्डों पर किया जायेगा तथा 10,000 मकान आवास बोर्ड की तरफ से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आंबटित भूमि पर किया जायेगा। आवास बोर्ड द्वारा 14,754 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानों अम्बाला शहर, यमुनानगर, करनाल, झज्जर, कुरूक्षेत्र, पानीपत, जीन्द, फतेहाबाद, रतिया, हांसी, बहादुरगढ़, सिरसा, सोनीपत, गुड़गावं, नारनौल, रिवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, बढ़ी ग्राम सिसोथ (जिला महेन्द्रगढ़), और रोहतक में प्रगति पर हैं जिसमें से 10,680 ई0डब्ल्यू0एस0 मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिये, 1,500 ई0डब्ल्यू0एस0 मकान कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, 90 मकान निम्न आय वर्ग के लिये, 90 मकान मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए, 102 मकान उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए तथा 2,292 मकान अन्य श्रेणी के लोगों के लिए हैं। पंचायत विभाग द्वारा आवास बोर्ड़ की तरफ से 3747 ई0डब्ल्यू0एस0 मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिये रोहतक में (1,416) और सोनीपत में (2,331) मकान निर्माणाधीन हैं।

8.185 आवास बोर्ड़ हरियाणा द्वारा दिनांक 1–4–2013 से लेकर 31–12–2013 तक 1,327 मकानों का कार्य सम्पन्न किया गया है। जिसमें से 943 ई0डब्ल्यू0एस0 मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिये फरीदाबाद यमुनानगर, पंचकूला सिरसा, धारूहेड़ा, और नरवाना में (जिला जीन्द) तथा 168 टाईप-I, सैक्टर–21 सिरसा में और 216 टाईप-I, सैक्टर–9 बहादुरगढ़ में है। आवास बोर्ड़ हरियाणा द्वारा दिनांक 1–4–2013 से लेकर 31–12–2013 तक निर्माण कार्यो पर कुल 61 करोड़ रूपये खर्च किये हैं।

8.186 रोहतक में 15 एकड़ भूमि जो कि नगर निगम, रोहतक, द्वारा उपलब्ध करवाई गई है इस पर हरियाणा सरकार एवं बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के लिए फलैटों का निर्माण किया जायेगा, जिनमें 48 टाईप–ए, 126 टाईप–बी और 512 टाईप–सी के फलैट होंगे तथा 192 फलैट्स प्राचीन पुरातत्व विभाग की भूमि खोखरा कोट, रोहतक पर अवैध काबिजों के लिए तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होंगे। इन फलैटों का निर्माण कार्य फरवरी, 2014 में आरम्भ कर दिया जायेगा। बी.पी.एल. परिवारों के लिये सितम्बर, 2013 में आवास बोर्ड द्वारा 10,215 ई0डब्ल्यू0एस0 मकान का पंजीकरण का कार्य सम्पन्न कर दिया गया था। जिसमें से 3,747 मकानों का निर्माण कार्य पंचायत विभाग द्वारा पहले ही आरम्भ कर दिया गया है तथा दिसम्बर, 2013 में 6,465 ई0डब्ल्यू0एस0 मकान बनाने की निविदांए आमंत्रित कर ली गई थी जिसका निर्माण कार्य फरवरी, 2014 में आरम्भ कर दिया जायेगा। आवास बोर्ड द्वारा 2,124 मकान बी.पी.एल. परिवारों के रहने के लिये बनाने है उनका पंजीकरण का कार्य 13–01–2014 से आरम्भ कर दिया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास बोर्ड को प्रदेश में विभिन्न शहरों में ई0डब्ल्यू0एस0 तथा अन्य वर्गों के मकानों के निर्माण के लिए 214.88 एकड़ भूमि का आबंटन हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा, करनाल, चीका, चरखी दादरी, जगाधरी, फरीदाबाद और सफीदों में किया है। आवास बोर्ड द्वारा 196.33 एकड़ भूमि का 25 प्रतिशत की दर से भुगतान कर दिया है जिसमें से 134.39 एकड़ भूमि का कब्जा हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा, चीका, करनाल और चरखी दादरी में आवास बोर्ड हरियाणा को दे दिया गया है।

8.187 हरियाणा सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के लिये मकान बनाने के लिये एक नीति बनाई है जिसके तहत प्राईवेट कालोनाईजरस बी.पी.एल. परिवारों के फलैट बनाने के लिए 20 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 प्लाट रकबा 50 वर्ग मीटर है को 500 रूपये वर्ग गज के हिसाब से देंगे। अब तक महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने तकरीबन 11,500 प्लाटों को चिन्हित किया है जो कि बोर्ड़ को आबंटित किये जायेंगे। अब तक 9,004 प्लाटों का कब्जा बोर्ड़ को दिया जा चुका है और शेष प्लाटों का कब्जा विकास कार्य पूर्ण करने के बाद दिया जायेगा।

8.188 ग्रामीण आवास योजना के अर्न्तगत गांव सिसोठ जिला महेन्द्रगढ़ में ग्राम पंचायत सिसोठ से 10 एकड़ भूमि का अधिग्रहण गांव सिसोठ के निवासियों के लिए मकान बनाने के लिए किया गया है। वर्तमान में 85 (37 टाईप-I, 24 टाईप-II तथा 24 टाईप-III) मकानों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है, तथा शेष 88 टाईप–IV और 2 टाईप–I मकानों का पंजीकरण शीघ्र ही किया जायेगा। आवास बोर्ड़ हरियाणा बढ़ी (जिला सोनीपत) में 168 फलैट्स टाईप-A, का निर्माण औघोगिक श्रमिकों के लिये बनाये जाने का प्रस्ताव है। इसका पंजीकरण का कार्य जल्द ही शुरू किया जा रहा है।

8.189 भूतपूर्व सैनिकों के लिए एवं अर्ध सैनिक बलों के लिए 50,000 मकान बनाने हैं जिसमें दो श्रेणी के मकानों को बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से एक मकान का सुपर क्षेत्र 600 वर्ग गज होगा तथा दूसरे मकान का 720 वर्ग गज होगा और इन मकानों के निर्माण के लिए भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण / शहरी निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी प्रथम चरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 10 एकड़ भूमि पिंजौर में, 15 एकड़ फरीदाबाद में, 20 एकड़ महेन्द्रगढ़ में, 20 एकड़ झज्जर, 10 एकड़ रोहतक में तथा 10 एकड़ रेवाड़ी में और 50 एकड़ भूमि गुडगांव एवं पटौदी में शहरी निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

सहकारिता

8.190 हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास में सहकारी संस्थाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है। सहकारिताओं द्वारा लोगों को वित्तीय साधन जुटाने के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश की 35 हज़ार से अधिक विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों द्वारा अपने 57 लाख से अधिक सदस्यों के लिये लाभकारी योजनाएं बना कर उनका आर्थिक व सामाजिक विकास किया जा रहा है।

8.191 वर्तमान सरकार द्वारा गन्ने का भाव 276 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर वर्ष 2013–14 के लिये अगेती प्रजाति के लिये 301 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। गन्ना विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के लिये 37.71 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी जिसमें से 5.35 करोड़ रुपये राज्य की सहकारी चीनी मिलों द्वारा तथा 32.36 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा ब्याज राहत ऋण के रूप में उपलब्ध करवाएं जायेंगे।

8.192 वर्ष 2013–14 के पहले 9 महीनों में लगभग 1,859 पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों द्वारा 169 सहकारी श्रम एंव निर्माण समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 में प्राथमिक सहकारी श्रम एंव निर्माण समितियों द्वारा 464.34 करोड रूपये, 366.34 करोड रूपये व 131.13 करोड़ रूपये का कार्य किया गया है।

8.193 हरियाणा में सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा 1–04–2013 से 31–12–2013 तक 3.40 लाख लीटर प्रति दिन दूध की खरीद की गई। दुग्ध प्रसंघ द्वारा दूध का खरीद का भाव 385 रुपये से बढ़कर 510 रुपये प्रति किलो फैट कर दिया गया है।

8.194 दुग्ध उत्पादकों के लिए हरियाणा डेयरी द्वारा बीमा योजना शुरू की हुई है जिसके अन्तर्गत उन दुग्ध उत्पादकों का एक लाख रुपये तक का जीवन बीमा किया जाता है जिन्होंने पिछले तीन वर्ष के दौरान लगातार दूध डाला है। इसके लिए उन्हें केवल 10 रुपये देने पड़ेंगे। राज्य के 26,000 के दुग्ध उत्पादकों का इस योजना के अन्तर्गत बीमा किया गया है।

रोजगार

शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता स्कीम

8.195 शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जाता है। इस कार्य के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान 58 करोड रूपये की राशि का बजट आबंटित किया गया तथा इस स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 1–4–2013 से 31–12–2013 तक 38,011 प्रार्थियों को 20.38 करोड़ रूपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में वितरित की गई है ।

निजी समायोजन परामर्श एंव भर्ती सेवा केन्द्र

8.196 व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा व्यावसायिक सूचना, ग्रुप गोष्ठियों, व्यावसायिक प्रवचनों तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के माध्यम से प्रदान की जाती है। परिणाम स्वरूप अवधि 1–4–2013 से 31–10–2013 तक 67,133 प्रार्थी लाभान्वित हुए। जिला रोजगार अधिकारी प्रार्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों में चल रही स्व–रोजगार की स्कीमों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रसंग में दिनांक 1–4–2013 से 31–10–2013 तक 272 जागृति केम्पों का आयोजन किया गया जिसमें 24,900 प्रार्थियों को विभिन्न एजेन्सियों/विभागों द्वारा चलाई जा रही स्व–रोजगार स्कीमों की जानकारी प्रदान की गई।

विदेश रोजगार ब्यूरो

8.197 विभाग की सोसायटी होपास (हरियाणा विदेश रोजगार सोसायटी) द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को विदेशी रोजगार सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। यह सस्था विदेशी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत है। 1–4–2013 से 31–10–2013 तक की अवधि के दौरान 8,786 आवेदक विदेश में रोजगार सहायता के लिए वैबसाइट www.opbharyana.com पर अपना पंजीकरण करवा चुके है। वर्ष 2007 से 2013 तक 10,335 आवेदकों को कानूनी और सुरक्षित प्रवास के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। 104 प्रार्थियों को रोजगार तथा 103 प्रार्थियों को अध्ययन वीजा के लिए विदेश में भेजा गया है। 60 से अधिक सेमिनार, कार्यशालाएं नौकरियों और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए कानूनी और सुरक्षित प्रवास के लिए समय समय पर विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए गए हैं।

रोजगार कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण करना

8.198 विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सभी सुविधायें विभाग की वैब साईट www.hrex.org पर आनॅ लाईन उपलब्ध करवाई जाती है। रोजगार के इच्छुक 9,06,009 प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाईट के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया है। हमारी नई सेवा नियोक्ता आनलाईन पंजीकरण मे नियोजक स्वयं विभाग की वेबसाइट

पर पंजीकरण करवा सकते हैं तथा वे सीधे अपनी आवश्यकता अनुसार योग्य प्रार्थियों के ब्यौरे की जांच कर सकते हैं।

श्रम कल्याण

8.199 श्रम विभाग, हरियाणा का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्य स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है। श्रम विभाग एक श्रमिक की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पूर्णता जागरूक है। इस सम्बन्ध में राज्य में अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन की दरें जो 1–7–2007 को 3,510 रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी, उसे हर छः माही के आधार पर समय–समय पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्तमान में एक अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 1–7–2013 से 5,341.51 रूपये प्रतिमाह तथा 205.44 रूपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

8.200 राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में बढोतरी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं इससे सम्बन्धित उद्योगों को पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अर्न्तगत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य पर लगाने की छूट प्रदान की गई है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं यातायात के साधन की पूर्ण जिम्मेवारी लेगा। वर्तमान सरकार की अवधि के दौरान इस अधिनियम की धारा 30 के अर्न्तगत 119 संस्थाओं में छूट प्रदान की गई जिससे 86,769 महिला श्रमिक लाभान्वित हैं।

8.201 राज्य में श्रमिकों को शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतू 9 औद्योगिक अधिकरण–एवं–श्रम न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में लम्बे समय से लम्बित पडे केसों के निपठान करने हेतू वर्ष के दौरान 2 श्रम लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। इन लोक अदालतों में 514 मामलों का निपटारा किया गया।

8.202 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी स्कीम जैसे कन्यादान, छात्रवृत्ति, भ्रमण यात्रा, धार्मिक यात्रा, चस्में, दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता, विधवा के लिए वित्तीय सहायता, साईकिल, कम्प्यूटर शिक्षा, प्रसूति, दाह संस्कार, वर्दी, दन्त सुरक्षा, कृत्रिम अंग, श्रवण मशीन, ट्राई साईकिल, सिलाई मशीन एवं एल0टी0सी0 इत्यादि चलाई गई हैं इन योजनाओं के तहत (31–12–2013) में लगभग 13,098 औद्योगिक श्रमिकों पर लगभग 933.52 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

8.203 नई घोषित स्कीम "मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा" योजना के अर्न्तगत निर्णय लिया कि कार्य स्थल पर मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये तथा अपंगता होने पर 50,000 रूपये से 1 लाख रूपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड तथा भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा इस योजना को दिनांक 1–1–2014 से लागू कर दिया जाएगा।

8.204 इसी प्रकार भवन एवं अन्य सहनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पंजीकृत श्रमिकों हेतू संक्रामक रोगों जैसे, कैंसर, एडस, टी0बी0 मृत्यु लाभ/दाह संस्कार, कन्यादान, शिक्षा छात्रवृत्ति, अपंगता, पैंशन, औजारों की खरीद हेतू ऋण, क्रैच व मोबाईल वैन की सुविधा, शादी हेतू वित्तीय सहायता, मकान की खरीद एवं निर्माण हेतू अग्रदान, सूट/साडी व चप्पल उपलब्ध करवाना, बाई साईकिल व प्रसूति आदि कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत (31–12–2013) तक लगभग 1,611 औद्योगिक श्रमिकों पर लगभग 354.18 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

खेल एवं युवा कल्याण

8.205 अर्न्तराष्ट्रीय खेल मंच पर राष्ट्र के उत्थान में राज्य के खिलाडियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्र के खेल क्षेत्र में हरियाणा मुख्य भूमिका निभाता रहा है। राज्य के खिलाडियों ने दिनांक 22 जुलाई से 4 अगस्त, 2013 तक जर्मनी में आयोजित विश्व हाकी महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्र का नाम रोशन किया। हरियाणा की कुमारी रानी रामपाल, नवनीत कौर, मोनिका मंजीत कौर, नवजोत कौर तथा पूनम ने उपर्युक्त चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया। भिवानी की स्पैट छात्रवृत्ति धारक कुमारी निर्मला ने 3 से 7 जुलाई, 2013 तक पूना में आयोजित हुई वरिष्ठ एशियन एथलैक्टिस चैंपियनशिप में 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता तथा 10 से 18 अगस्त, 2013 तक मास्को में आयोजित विश्व एथलैक्टिस चैंपियनशिप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। स्पैट खिलाडी अनु पंघाल ने भी एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक तथा मंजु ने कांस्य पदक जीता। अनु पंघाल ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भी भाग लिया। स्पैट खिलाडियों पूजा, पिंकी तथा नवीन ने 2013–14 में एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में तथा विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लिया। अमित ने दिनांक 19 से 22 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता तथा बजरंग, अतीन्द्र, विनेश, बबीता तथा गीतिका जाखड ने कांस्य पदक जीते। राज्य की खिलाडियों ने 4 से 7 दिसम्बर, 2013 तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण, 3 रजत एवं 3 कांस्य पदक जीते। दिनांक 16 से 22 दिसम्बर, 2013 तक बूडापेस्ट में आयोजित वरिष्ठ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अमित

ने रजत पदक तथा बजरंग ने कांस्य पदक जीता। वर्ष 2012–13 में हरियाणा राज्य का दल पायका राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में 36 स्वर्ण, 25 रजत तथा 24 कांस्य पदक जीतकर ओवर–ऑल चैंपियन बना। वर्ष 2013–14 में एथैलटिक्स (लडके तथा लडकियां), हैंडबाल (लडके तथा लडकियां), हांकी (लडके तथा लडकियां), बैडमिंटन (लडके तथा लडकियां), टीम ने ओवर–आलॅ चैंपियनशिप जीती। वालीवाल तथा कबडडी टीम रनरअप रही। इस वर्ष अब तक राज्य ने पायका राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 10 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीते हैं। इस वर्ष भी राज्य पूर्व वर्षों की सफलता को दोहराने की राह पर अग्रसर है।

8.206 राज्य में खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृष्टिगत, पैरालम्पिक खिलाडियों सहित उत्कृष्ट खिलाडियों को सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए नीति बनाई गई थी ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। इस नीति के अनुसार राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रथम श्रेणी नौकरियां जबकि राष्ट्रमण्डल खेलों में रजत, कांस्य पदक विजेताओं, एशियाई खेलों एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को द्वितीय श्रेणी में नौकरियां दी जाएंगी। औलम्पिक खेलों में भाग लेने वालों, एशियन तथा राष्ट्रमण्डल खेलों के रजत तथा कांस्य पदक विजेताओं को तृतीय श्रेणी में नौकरियां प्रदान की जाएंबी। अब तक इस नई जॉब पॉलिसी के अर्न्तगत 11 खिलाडियों को नौकरियां प्रदान की गई है।

8.207 राज्य के पैरालम्पिक खिलाडियों सहित उत्कृष्ट खिलाडियों को सभी स्तरों पर विभिन्न उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कारों में वृद्धि की गई। औलम्पिक खेलों वर्ष 2016 के लिए नकद पुरस्कारो की दरें दोगुनी की गई। इन खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को अब 5 करोड़ रूपये, रजत पदक विजेता को 3 करोड़ रूपये व कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ रूपये, दिए जाएंगे। अर्जुन, ध्यानचंद तथा भीत पुरस्कार विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार 2 लाख रूपये से बढ़ाकार 5 लाख रूपये किए गए है। विश्वकप/चैंपियनशिप या पैरालम्पिक विश्वकप/चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की दरें भी दोगुनी कर दी गई थी। अब विश्वकप/ चैंपियनशिप या पैरालम्पिक विश्वकप/चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये दिए जायंगे। रजत पदक विजेताओं को 8 लाख रूपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 6 लाख रूपये दिए जायंगे। वर्ष 2012–13 में विभाग ने 2005 उत्कृष्ट खिलाडियों को 15 करोड़ रूपये वितररित किए तथा वर्ष 2013–14 में विभाग राज्य के विभिन्न स्तरों पर 2050 पदक विजेताओं को लगभग 20 करोड़ रूपये जारी करने जा रहे है। वर्ष 2013–14 में विभाग उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को लगभग 8.5 करोड़ रूपये छात्रवृति के रूप में जारी करेगा। सरकार ने पहली बार हरियाणा से माउंट एवरेस्ट पर ध्वजारोहण करने वाले पर्वतारोहियों को 5 लाख रूपये नकद पुरस्कार के रूप में देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2013–14 के दौरान 7 पर्वतारोहियों को सम्मानित किया गया था। सरकार ने वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के लिए भीम पुरस्कार के लिए राज्य के 17 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। ये पुरस्कार विजेता अग्रिलिखित खेलों में राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खिलाडी थे– बॉक्सिंग (2) ,कुश्ती, (2) शूटिंग, (2) पैरालम्पिक (1), एथैलैटिक्स, पैरालम्पिक (2), जूडो (1), हाकी (2), रोलर स्केटिंग हाकी (1), एथलैक्टिस डिस्कस–थ्रो (1), वॉलीबॉल (1) तथा विशेष श्रेणी (1)।

8.208 सरकार ने भारत सरकार स्त्रोतों के साथ मिलकर विश्व स्तर की कुछ बृहत भावी खेल संरचनाओं सुविधाओं को आरम्भ किया है। वर्ष 2013–14 में कुछ प्रमुख खेल संरचना विभाग द्वारा विकसित की जाएंगी जो हैं– 100 बैड का खेल होस्टल महम, रोहतक खेल स्टेडियम में (666.46 लाख रूपये), गांव किलोई (रोहतक) में बास्केटबाल अकादमी (383.12 लाख रूपये), दरियापुर (फतेहाबाद) में कृत्रिम फुटबाल सरफेस के साथ फुटबाल अकादमी (350 लाख रूपये), भोडिया खेडा में बहुउद्धेशीय हॉल एवं नलकूप (318.57 लाख रूपये), भीम स्टेडियम भिवानी में हाकी एस्ट्रोटर्फ लगाना (501.18 लाख रूपये) तथा हिसार में हाकी एस्ट्रोटर्फ लगाना (375 लाख रूपये)।

8.209 वर्ष 2013–14 के दौरान 1274.73 लाख रूपये के खेल उपकरणों के क्रय के लिए इंडैंट निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान विभाग हरियाणा को भेजे गए थे। विभाग ने राज्य के खिलाडियों के हित में उनको उच्च स्तर के उपकरणों को प्रदान करने के लिए कुछ नए खेलों को अपने रोल पर लिया है। विभाग द्वारा तीरंदाजी, फैंसिंग तथा क्याकिंग एवं कनोइंग खेलों के लिए लगभग 20 लाख रूपये के उपकरणों के क्रय के लिए मामला विचाराधीन है।

8.210 खेल एवं शारीरिक कुशलता परीक्षा (स्पैट)– इस अवधि के दौरान ग्रामीण बच्चों को स्पर्धात्मक खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए बृहद वार्षिक प्रयास आरम्भ किए गए। वर्ष 2012–13 के दोरान 5,000 चयनित खिलाडियों को 8.81 करोड़ रूपये दिए गए थे। स्पैट–2014 में 12.7 लाख होनहार बच्चों ने प्रतिभागिता की जिसमें से 1.8 लाख का प्रथम राउंड में चयन किया गया था। अन्ततः 5,000 का चयन छात्रवृति तथा आगे प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा तथा ये चयनित खिलाडी लगभग 10 करोड़ रूपये की एक संचित वार्षिक छात्रवृति प्राप्त करेंगे। खेल कियाओं, प्रशिक्षण एवं प्रतिभा खोज का राष्ट्र में यह एक अद्वितीय शुरूआत थी। एशियन कैडेट कुश्ती चैम्पियनशित में स्पैट क्वालीफायर अनु पंघाल ने रजत तथा मंजू ने कांस्य पदक जीता। अनु पंघाल ने विश्व कैडेट

कुश्ती प्रतियोगिता में भी भाग लिया। पूजा, पिंकी तथा नवीन ने वर्ष 2013–14 में एशियन कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता तथा विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके अतिरिक्त 500 से भी अधिक अन्य स्पैट खिलाडियों ने विभिन्न राज्य तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते।

8.211 भारत सरकार की 'पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान योजना' के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 तक राज्य के ग्रामीण आंचल में छुपी हुई खेल प्रतिभा को निखारने के लिए 2,476 गांवों के स्कूलों में तथा 48 ब्लाक स्तर पर खेल मैदानों तथ नॉन कंज्यूमेबल खेल उपकरणों की स्थापना करते हुए खेल केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इस योजना के अर्न्तगत विभाग 10 वर्ष की अवधि के अन्दर–अन्दर राज्य के सभी गांवों तथा खण्डों को शामिल करेगा। राज्य के लिए यह बड़े गर्व की बात हैं कि हरियाणा कैंटीजैंट ने पिछले तीन वर्षो से लगातार समग्र चैम्पियनशित जीती। इस योजना के अन्तर्गत विभाग ने राज्य में कुछ लोकप्रिय तथा परिणामगामी खेलों का शामिल किया। जो इस प्रकारा हैः– एथलैटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, कबडडी, फुटबाल, हैंडबाल, हॉकी, बास्केटबाल तथ वॉलीबाल।

8.212 सरकार ने विभिन्न खेलों में हरियाणा के ओलोम्पिक विजेताओं द्वारा विश्व स्तरीय अकादमियों की स्थापना के लिए एक नीति बनाई है। श्री सुशील कुमार व श्री योगेश्वरदत्त पहलवान को राज्य में खिलाडियों के लिए कुश्ती अकादमियां स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान की गई थी। वर्ष 2013–14 के दौरान 4 आवासीय तथा 10 डे–बोर्डिंग अकादमियां विभाग द्वारा चलाई गई थी तथा इससे 320 खिलाडी लाभान्वित हुए थे। इस उद्देश्य के लिए 100 लाख रूपये का बजट का प्रावधान किया गया। ये अकादमियं थीः– भिवानी में बॉक्सिंग आवासीय अकादमी, कुरूक्षेत्र में हॉकी, चण्डीगढ़ में लॉन–टैनिस तथ नरवाना जींद में हैड बाल अकादमी। इन आवासीय अकादमियों के अतिरिक्त विभाग ने जींद में डे–बोर्डिंग अकादमी, सोनीपत में कुश्ती, पंचकूला में बैडमिंटन, कुरूक्षेत्र में बोलीबॉल, सिरसा में हॉकी, रोहतक में एथलैटिक्स एवं कुश्ती, किलोई (रोहतक) में बास्केटबाल, राई में हॉकी तथा रोहतक में लॉन टैनिस चालू की हुई है।

8.213 वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में इस वर्ष 14 आवासीय नर्सरियां, डे–बोर्डिंग नर्सरियां विभाग द्वारा चलाई जा रही है जिसके 541 खिलाड़ी लाभान्वित हुए। ये थीः– हिसार में एथलैटिक्स, पंचकूला में एथलैटिक्स, भिवानी में एथलैटिक्स, मटिण्डू (सोनीपत) में क्रिकेट, सिरसा में जूडो, हिसार में जूडो, बिरधाना (झज्जर) में कुश्ती, उमरा (हिसार) में कुश्ती, झज्जर में कुश्ती, सिरसा में हॉकी, सोनीपत में हॉकी, सांपला (रोहतक) में कुश्ती, चुलियाना (रोहतक) में कुश्ती तथा किलाई (रोहतक) में कबडडी, डे–बोर्डिंग नर्सरी पुरखास (सोनीपत) में कुश्ती, खेड़ी जाटान, (झज्जर) में कुश्ती, गुडगांव में हाकी, रेवाडी में हाकी, भालोट (रोहतक) में कुश्ती, रूडकी (रोहतक) में बॉक्सिंग बोहर (रोहतक) में हाकी, मान्डोठी (झज्जर) में कुश्ती, महराना (झज्जर) में खोखो, फरीदाबाद में क्रिकेट तथा रोहतक में हाकी। विभाग ने दो आवासीय तथा 13 डे–बोर्डिंग खेल नर्सरियां भिन्न–भिन्न खेल प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है ताकि उत्कृष्ट तथ उच्चदक्षता वाले खिलाडियों को प्लेटफार्म मिल सकें।

8.214 वर्ष 2013–14 में खेल केन्द्रों, नर्सरियों, अकादमियो तथा स्पैट प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए विभाग को मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतू 686 प्रशिक्षणों को भर्ती करने के लिए प्रयास किए गए। वर्ष 2016 में रियो, में हाने वाली ओलम्पिक को ध्यान में रखते हुए लोकप्रिय खेलों हेतू प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। ये हैं– जूडों (30), टेबल टैनिस (20), जिम्नास्टिक (22), बॉक्सिंग (35), फुटबॉल (30), ताइक्वाडों (17), फैंसिंग (12), वेटलिफ्टिंग (15), एथलैटिक्स (60), बैडमिण्टन (30), टैनिस (20), शूटिंग (10), क्रिकेट (21), योगा (20), गोल्फ (5), क्याकिंग व कनोइंग (6), रोइंग (1), कुश्ती (95), नैटबाल (20), तैराकी (28), वालीबॉल (30), हैडबॉल (30), खोखो (10), कबडडी (35), वूश (2), हॉकी (30), बास्केटबॉल (35), साईकिलिंग (12) ओलोम्पिक खेलों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कुछ नये खेलों को सम्मिलित किया है जैसे साईकिलिंग, फैंसिंग,गोल्फ, क्याकिंग और क्नोईंग।

8.215 वर्ष 2013–14 ने विभाग ने विभिन्न युवा कार्यक्रम तथ गतिविधयां आयोजित की। ये हैः– एडवेचर स्पोर्टस, सांस्कृतिक उत्कर्ष, सामाजिक हित, महत्वपूर्ण दिनों व सप्ताहों का आयोजन, युवा क्लबों को प्रोत्साहन एवं आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण देना। विभाग ने वर्ष के दौरान जिला तथा राज्य युवा उत्सव का आयोजन किया तथा लुधियाना, पंजाब में आयोजित 18वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लिया। इस राष्ट्रीय युवा उत्सव में, राज्य के युवाओं ने 2 स्वर्ण, 3 कांस्य तथा 4 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जीत कर राज्य को गौरवांवित किया। राज्य को राष्ट्रीय युवा उत्सव 2014, का ऑवर–ऑल चैम्पियन घोषित किया गया था।

8.216 विभाग के विख्यात स्कूल, मोती लाल नेहरू स्कूल आफ स्पोर्टस, राई (सोनीपत) ने शिक्षा एवं खेल दोनों ही में अच्छा प्रदर्शन किया। इसे खेल एवं शिक्षा में उच्च स्तरों को कायम करने हेतू अखिल भारतीय स्कूलों में टॉप रैंक प्रदान किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान स्कूल के खिलाडियों ने विभिन्न राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में 23 स्वर्ण, 45 रजत तथा 60 कांस्य पदक जीते। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल की यामनी बत्रा ने शैक्षणिक स्तर 2012–13 में सी0बी0एस0सी0 क्लास 12वीं में 97.4 प्रतिशत अंक प्राप्त करके सभी मौजूदा रिकार्डों को तोड़

दिया। वह शैक्षणिक सत्र 2012–13 में 12वीं कक्षा की परीक्षा में हरियाणा में टॉपर रही।

8.217 वर्ष 2012–13 के दौरान खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के लिए बजट प्रावधान 133.01 करोड़ रूपये था तथा वितीय वर्ष 2013–14 में बजट का प्रावधान 162.31 करोड़ रूपये है।

पर्यटन

8.218 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 3 तरफ से हरियाणा घिरा हुआ है। पर्यटन विभाग की मुख्य गतिविधि पर्यटन अवस्थापना का विकास करना तथा राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में पर्यटन को उन्नत करना है। इस समय हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 42 पर्यटक स्थल केन्द्र जिसमे 781 कमरे, 15 डौरमेटरी, 42 रैस्टोरैंट, 36 बार, 48 सम्मेलन केन्द्र/समारोह/बहुउद्धेशीय हॉल, 5 फास्ट फूड, एक गोल्फ कोर्स, 14 पैट्रोल पम्प और एक सम्मेलन केन्द्र रेड बिशप, पर्यटन केन्द्र पचंकूला में भी निर्माणाधीन है। कुरूक्षेत्र, पानीपत, फरीदाबाद और रोहतक में चार होटल प्रबन्धन संस्थान है और यमुनानगर में निर्माणाधीन है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी में स्थापित होने वाली पर्यटन/होटल परियोजनाओं के विकास हेतु एक विस्तृत पट्टा नीति बनाई गई है। जिसके अर्न्तगत सरकारी भूमि अल्पावधि (11 वर्ष तक) दीर्घावधि (33 वर्ष तक) के लिए पट्टे पर उपलब्ध करवाई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक रोजगार देना विभाग का एक दीर्धकालिक उद्वेश्य है।

8.219 चालू वर्ष में पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं पूर्ण/शुरू की गई है :–

i) फूड क्राफट संस्थान फरीदाबाद की अवस्थापनाओं का दर्जा बढ़ाकर होटल प्रबन्धन संस्थान करना।
ii) पिंजौर में यादविन्द्रा बाग के फव्वारों के चैनल, रैम्पों, रास्तों, जल महल, क्रॉस चैनल, पानी का पुनः संचालन और संगीतयन्त्र के नवीनीकरण का कार्य प्रगति में है।
iii) रैड बिशप पंचकुला, सूरजकुण्ड में हरमिटेज हटस, होटल राजहंस और बड़खल झील के कमरों का नवीनीकरण का कार्य प्रगति में हैं।
iv) मोरनी, टिक्करताल और हिसार का पर्यटन गन्तव्य के अर्न्तगत विकास किया गया है।
v) तीन मन्दिरों माता मन्सादेवी मन्दिर, बिलासपुर के कपालमोचन तथा वेदव्यास मन्दिरों का पुनउद्वार करना।
vi) तिलयर झील, रोहतक का विकास
vii) होटल प्रबन्धन संस्थान, रोहतक में लड़को/लड़कियों को होस्टल का निर्माण।
viii) होटल प्रबन्धन संस्थान, पानीपत का नवीनीकरण करना।

8.220 ब्रहमसरोवर, कुरूक्षेत्र में योगा हॉल, होटल प्रबन्धन संस्थान, यमुनानगर, यमुनानगर– पंचकूला–पोंटासाहिब का मेगा पर्यटन सर्कट के अर्न्तगत विकास और कन्वेंशन सैन्टर, पंचकुला, हिसार, जगाधरी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कन्वेंशन सैन्टर, यमुनानगर, पिपली और सांउड एवं लाईट शो तिलयार झील, रोहतक और यादविन्द्रा बाग, पिंजौर जैसी परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है और झज्जर में एक नये पर्यटन परिषद का निर्माण 2014–15 के दौरान किया जा रहा है।

8.221 पर्यटन मन्त्रालय द्वारा वर्ष 2009–2010 से रोज़गार हुनर को बढ़ावा देने हेतू कम से कम आठवीं पास 18–28 वर्ष के इच्छुक युवकों को रोज़गार योग्य बनने के लिऐ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया है और 31–3–2013 तक कुल 2,110 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अप्रैल, 2013 से अब तक कुल 1,733 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। होटल प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद और कुरूक्षेत्र में गूंगे एवं बहरे व्यक्तियों में दक्षता का विकास करने की अनुपम योजना शुरू की गई है, जिसके अर्न्तगत कुल 70 उम्मीद्वारों को प्रशिक्षण दिया गया। इन विद्यार्थियों को रोजगार दिलवाने के लिए विशेष प्रयत्न किये गए हैं। होटल प्रबन्धन संस्थान, कुरूक्षेत्र में गूंगे एवं बहरे व्यक्तियों के लिऐ छः सप्ताह का हाऊस कीपिंग का कोर्स (13–5–2013 से 26–6–2013) आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा के अलग–अलग स्कूलों के 61 विधार्थियों ने भाग लिया।

8.222 हरियाणा पर्यटन निगम ने वर्ष 2013 से विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर, 2013) पर पहली बार हुनर से रोज़गार योजना पर्यटक स्थलों (अम्बाला, कर्ण झील, रेड बिशप, पिन्जौर, मोरनी, राई, ब्लयुबर्ड हिसार, बहादुरगढ़, मैगपाई फरीदाबाद, सोहना गुड़गॉव, धारूहेड़ा, दमदमा और होडल) पर लागू की। 880 व्यक्तियों को फूड प्रोडक्शन (8 सप्ताह–440 व्यक्तियों) और फूड और बैवरेज सर्विस (6 सप्ताह–440 व्यक्तियों) को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हे टूलकिट, वर्दी और स्टाईफण्ड राशि 2,000 रूपये (फूड प्रोडक्शन) और 1,500 रूपये (एफ.एण्ड.बी. सर्विस) दी गई। कौशल परीक्षण के बाद सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिये गये। अब से पर्यटन केन्द्र में 702 लोगों (345 खाद्य उत्पादन तथा 357 एफ तथा बी सेवाओं) का उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण किया गया है।

8.223 27वॉ अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला 1 से 15 फरवरी, 2013 तक आयोजित किया गया। इस मेले का थीम राज्य कर्नाटक था। मेले में देश के अलग–अलग राज्यों और विदेशों के 600 से अधिक शिल्पकारों

जो कि श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, उजवेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, मालद्वीव, भूटान और थाईलैंड ने भाग लिया। इसी प्रकार 500 से अधिक कलाकारों, लोक नृत्यकों और गायकों ने भाग लिया। आमों का 22वां प्रसिद्व मेला 6 और 7 जुलाई, 2013 में पिंजौर में आयोजित किया गया जिसमें समस्त उत्तर भारत के आमों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। 8वां पिंजौर हैरिटेज फैस्टिवल 30 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2013 तक विश्व प्रसिद्व यादविन्द्रा बाग पिंजौर में आयोजित किया गया। यह मेला पर्यटकों का मुख्य आकर्षण रहा। इसी प्रकार 28वॉ अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला 1 से 15 फरवरी, 2014 तक आयोजित किया गया। इस मेले का थीम राज्य गोवा था।

पर्यावरण

8.224 हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण नियन्त्रण रोकथाम) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण नियन्त्रण रोकथाम) अधिनियम, 1981 के अधीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की सहमति व कार्य शुरू करने की सहमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्रों की ऑनलाईन कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हानिकारक अपशिष्ट (प्रबन्धन, रख–रखाव एंव ट्रांसबाउंड्री मूवमैंट) नियम, 2008 को भी कम्पयूटरीकृत कर दिया गया है और इससे सम्बन्धित सेवाओं की जानकारी इन्टरनैट वैबसाईट पर उपलब्ध है। बोर्ड द्वारा इन सभी प्रार्थना पत्रों का निष्पादन ऑनलाईन किया जा रहा है और औद्योगिक इकाईयॉ स्थापना की सहमति और कार्य शुरू करने की सहमति ऑनलाईन प्राप्त कर रही है।

8.225 पानीपत के आवासीय क्षेत्र में कार्यरत बहुत सारी रंगाई इकाईयों को हाल ही में विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्र में विस्थापित किया गया है ताकि दूषित जल को सांझा जल संशोधन संयत्र में संशोधन किया जा सके और ग्राउंड वाटर को प्रदूषित होने से बचाया जाये और इस पर निगरानी रखी गई है। इस कार्य के लिए 498 प्लाट विभिन्न इकाईयों को प्रदान किये गये है जिनमें से 450 प्लाट धारकों ने अपना कब्जा ले लिया है और 412 इकाईयों ने अपने निमार्ण कार्य पूरा कर लिया है और 220 यूनिटों ने अपना उत्पादन इस नए आबंटित क्षेत्र में शुरू कर दिया है। 20 इकाईयों का निमार्ण कार्य चल रहा है, इन इकाईयों का दूषित जल 21 एम0एल0डी0 क्षमता के सांझा जल संशोधन संयत्र संशोधित किया जाता है वर्तमान में औसतन 18.5 एम0एल0डी0 दूषित जल इस सांझा जल संयत्र में पहुॅच रहा है।

8.226 गांव पाली जिला फरीदाबाद में सामूहिक खतरनाक अपशिष्ट निपटारण संयत्र का संचालन गुजरात इनवायर प्रोटैक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा किया जा रहा है। इस संयत्र की दहन क्षमता 12 से 14 टन प्रतिदिन है तथा इस जगह के जीवन का समय लगभग 30 वर्ष है। औद्योगिक इकाईयों और परियोजनाओं जो कि खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन एंव हस्तालन एंव राज्य से बाहर ले जाने) नियम, 2008 के अन्तर्गत आने वाली इकाईयॉ इस परियोजना का उपयोग अपने खतरनाक व्यर्थ पदार्थो के निपटान के लिए कर रही है।

8.227 फरीदाबाद गैस आधारित ताप उर्जा संयत्र ने अपनी चिमनियों पर निगरानी व्यवस्था को लागू कर दिया है और उसे ऑनलाईन प्रणाली से जोड़ा गया है जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के नेटवर्क के साथ जुड़ी है। यह निगरानी व्यवस्था दूर–दराज क्षेत्रों में प्रदूषण की निगरानी को सुनिश्चित करती है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने चार परिवेशिय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टैशनों की स्थापना गुडगांव, फरीदाबाद, रोहतक एंव पंचकुला में कर रखी है। लगातार परिवेशिय वायु गुणवत्ता की निगरानी मुख्य सर्वर के साथ की जा रही है तथा केन्द्रीय नियन्त्रण बोर्ड को भी इसकी सूचना दी जाती है। इस तरह परिवेशिय वायु गुणवत्ता के आधार पर अच्छे प्रबन्धन के लिए आंकड़े एकत्र किये जाते है।

8.228 जैव रसायनिक आक्सीन मांग (बी0ओ0डी0) यमुना नदी में पल्ला गांव में दिल्ली में प्रवेश करने से पहले हमेशा निर्धारित सीमा 3 मि0 ग्रा0/लिटर में रहती है।

8.229 जैविक स्त्रोतो के संरक्षण के लिए राज्य में हरियाणा जैव विविधता बोर्ड का गठन जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत किया गया है। बोर्ड जैविक स्त्रोतों के संरक्षण और दस्तावेज बनाने में सहायता प्रदान करेगा। यह हरियाणा में जैविक स्त्रौतो और उनके दावेदारों में ज्ञान का उपयोग करने में भी सुविधा प्रदान करेगा।

8.230 इस वित्तीय वर्ष में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अर्न्तगत राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड स्थापित कर 204 प्रोजैक्टस को पहले ही पर्यावरण समाशोधन प्रदान की गई।

8.231 मौसम परिवर्तन पर विभिन्न विभागों से परामर्श उपरान्त राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। इस योजना का अनुमोदन राज्य स्टीयरिंग समिति द्वारा किया गया है स्वीकृत योजना भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

बीस–सूत्रीय कार्यक्रम

8.232 20–सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं जोकि लोगों की आकांक्षाओं और जरुरतों को पूरी करने के लिए शुरु किया गया है। 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुलग्नक–8.1** में दिये गये हैं।

8.233 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के तहत कोई भी ग्रामीण परिवार जो कि अकुशल काम की तलाश में है अपने परिवार को ग्राम पंचायत के साथ रजिस्टर करता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत को आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर कम से कम 100 दिन का काम उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान (मास नवम्बर, 2013 तक) राज्य में इस योजना के तहत 61.72 लाख श्रम दिवस उत्पन्न किए गए। इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2013–14 के लिए 18,029 घरों के वार्षिक लक्ष्य के खिलाफ मास नवम्बर तक 3,316 घरों का निर्माण किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान (मास नवम्बर, 2013 तक) ई0डब्ल्यू0एस/एल0आई0जी0 आवास स्कीम के अर्न्तगत 458 घरों के लक्ष्य की तुलना में इस स्कीम के तहत 628 घरों का निर्माण किया जा चुका है।

8.234 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अर्न्तगत आंशिक रुप से संतृप्त व फिर से निचले स्तर पर पंहुची बसावटों तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के लिए वर्ष 2013–14 में 807 व 11 बसावटों का लक्ष्य निर्धारण किया गया जिसके विपरीत 310 व 4 बसावटों की उपलब्धि (मास नवम्बर, 2013 तक) प्राप्त की जा चुकी है।

8.235 अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी रेखा से उपर उठाने से सम्बन्धित बिन्दु को भारत सरकार द्वारा अलग–अलग दो बिन्दु नामतः (1) अनुसूचित जाति के परिवारों को एस0सी0ए0 से एस0सी0एस0पी0 व एन0एस0एफ0डी0सी0 के अर्न्तगत सहायता देना। (2) अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अर्न्तगत सहायता प्रदान करना। वर्ष 2013–14 में इन बिन्दुओं का लक्ष्य 19,394 व 78,120 निर्धारित किया गया है तथा निर्धारित लक्ष्य के विपरीत 51,945 व 6,264 परिवारों को (मास नवम्बर 2013 तक) लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य में संस्थागत प्रसव योजना के तहत मास नवम्बर, 2013 तक 2.30 लाख महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। 148 आई0सी0डी0एस0 ब्लाक परिचालन में है और 25,838 आंगनवाडी चल रही हैं। वृक्षारोपण के तहत 44,102 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया जा चुका है। 365 लाख सीडलिंग लगा दिये गय हैं। प्रधाननंत्री ग्रम सडक योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के तहत 30 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 4 किलोमीटर लम्बाई की सडकों का निर्माण किया जा चुका है। मास नवम्बर, 2013 तक 20,025 पम्प सैटों के लिए लक्ष्य के विरूद्व 14,678 पम्प सैट लगाये जा चुके हैं।

लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा

8.236 लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा (एच.आई.पी.ए.) की स्थापना एक विविध अनुशासनिक शीर्ष प्रशिक्षण संस्था के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। यह संस्थान भारतीय प्रशासन सेवा के नये प्रशिशुओं, हरियाणा नागरिक सेवाओं के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके सेवा काल में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह संस्था विभिन्न बोर्ड, निगमों के अमले को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न विकास के कार्यक्रमों और स्कीमों का नियोजन करना और उनको प्रभावशाली ढ़ग से लोगों के लिये क्रियान्वित करना है।

***

योजना नीति एवं समीक्षा

9

प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)

राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए 1,76,760 करोड़ रूपये का परिव्यय योजना आयोग, भारत सरकार को प्रस्तावित किया है। इस परिव्यय में 73,570 करोड़ रूपये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के तथा 13,190 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय के उनके स्वयं के स्त्रोतों के शामिल किए गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा स्थानीय निकाय के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 90,000 करोड़ रूपये रखा गया है। यह परिव्यय राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना से 157 प्रतिशत अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक जो कि दिनांक 22–10–2011 को हुई थी के द्वारा अनुमोदित एपरोच पेपर को मध्यनज़र रखकर तैयार किये गये हैं। क्षेत्रवार परिव्यय का आबंटन इस तरह से किया गया है कि सामाजिक न्याय के साथ प्रगति तथा विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहे। तदानूसार सामाजिक सेवाएं क्षेत्र को 49,474.30 करोड़ रूपये का परिव्यय आबंटित कर जोकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुल प्रायोजित परिव्यय का 54.97 प्रतिशत है, उच्चतम प्राथमिकता दी है। सामाजिक सेवाओं में वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं तथा निशक्तों जोकि समाज का सबसे अपेक्षित वर्ग है तथा राज्य का इनके प्रति स्वयं का मौलिक उत्तरदायित्व है, के पैंशन के प्रावधान को उच्चतम प्राथमिकता दी हैं। तदानुसार 12,176 करोड़ रूपये (13.53 प्रतिशत) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए रखे गये हैं। महिलाओं एवं बच्चों को एक अन्य उपेक्षित वर्ग होने के कारण राज्य के देखभाल की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जिसमें न्यूट्रीशन भी शामिल है, के लिए 1,420 करोड़ रूपये (1.58 प्रतिशत) का प्रावधान है। शिक्षा, जिसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, के लिए 14,800 करोड़ रूपये (16.44 प्रतिशत) का परिव्यय रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें चिकित्सा शिक्षा शामिल है, को भी वार्षिक योजना में 3,737 करोड़ रूपये (4.15 प्रतिशत) का परिव्यय रख कर इन क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी है। पेयजल आपूर्ति के विस्तार तथा सफाई कार्य के सुधार हेतू 5200 करोड़ रूपये (5.77 प्रतिशत) का परिव्यय प्रायोजित किया गया हैं। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 624 करोड़ रूपये (0.69 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 7,900 करोड़ रूपये (8.77 प्रतिशत) का प्रावधान है।

9.2 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई, बिजली, सड़क तथा सड़क परिवहन के आधारभूत संरचना के विकास/सुधार हेतू 24,962 करोड़ रूपये जोकि कुल प्रायोजित परिव्यय का 27.74 प्रतिशत है, का प्रावधान कर दूसरी उच्चतम प्राथमिकता दी है।

वार्षिक योजना 2012–13

9.3 राज्य की वार्षिक योजना 2012–13 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार ने 26,485 करोड़ रूपये अनुमोदित किए थे। तत्पश्चात राज्य के स्त्रोतों का पुनः निर्धारण करते हुए यह परिव्यय संशोधित करके 22,935.73 करोड़ रूपये किया गया। इस परिव्यय में 7,388.10 करोड़ रूपये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा 1,123.46 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय के लिए जोकि उनके स्वयं के स्त्रोतों से जुटाए गए थे, सम्मिलित हैं। वर्ष 2012–13 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं स्थानीय निकाय के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 14,424.17 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था।

9.4 संशोधित क्षेत्रीय परिव्यय के आबंटन के दौरान शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जलापूर्ति, शहरी विकास तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवा के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। राज्य की वार्षिक योजना 2012–13 के संशोधित परिव्यय में से 8,509.68 करोड़ रूपये (59 प्रतिशत) की राशि सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए रखी गई थी। इस परिव्यय में से 2,200.80 करोड़ रूपये (15.26 प्रतिशत) शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा, 1705.00 करोड़ रूपये (11.82 प्रतिशत) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, 650 करोड़ रूपये (4.51 प्रतिशत) जलापूर्ति, 1,654.20 करोड़ रूपये (11.47 प्रतिशत) शहरी विकास, 853.12 करोड़ रूपये (5.91 प्रतिशत) स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, कर्मचारी राज्य बीमा तथा खाद्य एवं औषधी प्रशासन के लिए तथा

शेष 1,446.56 करोड़ रूपये महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, नगरीय एवं नियोजन, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा आवासीय क्षेत्रों आदि के लिए रखे गये थे। सिंचाई, बिजली, सड़क एवं सड़क परिवहन के आधारभूत ढांचे के सुधार/विस्तार हेतु तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 3,605 करोड़ रूपये जोकि वार्षिक योजना 2012–13 के कुल संशोधित परिव्यय का 24.99 प्रतिशत है, आबंटित किए गए थे। आधारभूत संरचना के विकास के अन्तर्गत यातायात क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र को 1610 करोड़ रूपये (11.16 प्रतिशत) उपलब्ध कराए गए थे। दूसरी प्राथमिकता सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण को देते हुए 905 करोड़ रूपये (6.27 प्रतिशत) सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए थे। संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में 670 करोड़ रूपये (4.65 प्रतिशत) की राशि बिजली क्षेत्र के लिए रखी गई थी। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 420 करोड़ रूपये (2.91 प्रतिशत) की राशि रखी गई थी।

9.5 कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में 1,182.53 करोड़ रूपये (8.20 प्रतिशत) आबंटित किए गए थे। संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में ग्रामीण विकास क्षेत्र जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु अन्य कार्य सम्मिलित हैं, के लिये 1101.54 करोड़ रूपये (7.64 प्रतिशत) आबंटित किए गए थे। इस क्षेत्र में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई जिसके लिये संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में 963.82 करोड़ रूपये (6.68 प्रतिशत) रखे गए थे। संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में पिछड़े मेवात तथा अम्बाला, पंचकूला व यमुनानगर जिले के पर्वतीय एवं अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु मेवात विकास बोर्ड तथा शिवालिक विकास बोर्ड को 23 करोड़ रूपये (0.16 प्रतिशत) की राशि आबंटित की गई थी। उद्योगों के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में 53.26 करोड़ रूपये रखे गये। संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिये 22 करोड़ रूपये रखे गये थे। राज्य परिवहन की वर्तमान बसों की संख्या व लोक परिवहन सेवाओं के लिये बढ़ती मांग के अन्तर को पूरा करने के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में 132 करोड़ रूपये रखे गये। वर्तमान पर्यटक स्थलों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में 22 करोड़ रूपये रखे गये थे। संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में विकेन्द्रीकृत योजना व जिला योजना के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जो स्थानीय विकास कार्यो पर उपयोग हुआ। सामान्य सेवाओं के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2012–13 में 199.42 करोड़ रूपये रखे गये। 185.47 करोड़ रूपये प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी।

9.6 वार्षिक योजना 2012–13 में 22,935.73 करोड़ रूपये संशोधित परिव्यय के विरूद्ध 19,252.33 करोड़ रूपये जोकि 83.9 प्रतिशत है, खर्च किया गया जिसमें से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर 1054.77 करोड़ रूपये (89.2 प्रतिशत), ग्रामीण विकास पर 1,058.58 करोड़ रूपये (96.1 प्रतिशत), विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 17.35 करोड़ रूपये (75.4 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर 845.55 करोड़ रूपये (93.4 प्रतिशत), शक्ति पर 463.18 करोड़ रूपये (69.1 प्रतिशत), उद्योगों एवं खनिज पर 58.08 करोड़ रूपये (77.2 प्रतिशत), परिवहन पर 1,388.09 करोड़ रूपये (86.2 प्रतिशत), विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी तथा पर्यावरण पर 18.54 करोड़ रूपये (99.7 प्रतिशत), सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 27.64 करोड़ रूपये (94.9 प्रतिशत), विकेन्द्रीकृत तथा जिला योजना पर 97.76 करोड़ रूपये (97.8 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं पर 7,315.92 करोड़ रूपये (86 प्रतिशत) तथा सामान्य सेवाओं पर 175.42 करोड़ रूपये (88 प्रतिशत) खर्च किए गए।

9.7 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं (शेयरिंग बेसिस) के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 3,354.57 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2,260.24 करोड़ रूपये (64.4 प्रतिशत) केन्द्र सरकार के हिस्से से खर्च किए गए तथा राज्य सरकार के हिस्से के संशोधित परिव्यय 1,109.98 करोड़ रूपये के विरूद्ध 815.53 करोड़ रूपये (73.5 प्रतिशत) व्यय किए गए। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 1,123.85 करोड़ रूपये के विरूद्ध 749.29 करोड़ रूपये (66.7 प्रतिशत) खर्च किए गए। बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं पर संशोधित परिव्यय 165.25 करोड़ रूपये के विरूद्ध 98 करोड़ रूपये (59.3 प्रतिशत), भारत निर्माण के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 581.90 करोड़ रूपये के विरूद्ध 455.85 करोड़ रूपये (78.3 प्रतिशत), 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 729.28 करोड़ रूपये के विरूद्ध 497.80 करोड़ रूपये (68.3 प्रतिशत), अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 908.72 करोड़ रूपये के विरूद्ध 609.28 करोड़ रूपये (67 प्रतिशत), ईयरमार्कड क्षेत्र के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 2,896.38 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2,208.36 करोड़ रूपये (76.2 प्रतिशत), महिला घटक के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 2,060.13 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1,809.35 करोड़ रूपये (87.8 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 2,613.36 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2,187.18 करोड़ रूपये (83.7 प्रतिशत) खर्च किए गए।

आकृति 9.1 – हरियाणा की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अन्तर्गत उपलब्धियां

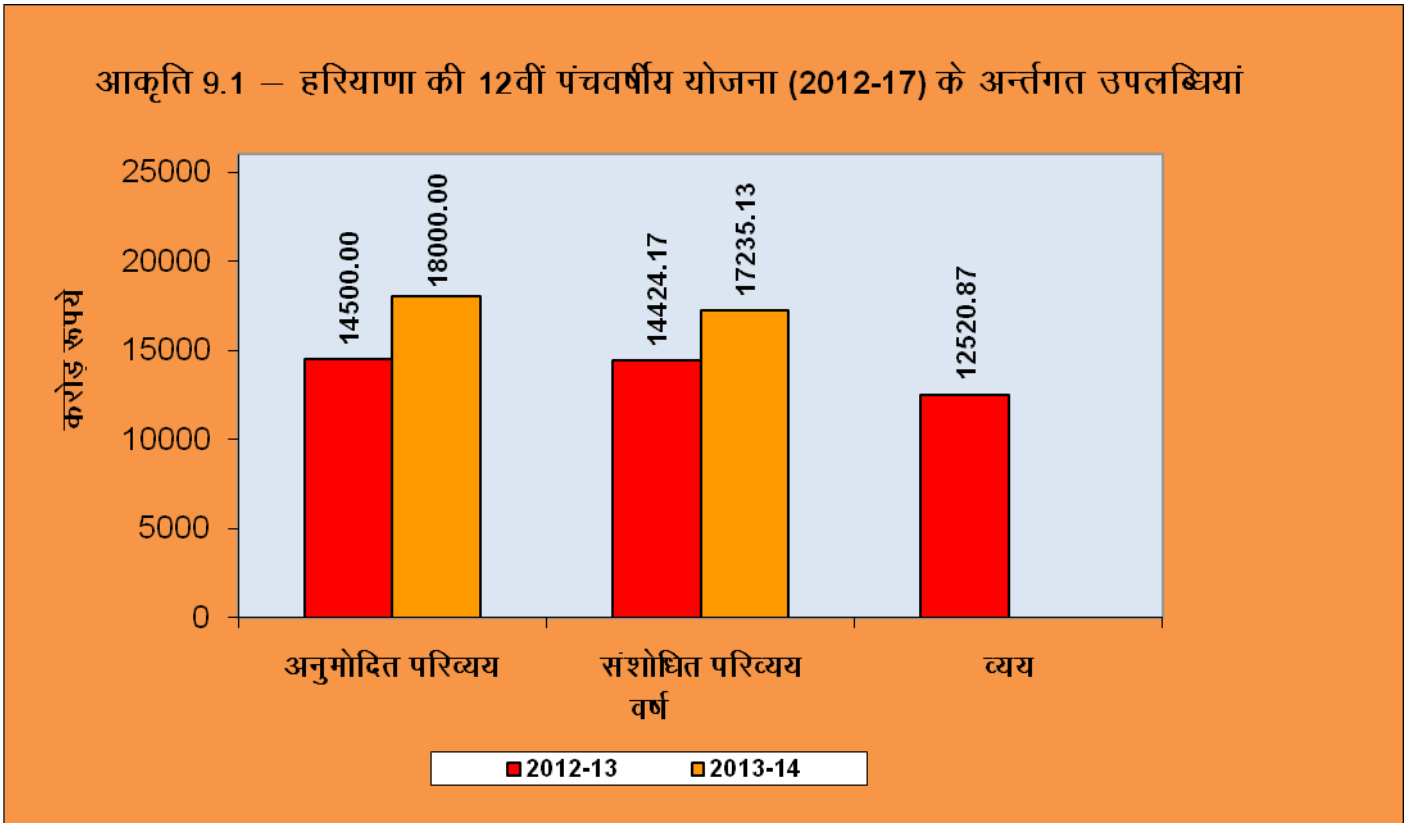

वार्षिक योजना 2013–14

9.8 राज्य की वार्षिक योजना 2013–14 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार ने 27,072 करोड़ रूपये अनुमोदित किए थे। इस परिव्यय में 7513 करोड़ रूपये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए तथा 1,558 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय के लिए सम्मिलित किए गए थे जोकि उनके स्वयं के स्त्रोतों द्वारा जुटाये जाने थे। वार्षिक योजना 2013–14 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा स्थानीय निकाय के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 18,000 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था। राज्य के स्त्रोतों का पुनः निर्धारण करते हुए यह परिव्यय संशोधित करके 24,182.13 करोड़ रूपये किया गया। इस परिव्यय में 5,786 करोड़ रूपये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा 1,161 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय उनके स्वयं के स्त्रोतों से जुटाएगें। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं स्थानीय निकाय के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 17,235.13 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया।

9.9 संशोधित क्षेत्रीय परिव्यय के आबंटन के दौरान शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जलापूर्ति, शहरी विकास तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। राज्य की वार्षिक योजना 2013–14 के संशोधित परिव्यय में से 9,599.59 करोड़ रूपये (55.70 प्रतिशत) की राशि सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए रखी गई। इस परिव्यय में से 2,882.93 करोड़ रूपये (16.73 प्रतिशत) शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा, 1,908.89 करोड़ रूपये (11.07 प्रतिशत) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, 768.90 करोड़ रूपये (4.46 प्रतिशत) जलापूर्ति, 1,867 करोड़ रूपये (10.83 प्रतिशत) शहरी विकास, 922.39 करोड़ रूपये (5.35 प्रतिशत) स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद तथा कर्मचारी राज्य बीमा के लिए तथा शेष 1,249.48 करोड़ रूपये महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, नगरीय एवं नियोजन, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा आवासीय क्षेत्रों आदि के लिए रखे गये। आधारभूत सरंचना के विकास को गति देने के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 4,267.39 करोड़ रूपये जोकि कुल संशोधित परिव्यय का 24.76 प्रतिशत है, सिंचाई, बिजली, सड़क तथा सड़क परिवहन तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए आबंटित किए गए। आधारभूत सरंचना के विकास के अन्तर्गत यातायात क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देते हुए इसके लिए 2,236.50 करोड़ रूपये (12.98 प्रतिशत) आबंटित किए गए। दूसरी प्राथमिकता सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण को देते हुए 939 करोड़ रूपये (5.45 प्रतिशत) उपलब्ध कराए गए। संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में बिजली के लिए 421.86 करोड़ रूपये (2.45 प्रतिशत) रखे गए। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 670 करोड़ रूपये (3.89 प्रतिशत) के लिए रखे गए।

9.10 कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 1,427.24 करोड़ रूपये (8.28 प्रतिशत) आबंटित किए गए। संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में ग्रामीण विकास क्षेत्र जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु अन्य कार्य सम्मिलित हैं, के लिये 1,285.40 करोड़ रूपये (7.46 प्रतिशत) आबंटित किए गए। इस क्षेत्र में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई जिसके लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 1,141 करोड़ रूपये (6.62 प्रतिशत) रखे गए। संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में पिछड़े मेवात तथा अम्बाला, पंचकूला व यमुनानगर जिले के पर्वतीय एवं अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु मेवात विकास बोर्ड तथा शिवालिक विकास बोर्ड को 34 करोड़ रूपये (0.20 प्रतिशत) की राशि आबंटित की गई। उद्योगों के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 60.70 करोड़ रूपये रखे गये। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 29.60 करोड़ रूपये रखे गये। राज्य परिवहन की वर्तमान बसों की संख्या व लोक परिवहन सेवाओं के लिये बढ़ती मांग के अन्तर को पूरा करने के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 181.50 करोड़ रूपये रखे गये। वर्तमान पर्यटक स्थलों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 25.30 करोड़ रूपये रखे गये। संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में विकेन्द्रीकृत योजना व जिला योजना के लिये 300 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया जो स्थानीय विकास कार्यो पर उपयोग होगे। सामान्य सेवाओं के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2013–14 में 177.39 करोड़ रूपये रखे गये। 153.94 करोड़ रूपये प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई। विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य का प्रदर्शन **अनुलग्नक 9.1 व 9.2** तथा **आकृति 9.1** पर है।

***

अनुलग्नक 2.1–हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

मदें	2010–11	2011–12	2012–13(स.अ.)	2013.14(ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**25563.68**	**30557.59**	**37824.07**	**43780.33**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (अ+आ)	20211.31	25121.11	29158.16	33946.82
अ) राज्य का अपना कर राजस्व (i से viii)	16790.37	20399.46	24289.81	28784.34
i) भू –राजस्व	10.02	10.95	16.81	19.33
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	2365.81	2831.89	3000.00	4000.00
iii) बिक्री कर	11082.01	13383.69	16450.00	19288.61
iv) मोटर वाहनों पर कर	457.36	740.15	770.00	850.00
v) स्टाम्प तथा रजिट्रेशन	2319.28	2793.00	3350.00	3850.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	387.14	429.32	470.00	520.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	130.27	166.43	183.00	201.40
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	38.48	44.03	50.00	55.00
आ) राज्य का अपना कर– भिन्न राजस्व (i से v)	3420.94	4721.65	4868.35	5162.48
i) ब्याज प्राप्तियां	689.34	864.96	1017.84	1090.13
ii) लाभांश तथा लाभ	2.48	1.64	7.31	7.72
iii) सामान्य सेवाएं	216.34	336.02	671.97	350.75
iv) सामाजिक सेवाएं	1363.56	1483.53	1780.00	1917.07
v) आर्थिक सेवाएं	1149.22	2035.50	1391.23	1796.81
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (इ+ई)	5352.37	5436.48	8665.91	9833.51
इ) केन्द्रीय करों का भाग*	2301.75	2681.55	3170.29	3483.90
ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	3050.62	2754.93	5495.62	6349.61
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**6112.69**	**7033.06**	**7330.16**	**8860.52**
i) कर्जे की प्राप्तियां	233.05	294.12	444.46	304.82
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.00	9.24	12.18	12.47
iii) लोक ऋण (निवल)	5871.64	6729.70	6873.52	8543.23
कुल प्राप्तियां (1+2)	**31676.37**	**37590.65**	**45154.23**	**52640.85**

स.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

* केन्द्र द्वारा राज्य को समनुदेशित निवल का भाग जो "वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क" शीर्ष में दिया गया है वह राज्य के अपने कर राजस्व के बजाय केन्द्रीय करों के भाग में सम्मिलित है।

स्त्रोतः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.2–हरियाणा सरकार का व्यय

(₹ करोड़ में)

मदें	2010–11	2011–12	2012–13 (स.अ.)	2013–14 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. राजस्व व्यय (क+ख़+ग)	**28310.19**	**32014.89**	**40987.45**	**46223.56**
क) विकासात्मक (i+ii)	18900.81	21695.64	28487.22	31563.32
i) सामाजिक सेवाएं	10904.08	12641.67	16293.77	18562.67
ii) आर्थिक सेवाएं	7996.73	9053.97	12193.45	13000.65
ख) गैर–विकासात्मक (i से v)	9328.14	10219.83	12275.26	14481.30
i) राज्य की विधाएं	367.63	442.12	568.32	550.97
ii)वित्तीय सेवाएं	249.82	243.90	279.81	303.57
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	3424.24	4151.70	5323.29	6589.25
iv) प्रशासनिक सेवाएं	2191.18	2176.57	2597.70	2811.13
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	3095.27	3205.54	3506.14	4226.38
ग) अन्य*	81.24	99.42	224.97	178.94
2. पूंजीगत व्यय (घ+ड.)	**4752.97**	**5999.41**	**5425.84**	**6850.03**
घ) विकासात्मक (iसे ii)	4454.70	5627.78	4966.96	6345.84
i) सामाजिक सेवाएं	1565.80	1499.65	1898.65	2820.11
ii) आर्थिक सेवाएं	2888.90	4128.13	3068.31	3525.73
ड़) गैर–विकासात्मक (iसे ii)	298.27	371.63	458.88	504.19
i) सामान्य सेवाएं	198.94	235.32	273.30	294.56
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	99.33	136.31	185.58	209.63
3. कुल व्यय (1+2=4+5+6)	**33063.16**	**38014.30**	**46413.29**	**53073.59**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+घं)	**23355.51**	**27323.42**	**33454.18**	**37909.16**
5. कुल गैर–विकासात्मक व्यय (ख +ड़)	**9626.41**	**10591.46**	**12734.14**	**14985.49**
6. अन्य* (ग)	**81.24**	**99.42**	**224.97**	**178.94**

स.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

स्त्रोतः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.3–हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

मदें	2010–11	2011–12	2012–13(स.अ.)	2013–14(ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-) 1131.66	(-)1775.86	(-)49.46	(-)38.52
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-) 1124.41	(-)1771.03	(-)39.96	(-)29.02
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	25563.68	30557.59	37824.07	43780.33
ख) खर्च	28310.19	32014.89	40987.45	46223.56
ग) अधिशेष/घाटा	(-) 2746.51	(-)1457.30	(-)3163.38	(-)2443.23
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.00	9.24	12.18	12.47
4. पूंजीगत परिव्यय	4031.10	5372.34	4677.62	5766.49
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	10513.20	11741.10	17422.34	21648.13
ख) पुनः अदायगी	4641.56	5011.40	10548.82	13104.90
ग) निवल	(+) 5871.64	(+)6729.70	(+)6873.52	(+)8543.23
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	721.87	627.07	748.22	1083.54
ख) वसूलियां	233.05	294.12	444.46	304.82
ग) निवल	(-) 488.82	(-)332.95	(-)303.76	(-)778.72
7. अर्न्तराज्य समायोजन	–	–	–	–
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन	190.00	–	–	–
9. आकस्मिक निधि (निवल)	(+) 190.00	–	–	–
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	(+) 747.80	(+)718.53	(+)780.46	(+)908.29
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	(-)310.28	(+)1216.64	(+)521.64	(-)217.98
12. प्रेषण (निवल)	(+) 305.08	(+)214.88	(-)32.10	(-)245.31
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन–देन)	(-) 644.19	(+)1726.40	(+)10.94	(+)12.26
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	(-) 1775.85	(-)49.46	(-)38.52	(-)26.26
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	(-) 1771.03	(-)39.96	(-)29.02	(-)16.76

स.अ. : संशोधित अनुमान
ब.अ. : बजट अनुमान
स्त्रोत : स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.4–आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(₹ करोड़ में)

मदें	2010–11	2011–12	2012–13 (स.अ.)	2013–14 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
I प्रशासकीय विभाग (1से 7)	**30426.31**	**32688.08**	**42607.94**	**48905.41**
1. उपभोग व्यय (i+ii)	13159.02	13780.07	16078.55	18895.97
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	11710.09	12209.73	14342.18	16030.49
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख–रखाव	1448.93	1570.34	1736.37	2865.48
2. चालू हस्तांतरण*	12020.03	12939.48	18929.51	20155.11
3. सकल पूंजी निर्माण	2636.94	2717.21	3856.77	5001.67
4. पूंजीगत हस्तांतरण	1207.95	1763.02	2403.77	3215.58
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	661.28	827.69	578.56	544.69
6. कर्ज (अग्रिम)	721.87	627.07	748.22	1083.54
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	19.22	33.54	12.56	8.85
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	**3104.97**	**3298.35**	**3844.33**	**4173.20**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख–रखाव सम्मिलित है	402.78	473.49	1027.98	1122.37
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	1453.68	1394.94	1647.40	1759.97
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	32.94	32.96	33.95	33.97
4. ब्याज	403.95	440.94	399.56	418.41
5. सकल पूंजी निर्माण	791.79	936.72	726.86	824.35
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	19.83	19.30	8.58	14.13
कुल व्यय (I+II)	**33531.28**	**35986.43**	**46452.27**	**53078.61**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

*चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

स्त्रोत : स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलंग्नक 4.1– हरियाणा में कृषि सूचकांक

(आधार त्रैवर्षान्त 2007–2008=100)

वर्ष	क्षेत्र	औसत उपज	पैदावार
1	2	3	4
2007-08	100.10	104.78	104.88
2008-09	100.70	107.42	108.18
2009-10	101.46	104.06	105.57
2010-11	101.45	107.55	109.10
2011-12	104.83	116.25	121.86
2012-13 (अ)	112.83	102.50	115.65

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

अः अनन्तिम

नोटः– सूचकांक 21 चूनींदा फसलों पर आधारित है।

अनुलंग्नक 4.2– हरियाणा में फसलवार कृषि उत्पादन सूचकांक

(आधार त्रैवर्षान्त 2007–2008=100)

वर्ष	अनाज खाद्यान्न	अनाज दालें	कुल खाद्यान्न	तेल के बीज	रेशेदार फसलें	विविध फसलें	कुल अखाद्यान्न	सभी फसलें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007-08	106.45	87.39	106.14	81.79	108.88	103.58	102.17	104.88
2008-09	110.33	149.75	110.97	121.20	107.81	79.34	102.20	108.18
2009-10	107.23	84.69	106.86	115.01	111.09	79.60	102.80	105.57
2010-11	113.46	135.73	113.82	128.03	101.21	75.63	99.00	109.10
2011-12	126.07	92.76	125.53	100.02	151.89	54.56	114.02	121.86
2012-13(अ)	114.05	67.03	113.29	128.74	138.16	83.64	120.70	115.65

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अः अनन्तिम

नोटः– सूचकांक 21 चूनींदा फसलों पर आधारित है।

अनुलग्नक 5.1–वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–2005=100)

समूह	विवरण	भार	सूचकांक	
			2011-12	2012-13(अ.)
1	2	3	4	5
15	खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	152.8	163.4
16	तम्बाकू उत्पादों	0.55	94.5	95.3
17	वस्त्रों	38.77	78.8	70.4
18	पहनने के कपड़े, ड्रैसिंग व फर की डाईंग	47.59	143.0	158.5
19	चमड़े की टेनिंग व ड्रैसिंग, लगेज हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	107.6	97.5
20	लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	157.6	167.1
21	कागज तथा कागज उत्पादों	9.67	112.1	119.4
22	रिकार्डिंड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	86.5	87.6
23	कोक, शुद्ध पैट्रोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	144.4	155.4
24	रसायन तथा रसायनिक उत्पादों	36.73	156.5	159.8
25	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पादों	31.07	122.9	138.9
26	अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पादों	14.70	136.4	150.6
27	आधारभूत धातुएं	109.70	158.6	197.6
28	फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	205.6	221.7
29	अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथा उपकरण	63.15	205.7	254.1
30	कार्यालय, लेखा व कम्प्यूटिंग मशीनरी	4.12	216.3	234.2
31	अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व सधित्र	22.81	131.2	147.8
32	रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	190.1	200.4
33	चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	127.0	131.0
34	मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध–टेलर	233.94	193.7	180.5
35	अन्य परिवहन उपकरण	173.52	176.3	175.5
36	फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	72.4	78.7
	विनिर्माण	**918.22**	**165.9**	**173.6**
	विद्युत	**81.78**	**230.4**	**243.5**
	सामान्य सूचकांक	**1000.00**	**171.2**	**179.3**

अ : अनन्तिम स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 5.2–हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–05)

वर्ष	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य सूचकांक
2005–06	107.5	116.6	108.2
2006–07	118.6	128.5	119.4
2007–08	126.3	132.9	126.8
2008–09	129.4	154.8	131.5
2009–10	144.8	176.2	147.4
2010–11	159.7	181.0	161.5
2011–12	165.9	230.4	171.2
2012–13(अ)	173.6	243.5	179.3

अ : अनन्तिम स्त्रोतः : अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 5.3– औद्योगिक उत्पाद वर्गो में वृद्धि (दो अंक स्तर पर)
(औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004–05=100)

उद्योग समूह	भार	2010-11	2011-12	2012-13
विनिर्माण	918.22	10.3	3.9	4.6

वर्ष 2012–13 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग

18. पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग	47.59	3.9	1.5	10.9
25. रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	6.9	–13.5	13.0
26. अन्य गैर धातु खनिज उत्पादों के विनिर्माण	14.70	8.3	8.3	10.4
27. आधारभूत धातुएं	109.70	3.3	14.5	24.6
29. अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथा उपकरण	63.15	14.2	21.3	23.5
31. अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व साधित्र	22.81	–0.2	–1.7	12.6

वर्ष 2012–13 के दौरान 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग

15. खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	4.8	8.7	6.9
20. लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	1.9	18.2	6.1
21. कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	1.5	19.9	6.5
23. कोक, शुद्ध पैटोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	10.7	6.4	7.6
28. फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	26.7	3.0	7.8
30. कार्यालय, लेखा व कम्यूटिंग मशीनरी	4.12	14.3	43.7	8.3
32. रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	17.1	5.2	5.4
36. फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	–11.5	0.4	8.7

वर्ष 2012–13 के दौरान 5 प्रतिशत से कम वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग

16. तम्बाकू उत्पाद	0.55	–22.7	–13.0	0.9
22. रिकार्डिंड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	1.4	–1.3	1.3
24. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	9.3	0.2	2.1
33. चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	14.0	–17.7	3.2

वर्ष 2012–13 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग

17. वस्त्रों के निर्माण	38.77	–13.1	–15.0	–10.7
19. चमड़े की टेनिंग व डेंसिंग, लगेज हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	–3.1	–14.5	–9.4
34. मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध–टेलर	233.94	17.7	–1.9	–6.8
35. अन्य परिवहन उपकरण	173.52	9.5	7.7	–0.5

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 8.1–बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत उपलब्धियां

बिन्दू/मद		ईकाई	वर्ष 2013–14 (नवम्बर, 2013 तक)	
			लक्ष्य	उपलब्धियां
1		2	3	4
01ए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	लाख कार्य दिवस	ल.न.	61.72
06ए	इन्दिरा आवास योजना	संख्या	18029	3316
06बी	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न वर्ग को आवास	संख्या	458	628
07ए03	आंशिक रुप से संतृष्त व फिर से निचले स्तर पर पहुची बसावटें	संख्या	807	310
07ए04	जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटें	संख्या	11	4
08ई	सांस्थानिक प्रसव	लाख संख्या	ल.न.	2.30
10ए 02	आर्थिक सहायता प्राप्त अनूसूचित जाति के परिवार	संख्या	19394	51945
10ए 03	आर्थिक सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्र	संख्या	78120	6264
12ए	स्मेकित बाल विकास परियोजना खण्ड	संचयी संख्या	148	148
12बी	क्रियाशील आंगनबाड़िंया	संचयी संख्या	25727	25838
15ए01	वृक्षारोपण के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र–सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	64890	44102
15ए02	सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	संख्या लाख	421.79	365.00
17ए	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	कि0मी0	30	4
18डी	पम्पसैटों को बिजली	संख्या	20025	14678

ल. न.– लक्ष्य नहीं ।

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 9.1—योजनाओं के अधीन परिव्यय/व्यय

योजना अवधि		अनुमोदित परिव्यय	व्यय
वार्षिक योजनाएं	1966—69	77.11	94.14
चौथी योजना	1969—74	225.00	358.26
पांचवी योजना	1974—79	601.35	677.34
वार्षिक योजना	1979—80	219.76	202.96
छठी योजना	1980—85	1800.00	1595.47
सातवीं योजना	1985—90	2900.00	2510.64
वार्षिक योजना	1990—91	700.00	615.02
वार्षिक योजना	1991—92	765.00	699.39
आठवीं योजना	1992—97	5700.00	4899.19
नौंवीं योजना	1997—02	11600.00	7986.12
दसवीं योजना	2002—07	12000.00	12979.64
ग्यारवीं योजना	2007—12	35000.00	43161.22
बाहरवीं योजना प्रस्तावित परिव्यय	**2012—17**	90000.00	
वार्षिक योजना (i) अनुमोदित परिव्यय (ii) संशोधित परिव्यय	**2012—13**	 14500.00 14424.17	 12520.87
वार्षिक योजना (i) अनुमोदित परिव्यय (ii) संशोधित परिव्यय	**2013—14**	 18000.00 17235.13	

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

अनुलग्नक 9.2–हरियाणा में प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाएं 2012–13 से 2013–14 तक की उपलब्धियां

(करोड़ रूपये)

क्र0 सं0	विकास का मुख्य शीर्ष	12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17	वार्षिक योजना 2012–13	वार्षिक योजना 2013–14
		प्रस्तावित परिव्यय	वास्तविक परिव्यय	संशोधित परिव्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कृषि एवं सहबद्ध कार्य	5880.00 (6.53)	1054.77 (8.42)	1427.24 (8.28)
2	ग्रामीण विकास	6223.00 (6.91)	1058.57 (8.46)	1285.40 (7.46)
3	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	202.00 (0.22)	17.35 (0.14)	34.00 (0.20)
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	7700.00 (8.55)	845.55 (6.75)	939.00 (5.45)
5	ऊर्जा	7402.00 (8.23)	463.18 (3.70)	421.86 (2.45)
6	उद्योग एवं खनिज	647.00 (0.73)	58.08 (0.46)	91.50 (0.53)
7	परिवहन	9860.00 (10.96)	1388.09 (11.09)	2236.50 (12.98)
8	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	120.00 (0.13)	18.54 (0.15)	23.15 (0.13)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	200.00 (0.22)	27.64 (0.22)	29.50 (0.17)
10	विकेन्द्रीकृत योजना	1555.00 (1.73)	97.76 (0.78)	300.00 (1.74)
11	समाजिक सेवाएं	49474.30 (54.97)	7315.92 (58.43)	10269.59 (59.59)
12	सामान्य सेवाएं	736.70 (0.82)	175.42 (1.40)	177.39 (1.03)
	कुल जोड़	**90000.00 (100.00)**	**12520.87 (100.00)**	**17235.13 (100.00)**

नोटः कोष्ठक में दिये गये आंकडे प्रतिशत को दर्शाते है।

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा